संस्कृति IAS

करेंट अफेयर्स

अक्तूबर-नवम्बर 2020

सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा

संस्कृति IAS

The Complete Administrative Culture

टीम वही, कोचिंग नई

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स

वैकल्पिक विषय

भूगोल

द्वारा – कुमार गौरव

ऑनलाइन वीडियो कोर्स में शामिल हैं

1. भूगोल विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. भूगोल विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री–
   - (i) पेपर 1 (भूगोल के सिद्धांत): भौतिक भूगोल– भूआकृतिक विज्ञान; जलवायु विज्ञान; समुद्र विज्ञान; जैव भूगोल; पर्यावरण भूगोल। मानव भूगोल– मानव भूगोल का स्वरूप/परिप्रेक्ष्य; आर्थिक भूगोल; जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल; प्रादेशिक नियोजन; मानव भूगोल से सम्बंधित मॉडल एवं सिद्धांत।
   - (ii) पेपर 2 (भारत का भूगोल): भारत का भौतिक भूगोल; संसाधन भूगोल; कृषि; उद्योग; परिवहन, संचार एवं व्यापार; सांस्कृतिक भूगोल; प्रादेशिक नियोजन और विकास; राजनीतिक भूगोल; समसामयिक मुद्दे– पारिस्थितिकी, बाढ़, सूखा, महामारी, वनोन्मूलन, आपदाएँ, सतत् विकास आदि।
5. भूगोल विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. द्वितीय प्रश्नपत्र से सम्बंधित मानचित्र अध्ययन सामग्री

नोट : उपर्युक्त सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री कोरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

सम्पर्क करें: 7428085757/58
या
मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124

पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: YouTube

करेंट अफेयर्स

अनुक्रमणिका

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 1

भौगोलिक घटनाक्रम.....6-8

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 2

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 10-29
राजनीतिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम..... 30-58

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 3

आर्थिक घटनाक्रम 60-80
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी..... 81-89
पर्यावरणीय घटनाक्रम..... 90-95
रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा..... 96-97

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 4

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि..... 100-104

जिस्ट

इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 105-106
साइंस रिपोर्टर.....107
योजना..... 107-121

The Most Comprehensive Online Video Course for IAS Exam
Learn with our expert mentors having experience of over 15-20 years in this field.
PRELIMS GS COURSE
MAINS GS COURSE
OPTIONAL COURSE
QUESTION-ANS DISCUSSION COURSE

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

ऑनलाइन वीडियो कोर्स

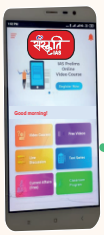

सामान्य अध्ययन
प्रिलिम्स कोर्स

GS (PT & Mains)
Ques-Ans. Discussion Course

वैकल्पिक विषय
भूगोल
द्वारा - कुमार गौरव

वैकल्पिक विषय
इतिहास
द्वारा - अखिल मूर्ति

ऑनलाइन वीडियो कोर्स की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ

- 500 से अधिक घंटों की कक्षाएँ
- 24×7 क्लास एक्सेस, कभी भी कहीं से भी
- विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर परिचर्चा
- शंका-निवारण (Doubt Clearing) कक्षाएँ
- अद्यतन एवं विस्तृत पाठ्य-सामग्री कोरियर द्वारा आपके पास भेजी जाएगी।
- प्रत्येक महीने करेंट अफेयर्स मैगज़ीन पी.डी.एफ. फॉरमेट में
- प्रत्येक वीडियो को 4 बार देखने की सुविधा
- नियमित क्लास टेस्ट
- वीडियो कोर्स में वही अध्यापक पढ़ाएंगे जो दिल्ली केंद्र पर ऑफलाइन कक्षा कार्यक्रम में पढ़ाते हैं

श्री अखिल मूर्ति
इतिहास
कला एवं संस्कृति

श्री अमित कुमार सिंह
(IGNITED MINDS)
एथिक्स

श्री ए.के. अरुण
भारतीय
अर्थव्यवस्था

श्री सीबीपी श्रीवास्तव
(DISCOVERY IAS)
भारतीय राजव्यवस्था

श्री कुमार गौरव
भूगोल, पर्यावरण
आपदा प्रबंधन

श्री रीतेश आर जायसवाल
सामान्य विज्ञान
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

श्री विकास रंजन
(TRIUMPH IAS)
सामाजिक मुद्दे

एवं टीम

नोट

नोट्स की गुणवत्ता एवं डेमो क्लास देखने के लिये गूगल प्ले स्टोर से
SANSKRITI IAS
का एप डाउनलोड करें

पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 | सम्पर्क करें: 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124
Website: www.sanskritiIAS.com | Follows us on: YouTube

करेंट अफेयर्स

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 1

भौगोलिक घटनाक्रम

डेथ वैली में पुनः उच्च तापमान दर्ज 6

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

टीम वही, कोचिंग नई

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स

ऑनलाइन वीडियो कोर्स में शामिल हैं

1. इतिहास विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति पै के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. इतिहास विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री–
   (i) पेपर 1: प्राचीन भारत का इतिहास तथा मध्यकालीन भारत का इतिहास
   (ii) पेपर 2: आधुनिक भारत का इतिहास तथा विश्व इतिहास
5. इतिहास विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. प्रथम प्रश्नपत्र से सम्बंधित मानचित्र अध्ययन सामग्री

नोट : उपर्युक्त सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री कोरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

सम्पर्क करें: 7428085757/58
या
मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124

पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: YouTube

1 भौगोलिक घटनाक्रम

डेथ वैली में पुनः उच्च तापमान दर्ज

- हाल ही में डेथ वैली (कैलिफोर्निया, यू.एस.ए.) में 54.4 डिग्री सेल्सियस या 129.9 डिग्री फॉरेनहाइट तापमान दर्ज किया गया, जिसके बारे में ऐसा माना जा रहा है कि पिछले कुछ समय में दर्ज किया गया यह सदी का उच्चतम तापमान हो सकता है।
  - यह तापमान 16 अगस्त, 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय मौसम सेवा के स्वचालित मौसम स्टेशन द्वारा फर्नेस क्रीक में दर्ज किया गया था।
  - दक्षिण-पूर्वी कैलिफोर्निया में डेथ वैली उत्तर अमेरिकी महाद्वीप का सबसे निचला स्थान है और एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। यह महाद्वीप का सबसे गर्म और सूखा हिस्सा भी है।

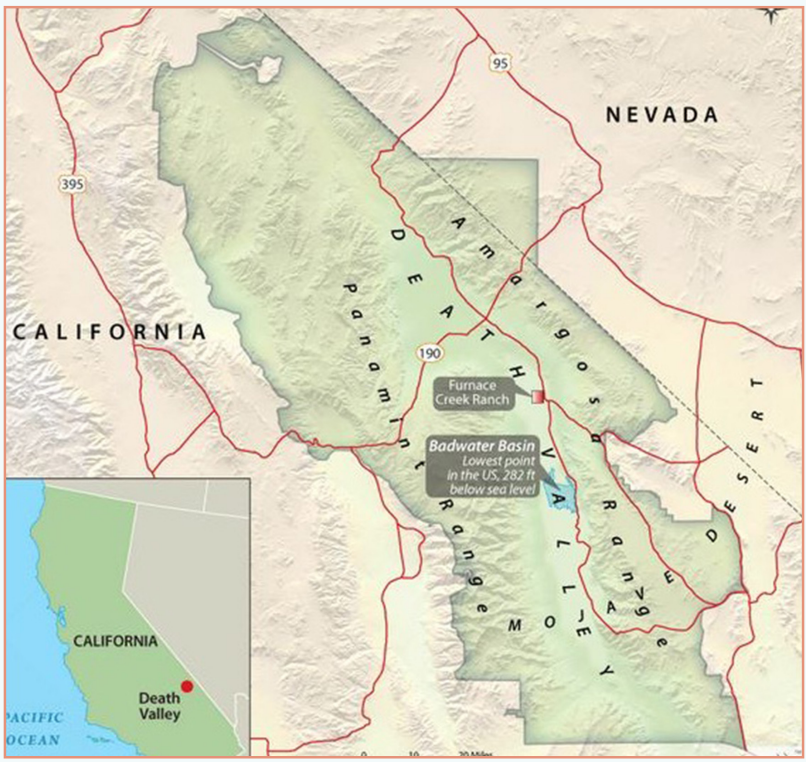

प्रमुख बिंदु

- यद्यपि इसे अभी शुरुआती तापमान माना जा रहा है तथा इस तापमान को अभी तक सत्यापित नहीं किया गया है।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार, डेथ वैली पर इसके पूर्व में सबसे उच्च तापमान 10 जुलाई, 1913 को ग्रीनलैंड रैंच में रिकॉर्ड किया गया था जो कि लगभग 56.7 डिग्री सेल्सियस था।
  - यह अभी भी पृथ्वी की सतह पर दर्ज सबसे गर्म तापमान है ।
  - हालाँकि एक सदी पहले तापमान मापने वाले यंत्र और विधियाँ उतनी उन्नत नहीं थीं, अतः मौसम वैज्ञानिकों को इसकी विश्वसनीयता पर अक्सर संदेह रहता है।

कारण

- यह उच्च तापमान एक प्रकार के 'हीट डोम' का परिणाम है जो प्रायः संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर बनता है।
  - **हीट डोमः** यह उच्च-दबाव वाली संवहनी गर्म समुद्री हवाओं को ढक्कन या कैप की तरह सतह पर फँसाता है और हीट वेव या ऊष्मीय तरंगों के बनने के लिये अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है।
  - उच्च दैनिक तापमान और अधिक तीव्र व ज़्यादा समय तक रहने वाली ऊष्मीय तरंगें जलवायु परिवर्तन की वजह से लगातार बढ़ती जा रही हैं।

अत्यधिक गर्मी के प्रभाव

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, अत्यधिक गर्मी श्वसन रोग, हृदय रोग और गुर्दे के विकारों सहित मौजूदा स्वास्थ्य की स्थिति को और ज़्यादा खराब कर सकती है।
  - मानव शरीर पर गर्मी के तत्काल प्रभावों में ऐंठन, निर्जलीकरण और यहाँ तक कि गर्मी के घातक स्ट्रोक भी शामिल हैं।
- इसका कृषि और वनों पर भी गम्भीर और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
  - इस वजह से सब्जियाँ खराब हो जाती हैं, फसलें सूख जाती हैं या पौधों में विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं।
  - यह जंगल की आग का एक प्रमुख कारण भी है, जिससे वन आवरण में कमी हो रही है और जीवों की मृत्यु हो रही है।
- यह बिजली ग्रिडों को अवरुद्ध करके ब्लैक आउट का कारण भी बन रहा है, जिससे बुनियादी ढाँचा भी प्रभावित हो रहा है।

डेथ वैली

- डेथ वैली (पूर्वी कैलिफोर्निया के उत्तरी मोजावे रेगिस्तान में) ग्रेट बेसिन रेगिस्तान की सीमा में स्थित एक रेगिस्तानी घाटी है। इसे शैतान का गोल्फ कोर्स (Devil's Golf Course) भी कहा जाता है और यह रिफ्ट घाटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह मध्य-पूर्व और सहारा रेगिस्तान के साथ पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थानों में से एक है। यह घाटी बेहद शुष्क है क्योंकि यह चार प्रमुख पर्वत शृंखलाओं (सिएरा नेवादा और पनामिंट रेंज सहित) के वृष्टिच्छाया प्रदेश में स्थित है।
- प्रशांत महासागर से आने वाली अंतर्देशीय नमी को डेथ वैली तक पहुँचने के लिये पहाड़ों के ऊपर से गुज़रना होता है; चूँकि हवा के द्रव्यमान को प्रत्येक श्रेणी द्वारा ऊपर की ओर खींचा जाता है, वे ठंडी और नमी युक्त होती हैं, जिससे पश्चिमी ढलानों पर ही अधिकांश बारिश हो जाती है।
- जब वायुराशि डेथ वैली में पहुँचती है तो यह अधिकांश नमी पहले ही खो चुकी होती है और वर्षा के लिये बहुत कम जल/नमी इसमें बची होती है।
- डेथ वैली में मूल अमेरिकी निवासियों की तिम्बिशा नामक जनजाति निवास करते हैं, जिन्हें पूर्व में पैनामिंट शोशोन कहा जाता था; वे पिछले कम से कम 1000 वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं। इस घाटी को तिम्बिशावासी 'तुम्पसिया' नाम से पुकारते हैं, जिसका अर्थ है "रॉकपेंट (पत्थर का रंग)"। यह एक लाल गेरुए रंग की तरफ इशारा करता है, जिसे घाटी में पाई जाने वाली एक प्रकार की मिट्टी से बनाया जाता है।
- कुछ परिवार अभी भी घाटी के फर्नेस क्रीक पर निवास करते हैं। एक अन्य गाँव स्कॉटीज कैसल के वर्तमान स्थान के निकट ग्रेपवाइन कैन्यन में स्थित था। डेथ वैली को तिम्बिशा भाषा में 'माहुनू' कहा जाता था, जिसका अर्थ है 'अनिश्चित'।

- इस घाटी का अंग्रेजी नाम वर्ष 1849 में कैलिफोर्निया गोल्डरश के दौरान पड़ा। इसे सोने की खदानों तक पहुँचने के लिये घाटी को पार करने वाले लोगों द्वारा डेथ वैली (मौत की घाटी) कहा जाता था, हालाँकि गोल्डरश के दौरान इस क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति की मौत के बारे में ही जानकारी मिलती है।
- 1850 के दशक के दौरान इस घाटी से बड़ी मात्रा में सोने तथा चाँदी को प्राप्त किया गया था। 1880 के दशक में यहाँ से बोरेक्स की खोज की गई और खच्चर द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों पर लाद कर उसे निकाला जाता था। डेथ वैली को 11 फरवरी, 1933 को राष्ट्रपति हूवर द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया और इस क्षेत्र को संघीय सुरक्षा में शामिल कर लिया गया।
- वर्ष 1994 में इस स्मारक को 'डेथ वैली नेशनल पार्क' घोषित करने के साथ-साथ इसका विस्तार करने के क्रम में सेलाइन तथा यूरेका घाटियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया।

तापमान को प्रभावित करने वाले कारक

जलवायु:

- डेथ वैली की गहराई और आकार उसके गर्मियों के तापमान को प्रभावित करते हैं। यह घाटी समुद्र तल से 282 फीट (86 मीटर) नीचे एक लम्बे तथा सँकरे बेसिन के रूप में है, जबकि इसके चारों ओर ऊँची तथा सीधी खड़ी पर्वत-शृंखलाएँ मौजूद हैं। शुष्क हवा और पेड़-पौधों के अभाव के कारण सूरज की गर्मी इसकी रेगिस्तानी सतह को काफी गर्म कर देती है।
- गर्मियों की रात में भी ज्यादा राहत नहीं मिलती है क्योंकि रात का तापमान केवल 86 से 95 F (30 से 35°C) सीमा तक ही गिरता है। इस घाटी में अत्यंत गर्म हवा बहती रहती है, जिसके कारण तापमान काफी अधिक हो जाता है।

भू-विज्ञान:

- सामान्यत: निम्न ऊँचाई वाले स्थानों का तापमान अधिक होता है क्योंकि सूर्य के कारण धरती के गर्म होने पर गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती हुई आसपास के ऊँचे स्थानों तथा अपने ऊपर की हवा के वजन (मूलत: वायुमंडलीय दबाव) के कारण फँसकर रह जाती है। जमीन तथा वायुमंडल के बीच हवा की मात्रा अधिक होने के कारण (अधिक दूरी के कारण) काफी निम्न ऊँचाई वाले स्थानों का वायुमंडलीय दबाव समुद्र तल की समान परिस्थितियों की अपेक्षा अधिक होता है।
- इस दबाव के कारण धरती के ठीक ऊपर की ऊष्मा फँसकर रह जाती है और अत्यंत गर्म हवा फैलाने वाली वायु किरणों का भी निर्माण करती है। इस प्रकार यह छाया अथवा अन्य कारकों के मौजूद रहने के बावजूद सभी क्षेत्रों में गर्मी फैलाने का काम करती है।
- इस प्रक्रिया का डेथ वैली में विशेष महत्त्व है क्योंकि इसी के कारण उसे अपनी विशिष्ट जलवायु तथा भूगोल प्राप्त होता है। यह घाटी पहाड़ों से घिरी हुई है, जबकि इसकी सतह ज़्यादातर सपाट और पौधों से रहित है, जिसके कारण अधिक मात्रा में सूरज की गर्मी ज़मीन तक पहुँचने में सफल रहती है और मिट्टी तथा पत्थरों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है।
- ज़मीनी स्तर की हवा गर्म होने पर ऊपर उठने लगती है और खड़ी ऊँचाई वाली पर्वत शृंखलाओं से ऊपर उठने के बाद यह थोड़ी ठंडी होकर अधिक संकुचित रूप में वापस घाटी की ओर आती है। उसके बाद सूर्य के कारण इस हवा का तापमान और बढ़ जाता है। इस प्रकार यह फिर से पहाड़ों की तरफ ऊपर उठने लगती है और हवा का ऊपर-नीचे का चक्र एक कंवेक्शन ओवन के समान प्राकृतिक रूप से चलता रहता है। यह अत्यंत गर्म हवा जमीन के तापमान को बढ़ाकर गर्म वायु किरणों का निर्माण करती है जो वायुमंडलीय दबाव तथा पहाड़ों के कारण फँसकर अधिकतर घाटी के भीतर ही बनी रहती हैं।
- इस प्रकार की गर्म वायु किरणें डेथ वैली में हमेशा ही सूखे जैसी स्थिति का निर्माण करके घाटी के ऊपर से बादलों को गुज़रने से रोकती हैं, जिसकी वजह से यहाँ वर्षण अक्सर विरगा (जल के धरती पर पहुँचने से पहले ही वाष्पित हो जाना) के रूप में होता है।

करेंट अफेयर्स

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

अमेरिका का हैच एक्ट 10

इज़रायल-संयुक्त अरब अमीरात समझौता 11

जी-4 विदेश मंत्रियों की बैठक 13

गुटनिरपेक्षता का विकल्प 15

G20 समूह के विदेश-मंत्रियों की बैठक 17

दक्षिण एशियाई क्षेत्र : एकता और समन्वय की आवश्यकता 19

श्रीलंकाई संविधान में संशोधन और भारत 20

संयुक्त राष्ट्र के 75 वर्ष : उपलब्धियाँ और असफलताएँ 23

भारत और आइ.एम.एफ.: बदलते समीकरण 25

तीस्ता नदी विवाद और भारत-बांग्लादेश सम्बंधों में चुनौती तथा चीन 27

राजनीतिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना : कारण और महत्त्व 30

जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण और संवैधानिक उपबंध 33

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 35

एस.सी. व एस.टी. जातियों का उप-वर्गीकरण तथा सम्बंधित मामले 36

जम्मू और कश्मीर में प्रशासन हेतु नए नियम 39

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और जासूसी रोधी कानून 41

आवास का अधिकार 42

विधायिका के विशेषाधिकार का उल्लंघन 44

प्रश्नकाल एवं शून्यकाल का स्थगन 45

संसद में विधेयक एवं प्रवर समिति 48

विकलांग/दिव्यांग व्यक्तियों के लिये सामाजिक न्याय तक पहुँच पर संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश 50

विवाह की आयु, महिला स्वास्थ्य, समाज एवं कानून 52

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम : आवश्यकता, महत्त्व और चिंताएँ 55

श्रम संहिताओं का नया संस्करण 57

2 अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

अमेरिका का हैच एक्ट

पृष्ठभूमि

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिये रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें डोनाल्ड ट्रम्प की दावेदारी पुनः सुनिश्चित हो गई। हालाँकि, ट्रम्प द्वारा आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस में केबिनेट के सहयोगियों की उपस्थिति में नामांकन को स्वीकार करने के कारण विवाद पैदा हो गया। इसको राजनीतिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप को रोकने के लिये नैतिक मानदंडों की अवहेलना माना जा रहा है। विशेषज्ञ इसको हैच एक्ट का उल्लंघन मान रहे हैं, जो दलगत गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप को सीमित करता है।

हैच एक्ट

- संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना के समय से ही थॉमस जेफरसन जैसे नेताओं ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा आधिकारिक कार्यों के दौरान राजनीतिक गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की थी।
- इस मुद्दे के समाधान हेतु अंततः वर्ष 1939 में महामंदी के दौरान एक संघीय कानून अधिनियमित किया गया। इस कानून का नाम न्यू मैक्सिको राज्य के 'सीनेटर कार्ल हैच' के नाम पर रखा गया।
- इस कानून को 'विशेष परामर्श कार्यालय' (ओ.एस.सी.) द्वारा लागू किया जाता है, जो एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी है। यह एजेंसी संघीय कर्मचारियों पर लागू होने वाले अन्य विभिन्न कानूनों की भी निगरानी करती है और कथित उल्लंघन की स्थिति में यहाँ शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।

हैच एक्ट के उद्देश्य

- इस अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संघीय कार्यों को एक निष्पक्ष तरीके से प्रशासित किया जाए। साथ ही कार्यस्थल पर संघीय कर्मचारियों को राजनीतिक दबाव से बचाना और उनकी प्रोन्नति को राजनीतिक हस्तक्षेप बजाय योग्यता के आधार पर सुनिश्चित करना भी इस कानून का लक्ष्य है।
- इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा राजनीतिक बयान, पोस्ट, नारों या प्रचार जैसी गतिविधियों पर भी रोक लगाता है।

दंड का प्रावधान

- हैच अधिनियम को कार्यस्थल के लिये एक दिशा-निर्देश के रूप में माना जाता है। हालाँकि, इसके प्रावधानों का उल्लंघन अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, परंतु उल्लंघन की दशा में गम्भीर दंड दिया जा सकता है। इन दंडों में सरकारी कर्मचारियों को सेवा से मुक्त करना, जुर्माना लगाना या पदावनति करने का आदेश दिया जा सकता है। साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों में आमतौर पर कम गम्भीर सज़ा का प्रावधान है।
- अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने हैच अधिनियम को संवैधानिक रूप से वैध माना है और यह सरकारी कर्मचारियों के बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाता है।

उल्लंघन का आरोप

- यह अधिनियम अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर लागू नहीं होता है, परंतु संघीय सरकार की कार्यकारी शाखा के अन्य सभी नागरिक कर्मचारियों पर लागू होता है।
- आलोचकों ने ट्रम्प पर हैच अधिनियम के उद्देश्यों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए कथित उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

निर्णय

- पिछले वर्ष ट्रम्प ने अपने शीर्ष सहयोगियों में से एक को दंडित करने से खुले तौर पर इनकार कर दिया था, जबकि ओ.एस.सी. ने उनको हैच अधिनियम के बार-बार उल्लंघन का दोषी पाया था।
- करियर कर्मचारियों से जुड़े मामलों का निर्णय मेरिट सिस्टम प्रोटेक्शन बोर्ड नामक एक संघीय एजेंसी द्वारा किया जाता है, जबकि राजनीतिक नियुक्तियों को समाप्त करने का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है।

भारत में ऐसे नियमन की आवश्यकता

- भारत में भी आधिकारिक और राजनीतिक गतिविधियों को पृथक करने के लिये एक कानून की आवश्यकता है। राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिये सरकारी मशीनरी के प्रयोग पर रोक लगाई जानी चाहिये।
- व्यक्तिगत राजनीतिक कार्यों और सरकारी कार्यों को अलग करते हुए व्यक्तिगत प्रबंधन के लिये सरकारी खर्च का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। भारत में ऐसे अधिनियम की कानूनी बाध्यता होने के साथ-साथ एक स्वतंत्र न्यायालय या आयोग द्वारा दंड और उसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिये।

इज़रायल-संयुक्त अरब अमीरात समझौता

- हाल ही में, इज़रायल और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अब्राहम समझौते (Abraham Accords) पर सहमती व्यक्त की गई है। यह समझौता दोनों देशों के मध्य पूर्णत: सामान्य राजनयिक सम्बंधों को स्थापित करने में सहायक साबित होगा।
  - अमेरिका द्वारा मध्यस्थता करने की वजह से इसे वाशिंगटन-ब्रोकर्ड समझौता (Washington-brokered Deal) भी कहा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस समझौते की वजह से ईरान से लेकर फिलिस्तीन तक पश्चिमी एशिया की राजनीति एक नया रूप लेगी।
  - ध्यातव्य है कि यू.ए.ई. और इज़रायल दोनों पश्चिम एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं।

पृष्ठभूमि

- संयुक्त अरब अमीरात मध्य-पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। सन् 1873 से 1947 तक यह ब्रिटिश भारत के अधीन रहा। उसके बाद इसका शासन लंदन के विदेश विभाग से संचालित होने लगा। वर्ष 1971 में फारस की खाड़ी के साथ शेख राज्यों–आबूधाबी, शारजाह, दुबई, अलकुवैन, अजमान, फुजैराह तथा रस अल खैमा को मिलाकर संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना हुई। रास अल खैमा इसमें वर्ष 1972 में शामिल हुआ।
- ये हमेशा से अमेरिका के सहयोगी रहे व इन्होंने फिलस्तीन के क्षेत्रों पर इज़रायल को कभी मान्यता नहीं दी।
- संयुक्त अरब अमीरात ने हमेशा से फिलिस्तीन को अपना समर्थन दिया है और 1967 के युद्ध में इज़रायल द्वारा जीते हुए क्षेत्रों पर फिलिस्तीन देश के निर्माण की हमेशा वकालत की है।
- हाल के वर्षों में, खाड़ी देशों और इज़रायल के बीच सम्बंध मज़बूत हुए हैं, जिसका एक कारण ईरान के साथ सबकी साझा शत्रुता और लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्लाह के खिलाफ उनके प्रयास को माना जा सकता है।
- संयुक्त अरब अमीरात भी इस्लामी आतंकी समूहों, 'मुस्लिम ब्रदरहुड' तथा अन्य के प्रति इज़रायल के अविश्वास का समर्थन करता है और उन्हें क्षेत्र में अशांति के लिये ज़िम्मेदार मानता है।

प्रमुख बिंदु

- यह त्रिपक्षीय समझौता हाल के समय में इज़रायल, संयुक्त अरब अमीरात तथा अमेरिका के मध्य हुई लम्बी वार्ताओं का नतीजा है।

- इस समझौते के तहत इज़रायल ने वेस्ट बैंक (West Bank) के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा करने की अपनी पूर्व योजना को निलम्बित करने पर सहमती व्यक्त की है।
- यू.ए.ई. ऐसा करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है और इज़रायल के साथ सक्रिय राजनयिक सम्बंध रखने वाला मात्र तीसरा अरब/खाड़ी देश है।
  - पूर्व में, वर्ष 1979 में मिस्र ने तथा उसके बाद वर्ष 1994 में जॉर्डन ने इज़रायल के साथ शांति समझौता किया।
- समझौते के तहत इज़रायल वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा करने की अपनी योजना को विराम देगा।
- वेस्ट बैंक पश्चिमी एशिया के भूमध्यसागरीय तट के पास स्थित एक स्थल-अवरुद्ध क्षेत्र है। पूर्व में यह जॉर्डन से तथा दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में यह 'ग्रीन-लाइन' द्वारा इज़रायल से जुड़ा हुआ है। वेस्ट बैंक के अंतर्गत पश्चिमी मृत सागर (Dead Sea) तट का काफी हिस्सा भी आता है। इसका एक प्रमुख शहर 'रामल्लाह' (Ramallah) फिलिस्तीन की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी है।
- वर्ष 1948 के अरब-इज़रायल युद्ध के पश्चात् वेस्ट बैंक पर जॉर्डन ने कब्ज़ा कर लिया था। इज़रायल ने छह-दिवसीय अरब-इज़रायल युद्ध 1967 के दौरान इसे अपने नियंत्रण में ले लिया था और बाद के वर्षों में वहाँ पर अपनी कई छोटी अनौपचारिक बस्तियाँ स्थापित कीं।
- वेस्ट बैंक क्षेत्र में लगभग 4 लाख से ज़्यादा इज़रायली लोग निवास करते हैं। इसी क्षेत्र में 26 लाख के करीब फिलिस्तीनी लोग भी निवास करते हैं।
- संयुक्त अरब अमीरात और इज़रायल द्वारा एक संयुक्त बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि दोनों देशों के प्रतिनिधि आने वाले हफ्तों में नागरिक उड्डयन, सुरक्षा, दूरसंचार, ऊर्जा, पर्यटन और स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े विषयों पर हस्ताक्षर करेंगे।
  - साथ ही दोनों राष्ट्र एक साथ कोविड-19 महामारी से लड़ने में भी भागीदारी करेंगे।
- हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि इज़रायल और यू.ए.ई. ने यह घोषणा इस वक्त क्यों की।
- जून 2020 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत ने चेतावनी दी थी कि इज़रायल द्वारा जॉर्डन घाटी और वेस्ट बैंक के अन्य भागों को अपने शासित क्षेत्रों में शामिल करने की योजना अरब देशों से इज़रायल के सम्बंधों को और खराब कर देगी।

संयुक्त अरब अमीरात पर समझौते का प्रभाव

- शासकों द्वारा शासित होने के बावजूद यू.ए.ई. द्वारा किया गया यह समझौता सहिष्णुता से जुड़े यू.ए.ई.के अंतर्राष्ट्रीय अभियान के रूप में देखा जा सकता है।
- इस समझौते के बाद संयुक्त अरब अमीरात पड़ोसी खाड़ी देशों के बीच क्षेत्रीय मान्यता की दौड़ में प्रथम स्थान पर आ सकता है।

इज़रायल पर समझौते का प्रभाव

- यह घोषणा इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा साल भर से प्रस्तुत किये जा रहे सभी दावों को सही ठहराती है, जिसमें वो लगातार कह रहे थे कि इज़रायल के खाड़ी देशों से सम्बंध घनिष्ठ हुए हैं।
- यह सौदा/समझौता नेतन्याहू को एक प्रकार की घरेलू बढ़त देता है, विशेषकर जब इज़रायल की गठबंधन सरकार को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जल्द ही वहाँ चुनाव होने की सम्भावना है।

संयुक्त राज्य अमेरिका पर समझौते का प्रभाव

- यह समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका में नवम्बर में होने वाले चुनाव से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को एक राजनयिक बढ़त अवश्य देगा।
- ध्यातव्य है कि अफगानिस्तान में युद्ध को समाप्त करने के लिये और इज़रायल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति लाने के लिये ट्रम्प द्वारा किये गए सभी प्रयास अभी तक असफल ही रहे हैं।

आगे की राह

- यह एक ऐतिहासिक समझौता है जो मध्य-पूर्व में शांति के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा।
- मध्य-पूर्व की दो सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच सीधे सम्बंध स्थापित होने से आर्थिक विकास में तेज़ी आएगी, तकनीकी नवाचार की साझेदारी भी बढ़ेगी और नागरिकों के बीच सम्बंधों को बढ़ावा मिलेगा।

जी-4 विदेश मंत्रियों की बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत द्वारा आई.एम.एफ. के एस.डी.आर. कोटा प्रणाली में सुधारों को लेकर अपनी असहमति जताई गई है, जबकि भारत शुरुआत से ही आई.एम.एफ. में सुधारों का पुरज़ोर समर्थक रहा है।

प्रमुख बिंदु

- जी-4 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council – UNSC) की स्थाई सदस्यता की मांग कर रहे हैं।
- जी-4 ने एक संयुक्त वक्तव्य द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान ठोस और समयबद्ध परिणामों की तलाश करने की बात की है।
  - ध्यातव्य है कि 24 अक्तूबर, 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
- जी-4 के विदेश-मंत्रियों ने वर्ष 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन में राज्य और सरकार के प्रमुखों द्वारा परिकल्पित सुरक्षा परिषद के प्रारंभिक और व्यापक सुधार की दिशा में निर्णायक कदम उठाने के अपने संकल्प को पुनः दोहराया।
  - उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005 का विश्व शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था।
  - इस शिखर सम्मलेन में सभी सरकारों ने वर्ष 2015 तक सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (Millennium Development Goals) को प्राप्त करने के लिये अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।
  - इस सम्मलेन द्वारा दो नए निकायों की स्थापना की गई थी, (1) युद्ध के माहौल से शांति की ओर बढ़ने में देशों की मदद करने के लिये शांति निर्माण आयोग और (2) एक मज़बूत मानवाधिकार परिषद।

UNSC सुधारों पर ग्रुप-4 के विचार

- **अफ्रीका का अधिक-से-अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना :** ग्रुप-4 ने अफ्रीका को स्थाई और अस्थाई दोनों श्रेणियों में प्रतिनिधित्व दिये जाने की सलाह दी, ताकि यह महाद्वीप दोनों श्रेणियों में खुद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा समुचित प्रतिनिधित्व न मिलने के अन्याय से उबरकर एक सशक्त स्थिति में पहुँच सके।
- **विकासशील देशों और संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख योगदानकर्ताओं की बढ़ी भूमिका :** ग्रुप-4 ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अधिक वैध, प्रभावी और प्रतिनिधित्व पूर्ण बनाने के लिये स्थाई (5 से 11) और गैर-स्थाई (10 से 14 तक) सीटों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है।
  - **स्थाई सीटों के बारे में समूह ने कहा कि इन सीटों को निम्न तरीकों से चुना जाना चाहिये :** अफ्रीकी देशों में से दो; एशियाई देशों में से दो; लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों में से एक; पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों में से एक।
  - **जबकि गैर-स्थाई सदस्यों के लिये सुझाई गई विधियाँ हैं :** अफ्रीकी देशों में से एक; एशियाई देशों में में से एक; पूर्वी यूरोपीय देशों में से एक; लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों में से एक।

- पहले से प्रस्तावित UNSC सुधारों का विरोध इसके पाँच स्थाई सदस्यों (P5) द्वारा किया गया था, क्योंकि इन सुधारों में नए सदस्यों के लिये भी वीटो की शक्ति (रिज़ाली प्लान - Rizali Plan) की मांग की गई थी।
- हालाँकि बाद में नए देशों के लिये वीटो की शक्ति को वापस लेने का फैसला किया गया, जिसे पी-5 देशों (रिज़ाली रिफॉर्म प्लान) द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

■ **पाठ-आधारित वार्ता :** ग्रुप-4 देशों ने सुधार चाहने वाले अन्य देशों और समूहों के साथ मिलकर पाठ-आधारित वार्ता (Text-Based Negotiations-TBN) शुरू करने की बात भी दोहराई।

- भारत संयुक्त राष्ट्र में TBN का एक प्रस्तावक देश है, जबकि सुरक्षा परिषद में किसी सुधार के विरोध में चीन सहित अन्य देश अंतर-सरकारी वार्ताओं (Inter-Governmental Negotiations–IGN) के लिये इस प्रकार की किसी पाठ-आधारित वार्ता करने से यह कहते हुए बच रहे हैं कि यह मामला बहुत संवेदनशील है।

■ **अंतर-सरकारी वार्ताओं पर चिंता :** सुरक्षा परिषद में सुधारों से जुड़ी अंतर-सरकारी वार्ताओं (IGN) के दो सत्र फरवरी और मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिये गए थे, जिनका आयोजन किया जा सकता था।

- देशों ने चिंता व्यक्त की कि IGN में आवश्यक खुलेपन और पारदर्शिता का अभाव है और इसका कारण संयुक्त राष्ट्र की त्रुटिपूर्ण कार्य-विधियाँ हैं।
- अंतर-सरकारी वार्ताओं में आम अफ्रीकी स्थिति का एक प्रतिबिम्ब भी दिखना चाहिये, जैसा कि एज़ुल्विनी सहमति (Ezulwini Consensus) और सर्ट घोषणा (Sirte Declaration) में सुनिश्चित किया गया था ।

कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य

■ **एज़ुल्विनी सहमति (Ezulwini Consensus):** अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों और संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिये अफ्रीकी संघ ने एज़ुल्विनी सहमति (2005) पर हामी भरी थी। यह सहमति अधिक प्रतिनिधित्व वाली और लोकतांत्रिक सुरक्षा परिषद की बात करती है, जिसमें विश्व के अन्य भागों की तरह अफ्रीका को भी उसके हिस्से का प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी।

■ **सर्ट घोषणा (Sirte Declaration):** सर्ट घोषणा (1999) अफ्रीकी संघ की स्थापना के लिये अपनाया गया संकल्प था।

जी-4 देश

■ जी-4 जापान, जर्मनी, भारत और ब्राज़ील देशों का एक समूह है। ये सभी देश सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता के लिये एक-दूसरे का समर्थन करते हैं।

■ इस समूह ने बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता लगातार व्यक्त करते हुए सुरक्षा परिषद की संरचना में सुधार की मांग भी हमेशा उठाई है।

कॉफी क्लब या यू.एफ.सी. (Coffee Club or Uniting for Consensus - UFC)

■ यह उन देशों का समूह है जो सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता में विस्तार और G-4 देशों की स्थाई सदस्यता के प्रयासों का विरोध करते हैं। इटली, पाकिस्तान, मेक्सिको, मिस्र, स्पेन, अर्जेंटीना और दक्षिण कोरिया जैसे 13 देश सक्रिय रूप से इस समूह में शामिल हैं।

■ इस क्लब के देश अस्थाई सदस्यता के विस्तार की बात करते हैं और इन देशों की आशंका मूलत: व्यक्तिगत हितों पर अधिक टिकी हुई है। जैसे- पाकिस्तान भारत की स्थाई सदस्यता का विरोध करता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council–UNSC)

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक महत्त्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन वर्ष 1945 में द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान किया गया था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन इसके पाँच स्थाई सदस्य हैं।
- सुरक्षा परिषद के सभी स्थाई सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। इन स्थाई सदस्य देशों के अतिरिक्त 10 अन्य देशों को दो वर्ष के लिये अस्थाई सदस्य के रूप में भी चुना जाता है।
- सुरक्षा परिषद के स्थाई और अस्थाई सदस्यों को एक-एक महीने के लिये बारी-बारी से सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया जाता है।

गुटनिरपेक्षता का विकल्प

हाल के दिनों में तमाम रणनीतिक समीकरणों और वैश्विक स्तर पर विभिन्न नए समूहों के बन जाने की वजह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता कम हो गई है। इसके साथ ही भारत की विदेश नीति में भी गुटनिरपेक्षता का महत्त्व अब कम होने लगा है।

पृष्ठभूमि

- गुटनिरपेक्षता शीत युद्ध के दौरान एक नीति थी, जो विश्व के अनेक देशों द्वारा दो राजनैतिक-सैन्य पाखंडों (साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका) के बीच एक छद्म मौन युद्ध के दौरान खुद की स्वायत्तता को बनाए रखने के लिये अपनाई गई थी।
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) ने इस स्वायत्तता की रक्षा के लिये नव-स्वतंत्र विकासशील देशों को एक मंच प्रदान किया।
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासर एवं युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज़ टीटो के साथ इंडोनेशिया के डॉ सुकर्णो एवं घाना के क्वामे एन्क्रूमाह द्वारा शुरू किया गया था। इसकी स्थापना अप्रैल 1961 में हुई थी। बेलग्रेड में 1961 ई. में ही इसका पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था।
- इस समूह में 120 देश शामिल हैं। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या के लगभग 2/3 एवं विश्व की कुल जनसंख्या के 55% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। खासकर इसमें तृतीय विश्व यानी विकासशील देश सदस्य हैं।
- हवाना घोषणा-1979 के अनुसार, इस संगठन का उद्देश्य गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय एकता एवं सुरक्षा को साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जातिवाद, रंगभेद एवं विदेशी आक्रमण, सैन्य अधिकरण तथा हस्तक्षेप जैसे मुद्दों पर सहायता करते हुए इन मुद्दों के विरुद्ध अभियान चलाना है। इसके साथ ही किसी पावर ब्लॉक के पक्ष या विरोध में न होकर निष्पक्ष रहना है।
- शीत युद्ध की समाप्ति के बाद NAM देश पूर्व-पश्चिम विभाजन के दौर में अपने रिश्तों को और मज़बूत करने में सक्षम थे और विविधता ला सकते थे, लेकिन उसके बाद से धीरे-धीरे इस समूह का अस्तित्व अब खतरे में पड़ता नज़र आ रहा है।

वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता

- शीत युद्ध के दौरान नवीन स्वतंत्र देशों के हितों की रक्षा करने के लिये प्रकाश में आए इस आंदोलन की प्रासंगिकता पर सोवियत संघ के विघटन के पश्चात प्रश्नचिन्ह लगने लगा और वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों का इस समूह के प्रति आकर्षण समय के साथ कम होने लगा।
- सैद्धांतिक या कुछ विषयों या मुद्दों के हिसाब से देखा जाए तो यह आंदोलन अप्रासंगिक प्रतीत होता है लेकिन कुछ मुद्दों के साथ इसकी प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है-

- जलवायु परिवर्तन को लेकर देशों के मध्य विभिन्न विवाद को लेकर।
- गुटबाजी की वजह से कई क्षेत्रों में उत्पन्न संघ, जैसे– मध्य-पूर्व, खाड़ी देश तथा अफगानिस्तान आदि।
- शरणार्थी समस्याओं को लेकर (रोहिंग्या, फिलिस्तीन, सीरिया आदि)।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अक्सर शक्ति संतुलन की वजह से होने वाले किसी सम्भव टकराव की स्थिति।
- आतंकवाद के विषय को लेकर।
- नव साम्राज्यवाद को केंद्र में रखकर की जाने वाली राजनीतिक कूटनीति को लेकर।
- ऋण जाल (Debt Trap) की राजनीति को लेकर।
- साइबर हमलों, जैव रासायनिक हमलों, परमाणु ऊर्जा से जुड़े विषयों को लेकर और अंतरिक्ष से जुड़ी अंधाधुंध प्रतिस्पर्द्धा को लेकर।

वर्तमान संदर्भ में गुटनिरपेक्षता और भारत की विदेश नीति

- विगत कुछ वर्षों से भारत के नीति निर्धारकों द्वारा भारत की विदेश नीति के सिद्धांत के रूप में गुटनिरपेक्षता को महत्त्व नहीं दिया जा रहा है।
- वैश्विक स्तर पर भारत को अभी तक गुटनिरपेक्षता का कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत विकल्प नहीं मिला है।
- एक विकल्प के रूप में भारत द्वारा 'रणनीतिक स्वायत्तता' की धारणा ने वैश्विक रूप से ज़्यादा महत्त्व हासिल कर लिया है।
- किसी भी प्रकार के वैश्विक गुटवाद को सार्वभौमिक स्वीकार्यता अब नहीं मिल रही है, क्योंकि यह अवसरवाद की धारणा को व्यक्त कर सकता है।
- किसी विशेष विषय पर आधारित साझेदारी या गठबंधन अक्सर बहुत देर तक नहीं टिकता और समूह बीच में हीं कहीं अपने उद्देश्य से भटक जाता है।
- ''समृद्धि और प्रभाव को आगे बढ़ाना'' उन मुख्य आकांक्षाओं में से एक है जो भारत के लिये अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिये मुख्य बिंदु हो सकती हैं।

भूगोल और राजनीति की भूमिका

- भारत के भूगोल से जुड़े दो प्रमुख राजनैतिक बिंदु हैं- 1) भारत-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सुरक्षा हित। 2) महाद्वीपीय भू-भाग के उत्तर और पश्चिम में सामरिक महत्त्व।
- भारत-प्रशांत अवधारणा ने दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में पूर्व की ओर केंद्रित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय नीतियों को प्रेरित किया है।
- समुद्री क्षेत्र में चीन से चुनौती, वर्ष 2000 से ही भारत-अमेरिका की द्विपक्षीय साझेदारी का एक रणनीतिक आधार है, जिससे निपटने के लिये ये दोनों ही देश विभिन्न मुद्दों पर रणनीतिक रूप से एक-दूसरे के साथ रहे हैं।

अमेरिका-भारत साझेदारी से जुड़ी समस्याएँ

- तात्कालिक अवधि में, यदि भारत के महाद्वीपीय पड़ोस में देखा जाए तो भारत एवं अमेरिका के बीच रिश्तों का अभिसरण बहुत मुश्किल रहा है।
- अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ सम्बंध और सहयोग, ईरान एवं रूस के साथ सहयोग तथा क्षेत्र में रूस-चीन के बीच जुड़ाव की वजह से भारत-अमेरिका रिश्ता बहुत मज़बूत नहीं बन पा रहा है।
- रूस-चीन की करीबी साझेदारी की वजह से भारत को अपने पड़ोस में रूस से रिश्तों के प्रति ज़्यादा सचेत रहना चाहिये और महाद्वीपीय स्तर पर रूस के साथ अपने सम्बंधों पर ध्यान देना चाहिये।

- यदि भारत-रूस के सम्बंध मज़बूत होते हैं तो निश्चित रूप से रूस और चीन के बीच घनिष्टता कम होगी जो कि रणनीतिक रूप से भारत के लिये अच्छी बात होगी।
- अमेरिका और चीन के मध्य बढ़ते संघर्ष के बीच में रूस के साथ रणनीतिक रूप से भागीदार होना न सिर्फ महाद्वीपीय रूप से बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत के लिये शक्ति संतुलन का काम करेगा।
- अमेरिका को भारत के साथ अपने सम्बंधों को एक संयुक्त उद्यम के रूप में देखना चाहिये, दृष्टिकोणों के अंतर की वजह से सम्बंध खराब करना अमेरिका के लिये घाटे का सौदा होगा।

निष्कर्ष

भारत को गुटनिरपेक्षता का विकल्प ढूँढना चाहिये जो अमेरिका के साथ भारत के सम्बंधों को प्रभावित ना करे और इसे "रणनीतिक स्वायत्तता" की अनुमति दे।

G20 समूह के विदेश-मंत्रियों की बैठक

- हाल ही में सऊदी अरब ने कोविड-19 महामारी के दौरान सीमापार आर्थिक गतिविधियों की तरफ ध्यान आकर्षित करने एवं अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिये G20 समूह के विदेश-मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की।
- वर्तमान में सऊदी अरब G20 समूह की अध्यक्षता कर रहा है। यह G20 की अध्यक्षता करने वाला पहला अरब राष्ट्र है।

प्रमुख बिंदु

बैठक

- सभी विदेश-मंत्रियों ने सीमाएँ खोलने के महत्त्व को स्वीकार किया और कोविड-19 महामारी के लिये सुरक्षात्मक उपायों के साथ ही अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिये सम्भावित उपायों पर बात की।
- ध्यातव्य है कि विभिन्न देशों द्वारा कोविड-19 के प्रसार से उत्पन्न जोखिम को कम करने के लिये स्वास्थ्य व सुरक्षा से जुड़े कई प्रोटोकॉल एहतियातन अपनाए गए थे, जैसे– आयात-निर्यात व शिक्षा आदि के लिये सीमाओं को बंद करना आदि।
- हालाँकि, इनमें से कई प्रोटोकॉल अब विश्व में व्यापार और व्यवसायों को सुगमतापूर्वक चलाने में बहुत बड़ी बाधा बन कर उभर रहे हैं, परिणामस्वरूप अनेक देशों में लोगों के लिये विभिन्न स्तरों पर जीवन और आजीविका का संकट पैदा हो गया है।
- भारत ने 'वंदे भारत मिशन' सहित भारत में फँसे विदेशी नागरिकों की देखभाल और संरक्षण के लिये किये गए विशेष उपायों के साथ-साथ विदेशों में फँसे अपने स्वयं के नागरिकों के लिये उठाए गए सुरक्षात्मक कदमों के बारे में G-20 देशों के विदेश मंत्रियों को देशों बताया।

जी-20 द्वारा हाल ही में की गई पहल

- इससे पहले, जुलाई 2020 में G20 समूह के वित्त-मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों (FMCBG) की तीसरी बैठक में महामारी से निपटने के लिये विशेष कार्य-योजना पर विस्तार से चर्चा भी की गई थी।
- इस कार्य-योजना में स्वास्थ्य क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सतत विकास और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समन्वय से जुड़े विभिन्न स्तम्भों और उनसे जुड़ी सभी देशों की प्रतिबद्धताओं और अन्य सभी अनुलग्नक विषयों को शामिल किया गया था।
- G-20 द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिये सभी सदस्य देशों द्वारा की गई डिजिटल कोशिशों के संदर्भ में वित्त मंत्रियों की एक डिजिटल आभासी बैठक का आयोजन भी किया गया था।

- भारत का प्रस्ताव बैठक में भारत ने स्वैच्छिक 'G20 सिद्धांत' के विकास से जुड़े तीन बिंदुओं वाले 'क्रॉस-बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपुल' को प्रस्तावित किया:
  - परीक्षण प्रक्रियाओं का मानकीकरण (Standardisation of testing procedures) और परीक्षण परिणामों की सार्वभौमिक स्वीकार्यता।
  - संगरोध प्रक्रियाओं (Quarantine procedures) का मानकीकरण।
  - 'गतिविधि और पारगमन' प्रोटोकॉल (movement and transit protocols) का मानकीकरण।
- दुनिया भर की सरकारों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विदेशी छात्रों के हितों की रक्षा की जाए और महामारी की वजह से फँसे हुए को उनके देश वापस भेजा जाए।
- महामारी के कारण दुनिया भर के शिक्षण संस्थान महीनों से बंद हैं। सीमाओं के पुन: बंद हो जाने की वजह से विदेशी छात्र जो अपने देश में वापस आ गए थे, उनको सम्बंधित संस्थानों से पुन: जोड़ना मुश्किल हो रहा है।

G20 समूह

- G20 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।
- G20 विश्व की उन सबसे बड़ी, उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण है, जो विश्व की आबादी का लगभग दो-तिहाई, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, वैश्विक निवेश का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- यूरोपीय संघ के अतिरिक्त 19 सदस्य– देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

- यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है।
- G-20 का गठन वर्ष 1999 में हुआ था। यह विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से शीर्ष 20 देशों की सरकारों और उनके केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों के लिये एक सामूहिक मंच के तौर पर काम करता है।
- G20 देशों की सरकारों के प्रमुख समय-समय पर दुनिया पर असर डालने वाली वैश्विक समस्याओं या ज्वलंत मुद्दों पर बात करने एवं उनसे निपटने के लिये शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं।
- इसके अलावा, यह समूह वित्त मंत्रियों और विदेश मंत्रियों की अलग-अलग बैठकों की मेज़बानी भी करता है।
- उल्लेखनीय है कि इस समूह का कोई स्थाई सचिवालय या मुख्यालय नहीं है।

अभिप्राय और उद्देश्य

- G20 समूह का गठन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने और इससे सम्बंधित नीतिगत मुद्दों की उच्चस्तरीय चर्चा के साथ इसके अध्ययन, समीक्षा और प्रचार के लिये किया गया था।
- मंच का उद्देश्य मौद्रिक, राजकोषीय और वित्तीय नीतियों के बेहतर समन्वय द्वारा वित्तीय बाज़ारों की भुगतान समस्याओं की संतुलित करना है।

आगे की राह

वैश्विक स्तर पर COVID-19 महामारी से संक्रमित लोगों के आँकड़े करोड़ों में पहुँच गए हैं जो कि अत्यधिक चिंता कि बात है जिस पर विश्व स्तर के नेताओं की निगाहें लगातार बनी हुई हैं। G20 वैश्विक स्तर पर अत्यधिक प्रभावशाली संगठन है, जिसके सभी नेताओं को मिलकर कोविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को हुए बड़े आर्थिक नुकसान और जी.डी.पी. में हुई गिरावट पर विशेष ध्यान देना चाहिये। ध्यातव्य है कि हाल ही में भारतीय जी.डी.पी. के तिमाही आँकड़ों में अब तक का सबसे बड़ा संकुचन देखा गया था यह संकुचन न सिर्फ भारत बल्कि सभी विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के तिमाही/वार्षिक आँकड़ों में भी देखा गया था और यह सभी देशों के लिये विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्र : एकता और समन्वय की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

कोविड-19 महामारी के संकट से निपटने हेतु दक्षिण एशियाई क्षेत्र में एकता और समन्वय की आवश्यकता है वर्तमान में भारत द्वारा इस क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

भूमिका

महामारी के समय में स्वास्थ्य और आर्थिक संकट से निपटने हेतु दक्षिण एशिया में भिन्न-भिन्न देशों द्वारा अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ थीं। भारत द्वारा इस संकट से निपटने के लिये लॉकडाउन के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी सीमित रूप से शुरू किया गया है।

दक्षिण एशियाई देशों द्वारा किये गए प्रयास

- बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका द्वारा भी लॉकडाउन में विस्तार करते हुए धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया गया। भूटान और मालदीव उच्च परीक्षण दर के कारण सामुदायिक प्रसार को रोकने तथा लम्बे समय तक लॉकडाउन के प्रभाव से भी बचे रहे।
- यह तथ्य सर्वविदित है कि जिन देशों ने अधिक परीक्षण किये हैं वे महामारी को रोकने में अधिक सफल रहे तथा अन्य क्षेत्रों की तुलना में दक्षिण एशियाई देशों में उच्च संक्रमण दर होने के बावजूद मृत्यु दर कम रही है। हालाँकि, महामारी विज्ञान अध्ययन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की समीक्षाओं के अनुसार आँकड़ों की विश्वसनीयता को लेकर संदेह है।
- भारत, पकिस्तान बांग्लादेश और मालदीव द्वारा प्रोत्साहन पैकेज दिया गया है। कुछ देशों द्वारा, जो अभी भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, अपनी निम्न और मध्यम वर्गीय आबादी हेतु ठोस कदमों की घोषणा करना अभी बाकी है।
- मार्च के अंत में भारत ने गरीबी में रहने वाले लोगों की खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका बचाने हेतु नकद हस्तांतरण के माध्यम से एक बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। भारत के केंद्रीय बैंक द्वारा तरलता बनाए रखने के लिये नीतिगत दरों में परिवर्तन किया गया।
- भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दक्षिण एशियाई देशों के सहयोग से सार्क कोविड-19 फंड बनाया गया।

दक्षिण एशिया में भारत की चुनौतियाँ

- दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चीन का बढ़ता आर्थिक और राजनैतिक प्रभाव तथा चीन-पाकिस्तान की बढ़ती निकटता एवं चीन के साथ अनसुलझा सीमा विवाद भारत के लिये बड़ी चुनौतियाँ हैं। ये सभी कारक भारत के समग्र सुरक्षा वातावरण को प्रभावित करते हैं।
- दक्षिण एशिया में बढ़ते धार्मिक कट्टरवाद और संवैधानिक हस्तक्षेप तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के पतन के कारण इस क्षेत्र में राजनैतिक अस्थिरता का वातावरण बना रहता है।
- दक्षिण एशिया सामाजिक रूप से अधिक जटिल है। यहाँ जातिवाद एवं सम्प्रदायवाद के अतिरिक्त भाषाई और वर्ग मतभेद जैसे कारक मौजूद हैं, जो इस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- दक्षिण एशिया में क्षेत्रीयता की धीमी गति के संरचनात्मक कारण हैं। सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से सशक्त भारत भी इस क्षेत्र में असुरक्षित महसूस करता है, जिसका मुख्य कारण भारत पाकिस्तान को बाहरी शत्रुओं के प्रवेश बिंदु के रूप में मानता है।

आगे की राह

- इस क्षेत्र को संकीर्ण भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से परे एक समन्वित प्रतिक्रिया तंत्र निर्मित करने की दिशा में पहल करने की आवश्यकता है।
- सार्क फंड के उपयोग को लेकर सदस्य देश अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाए हैं। इस फंड का उपयोग उचित रूप में तथा आवश्यकतानुसार किया जाना चाहिये। इस क्षेत्र के संकट से प्रभावी रूप से निपटने हेतु इन देशों को सार्क के संस्थागत ढाँचे के अंतर्गत साथ आने की आवश्यकता है।
- सार्क खाद्य बैंक (SAARC Food Bank) का प्रयोग इस क्षेत्र के खाद्य संकट से निपटने हेतु किया जा सकता है। साथ ही इस क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिये नीति निर्माण में सार्क वित्त फोरम (SAARC Finance Forum) की सहायता ली जा सकती है।
- भारत जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के लिहाज से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की योग्यता और क्षमता रखता है। इसलिये भारत को कूटनीतिक लचीलेपन तथा समन्वयकारी नेतृत्व के माध्यम से दक्षिण एशियाई क्षेत्र की दशा और दिशा की रूपरेखा तैयार करनी चाहिये।
- भारत को दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते को मज़बूत करने, अंतर-क्षेत्रीय खाद्य व्यापार की बाधाओं को कम करने और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ।
- भारत को अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान को राष्ट्रीय स्तर से लेकर पड़ोसी प्रथम की नीति के तहत दक्षिण एशिया में विस्तारित करना चाहिये। भारत व्यापार में इस क्षेत्र को विशेष छूट प्रदान करके अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सम्बंध मज़बूत कर सकता है।

निष्कर्ष

वर्तमान स्वास्थ्य और आर्थिक संकट से निपटने हेतु दक्षिण एशियाई क्षेत्र के नेताओं को साथ आने और सामूहिक रूप से इस चुनौती के समाधान हेतु एक महत्त्वपूर्ण अवसर के रूप में देखना चाहिये, जिससे भविष्य में यह क्षेत्र एकजुटता और समन्वय के कारण अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा।

श्रीलंकाई संविधान में संशोधन और भारत

चर्चा में क्यों?

नवम्बर 2019 के राष्ट्रपति चुनाव और अगस्त 2020 के आम चुनावों में महिंदा राजपक्षे की जीत के बाद श्रीलंका के संविधान के दो प्रमुख विधान सुर्खियों में आ गए हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- हाल ही में, श्रीलंका सरकार ने देश में 20वें संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिस वजह से सत्तारूढ़ दल को दल के अंदर व बाहर दोनों तरफ विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
- ध्यातव्य है कि श्रीलंका सरकार संविधान में 20वें संशोधन के माध्यम से वर्ष 2015 में किये गए 19वें संविधान संशोधन में बदलाव लाने की इच्छुक है।
- अगर यह संविधान संशोधन होता है तो श्रीलंका की राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल जाएँगी और वर्ष 1987 का 13वाँ संविधान संशोधन खतरे में पड़ सकता है और यह भारत के लिये चिंता की बात भी है।

श्रीलंकाई संविधान में 20वाँ संशोधन

- विदित है कि 2 सितम्बर, 2020 को श्रीलंका सरकार ने अपने देश के संविधान में संशोधन का एक मसौदा प्रस्तावित किया था, जिसके माध्यम से 19वें संविधान संशोधन के उन प्रावधानों को बदलने के लिये विधायी प्रक्रिया शुरू की गई है, जो देश में राष्ट्रपति की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं या राष्ट्रपति की निरंकुशता पर रोक लगाने की बात करते हैं।
- गौरतलब है कि लगभग 42 वर्ष पूर्व श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री जे.आर. जयवर्धने द्वारा लागू किये गए संविधान में यह 20वाँ संशोधन होगा। राजपक्षे सरकार ने पहले ही 20 वें संशोधन का मसौदा तैयार कर लिया है।
- श्रीलंका सरकार द्वारा प्रस्तावित इस संविधान संशोधन में संवैधानिक परिषद के स्थान पर संसदीय परिषद लाने का प्रावधान किया गया है। यह इसलिये किया गया है क्योंकि वर्तमान प्रावधानों के अनुसार संवैधानिक परिषद द्वारा लिये गए निर्णय राष्ट्रपति के लिये बाध्यकारी हैं, जबकि प्रस्तावित संसदीय परिषद के निर्णय राष्ट्रपति के लिये बाध्यकारी नहीं रहेंगे।
- इसके अलावा, अब संविधान संशोधन के माध्यम से प्रधानमंत्री के मुख्य मंत्रिमंडल और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करेगी, जबकि पूर्व में इसके लिये राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह लेना आवश्यक था।
- प्रस्तावित संशोधन में यह भी उपबंध किये गए हैं कि संसद की एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति उसे किसी भी समय भंग कर सकता है।
- प्रस्तावित संशोधन में एक और बदलाव किया गया है जिसके द्वारा संसद के समक्ष किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व आम जनता के लिये उसे प्रकाशित करने की अवधि जो पूर्व में 14 दिन थी, घटाकर 7 दिन कर दिया गया है।

20वें संविधान संशोधन की आलोचना

- श्रीलंका के संविधान व कानून विशेषज्ञों द्वारा सरकार पर आरोप लगाया गया है कि इस संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार देश की उन संवैधानिक संस्थाओं के राजनीतिकरण का प्रयास कर रही है, जिनका गठन आम नागरिकों के कल्याण के लिये किया गया था, जिसमें किसी भी प्रकार की राजनीति अपेक्षित नहीं थी।
- विशेषज्ञों का कहना है कि इस संशोधन द्वारा न सिर्फ देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर असर पड़ेगा, बल्कि सरकार की जवाबदेही भी कम हो जाएगी।
- गौरतलब है कि श्रीलंका के विपक्षी दलों ने इस संविधान संशोधन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने की बात की है।
- ध्यातव्य है कि संविधान संशोधन के लिये प्रस्तावित विधेयक को उच्चतम न्यायालय के अवलोकन के पश्चात् एक-तिहाई बहुमत द्वारा संसद में पारित किया जा सकता है और वर्तमान सरकार के पास इस संशोधन को पारित करने के लिये पर्याप्त बहुमत है।

श्रीलंका का 19वाँ संविधान संशोधन

- संविधान संशोधन को वर्ष 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे के कार्यकाल (2015-19) के दौरान संसद में पारित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 2010 में लाए गए 18वें संशोधन को निरस्त करने का प्रयास किया गया था।
- गौरतलब है कि जहाँ 18वें संविधान संशोधन द्वारा लगभग सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास केंद्रित थीं, वहीं 19वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित कर दिया गया था।
- इसके अलावा, एक महत्त्वपूर्ण कदम के तहत 19वें संविधान संशोधन द्वारा चुनाव आयोग, राष्ट्रीय पुलिस आयोग, मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग और श्रीलंका के लोक सेवा आयोग समेत 9 आयोगों में होने वाली नियुक्ति की समस्त प्रक्रियाओं को विकेंद्रीकृत भी कर दिया गया था।

13वाँ संविधान संशोधन क्या है?

- 1987 में पारित 13 वाँ संविधान संशोधन, श्रीलंका के नौ प्रांतों को संचालित करने के लिये स्थापित प्रांतीय परिषदों को शक्ति हस्तांतरण की बात करता है।
- यह जुलाई 1987 के भारत-श्रीलंका समझौते का एक परिणाम है, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने ने जातीय संघर्ष और गृहयुद्ध को सुलझाने व श्रीलंकाई तमिलों की सुरक्षा और संरक्षण को और सुदृढ़ करने के प्रयास में हस्ताक्षर किये थे। इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य श्रीलंका के तत्कालीन पूर्वोत्तर प्रांत (तमिल बहुल क्षेत्र) में राजनीतिक शक्तियों का हस्तांतरण था।
- 13वें संशोधन (जिसके कारण प्रांतीय परिषदों का निर्माण हुआ) द्वारा सिंहल बहुसंख्यक क्षेत्रों सहित देश के सभी नौ प्रांतों को स्वशासन में सक्षम के लिये एक शक्ति-साझाकरण व्यवस्था का आश्वासन दिया गया। इसके बाद वहाँ प्रांतीय परिषद का गठन हुआ था।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवास, भूमि और पुलिस जैसे विषय प्रांतीय प्रशासन के लिये रखे गए थे।
- लेकिन वित्तीय शक्तियों पर प्रतिबंध और राष्ट्रपति द्वारा पारित नियमों को कभी भी बदल देने की शक्ति के कारण प्रांतीय प्रशासन बहुत अधिक प्रगति नहीं कर पाए हैं।
- विशेष रूप से पुलिस और भूमि से सम्बंधित प्रावधानों को कभी लागू नहीं किया जा सका है।

13वाँ संविधान संशोधन और विवाद?

- 13वाँ संशोधन देश के गृह युद्ध के वर्षों से ही काफी चर्चा में रहा है। इसका सिंहली राष्ट्रवादी दलों और लिट्टे दोनों ने मुखर विरोध किया था।
- चूँकि यह संशोधन भारत के हस्तक्षेप द्वारा नए कानून के रूप में सामने आया, इसलिये अधिकांश सिंहली राष्ट्रवादी 13वें संविधान संशोधन का विरोध करते हैं, क्योंकि वो इसे भारत द्वारा अधिरोपित मानते हैं। इसके अलावा, सिंहली राष्ट्रवादी 13वें संविधान संशोधन के समस्त प्रावधानों को तमिल अलगाववाद को प्रोत्साहित करने वाला मानते हैं।
- तमिल राजनीति से जुड़े लोग, विशेष रूप से इसके प्रमुख राष्ट्रवादी तत्त्व 13वें संशोधन को कानून के रूप में पर्याप्त नहीं मानते हैं। यद्यपि उनमें से कुछ इसे एक महत्त्वपूर्ण शुरुआती बिंदु के रूप में देखते हैं, जिसे आगे एक नए कानून के रूप में नई दिशा दी जा सकती है।

13वाँ संविधान संशोधन महत्वपूर्ण क्यों है?

- यह संशोधन दीर्घ काल से लम्बित तमिलों से जुड़े सवाल के उत्तर के रूप में एकमात्र संवैधानिक प्रावधान के रूप में जाना जाता है।
- हस्तांतरण की प्रक्रिया के आश्वासन के अलावा यह 1980 के दशक के बाद से बढ़ते सिंहल-बौद्ध अधिनायकवाद के सामने एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक लाभांश की प्राप्ति माना जाता है।

संयुक्त राष्ट्र के 75 वर्ष : उपलब्धियाँ और असफलताएँ

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2020 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष कार्यक्रम की मुख्य थीम 'बहुपक्षवाद के लिये हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना' है।
- संयुक्त राष्ट्र का उद्भव द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता के चलते हुआ था। स्थापना के समय इसका मुख्य लक्ष्य विश्व शांति बनाए रखना और भावी पीढ़ियों को युद्ध के दंश व बुराइयों से बचाना था। इस मंच का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार व विश्व शांति को बनाए रखना है।
- 193 सदस्य देशों वाले इस संगठन में 11 जुलाई, 2011 को सबसे नवीनतम सदस्य देश के रूप में दक्षिणी सूडान को शामिल किया गया। इस संगठन में सभी ऐसे देश शामिल हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में, आम सभा के अलावा सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय शामिल हैं।

आगामी दशक के लक्ष्य

- संयुक्त राष्ट्र ने अगले 10 वर्षों को सतत विकास के लिये कार्रवाई और प्रतिपादन का दशक के रूप में नामित है, जो आगामी पीढ़ी के लिये सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साबित होगा।
- अगले दस वर्षों के लिये सूचीबद्ध लक्ष्यों में पृथ्वी और पर्यावरण की सुरक्षा, शांति, लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण, डिजिटल सहयोग और स्थायी वित्तपोषण को बढ़ावा देना शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र का उद्भव : विकासक्रम

- विश्व को युद्ध के दंश से बचाने के लिये प्रथम विश्व युद्ध के बाद जून 1919 में वर्साय की संधि के एक हिस्से द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन 'राष्ट्र संघ' (The League of Nations) की नींव रखी गई।
- हालाँकि, जब वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो लीग लगभग अस्तित्वहीन सी हो गई और जिनेवा स्थित इसका मुख्यालय पूरी तरह से अर्थहीन रहा।
- फलस्वरूप अगस्त 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूज़वेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के मध्य हुई गुप्त मुलाकात के बाद 'अटलांटिक चार्टर' के नाम से एक वक्तव्य जारी किया गया।
- दिसम्बर 1941 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्वयुद्ध में शामिल हुआ और पहली बार 'संयुक्त राष्ट्र' शब्द राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा उन देशों के लिये प्रयोग किया गया, जो धुरी शक्तियों के खिलाफ एकजुट थे।
- 1 जनवरी, 1942 को 26 मित्र देशों के प्रतिनिधियों ने वाशिंगटन डी.सी. में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर हस्ताक्षर किये, जिसमें मूलत: मित्र देशों के युद्ध उद्देश्यों के बारे में बताया गया था।

संयुक्त राष्ट्र : तथ्य

- भारत उन देशों में शामिल था, जिन्होंने यू.एन. चार्टर पर हस्ताक्षर किये थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत सबसे अधिक सहयोग करता है।
- संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इस मुख्यालय के अलावा और अहम संस्थाएँ जिनेवा और कोपनहेगन आदि में भी स्थित हैं।
- संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृत भाषाओं में कुल छह भाषाएँ हैं, जिनमें अरबी, चीनी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, रूसी और स्वेनिश शामिल हैं, परंतु इनमें से केवल अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी को ही संचालन की भाषा माना गया है। अरबी और स्पेनिश भाषा को इसमें वर्ष 1973 में शामिल किया गया था।

- अंततः 51 (पोलैंड ने उसी वर्ष परंतु बाद में हस्ताक्षर किया था, अतः 50+1 देश) देशों द्वारा अनुसमर्थित होने के बाद 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया, जिसमें पांच स्थायी सदस्य (फ्रांस, चीन गणराज्य, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका) और 46 अन्य हस्ताक्षरकर्ता शामिल थे। महासभा की पहली बैठक 10 जनवरी, 1946 को सम्पन्न हुई।
- संयुक्त राष्ट्र के चार मुख्य लक्ष्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बंध विकसित करना, वैश्विक समस्याओं को हल करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना और सामान्य हितों की प्राप्ति हेतु राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य के लिये एक केंद्र के रूप में कार्य करना था।

संयुक्त राष्ट्र के 75 वर्ष : उपलब्धियाँ

- स्वतंत्रता आंदोलनों और बाद के वर्षों में वि-उपनिवेशीकरण ने इसकी सदस्यता का विस्तार किया और वर्तमान में 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं।
- इन 75 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र ने बड़ी संख्या में वैश्विक मुद्दों जैसे कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों के समाधान के लिये अपने दायरे का विस्तार किया है।
- गठन के तुरंत बाद इसने वर्ष 1946 में परमाणु हथियारों के उन्मूलन की प्रतिबद्धता का प्रस्ताव पारित किया।
- वर्ष 1948 में चेचक, मलेरिया, एच.आई.वी. जैसे संचारी रोगों से निपटने के लिये इसने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का गठन किया। वर्तमान में WHO कोरोनो वायरस महामारी से निपटने वाला शीर्ष संगठन है।
- वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारण विस्थापित हुए लाखों लोगों की देखभाल के लिये (शरणार्थियों के लिये) उच्चायुक्त (Commissioner for Refugees) कार्यालय बनाया। यह दुनिया भर में गंभीर संकटों का सामना कर रहे शरणार्थियों के लिये प्रमुख समाधान प्रस्तुत करता है।
- वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का निर्माण किया गया था। वर्ष 2002 में युद्ध अपराध, नरसंहार और अन्य अत्याचारों के आलोक में यू.एन. ने संयुक्त राष्ट्र आपराधिक न्यायालय की स्थापना की।

विफलताएँ

- कई मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र और उसकी अनुषंगी इकाईयों की आलोचन भी की गई है। उदाहरण के लिये वर्ष 1994 में संगठन रवांडा नरसंहार को रोकने में विफल रहा था।
- वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में कांगो गणराज्य में यौन दुराचार के आरोप सामने आए थे और इसी तरह के आरोप के मामले कम्बोडिया और हैती से भी सामने आए थे।
- वर्ष 2011 में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन वर्ष 2013 में छिड़े गृहयुद्ध में हुए रक्तपात को रोकने में असफल रहा था।
- इसके अतिरिक्त परमाणु हथियारों के अप्रसार पर अंकुश न लगा पाने के साथ-साथ शरणार्थियों की बढती संख्या और समस्या के कारण भी इसकी आलोचना हुई है।
- आतंकवाद की परिभाषा सहित उसको रोकने के प्रभावी उपायों के आभाव और बढ़ते नस्लवाद को न रोक पाने में भी इसकी कार्यप्रणाली बहुत प्रभावी नहीं रही है। साथ ही सुरक्षा परिषद् के विस्तार और उसकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।
- वर्तमान महामारी के प्रसार को रोक पाने और उचित समय पर उचित जानकारी के आभाव के चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन की तीखी आलोचना की गई है तथा इस मंच के राजनीतिकरण का आरोप लगा है।

भारत और सुरक्षा परिषद्

- संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग करने में भारत सबसे अग्रणी रहा है। भारत विशेषकर इसके प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर सक्रिय और प्रयत्नशील है।
- दशकों से विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल होने के कारण इसका दावा काफी मज़बूत है।

- एक नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है और वह संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में अग्रणी भूमिका में रहा है।
- संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय मित्र राष्ट्रों (बाद में चीन) द्वारा UNSC की स्थायी सदस्यता व वीटो का अधिकार आज शायद ही दुनिया के नेतृत्व के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का दावा कर सकता है।
- यू.एन.एस.सी. में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों से एक भी स्थायी सदस्य शामिल नहीं हैं और बहुपक्षीय व्यवस्था के स्तम्भ, जैसे- ब्राजील, भारत, जर्मनी और जापान के G-4 समूह को लम्बे समय से नजरअंदाज किया गया है।
- सदस्यों के बीच ध्रुवीकरण और UNSC के पाँच स्थाई सदस्यों के भीतर लगातार विभाजन प्रमुख निर्णयों और समाधान में बाधा उत्पन्न करते हैं।

आगे की राह

- वर्तमान में व्यापक सुधारों के अभाव में संयुक्त राष्ट्र 'विश्वसनीयता के संकट' का सामना कर रहा है। पुराने ढाँचे या व्यवस्था के साथ आज की चुनौतियों का सामना किया जाना कठिन है, अत: इसमें ढाँचागत और प्रणालीगत सुधार की व्यापक आवश्यकता है।
- विश्व को एक सुधारवादी बहुपक्षीय मंच की आवश्यकता है, जो कि आज की वास्तविकता को दर्शाने के साथ-साथ सभी हितधारकों को आवाज उठाने का मौका दे। यह समकालीन चुनौतियों का समाधान करने वाला और मानव कल्याण पर ध्यान देने वाला होना चाहिये।
- आज बहुपक्षीय चुनौतियाँ कहीं अधिक है लेकिन समाधानों का अभाव है, अत: एक बेहतर विश्व शासन की आवश्यकता है। खासतौर पर लैंगिक समानता के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बीजिंग कार्रवाई मंच के 25 साल बाद भी लैंगिक समानता की समस्या दुनिया भर में सबसे चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।
- इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के भीतर ध्रुवीकरण है, इसलिये निर्णय या तो नहीं लिये जाते हैं या उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र के कारण आज दुनिया बेहतर जगह बन पाई है और इसने शांति व विकास के कार्यों को बेहतर तरीके से किया है। हालाँकि, इससे विश्व ने काफी कुछ हासिल किया है लेकिन मूल मिशन अब भी अधूरा है। आज जिस दूरगामी घोषणा पत्र को अपनाया जा रहा हैं उससे पता चलता है कि इन क्षेत्रों में अभी भी काफी काम करने की ज़रूरत है, जैसे- संघर्ष को रोकने, विकास सुनिश्चित करने, जलवायु परिवर्तन को रोकने, असमानताओं को कम करने और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने में सहयोग की आवश्यकता है। इस घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया है।

भारत और आइ.एम.एफ.: बदलते समीकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत द्वारा आई.एम.एफ. के एस.डी.आर. कोटा प्रणाली में सुधारों को लेकर अपनी असहमति जताई गई है, जबकि भारत शुरुआत से ही आइ.एम.एफ. में सुधारों का पुरज़ोर समर्थक रहा है।

विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर.)

- विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर.) आरक्षित मुद्रा का एक रूप है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) द्वारा ज़ारी किया जाता है। इसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, स्टर्लिंग पाउंड, येन और रेनमिनबी (युआन) शामिल है।

- प्रत्येक देश एस.डी.आर. में एक विशेष कोटा रखता है, जो आई.एम.एफ. बोर्ड में उसके मतदान का अधिकार तय करता है। सदस्य राष्ट्र आवश्यकता पड़ने पर इन आरक्षित मुद्राओं के लिये अपने एस.डी.आर. का आदान-प्रदान कर सकते हैं।
- एस.डी.आर. के विस्तार का अर्थ संकट के समय में बड़े संसाधन आधार की उपलब्धतता है। यह बाहरी स्थिरता और सुरक्षा का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम माना जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता कम हो जाती है।

भारत का वर्तमान कदम तथा आलोचना

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कोटा प्रणाली के विस्तार का विरोध करने के लिये भारत ने अमेरिका का पक्ष लेने का निर्णय किया है।
- भारत लम्बे समय से उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु आई.एम.एफ. के संसाधनों के विस्तार और कोटा प्रणाली में सुधार पर ज़ोर देता रहा है।
- भारत द्वारा किये गए प्रयासों से मतदान अधिकारों में कुछ मज़बूती भी देखने भी मिली है तथा अमेरिका और यूरोप के एकतरफा नीतिगत परिवर्तनों की क्षमता में कमी आई है। हालाँकि अमेरिका ने कुछ प्रमुख सुधारों पर वीटो बरकरार रखा है।
- इस बार विकसित अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों द्वारा मुहैया कराई गई पूंजी वर्ष 2008 के वित्तीय संकट की तुलना में काफी कम है, जबकि वर्तमान संकट उससे भी व्यापक है।
- भारत द्वारा महामंदी के बाद सबसे बड़े वैश्विक संकट के दौरान 500 अरब डॉलर के नए एस.डी.आर. जारी करने के आई.एम.एफ. के प्रस्ताव के विरोध पर भी प्रश्नचिह्न है।

भारत के कदम का समर्थन

- न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक जैसे वैकल्पिक बहुपक्षीय संस्थानों के गठन के पिछले प्रयासों को भी चीन द्वारा बाधित किया गया है।
- भारत के इस कदम का अर्थ यह है। इन सुधारों के चलते अमेरिका की वीटो शक्ति की समाप्ति से चीन के मतदान अधिकारों में व्यापक वृद्धि होगी, जो कि भारत के हित में नहीं है।
- चीनी सरकार का अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को नष्ट करने का इतिहास रहा है और तथ्य यह है कि वर्तमान में अमेरिका ही चीन के विरुद्ध खड़ा होने की ताकत रखता है। इसलिये भारत का यह कदम ज़रूरी लगता है।
- वैश्विक प्रशासन में चीन के प्रभाव को सीमित करना भारत का एक बड़ा लक्ष्य हो सकता है, लेकिन भारत सरकार को इस लक्ष्य को हासिल करने हेतु और बेहतर विकल्प खोजने पर विचार करना चाहिये।

आगे की राह

- वित्तीय बाज़ार की अस्थिरता के खिलाफ मज़बूत वित्तीय सुरक्षा सहायता का स्वागत किया जाना चाहिये।
- वर्तमान में अगर सरकार विदेशी मुद्रा भंडार को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाज़ार के प्रबंधन के लिये पर्याप्त मानती है तब भारत की राजकोषीय स्थिति दबाव में ही है।
- देश लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकल रहा है। नागरिकों को वित्तीय सहायता और बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य संसाधनों की आवश्यकता होगी। भारत सरकार आई.एम.एफ. के सामने इसके सदस्यों की सहायता करने हेतु नए उपाय किये जाने की माँग उठाकर विकासशील देशों का नेतृत्व कर सकता है।

निष्कर्ष

- संकट के समय में सुधारों में तेज़ी लाने का यह एक बेहतर अवसर है। एस.डी.आर. के विस्तार के साथ ही मतदान अधिकारों में भी विस्तार का समर्थन किया जाना चाहिये, जिससे आई.एम.एफ. के प्रशासन में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का पक्ष मज़बूत हो सके।

- अमेरिका की 'अमेरिका प्रथम' की नीति के तहत वह कभी भी आई.एम.एफ. जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में सुधार पर सहमत नहीं होगा। इसलिये भारत को अपनी सम्प्रभुता बनाए रखते हुए विकसित देशों के प्रभाव में आने से बचना चाहिये।

तीस्ता नदी विवाद और भारत-बांग्लादेश सम्बंधों में चुनौती तथा चीन

चर्चा में क्यों?

बांग्लादेश तीस्ता नदी पर एक 'व्यापक प्रबंधन और बहाली परियोजना' के लिये चीन से लगभग 1 अरब डॉलर के ऋण समझौते पर बातचीत कर रहा है।

पृष्ठभूमि

- तीस्ता नदी का उद्गम पूर्वी हिमालय में पहुनरी (तीस्ता कांगसे) ग्लेशियर से होता है। उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा मानी जाने वाली यह नदी सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीस्त ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जिसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तीस्ता के जल का बंटवारा लम्बे समय से भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय रहा है। बांग्लादेश ने भारत से वर्ष 1996 की 'गंगा जल संधि' के तर्ज़ पर तीस्ता जल के भी 'न्यायसंगत वितरण' की मांग की है।
- बांग्लादेश के 'व्यापक प्रबंधन और बहाली परियोजना' का उद्देश्य नदी बेसिन का कुशल प्रबंधन करना, बाढ़ को नियंत्रित करना और ग्रीष्मकाल में जल संकट से निपटना है।
- इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि चीन के साथ बांग्लादेश की चर्चा ऐसे समय में हुई है, जब भारत लद्दाख में गतिरोध के बाद चीन को लेकर विशेष रूप से सावधान है।

तीस्ता विवाद की प्रगति

- सितम्बर 2011 में भारतीय प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे के दौरान दोनों देश जल-बंटवारे के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बिल्कुल करीब थे, परंतु पश्चिम बंगाल द्वारा समझौते की शर्तों पर आपत्ति के बाद इस समझौते को रद्द कर दिया गया।
- जून 2015 में भारत के प्रधानमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने एक साथ बांग्लादेश का दौरा किया। इस दौरान भारत द्वारा कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग के माध्यम से जल्द ही तीस्ता पर एक 'निष्पक्ष समाधान' तक पहुँचा जा सकता है। हालाँकि, पाँच वर्ष बाद भी तीस्ता का मुद्दा सुलझ नहीं पाया है।

भारत के साथ बांग्लादेश का वर्ष-दर-वर्ष सम्बंध

- भारत का बांग्लादेश के साथ एक मज़बूत रिश्ता रहा है। वर्ष 2008 के बाद, विशेषकर शेख हसीना सरकार के सत्तासीन होने के उपरांत सम्बंधों में अतिरिक्त समझ और सावधानी दिखाई गई है।
- भारत को बांग्लादेश के साथ सुरक्षा सम्बंधों के कारण लाभ प्राप्त हुआ है। बांग्लादेश द्वारा भारत विरोधी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई से भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में शांति बनाए रखने में मदद मिली है।
- बांग्लादेश को भी भारत के साथ आर्थिक और विकास साझेदारी से लाभ प्राप्त हुआ है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ा है। वर्ष 2018-19 में भारत द्वारा बांग्लादेश को 9.21 बिलियन डॉलर का निर्यात किया गया, जबकि बांग्लादेश से 1.04 बिलियन डॉलर का आयात हुआ।
- भारत बांग्लादेश के नागरिकों को प्रतिवर्ष 15 से 20 लाख वीजा चिकित्सा उपचार, पर्यटन, काम और मनोरंजन के लिये देता है। बांग्लादेश के अभिजात वर्ग द्वारा भारत में खरीदारी करने के लिये की जाने वाली यात्रा काफी आम है।
- भारत के लिये 'पड़ोसी प्रथम नीति' में बांग्लादेश एक महत्त्वपूर्ण भागीदार रहा है।

सम्बंधो में गिरावट का कारण

- सम्बंधो में गिरावट का एक बड़ा कारण 'राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर' (NRC) और पिछले वर्ष दिसम्बर में पारित किया गया 'नागरिकता संशोधन अधिनियम' (CAA) है। बांग्लादेश में नागरिक स्तर के साथ-साथ राजनीतिक स्तर पर भी इसका विरोध हुआ, जिससे कूटनीतिक सम्बंधों पर नकारात्मक असर पड़ा।
- बांग्लादेश ने अपने कई मंत्रियों के दौरे रद्द कर दिये। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी नागरिकता संशोधन अधिनियम पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि सी.ए.ए. और प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी एन.आर.सी. भारत के 'आंतरिक मामले' हैं, परंतु यह कदम 'आवश्यक नहीं' था। बांग्लादेश को डर है कि इससे उनके देश में नागरिकों की संख्या बढ़ जाएगी।
- दक्षिण एशिया के प्रमुख देश भारत द्वारा बांग्लादेश को रोहिंग्या के मुद्दे पर समर्थन न मिलने के कारण भी सम्बंधों में रूखापन देखने को मिला है।
- बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीबुर्रहमान के जन्मशती समारोह में भी कोरोना का हवाला देकर प्रधानमंत्री मोदी का दौरा रद्द कर दिया गया था, क्योंकि बांग्लादेश में इसका विरोध हो रहा था।

बांग्लादेश और चीन के बीच सम्बंधों का विकासक्रम

- चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और आयात का सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत है। वर्ष 2019 में दोनों देशों के बीच 18 अरब डॉलर का व्यापार हुआ और आयात की कमान चीन के हिस्से में रही। व्यापार अधिकांशत: चीन के पक्ष में है।
- हाल ही में, चीन ने बांग्लादेश से आने वाले 97% आयातों पर शून्य शुल्क (Zero Duty) का ऐलान किया। अल्प विकसित देशों के लिये चीन के शुल्क मुक्त, कोटा-मुक्त कार्यक्रम के तहत बांग्लादेश को यह रियायत प्राप्त हुई है। बांग्लादेश में इस कदम का इस उम्मीद के साथ व्यापक रूप से स्वागत किया गया कि इससे बांग्लादेश का चीन में निर्यात बढ़ेगा।
- भारत ने भी $10 बिलियन की विकासात्मक सहायता प्रदान की है। इस सहायता से बांग्लादेश वैश्विक स्तर पर भारत की कुल सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता बन गया है। चीन ने भी बांग्लादेश को लगभग 30 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता का वादा किया है।
- इसके अतिरिक्त, चीन के साथ बांग्लादेश के मज़बूत रक्षा सम्बंधों ने भी स्थिति को जटिल बना दिया है।
- चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्त्ता है। बांग्लादेश की मुक्ति के बाद पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारी जो चीनी हथियारों से अच्छी तरह से वाकिफ थे, बांग्लादेश सेना में शामिल हो गए और उन्होंने चीनी हथियारों को प्राथमिकता दी। हाल ही में, बांग्लादेश ने चीन से दो मिंग श्रेणी की पनडुब्बियाँ खरीदी हैं।लद्दाख गतिरोध के मद्देनज़र, भारत बांग्लादेश में चीनी रक्षा साजो-समान की बढ़ती पैठ के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया है।

सी.ए.ए. के बाद भारत की बांग्लादेश के प्रति रणनीति

- पिछले पाँच महीनों में भारत और बांग्लादेश ने महामारी सम्बंधी कदमों पर एक-दूसरे का सहयोग किया है। बांग्लादेश ने कोविड-19 से मुकाबले के लिये भारत के 'क्षेत्रीय आपातकालीन निधि' के आह्वान का समर्थन किया और मार्च 2020 में $1.5 मिलियन के योगदान की घोषणा की। भारत ने बांग्लादेश को चिकित्सीय सहायता भी प्रदान की है।
- दोनों देशों ने रेलवे में भी सहयोग किया है। भारत ने बांग्लादेश को 10 रेल इंजन दिये हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर राज्यों में बांग्लादेश के माध्यम से भारतीय कार्गो के ट्रांस-शिपमेंट के लिये पहला परीक्षण भी जुलाई में हुआ। यह परीक्षण चटगाँव और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग पर एक समझौते के तहत हुआ है।
- हालाँकि, हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा बांग्लादेशी समकक्ष के साथ फोन पर हुई वार्ता ने भारत को और चौकन्ना कर दिया है।

भारत के वर्तमान प्रयास

- हाल ही में, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने मार्च में बांग्लादेश का दौरा किया। कोविड-19 की शुरुआत के बाद से शेख हसीना की किसी विदेशी मेहमान से यह पहली मुलाकात थी।
- बांग्लादेश ने इस वर्ष की पहली छमाही के दौरान बी.एस.एफ. या भारतीयों द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा पर हो रही हत्याओं में वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त की है। हालाँकि, भारतीय पक्ष ने इस मुद्दे के समाधान का आश्वासन दिया है।
- दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि परियोजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिये। साथ ही बांग्लादेश में विकास परियोजनाओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।
- बांग्लादेश ने अपने मरीज़ों के लिये भारत ये वीज़ा जारी करने का अनुरोध किया है।
- भारत से बेनापोले-पेट्रापोले भूमि बंदरगाह के माध्यम से यात्रा को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया गया, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार ने महामारी के कारण रोक दिया था।
- साथ ही बांग्लादेश ने कोविड-19 वैक्सीन के विकास और परीक्षण में सहयोग की बात कही है तथा वैक्सीन के तैयार होने पर इसकी जल्द व सस्ती उपलब्धता की आशा की है।

आगे की राह

हालाँकि, तीस्ता परियोजना भारत के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण और ज़रूरी है, लेकिन अगले वर्ष होने वाले पश्चिम बंगाल चुनावों से पहले इस मुद्दे का समाधान मुश्किल होगा। भारत द्वारा किये गए सभी आश्वासनों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिये। बांग्लादेश ने गिरफ्तार तब्लीगी जमात के सदस्यों की वापसी और असम में हिरासत में रखे गए बांग्लादेशी मछुआरों की जल्द रिहाई की भी माँग की है, अत: इस पर जल्द से जल्द निर्णय लिये जाने की आवश्यकता है। वीजा और वैक्सीन के मामले में बांग्लादेश के साथ सहयोग करना चाहिये। सी.ए.ए. और एन.आर.सी. के मुद्दे पर बांग्लादेश में पनप रही भारत विरोधी भावना को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। साथ ही यदि भारत रोहिंग्या के मुद्दे पर बांग्लादेश का समर्थन करता है, तो दोनों के मध्य सहयोग की भावना में वृद्धि होगी। भारत ने इस मुद्दे पर बांग्लादेश को सहयोग करने का आश्वासन भी दिया है।

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture
टीम वही, कोचिंग नई
अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स

ऑनलाइन वीडियो कोर्स में शामिल हैं

1. इतिहास विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति पै के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. इतिहास विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री-
   (i) पेपर 1: प्राचीन भारत का इतिहास तथा मध्यकालीन भारत का इतिहास
   (ii) पेपर 2: आधुनिक भारत का इतिहास तथा विश्व इतिहास
5. इतिहास विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह

सम्पर्क करें: 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124
पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on:

3 राजनीतिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना : कारण और महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की सेवाओं के लिये 'राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी' (National Recruitment Agency– NRA) के गठन को अनुमोदित कर दिया है।

पृष्ठभूमि

प्रस्तावित 'राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी' केंद्र सरकार की विभिन्न भर्तियों के लिये एक सामान्य प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगी। सरकार ने एन.आर.ए. के लिये 1517.57 करोड़ रूपए स्वीकृत किये हैं। इस धन का व्यय तीन वर्षों की अवधि में किया जाएगा। एन.आर.ए. को पहली बार केंद्रीय बजट 2020 में प्रस्तावित किया गया था। उल्लेखनीय है कि इस बार के बजट में तीन प्रमुख विषयों को आधार बनाया गया है। इसमें पहला विषय 'आकांक्षी भारत', दूसरा 'सभी के लिये आर्थिक विकास' और तीसरा 'देखभाल करने वाले समाज का निर्माण' है। आकांक्षी भारत में तीन मदों, 'कृषि, सिंचाई व ग्रामीण विकास' और 'कल्याण, जल व स्वच्छता' के साथ-साथ 'शिक्षा और कौशल' से सम्बंधित योजनाओं को शामिल किया गया है।

एन.आर.ए. की आवश्यकता

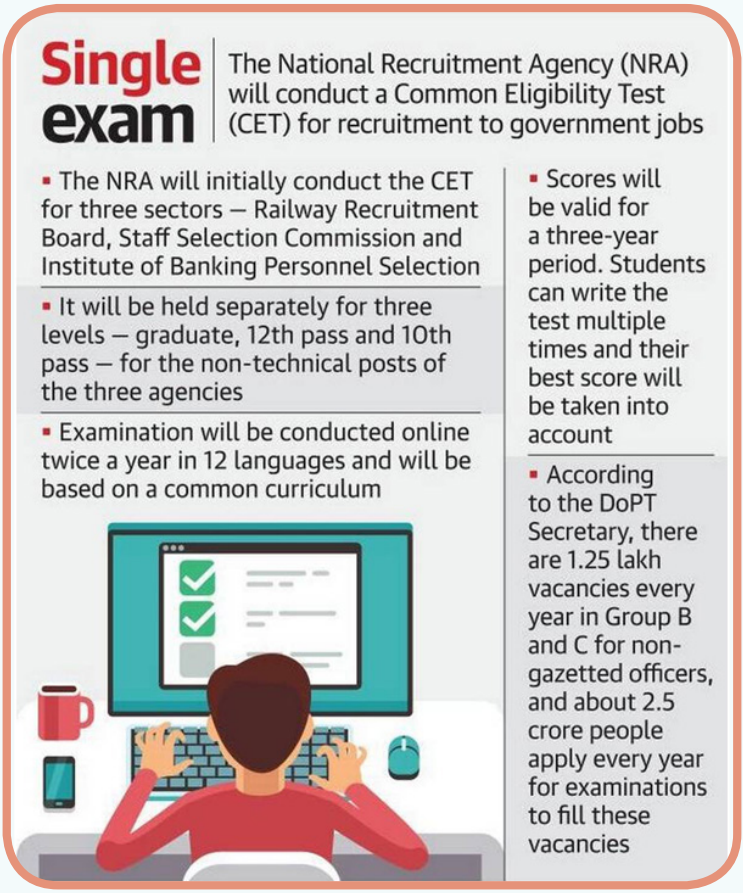

- वर्ष 2030 तक भारत में विश्व की सबसे अधिक कार्यशील आयु की आबादी होने की उम्मीद है। उन्हें साक्षरता के साथ-साथ नौकरी तथा जीवन-कौशल दोनों की आवश्यकता है।
- अभी तक केंद्र सरकार की नौकरियों के लिये उम्मीदवारों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित अलग-अलग परीक्षाएँ देनी होती हैं। केंद्र सरकार की नौकरियों में प्रत्येक वर्ष लगभग 1.25 लाख रिक्त पदों के लिये औसतन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ प्रतियोगी हिस्सा लेते हैं।
- एन.आर.ए. द्वारा एक 'सामान्य पात्रता परीक्षा' का आयोजन किया जाएगा और सी.ई.टी. स्कोर के आधार पर उम्मीदवार सम्बंधित एजेंसी में रिक्तियों के लिये आवेदन कर सकता है।

एन.आर.ए. : प्रमुख बिंदु

- एन.आर.ए. 'सोसायटी पंजीकरण अधिनियम' के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त्व सोसायटी होगी। एन.आर.ए. का प्रमुख, केंद्रीय सचिव के स्तर का एक अधिकारी होगा और इसके शासी निकाय में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय/वित्तीय सेवा विभाग के साथ-साथ एस.एस.सी, आर.आर.बी. तथा आई.बी.पी.एस. के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- एन.आर.ए. एक आधुनिक संस्था होगी, जो केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षाओं में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रथाओं की नींव रखेगी।
- यह एजेंसी समूह 'ख' और 'ग' के गैर-तकनीकी तथा अराजपत्रित पदों के लिये उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने हेतु एक 'सामान्य पात्रता परीक्षा' (Common Eligibility Test– CET) का संचालन करेगी। यह परीक्षा 10वीं, 12वीं और स्नातक पास उम्मींदवारों के लिये अलग-अलग कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन माध्यम से सम्पन्न की जाएगी।
- एन.आर.ए. एक बहु-एजेंसी निकाय है, जो प्रारम्भ में कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्डों और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान की प्रथम स्तर की परीक्षा को सम्मिलित रूप से आयोजित करेगी। अन्य आयोगों और परीक्षाओं को भी बाद में इसके अंतर्गत लाया जा सकता है।
- सी.ई.टी. के अंक स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के लिये अंतिम चयन पृथक विशेषीकृत टियर (II, III इत्यादि) परीक्षा के माध्यम से किये जाएँगे, जिसे सम्बंधित भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा।

प्रत्येक ज़िले में परीक्षा अवसंरचना और परीक्षा केंद्र की स्थापना

- उम्मीदवारों की सुविधा के लिये देश के प्रत्येक ज़िले में परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएँगे। देश के 117 'आकांक्षी ज़िलों' में परीक्षा के बुनियादी ढाँचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- इस कदम से गरीब उम्मीदवारों को लाभ होगा, क्योंकि वर्तमान प्रणाली में उन्हें कई एजेंसियों द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं में उपस्थित होना पड़ता है, जिससे परीक्षा शुल्क, यात्रा, बोर्डिंग, लॉजिंग और अन्य चीजों पर खर्च करना पड़ता है। एकल परीक्षा से ऐसे उम्मीदवारों पर वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है।
- इससे दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले ग्रामीण उम्मीदवारों को भी परीक्षा देने के लिये प्रेरित किया जाएगा, जिससे केंद्र सरकार की नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।
- विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिला उम्मीदवारों को कई परीक्षाओं में शामिल होने में अड़चनों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दूर स्थित परीक्षा केंद्रों के लिये उन्हें परिवहन और रहने के स्थान की व्यवस्था करनी होती है। एन.आर.ए. के माध्यम से इन समस्याओं को कम किया जा सकता है।

सी.ई.टी. स्कोर की वैधता

- सी.ई.टी. का स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों के लिये वैध होगा और उस दौरान प्राप्त किये गए अंकों में से सबसे उच्चतम वैध स्कोर को उम्मीदवार का वर्तमान अंक माना जाएगा।

- प्रारम्भ में इस व्यवस्था को तीन केंद्रीय एजेंसियों द्वारा अपनाया जाएगा। हालाँकि, ऐसी उम्मीद है कि कुछ समय पश्चात केंद्र सरकार की अन्य भर्ती एजेंसियाँ भी इसे अपनाएँगी।
- यह स्कोर सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य एजेंसियों के साथ-साथ निजी डोमेन/एजेंसियों के लिये भी उपलब्ध रहेगा, यदि वे इसका चुनाव करती हैं।
- इस प्रकार, सी.ई.टी. स्कोर को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ निजी क्षेत्र में अन्य भर्ती एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है।
- इससे इन संगठनों की लागत और भर्ती में लगने वाले समय की बचत होगी।
- उम्मीदवारों को इस परीक्षा में भाग लेने के लिये अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। हालाँकि, इसके लिये ऊपरी आयु सीमा का निर्धारण किया जाएगा।
- साथ ही ऊपरी आयु सीमा में छूट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार दी जाएगी।

सी.ई.टी. परीक्षा का माध्यम

- यह परीक्षा एक सामान्य और मानक पाठ्यक्रम पर आधारित होगी, जो संविधान की 8वीं अनुसूची की प्रमुख 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी।
- इससे देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को परीक्षा देने में बहुत सुविधा होगी और उन्हें चयनित होने का एक समान अवसर मिलेगा। इसका आयोजन प्रतिवर्ष दो बार किया जाएगा।

लाभ

- वर्तमान में, उम्मीदवारों को कई भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित अलग-अलग परीक्षाओं के लिये उपस्थित होना पड़ता है, चाहे इन भर्तियों के लिये समान पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हों। इस व्यवस्था के माध्यम से परीक्षा की तैयारी और आवागमन में लगने वाले समय एवं खर्च में बचत होगी।
- केंद्र की सरकारी नौकरियों के लिये भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा। यह एक अग्रणी सुधार होगा। इससे ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और वंचित उम्मीदवारों द्वारा परीक्षाओं और सेवाओं तक पहुँच में आसानी होगी।
- साथ ही परीक्षाओं की बहुलता से भी छुटकारा प्राप्त होगा। कदाचार और भ्रष्टाचार की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिये आई.सी.टी. का मज़बूती से प्रयोग किया जाएगा।
- सी.ई.टी. भर्ती परीक्षाओं के चक्र को कम करने में सहायक होगी। एन.आर.ए. ग्रामीण युवाओं के लिये मॉक टेस्ट का भी आयोजन करेगा। इसके अतिरिक्त 24×7 हेल्पलाइन और शिकायत निवारण पोर्टल की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- कई भर्ती परीक्षाएँ उम्मीदवारों के साथ-साथ सम्बंधित भर्ती एजेंसियों पर एक बोझ हैं। एन.आर.ए. से खर्च के दोहराव, कानून और व्यवस्था/सुरक्षा से सम्बंधित मुद्दों और स्थान से सम्बंधित समस्याओं का भी समाधान होगा।
- विभागों ने टियर II या अन्य परीक्षण स्तर को खत्म करने और सी.ई.टी. स्कोर के आधार पर भर्ती प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने का संकेत दिया है।

निष्कर्ष

धीरे-धीरे केंद्र सरकार की सभी भर्ती एजेंसियों को एन.आर.ए. के तहत लाया जाएगा। एकल पात्रता परीक्षा भर्ती प्रक्रिया के चक्र को कम करते हुए इसकी गति को त्वरित करेगी। इसका अंतिम उद्देश्य एक ऐसे चरण तक पहुँचना है, जहाँ उम्मीदवार अपनी पसंद के केंद्रों पर स्वयं परीक्षा को निर्धारित कर सकें। वास्तव में, यह सभी उम्मीदवारों के लिये एक वरदान सिद्ध होगी।

जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण और संवैधानिक उपबंध

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के सभी सरकारी नौकरियों में "राज्य के बच्चों" के लिये आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के बाद से देश में समानता के मौलिक अधिकार से सम्बंधित चर्चा पुन: शुरू हो गई है।

समान व्यवहार के लिये संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provision for Equal Treatment)

- संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोज़गार के मामलों में सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार का आश्वासन देता है। यह अनुच्छेद राज्य को जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है।
- अनुच्छेद 16(1) में कहा गया है कि 'राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समानता होगी'।
- अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है कि "राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद या रोज़गार के सम्बंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद/भेदभाव किया जाएगा।" समानता का आश्वासन देने वाले संविधान के अन्य कई अनुच्छेद इसके पूरक हैं।
- हालाँकि, संविधान का अनुच्छेद 16(3) में कुछ अपवादों की बात की गई है और संसद किसी विशेष राज्य में नौकरियों के लिये निवास की आवश्यकता को निर्धारित कर सकती है।
- यह शक्ति केवल संसद में निहित है, न कि विधान सभाओं में।

अधिवास के आधार पर आरक्षण पर संवैधानिक प्रतिबंध क्यों?

- जब संविधान लागू हुआ तो भारत विभिन्न व्यक्तिगत रियासतों को मिलाकर एक राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ और इसके साथ ही सार्वभौमिक भारतीय नागरिकता के विचार को भी स्थापित किया गया।
- भारत में एकल नागरिकता है और यह नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता देती है।
- इसलिये किसी भी राज्य में सार्वजनिक रोज़गार देने के लिये जन्म स्थान या निवास स्थान की आवश्यकता योग्यता नहीं हो सकती है।

क्या जाति जैसे अन्य आधारों पर आरक्षण नहीं दिया गया है?

- संविधान में निहित समानता गणितीय समानता नहीं है और इसका मतलब यह नहीं है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेद के समान माना जाएगा। इसके लिये संविधान दो अलग-अलग पहलुओं को रेखांकित करता है जो भारतीय संविधान में प्रदत्त समानता को स्पष्ट करते हैं:
  1. समानता के बीच विभेद नहीं, और
  2. असमानता को खत्म करने के लिये सकारात्मक कदम

स्थानीय लोगों के लिये कोटा प्रणाली पर उच्चतम न्यायालय का फैसला

- उच्चतम न्यायालय पूर्व में जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर आरक्षण के खिलाफ फैसला सुना चुका है। वर्ष 1984 में डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ में "सन ऑफ द सॉयल (sons of the soil)" से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की गई थी।
- अदालत ने इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की थी कि इस तरह की नीतियाँ असंवैधानिक होंगी, लेकिन इस पर स्पष्ट रूप से कोई निर्णय नहीं दिया था क्योंकि यह मुद्दा समानता के अधिकार के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा हुआ था।

- वर्ष 1955 के डी.पी. जोशी बनाम मध्य भारत मामले में उच्चतम न्यायालय ने अधिवास या निवास स्थान तथा जन्म स्थान के बीच अंतर बताते हुए स्पष्ट किया था कि व्यक्ति का निवास स्थान बदलता रहता है लेकिन उसका जन्म स्थान निश्चित होता है। अधिवास का दर्जा जन्म स्थान के आधार पर दिया जाता है।
- सुनंदा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश (1995) में बाद के एक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1984 में राज्य सरकार की एक नीति, जिसमें उम्मीदवारों को 5% अतिरिक्त भारांक दिया गया था, को रद्द करने का निर्णय दिया था।
- वर्ष 2002 में उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान में सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य करार दिया था, जिसमें राज्य चयन बोर्ड द्वारा "सम्बंधित जिले या जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों" को वरीयता दी गई थी। वर्ष 2019 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एक भर्ती अधि सूचना पर भी टिप्पणी करते हुए उसे अमान्य बताया, जिसमें उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये प्राथमिकता निर्धारित की गई थी।

निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिये नौकरियों के संदर्भ में

- यदि इस तरह की अनुमति मिलती है तो भी इस तरह के कानून को लागू करना मुश्किल होगा।
- निजी नियोक्ता पहले से अधिसूचित रिक्तियों को भरने के लिये वार्षिक रूप से भर्तियाँ नहीं निकालते, बल्कि जब आवश्यकता होती है तब इस तरह की रोज़गार भर्तियों की सूचना निकालते हैं।
- राज्य स्थानीय लोगों को वरीयता दे सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना कि इसका पालन यथोचित तरीके से हो, मुश्किल लगता है।
- वर्ष 2017 में कर्नाटक ने इसी तरह के कानून को लाने की कोशिश की थी, लेकिन राज्य के महाधिवक्ता द्वारा इसकी वैधता पर सवाल उठाए जाने के बाद इसे हटा दिया गया था।
- वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने एक और अधिसूचना जारी की थी, जिसमें निजी नियोक्ताओं को ब्लू-कॉलर नौकरियों (लिपिक और कारखाने के कर्मचारियों) के लिये कन्नड़ लोगों को चुनने के लिये कहा गया था।

कुछ राज्यों में स्थानीय लोगों के लिये नौकरियों को आरक्षित करने वाले कानून कैसे हैं?

- अनुच्छेद 16(3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संसद ने सार्वजनिक रोज़गार (निवास के रूप में आवश्यकता) अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम द्वारा राज्यों में सभी मौजूदा निवास आवश्यकताओं को समाप्त करने की बात की गई और केवल आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में अपवादों के रूप में इसे लागू करने की बात की गई।
- संवैधानिक रूप से, कुछ राज्यों में अनुच्छेद 371 के तहत विशेष उपबंध भी किये गए हैं। धारा 371(क) के तहत आंध्र प्रदेश के पास निर्दिष्ट क्षेत्रों में "स्थानीय कैडर की सीधी भर्ती" करने की शक्ति है।
- बहुत से राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में ही राज्य कार्य की प्रमुखता देते हैं, अत: स्थानीय भाषा का ज्ञान ज़रूरी हो जाता है और इससे एक बात यह भी तय होती है कि इन क्षेत्रों/राज्यों में नौकरियों के लिये स्थानीय नागरिक पहली पसंद होते हैं। उदाहरण के लिये महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में रोज़गार के लिये भाषा परीक्षण की आवश्यकता होती है।

आगे की राह

- राज्य में पैदा हुए उम्मीदवारों को आरक्षण देने का निर्णय संवैधानिक समानता और बंधुत्व की भावना के खिलाफ है। इन मामलों में निर्णय अक्सर राजनीति से प्रेरित होते हैं, जिन्हें न्यायपालिका द्वारा प्राय: पलट भी दिया जाता है।
- सभी राज्य सरकारों या केंद्र सरकार को किसी भी योजना या उपबंध को लागू करते समय संविधान की मूल भावना का ध्यान रखना चाहिये।

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन

चर्चा में क्यों?

15 अगस्त, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के सम्बोधन में कहा गया कि देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य पहचान पत्र उपलब्ध कराने हेतु एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है।

पृष्ठभूमि

- प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा से पहले ही नीति आयोग द्वारा इस विषय पर कार्य आरम्भ कर दिया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी के निर्माण की परिकल्पना की गई थी, जिसका उद्देश्य समन्वित स्वास्थ्य सूचना प्रणाली का विकास करना था ताकि सभी हितधारकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।
- इस प्रकार नीति आयोग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य विविधता में प्रत्येक भागीदार उपयोगकर्त्ता के लिये विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करने हेतु एक केंद्रीकृत प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव रखा था।

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन

- इसे एक पायलट परियोजना के रूप में देश के 6 केंद्रशासित प्रदेशों में आरम्भ किया जाएगा।
- इस मिशन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सही चिकित्सक खोजने, उनसे मिलने का समय लेने, चिकित्सक परामर्श शुल्क का भुगतान करने तथा अस्पतालों के बेवजह चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाना है।
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के 6 आधारभूत स्तम्भ हैं, जिनमें स्वास्थ्य पहचान पत्र, डिजी-डॉक्टर, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स और टेलीमेडिसिन आदि शामिल हैं।
- यह मिशन पूरी तरह से प्रौद्योगिकी आधारित है, जो भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता रखता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहचान पत्र

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहचान पत्र में प्रत्येक भारतीय नागरिक के स्वास्थ्य सम्बंधी सूचनाओं का भंडार होगा, साथ ही सूचनाओं का यह भंडार तंत्र एक रिपॉजिटरी के रूप में भी कार्य करेगा। इसमें डॉक्टर के चुनाव करने, दवाई निर्धारण करने, चिकित्सा परीक्षणों, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा से सम्बंधित किसी भी व्यक्ति के बारे में स्वास्थ्य प्रोफाइल का डाटा विस्तार से उपलब्ध होगा।
- मिशन के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक स्वास्थ्य पहचान पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें उसकी स्वास्थ्य पृष्ठभूमि, उपचार और परीक्षण सम्बंधी प्रासंगिक जानकारी होगी।
- रोगी अपनी इच्छानुसार स्वास्थ्य पृष्ठभूमि का रिकॉर्ड रख सकता है, जिसके लिये उसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहचान पत्र सृजित करना होगा।
- प्रत्येक स्वास्थ्य पहचान पत्र को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य डाटा सहमति प्रबंधक से जोड़ा जाएगा, जिसका उपयोग रोगी की सहमति प्राप्त करने में एवं स्वास्थ्य सूचना के अबाध प्रवाह को सुनिश्चित करने में किया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहचान पत्र किसी व्यक्ति के मोबाइल नम्बर और आधार नम्बर के माध्यम से सृजित किया जा सकता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority — NHA)

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के डिजाइन एवं कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

- स्वास्थ्य डाटा विश्लेषकों और और चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा। हालाँकि स्वास्थ्य पहचान पत्र की स्वीकृति और डॉक्टर की स्वीकृति सरकारी संस्था के पास ही रहेगी। अतिरिक्त रिकॉर्ड जैसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड तथा इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड को निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किया जा सकता है।

मिशन के लाभ

- यह मिशन विभिन्न हितधारकों, जैसे– डॉक्टरों, अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के मध्य मौजूदा अंतर को कम करके उन्हें एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य आधारभूत ढाँचे के साथ जोड़ने का कार्य करेगा।
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन एक समग्र स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जिसमें स्वास्थ्य पहचान-पत्र लेने का विकल्प होगा। अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य पहचान पत्र प्राप्त नहीं करता है, तब भी उसे स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई जाएगी।
- डिजिटल अवसंरचना के निर्माण से उपयोगकर्ताओं द्वारा अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स की जानकारी किसी भी समय प्राप्त की जा सकती है। साथ ही इन रिकार्ड्स के माध्यम से साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में सहायता प्राप्त होती है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रतिबद्धताओं को तीव्र गति से पूरा करने में सक्षम है।
- ई-फार्मेसी और टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देने के प्रावधान से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित हो सकती है।

मिशन की चुनौतियाँ

- स्वास्थ्य क्षेत्र में अपर्याप्त मानव संसाधनों और आधारभूत ढाँचे के कारण केवल डिजिटलीकरण किया जाना एक विकल्प के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।
- योजना की उपयोगिता की सफलता हेतु डिजिटल जागरूकता आम लोगों के समक्ष एक व्यापक चुनौती है।
- भारत में अभी तक सभी लोगों तक स्मार्टफोन की पहुँच सुनिश्चित नहीं है, इसलिये स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण से एक नई विषमता का जन्म होगा, जिससे आम लोगों की समस्याएँ बढ़ने की सम्भावनाएँ हैं।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो देश के नागरिकों को सस्ती और सुरक्षित सेवाएँ प्रदान करेगा।

एस.सी. व एस.टी. जातियों का उप-वर्गीकरण तथा सम्बंधित मामले

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय ने आरक्षण के लिये 'अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों' की केंद्रीय सूची के उप-वर्गीकरण पर कानूनी बहस को पुनः जन्म दे दिया है।

पृष्ठभूमि

उच्चतम न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने कहा है कि राज्यों द्वारा अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) की केंद्रीय सूची को 'दुर्बल में दुर्बलतम लोगों' को तरज़ीह देने के लिये उप-वर्गीकृत किया जा सकता है। हालाँकि अंतिम निर्णय लेने के लिये यह मामला एक बड़ी पीठ को सौंप दिया गया। यह फैसला संविधान पीठ के 'पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवा में आरक्षण) अधिनियम, 2006' की एक धारा से सम्बंधित 'विधि के प्रश्न' पर आधारित है। यह कानूनी प्रावधान पंजाब राज्य में अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित सीटों का 50% वाल्मीकि और मज़हबी सिखों को आवंटित करने की अनुमति देता है।

ई.वी. चिन्नैया मामला

- वर्ष 2000 में आंध्र प्रदेश ने कुछ एस.सी. जातियों को उप-समूह में पुनर्गठित करते हुए एस.सी. कोटे को उप-विभाजित करने वाला एक कानून पारित किया।
- हालाँकि बाद में उच्चतम न्यायालय ने 'ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश व अन्य' के फैसले में इस कानून को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि राज्यों को 'अनुसूचित जाति के वर्ग के भीतर एक उपवर्ग' बनाने की एकतरफा अनुमति देना राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित सूची में छेड़छाड़ करने जैसा है।
- राज्यों को एस.सी. और एस.टी. जातियों की पहचान करने वाली राष्ट्रपति सूची के साथ छेड़छाड़ या उसमें फेरबदल करने की शक्ति नहीं है। संविधान सभी अनुसूचित जातियों को एक 'एकल सजातीय समूह' मानता है।
- पाँच सदस्यीय वर्तमान पीठ ने ई.वी. चिन्नैया मामले में पूर्व के पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिये गए फैसले के विपरीत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। समान संख्या की दो पीठों द्वारा विपरीत दृष्टिकोण रखने के कारण इस मुद्दे को सात-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया गया है।
- उल्लेखनीय है कि समान शक्ति (संख्या) वाली कोई पीठ पिछले फैसले को रद्द नहीं कर सकती है।

संवैधानिक प्रावधान

- SC और ST की केंद्रीय सूची संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जाती है।
- इस सूची में शामिल जातियों को बाहर करने या अन्य जातियों को शामिल करने के लिये संसद की सहमति आवश्यक है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि राज्य एकतरफा इस सूची में जातियों को न तो जोड़ सकते हैं और न ही बाहर निकाल सकते हैं।

राष्ट्रपति सूची

- संविधान में SC और ST को समानता प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष उपबंध किया गया है, परंतु मूल संविधान ऐसी जातियों और जनजातियों की पहचान नहीं करता है, जिन्हें SC और ST कहा जाए। यह शक्ति केंद्रीय कार्यकारी- राष्ट्रपति के पास है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2018-19 में देश में 1,263 अनुसूचित जातियाँ थीं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

उप-वर्गीकरण के पक्ष में तर्क और जाति संघर्ष

- राज्यों का तर्क है कि समान रूप में आरक्षण प्राप्त होने के बावजूद अनुसूचित जातियों में कुछ ऐसी जातियाँ हैं, जिनका प्रतिनिधित्व सकल रूप से अन्य अनुसूचित जातियों की तुलना में कम हैं। अनुसूचित जातियों के भीतर इस असमानता को कई रिपोर्टों में रेखांकित किया गया है और इसके लिये कुछ राज्यों द्वारा विशेष कोटा भी तैयार किया गया है।
- उदाहरण के लिये आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार में सर्वाधिक कमज़ोर दलितों के लिये विशेष कोटे का प्रावधान किया गया। वर्ष 2007 में बिहार ने अनुसूचित जाति के भीतर पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिये 'महादलित आयोग' का गठन किया।
- तमिलनाडु की कुल एस.सी. जनसंख्या में अरुंधतियार जाति 16% हैं, जबकि नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व केवल एक-तिहाई के आस-पास था। इनके लिये एस.सी. कोटा के भीतर ही 3% का कोटा प्रदान किया गया।
- इसके अलावा क्रीमी लेयर की अवधारणा का भी उदाहरण लिया जा सकता है। अदालत ने वर्ष 2018 में SCs के भीतर क्रीमी लेयर की अवधारणा को जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता के फैसले में सही ठहराया। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 के फैसले की समीक्षा की मांग की है और मामला फिलहाल लम्बित है।

- क्रीमी लेयर की अवधारणा आरक्षण के लिये पात्र लोगों पर आय की अधिकतम सीमा लगाती है। यद्यपि यह अवधारणा अन्य पिछड़ी जातियों पर लागू होती है, परंतु वर्ष 2018 में पहली बार अनुसूचित जातियों की पदोन्नति के मामले में इसे लागू किया गया था।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आरक्षण ने आरक्षित जातियों के भीतर ही असमानताएँ पैदा कर दी हैं। आरक्षित वर्ग के भीतर एक 'जाति संघर्ष' है क्योंकि आरक्षण का लाभ कुछ ही लोगों द्वारा लिया जा रहा है।
- राज्य को पर्याप्त उपाय करने के लिये विभिन्न वर्गों के बीच गुणात्मक और मात्रात्मक अंतर करने की शक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुसूचित जातियों के बराबर प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है।
- राज्यों ने तर्क दिया है कि वर्गीकरण एक निश्चित कारण से किया जाता है और यह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।

उप-वर्गीकरण के विरोध में तर्क

- इसमें तर्क दिया जाता है कि शैक्षिक पिछड़ेपन के परीक्षण की आवश्यकता को SC और ST पर लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि अस्पृश्यता से पीड़ित होने के कारण संविधान में उनके लिये विशेष उपबंध किया गया है, अत: इस सूची का उप-वर्गीकरण नहीं किया जाना चाहिये।
- ई.वी. चिन्नैया मामले में न्यायालय ने कहा कि सभी अनुसूचित जातियों में सामूहिक असमानता की परवाह किये बिना आरक्षण के लाभों को सामूहिक रूप प्रदान किया जाना चाहिये क्योंकि इनका संरक्षण शैक्षिक, आर्थिक या अन्य ऐसे कारकों पर नहीं बल्कि अस्पृश्यता पर आधारित है।
- इसका समर्थन करते हुए वर्ष 1976 के 'केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस' मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 'अनुसूचित जातियाँ' जाति नहीं बल्कि 'वर्ग' है।

उच्चतम न्यायालय का वर्तमान दृष्टिकोण

- न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति/केंद्रीय सूची के भीतर उप-वर्गीकरण करना इसमें 'फेरबदल' करने जैसा नहीं है क्योंकि इसके द्वारा किसी भी जाति को सूची से बाहर नहीं किया जा रहा है। राज्य केवल सांख्यिकीय आँकड़ों के आधार पर व्यावहारिक रूप से सबसे कमज़ोर समूहों को वरीयता दे सकते हैं।
- आरक्षण के लाभ का वितरण सुनिश्चित करने के लिये अधिक पिछड़ों को तरजीह देना भी समानता के अधिकार का एक पहलू है।
- जब आरक्षण स्वयं आरक्षित जातियों के भीतर असमानता पैदा करता है तो इनका उप-वर्गीकरण करके राज्य द्वारा इस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, जिससे राज्य की नीतियों का लाभ सभी को मिल सके और सभी को समान न्याय प्रदान किया जा सके।

निष्कर्ष

- सवाल है कि लाभ को निचले पायदान तक केसे पहुँचाया जाए। यह स्पष्ट है कि जाति, व्यवसाय और गरीबी आपस में जुड़ी हुई है। इसके अलावा अदालत द्वारा जरनैल सिंह पर सुनाया गया फैसला इस तथ्य पर बल देता है कि इन जातियों के बीच भी सामाजिक असमानताएँ मौजूद हैं।
- यह निर्णय महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये क्रीमी लेयर अवधारणा का विस्तार करने का पूरी तरह से समर्थन करता है।
- नागरिकों को सदा के लिये सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं माना जा सकता है और आरक्षण का लाभ पाकर आगे बढ़ चुके लोगों और समूहों को क्रीमी लेयर की तरह बाहर रखा जाना चाहिये।
- सामाजिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखे बिना सामाजिक परिवर्तन और समता का संवैधानिक लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

जम्मू और कश्मीर में प्रशासन हेतु नए नियम

हाल ही में गृह मंत्रालय (MHA) ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में प्रशासन के लिये नए नियमों की अधिसूचना जारी की है। इन नियमों द्वारा उपराज्यपाल (Lieutenant Governor– LG) तथा मंत्रिपरिषद को कार्य संचालन के लिये विभिन्न निर्देश दिये गए हैं। इन नियमों को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत अधिसूचित किया गया है।

पृष्ठभूमि

- 6 अगस्त, 2019 को भारत की संसद द्वारा जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया गया था एवं संविधान के अनुच्छेद 370 को संशोधित कर राज्य को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख, दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया था।
- इस कदम के बाद कई नागरिक समूहों ने विरोध जताया था और जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली की मांग की थी।
- उच्चतम न्यायालय में एक याचिका भी दाखिल की गई थी,जिसमें धारा 370 में हुए फेरबदल की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी।
- जम्मू-कश्मीर में इस बड़े राजनैतिक, प्रशासनिक बदलाव के बाद हाल ही में पाकिस्तान ने अपना एक नया राजनीतिक मानचित्र भी जारी किया था, जिसमें पाकिस्तान ने जमू-कश्मीर, लद्दाख, सर क्रीक और जूनागढ़ को अपना हिस्सा बताया था।
- चीन ने भारत के इस कदम को अवैध ठहराते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में इस मुद्दे को उठाया था।
- ध्यातव्य है कि जम्मू-कश्मीर में जून, 2018 से कोई मुख्यमंत्री नहीं है एवं जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेशों में परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अगले वर्ष नए चुनाव कराए जाएँगे।

नए नियम-एक नज़र

उपराज्यपाल की भूमिका एवं शक्तियाँ

- उपराज्यपाल का केंद्रशासित प्रदेश की पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाओं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) पर सीधा नियंत्रण रहेगा अर्थात यदि वहाँ चुनाव होते हैं और मुख्यमंत्री चुने जाते हैं तो मुख्यमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद का उपराज्यपाल के कार्य में किसी भी प्रकार का कोई दखल नहीं होगा।
- ऐसे सभी प्रस्ताव या मामले मुख्यमंत्री को सूचित करते हुए मुख्य सचिव के माध्यम से अनिवार्यत: उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे, जिनसे केंद्रशासित प्रदेश की शांति-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है या वे किसी अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के हितों को प्रभावित करते होंगे या करते हुए प्रतीत होंगे।
- यदि उपराज्यपाल तथा किसी मंत्री के बीच किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है और यदि एक महीने के बाद भी वे लोग किसी समझौते पर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो 'उपराज्यपाल के फैसले को मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत' माना जाएगा।

राष्ट्रपति की भूमिका

- यदि किसी मामले में उपराज्यपाल तथा परिषद के बीच मतभेद होता है तो सम्बंधित मामले को उपराज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के निर्णय के लिये केंद्र के पास भेजा जाएगा, तदोपरांत उपराज्यपाल राष्ट्रपति के निर्णयानुसार कार्य करेगा।

- ऐसी स्थिति में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को दिशा-निर्देश जारी करने के सभी अधिकार दिये गए हैं तथा मंत्रिपरिषद द्वारा की गई कार्रवाई भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्बंधित मामलों पर निर्णय लेने तक निलम्बित रहेगी।

मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की भूमिका

- मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद अखिल भारतीय सेवा के अलावा अन्य सेवाओं (राज्य स्तर) के अधिकारियों के सेवा मामलों, नए कर लगाने सम्बंधी प्रस्ताव, सरकारी सम्पत्ति की बिक्री, भूमि राजस्व, अनुदान अथवा पट्टे, विभागों और कार्यालयों के पुनर्गठन तथा कानूनों के मसौदों से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेगी।
- ऐसा कोई भी मामला जो केंद्रशासित प्रदेश की सरकार तथा किसी अन्य राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के साथ विवाद उत्पन्न कर सकता है, उसे अति शीघ्र सम्बंधित सचिव द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा।

केंद्र सरकार की भूमिका

- नए नियमों के अनुसार, उपराज्यपाल द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावों के सम्बंध में केंद्र सरकार को पहले से सूचित किया जाएगा:
- किसी अन्य राज्य, भारत के उच्चतम न्यायालय अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय के साथ केंद्र के सम्बंधों को प्रभावित करने वाले सभी प्रस्ताव;
- मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति से जुड़े प्रस्ताव;
- ऐसे मामले जिनसे प्रदेश की शांति-व्यवस्था के भंग अथवा प्रभावित होने की सम्भावना हो; तथा
- ऐसे मामले जिनसे किसी अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्गों के हितों के प्रभावित होने की सम्भावना हो।

नए नियमों के निहितार्थ

- जब जम्मू-कश्मीर को एक राज्य के रूप में विशेष दर्जा प्राप्त था, तब यहाँ के मुख्यमंत्री को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था।
- अब नए नियमों द्वारा मुख्यमंत्री को मात्र एक अलंकारिक पद बना दिया गया है। इन नियमों के लागू हो जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के पास राज्य पुलिस के एक कांस्टेबल को स्थानांतरित करने की शक्ति भी नहीं होगी।

आगे की राह

- अनुच्छेद 370 में संशोधन और विशेष राज्य का दर्जा लिये जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में सेना द्वारा ही शांति-व्यवस्था और प्रशासन की देख-रेख की जा रही थी, अब नए नियमों के आने के बाद यहाँ गैर-सैन्य प्रशासन की राह खुली है।
- प्रदेश के बहुत-से क्षेत्रों में नए नियमों को लेकर रोष देखा जा सकता है लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि जम्मू-कश्मीर के हालात अभी तक सुधरे नहीं हैं, इसलिये वहाँ प्रशासन के मज़बूत होने से शांति व्यवस्था बहाली में कठिनाई नहीं आएगी।
- लोकतांत्रिक संघीय ढाँचे में राज्यों को भी स्वायत्तता प्राप्त होती है, लेकिन कई कानूनविदों का कहना है कि वर्तमान नियम संघीय ढाँचे के खिलाफ हैं और मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद को भी पर्याप्त स्वायत्तता एवं अधिकार मिलने चाहिये।
- ऐसा हो सकता है कि भविष्य में केंद्र सरकार यहाँ के मुख्यमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद को और अधिकार प्रदान करे लेकिन शायद केंद्र सरकार उससे पहले क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना चाह रही है।

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और जासूसी रोधी कानून

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पुलिस ने रणनीतिक मामलों के विश्लेषक एक भारतीय पत्रकार सहित दो लोगों को 'आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम' (Official Secrets Act- ओ.एस.ए.) के तहत गिरफ्तार किया।

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम

- 'आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम' मूलत: ब्रिटिश औपनिवेशिक युग का है। इसका मूल संस्करण 'भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (अधिनियम XIV), 1889' था।
- यह अधिनियम ब्रिटिश राज की नीतियों का विरोध कर रहे कई भाषाओं के समाचार-पत्रों की आवाज को दबाने के उद्देश्य से लाया गया था। साथ ही राजनीतिक चेतना का निर्माण करने वाले और पुलिस की कार्रवाई व जेल का विरोध करने वालों के लिये भी इस कानून को लाया गया था।
- वाइसराय लॉर्ड कर्ज़न के समय इसमें संशोधन करके आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1904 के रूप में इसको और अधिक कठोर बना दिया गया।
- वर्ष 1923 में इसका एक नया संस्करण अधिसूचित किया गया और इसके द्वारा भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (1923 का अधिनियम सं. XIX) को देश के शासन में गोपनीयता और विश्वसनीयता के सभी मामलों तक विस्तारित कर दिया गया।
- मोटे तौर पर यह अधिनियम दो पक्षों से सम्बंधित है। जासूसी या गुप्तचर व्यवस्था को धारा 3 के अंतर्गत और सरकार की अन्य गुप्त जानकारी के प्रकटीकरण को धारा 5 के अंतर्गत रखा गया है।
- गुप्त जानकारी कोई भी आधिकारिक कोड, पासवर्ड, स्केच, योजना, मॉडल, लेख, नोट, दस्तावेज़ या सूचना हो सकती है।
- धारा 5 के तहत इस प्रकार की गुप्त सूचना का संचार करने वाले व्यक्ति और उस सूचना को प्राप्त करने वाले व्यक्ति दोनों को दंडित किया जा सकता है।
- किसी दस्तावेज़ को वर्गीकृत करने के लिये कोई भी सरकारी मंत्रालय या विभाग, विभागीय सुरक्षा निर्देश,1994 के मैनुअल का पालन करता है, न कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का।
- इसके अलावा ओ.एस.ए. स्वयं यह नहीं बताता कि कौन-सी दस्तावेज़ 'गुप्त' श्रेणी में आती हैं और कौन नहीं। ओ.एस.ए. कानून के तहत 'गुप्त' दस्तावेज़ के दायरे में क्या आता है, यह तय करना सरकार का विवेकाधिकार है। अक्सर तर्क दिया जाता है कि यह कानून 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' के साथ सीधे तौर पर टकराता है।

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम बनाम सूचना का अधिकार अधिनियम

- आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 22 ओ.एस.ए. सहित अन्य कानूनों के समकक्ष प्रावधानों के मामलों में अपने (आर.टी.आई.) प्रावधानों को प्रधानता प्रदान करती है।
- यह आर.टी.आई. अधिनियम को एक अधिभावी प्रभाव (Overriding Effect) प्रदान करता है, इसलिये यदि किसी सूचना को प्रस्तुत करने के सम्बंध में ओ.एस.ए. में कोई असंगति है तो आर.टी.आई. अधिनियम को इस पर प्रभावी माना जाता है। हालाँकि आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत सरकार जानकारी देने से इनकार कर सकती है।
- प्रभावी रूप से यदि सरकार ओ.एस.ए. के तहत किसी दस्तावेज़ को 'गुप्त' के रूप में वर्गीकृत करती है तो उस दस्तावेज़ को आर.टी.आई. अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जा सकता है और सरकार धारा 8 या 9 को लागू कर सकती है। कानूनी विशेषज्ञ इसे खामियों के रूप में देखते हैं।

ओ.एस.ए. के प्रावधानों को बदलने का प्रयास

- ओ.एस.ए. के सम्बंध में अवलोकन करने वाला पहला सरकारी निकाय विधि आयोग पहली बार वर्ष 1971 में बना। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट 'राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ अपराध' नाम से प्रस्तुत की।
- इस रिपोर्ट में कहा गया कि यदि किसी परिपत्र को 'गुप्त' या 'गोपनीय' के रूप में चिन्हित और वर्गीकृत किया गया है तो केवल इसी आधार पर उसे इस अधिनियम के प्रावधानों के दायरे में नहीं लाना चाहिये। यदि उसका प्रकाशन जनता तथा राज्य के हित में है तो उसका प्रकाशन किया जा सकता है। हालाँकि विधि आयोग ने अधिनियम में किसी भी बदलाव की सिफारिश नहीं की।
- वर्ष 2006 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) ने सिफारिश की कि ओ.एस.ए. को निरस्त किया जाए और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में एक अध्याय के रूप में इसके प्रावधानों को शामिल किया जाए।
- ओ.एस.ए. को 'एक लोकतांत्रिक समाज में पारदर्शिता के शासन के साथ असंगत' होने के कारण प्रशासनिक सुधार आयोग ने वर्ष 1971 के विधि आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया था, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बंधित सभी कानूनों को एकसाथ लाने के लिये एक 'अम्ब्रेला अधिनियम' पारित किये जाने की बात कही थी।
- वर्ष 2015 में सरकार ने आर.टी.आई. अधिनियम के प्रकाश में ओ.एस.ए. के प्रावधानों का निरीक्षण करने के लिये एक समिति का गठन किया था, जिसने ओ.एस.ए. को अधिक पारदर्शी और आर.टी.आई. अधिनियम के अनुरूप बनाने की अनुशंसा की थी।

ओ.एस.ए. से सम्बंधित कुछ प्रमुख उदाहरण

- ओ.एस.ए. से जुड़े सबसे पुराने और सबसे लम्बे आपराधिक परीक्षणों में से एक वर्ष 1985 का कोमार नारायण जासूसी मामला है।
- इसरो जासूसी एक अन्य उच्चस्तरीय मामला था, जिसमें वैज्ञानिक एस. नंबी नारायण पर पाकिस्तान को अवैध तरीके से रॉकेट और क्रायोजेनिक तकनीक से जुड़ी जानकारी लीक करने का आरोप था। हालाँकि बाद में उन्हें बरी कर दिया गया था।
- ओ.एस.ए. के तहत सबसे नवीनतम मामले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में सेवारत एक पूर्व राजनयिक माधुरी गुप्ता को आई.एस.आई. को संवेदनशील जानकारी देने का दोषी पाया गया था।

आवास का अधिकार

हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में रेलवे पटरियों के किनारे स्थित लगभग 48,000 झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया।

- उच्चतम न्यायालय के इस आदेश पर कई तरह के कानूनी सवाल उठ रहे हैं:

1. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन

- उच्चतम न्यायालय का यह आदेश प्राकृतिक न्याय और उचित प्रक्रिया के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice and due Process) का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह प्रभावित पक्ष अर्थात झुग्गी निवासियों की बात सुने बिना दिया गया था।
- यह आदेश लम्बे समय से चल रहे रेलवे पटरियों के किनारे कचरे के ढेर से जुड़े मामले में दिया गया है।
- हालाँकि इस मामले और रिपोर्ट में अनौपचारिक बस्तियों की वैधता से जुड़ी कोई बात नहीं की गई।
- जानकारों का कहना है कि इस मामले में न्यायालय ने कचरे के ढेर और झुग्गियों के बीच एक असम्बद्ध सम्बंध बताते हुए झुग्गियों को इस कचरे के लिये ज़िम्मेदार घोषित किया।

2. आजीविका के अधिकार की अनदेखी करना

- इस आदेश में न्यायालय ने आजीविका के अधिकार पर अपने लम्बे समय से चले आ रहे न्यायशास्त्र की स्वत: अनदेखी की।
- फुटपाथ पर रहने वाले लोगों से जुड़े एक ऐतिहासिक मामले ओल्गा टेलिस एवं अन्य बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एवं अन्य (1985) (Olga Tellis - Ors vs. Bombay Municipal Corporation & Ors.)में अपना निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि जीवन जीने के अधिकार में 'आजीविका का अधिकार' भी शामिल है।
- इसके अलावा चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1995) (Chameli Singh vs. the State Of U.P.) वाद में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(e) के तहत कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता के घटक के रूप में 'आश्रय के अधिकार' को मान्यता दी थी।
- सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वह गरीबों को आवास मुहैया कराए। न्यायालय ने कहा कि आवास का अधिकार केवल जीवन का संरक्षण ही नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं धार्मिक विकास के लिये ज़रूरी भी है।
- आवास सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ होना चाहिये। न्यायालय ने कहा, दलित और आदिवासियों को देश की मुख्यधारा में शामिल करने के लिये आवश्यक है कि राज्य उन्हें आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराए।

3. नीतियों और केस कानूनों पर विचार करने में विफलता

- दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि इस प्रकार के किसी भी निष्कासन से पहले एक सर्वेक्षण किया जाना ज़रूरी है।
- इस निर्णय में निर्धारित प्रक्रिया ने दिल्ली स्लम और जेजे पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2015 (Delhi Slum and JJ Rehabilitation and Relocation Policy, 2015) को आधार बनाया।
- अजय माकन व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य (2019) (Ajay Maken - Ors. vs Union Of India & Ors) वाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने झुग्गी निवासियों के आवास अधिकारों को बनाए रखने के लिये 'शहर के अधिकार' के विचार को लागू करने की बात की थी।
- इस मामले ने 2015 की नीति के लिये एक मसौदा प्रोटोकॉल तैयार करने की नींव रखी थी, जिसमें यह बात की गई थी कि क्षेत्र के निवासियों के साथ किस प्रकार सार्थक रूप से जुड़ना चाहिये।

निष्कर्ष

- संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसके विभिन्न निकायों ने आवास के अधिकार को बुनियादी मानवाधिकार के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। संयुक्त राष्ट्र समिति ने यह भी बात स्पष्ट की थी कि इस अधिकार की विस्तृत व्याख्या करते समय या इससे जुड़े किसी वाद पर निर्णय देते समय न्यायाधीश/सरकार/प्रशासक के मन में संकीर्णता का भाव नहीं होना चाहिये अर्थात् इसे मात्र चार दीवारों और एक छत के अधिकार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये।
- भारत ने पर्याप्त आवास के अधिकार से जुड़े विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं, लेकिन इसके बावजूद देश में सभी नागरिकों को एक आवास मात्र (पर्याप्त आवास नहीं) भी उपलब्ध करा पाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है।
- पर्याप्त आवास के अधिकार की उपेक्षा सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जा सकती है, जहाँ भौतिक ढाँचागत सुविधाओं के साथ सामाजिक ढाँचागत सुविधाएँ, जैसे- स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि उपलब्ध कराना भी एक बड़ी चुनौती है।
- न्यायालयों को झुग्गी बस्ती के लोगों और अतिक्रमण से प्रभावित लोगों के बीच संतुलन बनाने की ज़रूरत है।

विधायिका के विशेषाधिकार का उल्लंघन

हाल ही में एक समाचार चैनल के प्रधान सम्पादक एवं अभिनेत्री के खिलाफ महाराष्ट्र विधान सभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है।

विधायिका के विशेषाधिकारों की सुरक्षा के लिये प्रावधान (Provisions to protect the privileges of the legislature)

- भारतीय संसद और उसके सदस्यों व समितियों की किसी भी सदन में शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा संविधान के अनुच्छेद 105 में दिये गए हैं।
- अनुच्छेद 194 राज्य विधान सभाओं, उनके सदस्यों और उनकी समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षा से सम्बंधित है।
- संसदीय विशेषाधिकार विधायिकाओं द्वारा प्राप्त उन्मुक्ति को संदर्भित करता है, जिसमें विधायकों को उनके विधायी कर्त्तव्यों के दौरान किये गए कार्यों या बयानों के लिये नागरिक या आपराधिक दायित्व के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाती है।

विशेषाधिकारों का उल्लंघन क्या है? (What constitutes breach of privileges?)

- यद्यपि संविधान ने सदनों की गरिमा और अधिकार बनाए रखने के लिये सांसदों और विधायकों को विशेषाधिकार और शक्तियाँ प्रदान किये हैं,लेकिन इन शक्तियों और विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध नहीं किया गया है।
- इस प्रकार यह तय करने के लिये कोई स्पष्ट अधिसूचित नियम नहीं है कि विशेषाधिकार का उल्लंघन क्या होता है और इसके लिये क्या सज़ा दी जा सकती है या दी जानी चाहिये।
- कोई भी कार्य जो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन को उसके कार्यों को करने से रोकता है या जो सदन के किसी सदस्य या अधिकारी को उसके कर्त्तव्य के निर्वहन करने में बाधा उत्पन्न करता है या ऐसी प्रवृत्ति हो जिससे कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सदन की भावना के खिलाफ परिणाम प्राप्त हो, विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है।
- यदि सदन या उसकी समितियों के चरित्र या कार्यवाही या सदन के किसी सदस्य पर या उसके चरित्र या आचरण से सम्बंधित किसी परिवाद को प्रकाशित किया जाता है तो यह सदन की अवमानना मानी जाती है और यह विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है।

कथित उल्लंघन के मामलों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया (Procedure followed in cases of an alleged breach)

- विधान सभा अध्यक्ष या विधान परिषद अध्यक्ष एक विशेषाधिकार समिति का गठन करते हैं, जिसमें यदि विधान सभा है तो 15 सदस्य होते हैं और विधान परिषद है तो 11 सदस्य होते हैं।
- समिति के सदस्य जिनके पास अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ हैं, उन्हें सदनों में पार्टी की ताकत के आधार पर नामित किया जाता है।
- विधान सभा अध्यक्ष या विधान परिषद अध्यक्ष सबसे पहले प्रस्ताव पर निर्णय लेते हैं।
- यदि विशेषाधिकार और अवमानना को प्रथम दृष्टया सही पाया जाता है तो अध्यक्ष उचित प्रक्रिया का पालन करके इसे विशेषाधिकार समिति को भेज देंगे।
- वर्तमान में राज्य विधान सभा के किसी भी सदन में विशेषाधिकार समिति नहीं है।
- समिति सभी सम्बंधित व्यक्तियों/समूह/पार्टियों से स्पष्टीकरण मांगेगी, तत्पश्चात जाँच करेगी और राज्य विधायिका को अपने निष्कर्षों के आधार पर सिफारिशें देगी।

इसके लिये क्या सज़ा है?

- यदि समिति अपराधी को विशेषाधिकार के उल्लंघन और अवमानना का दोषी पाती है तो वह सज़ा की सिफारिश कर सकती है।
- सज़ा में अपराधी को राज्य विधायिका की नाराजगी प्रेषित/जाहिर करना, अपराधी को सदन के समक्ष बुलाना और चेतावनी देना और यहाँ तक कि अपराधी को जेल भेजना भी शामिल हो सकता है।
- मीडिया के मामले में राज्य विधायिका की प्रेस सुविधाओं को वापस लिया जा सकता है और सार्वजनिक माफी मांगने को कहा जा सकता है।

प्रश्नकाल एवं शून्यकाल का स्थगन

हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने आधिकारिक तौर पर संसद के मानसून सत्र के लिये समय-सारिणी जारी की, जिसमें प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा, दोनों सदनों में शून्यकाल भी नहीं होगा। प्रश्नकाल एवं शून्यकाल को स्थगित करने का निर्णय कोविड-19 महामारी के कारण लिया गया है।

प्रश्नकाल और इसका महत्त्व

- संसद की कार्यवाही का पहला घंटा (11-12 बजे) 'प्रश्नकाल' कहलाता है।
- इसमें संसद सदस्यों द्वारा लोक महत्त्व के किसी मामले पर जानकारी प्राप्त करने के लिये मंत्रीपरिषद से प्रश्न पूछे जाते हैं।
- प्रश्नकाल के समय भारत सरकार से सम्बंधित मामले ही उठाए जाते हैं और सार्वजनिक समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाया जाता है, जिससे सरकार वास्तविक स्थिति को जानने, जनता की शिकायतें दूर करने एवं प्रशासनिक त्रुटियों को दूर करने के लिये कार्रवाई कर सके।
- भारत ने यह पद्धति इंग्लैंड से ग्रहण की है, जहाँ सबसे पहले वर्ष 1721 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की शुरुआत वर्ष 1892 के भारत परिषद् अधिनियम के तहत हुई। आज़ादी से पहले, वर्ष 1893 में सरकार से पहली बार संसद की कार्यवाही के दौरान सवाल पूछा गया था। यह सवाल उन ग्रामीण दुकानदारों से सम्बंधित था, जिन पर सरकारी अधिकारियों के दौरे के समय अनावश्यक बोझ डाला जाता था।
- पिछले 70 वर्षों में सांसदों ने सरकारी कामकाज पर प्रकाश डालने के लिये इस संसदीय उपकरण का सफलतापूर्वक उपयोग किया है।
- अनेक बार सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों द्वारा विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है और सरकारी कामकाज से जुड़े आँकड़ों को सार्वजनिक पटल पर लाया गया है।
- वर्ष 1991 में संसद की कार्यवाही के प्रसारण शुरू होने के बाद से, प्रश्नकाल संसदीय कार्यप्रणाली के सबसे मुखर और पारदर्शी पहलुओं में से एक बन गया है।
- प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं– तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न।
  - **तारांकित प्रश्न (Starred Questions) :** तारांकित प्रश्न वह होता है जिसका उत्तर सम्बंधित मंत्री द्वारा मौखिक रूप से सदन में दिया जाता है और जिस पर तारांक लगा होता है संसद सदस्यों द्वारा इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न (Supplementary Questions) पूछे जा सकते हैं।
  - **अतारांकित प्रश्न (Un Starred Questions) :** अतारांकित प्रश्न वह होता है जिसका सदन में मौखिक उत्तर नहीं दिया जाता है। अतारांकित प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं क्योंकि अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिये जाते हैं और वो जिस दिन के लिये होते हैं, उस दिन सदन की बैठक के आधिकारिक प्रतिवेदन में मुद्रित किये जाते हैं।

❖ **अल्प सूचना प्रश्न (Short Notice Questions):** तारांकित अथवा अतारांकित प्रश्नों का उत्तर पाने के लिये सदस्यों को 10 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। लेकिन अल्प सूचना प्रश्न किसी लोक महत्त्व के विषय पर इससे कम समय की सूचना पर भी पूछा जा सकता है। इस सम्बंध में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बंधी नियम 54 में व्यवस्था की गई है कि लोक महत्त्व के विषय के सम्बंध में कोई प्रश्न 10 दिन से कम की जा सूचना पर पूछा जा सकता है और यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि प्रश्न को लेकर देरी नहीं की सकती तो वह निर्देश दे सकता है कि मंत्री बताए कि वह उत्तर देने की स्थिति में है या नहीं और यदि है तो किस तिथि को।

- लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बंधी नियम 41(2) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किन तरह के प्रश्नों को प्रश्नकाल के दौरान लिया जा सकता है।
- लोक महत्त्व के उस तरह के प्रश्नों को लिया जा सकता है जिसमें अनुमान, व्यंग्य, आरोप-प्रत्यारोप और मान हानिकारक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया हो।
- इसमें किसी व्यक्ति के सार्वजनिक हैसियत को छोड़कर उसके चरित्र या आचरण पर कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता है और न ही किसी प्रकार का व्यक्तिगत दोषारोपण किया जा सकता है।
- संसद नियमावली में प्रश्नकाल से जुड़े सभी पहलुओं के लिये व्यापक नियम दिये गए हैं।
- दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी प्रश्नकाल के संचालन के सम्बंध में अंतिम प्राधिकारी माने जाते हैं।

शून्यकाल क्या है?

- संसदीय कार्यप्रणाली में शून्यकाल एक भारतीय नवाचार है। 'शून्यकाल' शब्द का संसदीय प्रक्रिया के नियमों में उल्लेख नहीं मिलता है।
- भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय 'शून्यकाल' कहलाता है, इसका समय 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है।
- दोपहर 12 बजे आरम्भ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है।
- इसे ज़ीरो आवर भी कहा जाता है, क्योंकि पहले शून्यकाल पूरे एक घंटे तक चलता था अर्थात 1 बजे तक (सदन के मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित होने तक)।
- शून्यकाल का यह नाम 1960-70 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में समाचार पत्रों द्वारा तब प्रचलित हुआ, जब सांसदों को बिना पूर्व सूचना के अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय उठाने की प्रथा विकसित हुई।
- इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे नागरिकों, मीडिया, सांसदों और पीठासीन अधिकारियों से नियम पुस्तिका का हिस्सा न होने के बावजूद समर्थन मिलता है।

प्रश्नों की प्रकृति

- संसदीय नियमों में सांसदों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में दिशा-निर्देश निर्दिष्ट हैं।
- प्रश्नों की सीमा 150 शब्दों तक की होनी चाहिये। प्रश्न स्पष्ट व सटीक होने चाहिये और बहुत सामान्य नहीं।
- प्रश्न भारत सरकार के उत्तरदायित्त्व क्षेत्र से सम्बंधित होने चाहिये।
- सवालों द्वारा उन मामलों के बारे में जानकारी नहीं मांगनी चाहिये जो गुप्त हैं या अदालतों में विचाराधीन हैं।
- अंतत: दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी यह तय करते हैं कि सरकार से जवाब मांगने के लिये सांसदों द्वारा उठाए गए प्रश्नों को स्वीकार किया जाए या नहीं।

प्रश्नकाल कितनी बार आयोजित किया जाता है?

- वर्ष 1952 में संसद के शुरूआती दिनों में, लोक सभा में प्रश्नकाल प्रत्येक दिन आयोजित होता था। दूसरी ओर राज्य सभा में सप्ताह में दो दिन प्रश्नकाल का प्रावधान किया गया था।

- कुछ महीनों बाद यह सप्ताह में चार कर दिया गया। फिर वर्ष 1964 से राज्य सभा में सत्र के प्रत्येक दिन प्रश्नकाल होने लगा था।
- वर्तमान में दोनों सदनों में प्रश्नकाल सत्र के सभी दिनों में आयोजित किया जाता है।
- मात्र दो दिन अपवाद स्वरूप ऐसे होते हैं, जब कोई प्रश्नकाल नहीं होता है–
  1. जिस दिन राष्ट्रपति केंद्रीय हॉल में दोनों सदनों को सम्बोधित करते हैं
  2. जिस दिन वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं।

मंत्री अपने जवाब कैसे तैयार करते हैं?

- सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब को कारगर बनाने के लिये मंत्रालयों को पाँच समूहों में रखा जाता है। प्रत्येक मंत्रालयी समूह अपने लिये आवंटित दिन पर सवालों के जवाब देता है।
- मंत्रालयों को 15 दिन पहले प्रश्न मिलते हैं ताकि वे अपने मंत्रियों को प्रश्नकाल के लिये तैयार कर सकें।
- उन्हें ऐसे अनुवर्ती/अनुपूरक प्रश्नों की तैयारी भी करनी होती है, जो वे सदन में पूछे जाने की अपेक्षा कर सकते हैं।
- मंत्रालयों से जुड़े बड़े सरकारी अधिकारी भी गैलरी में होते हैं, ताकि वे प्रश्न का उत्तर देते समय मंत्री को नोट्स या प्रासंगिक दस्तावेज़ उपलब्ध करा सकें।
- सांसद आमतौर पर मंत्रियों को जवाबदेह ठहराने के लिये सवाल पूछते हैं। लेकिन नियमों में उनके सहयोगियों से प्रश्न पूछे जाने के भी प्रावधान किये गए हैं।

क्या प्रश्नों की संख्या की कोई सीमा है?

- एक दिन में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या से जुड़े नियमों में समय के साथ बदलाव होता आया है।
- लोक सभा में, 1960 के दशक के उत्तरार्ध तक एक दिन में पूछे जा सकने वाले अतारांकित प्रश्नों की संख्या की कोई सीमा नहीं थी।
- अब सांसद द्वारा संसद में पूछे गए तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की संख्या को सीमित करने के लिये नियम उपस्थित हैं।
- सांसदों द्वारा तारांकित और अतारांकित श्रेणियों में पूछे जाने वाले प्रश्नों की कुल संख्या एक यादृच्छिक मतपत्र में डाल दी जाती है।
- लोक सभा में मतपत्र द्वारा उत्तर देने के लिये 20 तारांकित प्रश्न एवं लिखित उत्तरों के लिये 230 प्रश्न चुने जाते हैं, जिनका उत्तर प्रश्नकाल के दौरान दिया जाता है।
- विगत वर्ष तब एक रिकॉर्ड बन गया था, जब 47 साल के अंतराल के बाद एक ही दिन में लोक सभा में सभी 20 तारांकित प्रश्नों का जवाब दिया गया था।

क्या प्रश्नकाल के बिना पिछले सत्र हुए हैं?

- संसदीय रिकॉर्ड बताते हैं कि 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान शीतकालीन सत्र में सदन की बैठक दोपहर 12 बजे शुरू हुई और कोई प्रश्नकाल आयोजित नहीं हुआ।
- तत्पश्चात सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच एक समझौते के बाद प्रश्नकाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

आगे की राह

चूँकि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है इसलिये सरकार को जवाबदेह ठहराने वाली संसदीय कार्यवाही को निलम्बित या बंद नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि यह संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है।

संसद में विधेयक एवं प्रवर समिति

हाल ही में सरकार ने राज्यसभा में दो महत्त्वपूर्ण कृषि विधेयकों को पारित किया जिसके बाद से राज्य सभा में इसका विपक्ष द्वारा बहुत विरोध हुआ तथा विपक्ष ने इन विधेयकों को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की।

संसदीय समितियाँ

- संसदीय समितियों से आशय ऐसी समितियों से हैं, जो संसद द्वारा नियुक्त या निर्वाचित अथवा अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम-निदेर्शित की जाती हैं।
- ये समितियाँ अध्यक्ष या सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती हैं तथा अपनी रिपोर्ट सदन अथवा अध्यक्ष/सभापति के समक्ष प्रस्तुत करती हैं।

स्थाई समितियाँ

- स्थाई समितियाँ वे समितियाँ हैं, जो प्रत्येक वर्ष या समय-समय पर सदन द्वारा निर्वाचित या अध्यक्ष/सभापति द्वारा नामनिर्देशित की जाती हैं।
- ये समितियाँ स्थाई एवं नियमित समितियाँ होती हैं। इनका गठन समय-समय पर संसद के अधिनियमों के प्रावधानों या सदनों के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के अनुसार किया जाता है।
- कार्यों की प्रकृति के आधार पर स्थाई समितियों को निम्नलिखित 6 श्रेणीयों में वर्गीकृत किया जा सकता है–
  1. वित्तीय समितियाँ (Financial Committees)
  2. विभागों से सम्बद्ध स्थाई समितियाँ (Department Related Standing Committees)
  3. जाँच समितियाँ (Committees to Enquire)
  4. संवीक्षा और नियंत्रण समितियाँ (Committees to Scrutinise and Control)
  5. सदन के प्रबंधन से सम्बंधित समितियाँ (Committees Relating to Day-to-Day Business of the House)
  6. सदन के प्रबंधन से सम्बंधित समितियाँ (House Keeping Committees)

लोक सभा की स्थाई समितियों में तीन वित्तीय समितियों यानी प्राकक्लन समिति, लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रमों सम्बंधी समिति का विशिष्ट स्थान है और ये सरकारी खर्च और निष्पादन पर लगातार नज़र रखती हैं। प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोक सभा से होते हैं, लेकिन लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रमों सम्बंधी समिति में लोक सभा के साथ राज्य सभा के भी सदस्य होते हैं–

1.	प्राक्कलन समिति	30 सदस्य (लोक सभा)	1 वर्ष	लोक सभा द्वारा निर्वाचित
2.	लोक लेखा समिति	22 सदस्य (15 लोक सभा + 7 राज्ये सभा)	1 वर्ष	दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित
3.	सरकारी उपक्रमों सम्बंधी समिति	22 सदस्य (15 लोक सभा + 7 राज्य सभा)	1 वर्ष	दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित

❖ **प्राक्कलन समिति** यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप किस प्रकार से मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्य-कुशलता और प्रशासन में क्या-क्या सुधार किये जा सकते हैं। यह इस बात की भी जाँच करती है कि धन प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप ही व्यय किया जा सकता है या नहीं। समिति इस बारे में भी सुझाव देती है कि प्राक्कलन को संसद में किस रूप में पेश किया जाए।

- **लोक लेखा समिति** भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखा और लेखा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जाँच करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी धन संसद के निर्णयों के अनुरूप ही खर्च हो। यह अपव्यय, हानि और निरर्थक व्यय के मामलों की ओर ध्यान दिलाती है।
- **सरकारी उपक्रमों सम्बंधी समिति** नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की यदि कोई रिपोर्ट हो, तो उसकी जाँच करती है। वह इस बात की भी जाँच करती है कि ये सरकारी उपक्रम कुशलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं, इनका प्रबंधन ठोस व्यापारिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा रहा है या नहीं।
- सदन के पास सीमित समय, लेकिन कार्यभार अधिक होता है। प्रशासनिक एवं विधायी कार्य काफी जटिल प्रकृति के होते हैं। ऐसे में समितियाँ प्रत्येक मामले की बिंदुवार और विस्तृत जाँच करती हैं। इससे सदन का समय बचता है और महत्त्वपूर्ण प्रावधान या कोई त्रुटी ओझल भी नहीं होती है।
- चूँकि संसद में कार्य बहुत होते हैं, जिससे वहाँ प्रस्तुत सभी विधेयकों पर विस्तृत चर्चा सम्भव नहीं हो पाती है, ऐसे में संसदीय समितियों का एक प्लेटफार्म के रूप में प्रयोग करके प्रस्तावित कानूनों पर चर्चा की जाती है।
- समितियाँ कुछ परिस्थितियों में विपक्ष की भूमिका में भी होती हैं, जैसे वे सरकार को सावधान करती है या मनमानी करने से रोकती हैं।

प्रवर समिति क्या होती है?

- भारत की संसद में कई प्रकार की समितियाँ हैं। प्रवर समिति तदर्थ समिति की सलाहकार समिति के अंतर्गत आती है। इसका गठन किसी विधेयक पर विचार करके उसकी रिपोर्ट देने के लिये किया जाता है।
- यह समिति विधेयक पर उसी प्रकार विचार करती है जैसे दोनों सदन किसी विधेयक पर विचार करते हैं। समिति के सदस्य अगर चाहें तो विभिन्न प्रावधानों पर संशोधन के लिये प्रस्ताव रख सकते हैं ।

प्रवर समिति विधेयकों की जाँच कब करती है?

- विधेयकों को स्वत: समितियों के पास परीक्षण के लिये नहीं भेजा जाता है। इसके तीन व्यापक रास्ते हैं जिनके द्वारा एक विधेयक किसी समिति तक पहुँच सकता है–
  - पहला यह है कि जब बिल को लाने वाला मंत्री सदन को सलाह देता है कि उसके विधेयक की जाँच सदन की प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा की जाए।
  - दूसरा, यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा संसदीय समिति को संदर्भित किया जाए।
  - तीसरा, यदि एक सदन पारित किसी विधेयक को दूसरा सदन अपनी प्रवर समिति को संदर्भित करे।
  - यदि मंत्री इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं देता है, तो यह सदन के पीठासीन अधिकारी पर निर्भर करता है कि वह विधेयक को विभागीय रूप से सम्बंधित स्थाई समिति को भेजे या नहीं।

जब कोई बिल किसी समिति के पास जाता है तो क्या होता है?

- किसी भी समिति के पास विधेयक आने पर दो बातें होती हैं।
- सबसे पहले, समिति विधेयक का एक विस्तृत परीक्षण करती है। यह विशेषज्ञों, हितधारकों और नागरिकों से टिप्पणियों और सुझावों को आमंत्रित करती है।
- सरकार भी अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिये समिति के सामने आती है।
- इस सबके बाद एक रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसके द्वारा विधेयक को मज़बूत बनाने के लिये आवश्यक सुझाव दिये जाते हैं।
- जब तक समिति के पास विधेयक जाँच के लिये रहता है, इसका विधिक या प्रशासनिक पालन भी रुका रहता है।

- समिति द्वारा रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत किये जाने के बाद ही यह विधेयक अपनी विधायी प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। आमतौर पर संसदीय समितियों को तीन महीनों में अपनी रिपोर्ट देनी होती है, लेकिन कभी-कभी इसमें अधिक समय लग सकता है।

रिपोर्ट के बाद क्या होता है?

- समिति की रिपोर्ट की प्रकृति अनुशंसात्मक होती है। सरकार इसकी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। बहुत बार सरकार समितियों द्वारा दिये गए सुझावों को शामिल करती है, जिसमें प्रवर समितियाँ और जे.पी.सी. थोड़े लाभ में रहती हैं।
- अपनी रिपोर्ट में वे विधेयक के अपने संस्करण को भी शामिल कर सकते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं, तो उस विशेष विधेयक के प्रभारी मंत्री विधेयक की समिति के संस्करण के लिये चर्चा कर सकते हैं और सदन में पारित भी करवा सकते हैं।

विकलांग/दिव्यांग व्यक्तियों के लिये सामाजिक न्याय तक पहुँच पर संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश

संयुक्त राष्ट्र संघ ने हाल ही में पहली बार विकलांग/दिव्यांग-व्यक्तियों के लिये सामाजिक न्याय तक पहुँच को सुनिश्चित करने के बारे में दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिससे उन्हें दुनिया भर में न्याय प्रणालियों तक बिना किसी अवरोध के पहुँचने में आसानी हो सके।

विकलांगता : एक समग्र अवलोकन

- सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1980 का दशक अशक्त जनों का दशक घोषित किया गया था। वर्ष 1987 में एक वैश्विक बैठक में इसकी प्रगति की समीक्षा की गई। और यह अनुशंसा की गई कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को अशक्त जनों के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय तैयार करना चाहिये।
- ड्राफ्ट अभिसमय की रूपरेखा इटली द्वारा प्रस्तावित की गई एवं उसके पश्चात् स्वीडन ने ऐसा किया, लेकिन किसी प्रकार की सहमति पर नहीं पहुँचा जा सका।
- कई सरकारी प्रतिनिधियों ने तर्क दिया कि मौजूदा मानवाधिकार दस्तावेज़ पर्याप्त थी लेकिन इसके बावजूद वर्ष 1998 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गैर-अपरिहार्य 'स्टैण्डर्ड रूल्स ऑन द इक्वलाइजेशन ऑफ अपार्च्युनिटीज फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज' (The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities) को अपनाया।
- वर्ष 2000 में पाँच अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों के नेताओं ने अभिसमय का सभी सरकारों द्वारा समर्थन करने का आह्वान करने के लिये बीजिंग घोषणा जारी की।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अभिसमय पर बातचीत करने के लिये वर्ष 2001 में एक तदर्थ समिति की स्थापना की। पहली बैठक अगस्त 2002 में आयोजित की गई और मसौदा बनाने का कार्य मई 2004 में शुरू किया गया। तदर्थ समिति के प्रतिनिधि मंडल में एन.जी.ओ, सरकारें, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व होता है।
- यह पहला समय था कि जब विभिन्न एन.जी.ओ. ने मानवाधिकार यंत्र के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाई।
- 21वीं सदी में मानव अधिकारों के पहले प्रमुख साधन के रूप में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities– UNCRPD) को अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसके मसौदे को 13 दिसम्बर, 2006 को स्वीकार किया गया और 30 मार्च, 2007 को हस्ताक्षर के लिये रखा गया। 20 पक्षों द्वारा इसकी पुष्टि के बाद 3 मई, 2008 को यह अभिसमय प्रवृत्त हो गया। वर्तमान में इसके 163 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं एवं 181 देशों ने इसकी पुष्टि की है।

- अशक्त जनों के अधिकारों का संवर्धन-संरक्षण, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार, आवास एवं पुनर्वास, राजनीतिक जीवन में सहभागिता और समानता तथा भेदभाव रहित व्यवहार जैसे कई महत्त्वपूर्ण बिंदु इस अभिसमय में शामिल हैं।
- अभिसमय के अनुच्छेद 4-32 अशक्त जनों के अधिकारों को परिभाषित करते हैं और उनके प्रति राज्यों/देशों के दायित्त्व की बात करते हैं। इनमें से अधिकतर अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र के अन्य अभिसमयों में पुष्टि हुई है। गौरतलब है कि अभिसमय में कुल 50 अनुच्छेद हैं।
- अभिसमय उन व्यक्तियों को विकलांग व्यक्तियों के तौर पर परिभाषित करता है जो "दीर्घावधि, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी विकारों" से ग्रस्त हैं। अभिसमय के अनुसार, विकलांग व्यक्तियों के विकारों और समाज के रूख के कारण अक्सर उन्हें अन्य सामान्य व्यक्तियों की तरह समाज में शामिल होने या भागीदारी करने से रोका जाता है या उन्हें कमतर आँका जाता है।
- अभिसमय का सिद्धांत विकलांग व्यक्तियों को मानव समाज के अभिन्न अंश के रूप में स्वीकार करने पर आधारित हैं। विकलांग व्यक्तियों को नजरंदाज करने पर समाज उन्हें अशक्त कर देता है। यदि उन्हें समाज में शामिल किया जाता है तो वे सम्पूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकते हैं और समाज में अपना समुचित योगदान दे सकते हैं।
- पूरे विश्व में विकलांग व्यक्तियों को मानवाधिकारों तक वह पहुँच प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को है। विकलांगता अभिसमय एक विश्वव्यापी मानवाधिकार अभिसमय है। यह विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को स्पष्ट करता है।
- हालाँकि, यह अभिसमय विकलांग व्यक्तियों को नए मानवाधिकार नहीं देता है। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि उनके अधिकार भी वही हैं जो किसी अन्य आम व्यक्ति के हैं। यह सरकारों को बताता है कि किस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाए कि विकलांग व्यक्तियों को उनके अधिकारों तक पहुँच प्राप्त हो।
- इसका उद्देश्य सभी विकलांग व्यक्तियों के लिये समान मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और विकलांग व्यक्तियों के सम्मान का प्रचार करना है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएँ

संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिव्यांग जनों के लिये सामाजिक न्याय तक पहुँच पर दिये गए दिशा-निर्देशों में मूलत: 10 प्रमुख सिद्धांतों की बात की गई है, जो निम्न हैं:

- **सिद्धांत 1:** सभी दिव्यांग व्यक्ति कानूनी सहायता प्राप्त करने के योग्य हैं और इसलिये किसी को भी विकलांगता के आधार पर न्याय तक पहुँचने से वंचित नहीं रखा जा सकता।
- **सिद्धांत 2:** किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना दिव्यांग व्यक्तियों तक न्याय की समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिये सुविधाएँ और सेवाएँ सार्वभौमिक रूप से सुलभ होनी चाहिये।
- **सिद्धांत 3:** विकलांग बच्चों सहित सभी दिव्यांग जनों को उचित प्रक्रियात्मक आवास का अधिकार (Appropriate Procedural Accommodations) है।
- **सिद्धांत 4:** अन्य व्यक्तियों की तरह दिव्यांग जनों को भी कानूनी नोटिस और सूचना को समय पर और सुलभ तरीके से प्राप्त करने का अधिकार है।
- **सिद्धांत 5:** अंतर्राष्ट्रीय कानून में अन्य व्यक्तियों की तरह ही दिव्यांग जन भी सभी मूल और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के हकदार हैं और सभी राज्यों/देशों को इससे जुड़ी सभी यथोचित प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना चाहिये।
- **सिद्धांत 6:** दिव्यांग जनों को मुफ्त या सस्ती कानूनी सहायता का अधिकार है।
- **सिद्धांत 7:** दिव्यांग जनों को अन्य व्यक्तियों की तरह ही न्यायाधिकार से जुड़े क्षेत्रों को प्रशासित करने व उनसे जुड़ने का अधिकार है।

- **सिद्धांत 8:** दिव्यांग जनों के पास उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन एवं उनके साथ हुए अपराधों से सम्बंधित सूचना देने पर कानूनी कार्यवाही के तहत शिकायतों की यथासम्भव जाँच और प्रभावी न्याय प्राप्त करने के अधिकार हैं।
- **सिद्धांत 9:** दिव्यांग व्यक्तियों के लिये न्याय तक पहुँच को सुलभ बनाने में प्रभावी और मज़बूत निगरानी तंत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनकी पहुँच सुनिश्चित करना भी देशों का कर्त्तव्य है।
- **सिद्धांत 10:** न्याय प्रणाली से जुड़े सभी व्यक्तियों को इसकी विधिवत शिक्षा दी जानी चाहिये कि न्याय के लिये आए किसी दिव्यांग व्यक्ति की किस प्रकार सहायता की जाए।

भारत में दिव्यांगजन

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग भारत में दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिये कार्य करता है।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में दिव्यांग जनों की कुल जनसंख्या 2.68 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.21% है। इसमें से लगभग 55.89% पुरुष और 44.11% महिलाएँ हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगों की संख्या शहरों की तुलना में कहीं अधिक है। भारत में दिव्यांगों की कुल जनसंख्या का 69.45% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 45% विकलांग आबादी अशिक्षित है। दिव्यांगों में भी जो शिक्षित हैं, उनमें 59% मात्र 10वीं पास हैं।
- भारत में सर्वशिक्षा अभियान के तहत सभी को एकसमान शिक्षा देने का प्रावधान है, इसके बावजूद शिक्षा व्यवस्था से बाहर रहने वाली आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा दिव्यांग बच्चों का है। 6-13 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों की 28% आबादी स्कूलों से दूर है।
- दिव्यांगों के बीच ऐसे बच्चे भी हैं जिनके एक से अधिक अंग अपंग हैं, जिनकी 44% आबादी शिक्षा से वंचित है। जबकि मानसिक रूप से दिव्यांग 36% बच्चे और बोलने में अक्षम 35% बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। भारत सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने हेतु यद्यपि कई कदम उठाए गए हैं इसके बावजूद आधे से अधिक दिव्यांग बच्चे स्कूल जा पाने में अक्षम हैं।

आगे की राह

- दिव्यांग जनों के सामाजिक न्याय की बात की जाए तो विभिन्न पहलुओं पर सरकार को आगे आने की आवश्यकता है एवं राष्ट्रीय स्तर पर एक समेकित नीति बनाने और उसके उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है।
- भारत को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिये गए निर्देशों पर भी ध्यान देते हुए इनके उचित एवं विधिसम्मत क्रियान्वयन के लिये आगे आना चाहिये।
- भारत में दिव्यांग जनों की सहायता और सहायक उपकरणों के सम्बंध में अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि विभिन्न सुविधाओं तक उनकी पहुँच को आसान बनाया जा सके। साथ ही स्मार्ट सिटी और शहरी सुविधाओं की बेहतरी पर ज़ोर देते हुए दिव्यांग जनों की चिंताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

विवाह की आयु, महिला स्वास्थ्य, समाज एवं कानून

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने युवा महिलाओं में होने वाले कुपोषण पर ध्यान देने और सही उम्र में उनका विवाह सुनिश्चित करने के लिये एक पैनल की घोषणा की है।

- यदि हम सामजिक विकास पर नज़र डालें तो पाएंगे कि महिलाओं का विवाह शीघ्र कर देने व फिर उनके शीघ्र गर्भ धारण करने की वजह से वे अक्सर कई तरह की व्याधियों से ग्रसित हो जाती हैं।
- वर्तमान में नियमों के अनुसार भारत में पुरुषों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिये 18 वर्ष है।

पृष्ठभूमि

- सर्वप्रथम वर्ष 1860 में जब भारतीय दंड संहिता (IPC) का अधिनियमन हुआ, तब 10 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ किसी भी प्रकार के शारीरिक सम्बंध या यौनाचार को अपराध घोषित कर दिया गया था।
- वर्ष 1927 में एक विधेयक द्वारा ब्रिटिश सरकार ने 12 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की के साथ विवाह को अमान्य घोषित कर दिया था।
- वर्ष 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम द्वारा महिलाओं और पुरुषों के लिये विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 और 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई। इस कानून के लिये आवाज मुखर करने वाले आर्यसमाजी डॉ. हरविलास सारदा के नाम पार इस अधिनियम को सारदा अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है।

WHY NUTRITION AND EDUCATION ARE FACTORS TOO

CHART 1: MEAN AGE AT MARRIAGE IN 2017

Andhra Pradesh	22
Assam	22.3
Bihar	21.8
Chhattisgarh	21.8
Delhi	23.7
Gujarat	22.5
Haryana	22.5
Himachal	23.4
Jammu & Kashmir	25.1
Jharkhand	21.9
Karnataka	22.3
Kerala	23.2
Madhya Pradesh	21.4
Maharashtra	22.5
Odisha	21.9
Punjab	23.5
Rajasthan	21.5
Tamil Nadu	23
Telangana	22
Uttar Pradesh	22.2
Uttarakhand	22.3
West Bengal	21.2
ALL INDIA	22.1

Source: Women and Men in India 2019, MOSPI

CHART 2: WOMEN MARRIED BEFORE AGE 18 (%)

1992-93:	54.2
1998-99:	50
2005-06:	47.4
2015-16:	26.8

Source: NFHS

CHART 3: ANAEMIC WOMEN AGED 15-49 (%)

1998-99:	51.8
2005-06:	55.3
2015-16:	53.1

Source: NFHS

CHART 4: INFANT & MATERNAL MORTALITY, 2017

Country	IMR	MMR
Brazil	12.8	60
China	7.4	29
India	29.9	145
S Africa	28.5	119
Russia	6.1	17

Source: UN Inter-Agency Group for Child Mortality Estimation; WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group, and the United Nations Population Division

CHART 5: WEALTH & MARRIAGE AGE

Wealth quintile	Mean age at marriage
Lowest	17.6
Second	18.2
Middle	18.9
Fourth	20.2
Highest	22.3

Source: NFHS-4

CHART 6: EDUCATION & MARRIAGE AGE

Years of schooling	Age at marriage
No schooling	17.4
>5 years	17.6
5-7 years	18.2
8-9 years	18.9
10-11 years	19.8
12 years+	23

Source: NFHS-4

Data show that less educated girls and those belonging to poorer families tend to get married before age 18

- यद्यपि सारदा अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सुषुप्तावस्था में ही रहा, क्योंकि हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों के साम्प्रदायिक लोग इसके समर्थन में नहीं थे और अंग्रेज़ उस समय उनसे नाराजगी नहीं मोल लेना चाहते थे। इसके अलावा रियासतों में भी इस कानून को पालन करने अथवा नकारने को लेकर छूट दे दी गई थी।
- इसके बाद वर्ष 1949 में एक संशोधन के माध्यम से महिलाओं के लिये विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई।
- वर्ष 1978 में इस अधिनियम में पुनः एक संशोधन किया गया और महिलाओं तथा पुरुषों के लिये विवाह की न्यूनतम आयु को क्रमशः 18 वर्ष और 21 वर्ष कर दिया गया।
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (धारा 5 (iii))और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 द्वारा भी महिलाओं और पुरुषों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष ही निर्धारित की गई है।

कम उम्र में विवाह

- आँकड़े बताते हैं कि भारत में अधिकांश महिलाएँ 21 वर्ष की आयु के बाद विवाह करती हैं।

- आँकड़ों (चार्ट-1) से पता चलता है कि भारत में विवाह के समय महिलाओं की औसत आयु 22.1 वर्ष है और लगभग सभी राज्यों में यह 21 वर्ष से अधिक ही है। हालाँकि इसका अर्थ यह नहीं है कि बाल विवाह अब रुक गए हैं।
- नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey: NFHS-4) में पाया गया कि 20-24 आयु वर्ग (चार्ट-2) की लगभग 26.8% महिलाओं का विवाह वयस्कता (18 वर्ष) से पहले हुआ था।

विवाह के उम्र से स्वास्थ्य कैसे सम्बंधित है?

- डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं है कि शीघ्र विवाह को रोकने से मातृ मृत्यु दर (maternal mortality ratio) और शिशु मृत्यु दर (infant mortality ratio) में कमी आ सकती है।
- वर्तमान में मातृ मृत्यु दर (जन्म लेने वाले प्रत्येक 100,000 बच्चों पर मातृ मृत्यु की संख्या) 145 है।
- भारत के शिशु मृत्यु दर (IMR) के आँकड़ों को देखने से पता चलता है कि एक वर्ष में पैदा होने वाले प्रत्येक 1,000 बच्चों में से 30 बच्चों की मृत्यु एक वर्ष की आयु से पहले हो जाती है।
- अध्ययन में यह भी पाया गया कि युवा माताओं को एनीमिया होने की आशंका अधिक होती है। भारत में प्रजनन आयु वर्ग (15-49 वर्ष) की आधी से अधिक महिलाएँ एनीमिक हैं।
- कम आयु में विवाह करने से अवांछित गर्भधारण की सम्भावना भी बनी रहती है साथ ही यौन संचारित रोगों का डर भी बना रहता है।

क्या भारतीय समाज में शीघ्र विवाह किये जाने को रोका जा सकता है?

- भारतीय समाज में गरीबी, अशिक्षा और आर्थिक स्रोतों तक सीमित पहुँच और सुरक्षा सम्बंधी चिंताएँ, शीघ्र विवाह किये जाने के सम्भावित ज्ञात कारण हैं।
- अत: विभिन्न कानून विदों ने स्पष्ट किया है कि यदि जल्दी विवाह किये जाने के मुख्य कारणों पर ध्यान नहीं दिया गया तो विवाह की आयु बढ़ाए जाने के लिये नए कानून का कोई औचित्य नहीं होगा और मात्रयह कानून इसे रोकने के लिये पर्याप्त नहीं होगा।
- कई लोग यह तर्क भी देते हैं कि देर से विवाह करने से आगे कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। खासकर परिवार बढ़ाने के सिलसिले में कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं।
- हालाँकि मनोवैज्ञानिकों और डॉक्टरों का कहना है कि मेडिकल साइंस के विकास के साथ अब ऐसी आशंकाएँ बहुत कम हो गई हैं।

आँकड़े क्या बताते हैं?

- आँकड़े (चार्ट-5) बताते हैं कि सबसे गरीब 20% महिलाओं का विवाह सबसे अमीर 20% महिलाओं की अपेक्षा बहुत कम उम्र में हो जाता है।
- स्कूली शिक्षा न प्राप्त कर पाने वाली महिलाओं के विवाह की औसत आयु 17.6 थी, जो कि कक्षा 12 (चार्ट-6) तक शिक्षित महिलाओं के विवाह की औसत आयु से बहुत कम थी।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, 15-18 वर्ष की लगभग 40% लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती हैं। इनमें से लगभग 65% लड़कियाँ गैर-पारिश्रमिक कार्यों में लगी हुई हैं।
- विशेषज्ञों का मानना है कि विवाह की आधिकारिक उम्र में फेरबदल करने से गरीब, कम पढ़ी-लिखी और दलित महिलाओं के साथ भेदभाव हो सकता है।

आगे की राह

- विवाह के लिये महिलाओं और पुरुषों की न्यूनतम आयु अलग-अलग होने का कोई भी कानूनी या सामाजिक तर्क नहीं दिखता है,बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार) का स्पष्ट उल्लंघन है। अत: इस विभेद तथा इसके मूल कारणों को खत्म करने के बारे में सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये।
- वर्ष 2018 में विधि आयोग ने इस विभेद को रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने वाला एक कारक माना था। इससे जुड़े विधि आयोग के परामर्शों पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।
- पूर्व में कई ऐसे उदाहरण मिले हैं, जिनमें स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएँ सामने आई हैं, सरकार को चिकित्सकीय पहलुओं को ध्यान में रखकर भी एक समावेशी सोच के तहत इस पक्षपाती उम्र सीमा पर पुनर्विचार करना चाहिये।

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम : आवश्यकता, महत्त्व और चिंताएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने 'उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम' (Uttar Pradesh Special Security Force Act: UPSSF) से सम्बंधित अधिसूचना जारी की है।

पृष्ठभूमि

31 अगस्त को अधिसूचित किये गए इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों, जैसे- 'बिना वारंट' या 'बिना मजिस्ट्रेट के आदेश' के गिरफ्तारी की अनुमति को लेकर विवाद है। हालाँकि, उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि यह सुरक्षा बल केंद्र सरकार के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force: CISF) और ओडिशा व महाराष्ट्र जैसे राज्यों के विशेष बलों से अलग नहीं है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, 2020 के प्रावधानों की तुलना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 और महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम अधिनियम, 2010 से करना आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल : पृष्ठभूमि और स्थापना

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महत्त्वपूर्ण संस्थानों और व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये CISF जैसे सुरक्षा बल के तर्ज पर जून 2020 में इसकी घोषणा की गई।
- प्रस्तावित बल की परिकल्पना एक 'उच्च-स्तरीय कौशल से युक्त पेशेवर' के रूप में की गई थी, जो प्रांतीय सशस्त्र पुलिस दल (Provincial Armed Constabulary: PAC) पर पड़ने वाले बोझ को कम करेगा। इससे PAC कानून और व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर सकती है।
- जुलाई में राज्य मंत्रिमंडल ने पहले चरण में लगभग 9,900 कर्मियों वाली पाँच बटालियन के साथ, एक आठ-बटालियन वाले सुरक्षा बल के निर्माण को हरी झंडी दे दी।
- इस सुरक्षा बल की स्थापना की अधिसूचना 31 अगस्त को जारी की गई और इसके गठन को सुनिश्चित करने के लिये पुलिस महानिदेशक को तीन महीने की समय-सीमा दी गई है।
- UPSSF का नेतृत्व अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के एक अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसके बाद इसमें एक महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट भी शामिल होंगे।

ऐसे सुरक्षा बल की आवश्यकता का कारण

- UPSSF अधिनियम के अनुसार, इस बल का गठन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी निकाय, व्यक्ति या आवासीय परिसर को 'बेहतर सुरक्षा' प्रदान करने के लिये किया गया है।

- इसके अतिरिक्त, अदालतों सहित महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान, प्रशासनिक कार्यालय, मंदिर, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान व औद्योगिक उपक्रमों की सुरक्षा भी इसी बल के कंधों पर रहेगी।
- केंद्र और अन्य राज्यों की तरह, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और अधिसूचित व्यक्तियों की सुचारु और मज़बूत सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना इस अधिनियम का उद्देश्य है, क्योंकि पूर्व में उत्तर प्रदेश में कोई विशेष सुरक्षा बल स्थापित नहीं किया गया था।
- अभी ऐसे स्थानों और व्यक्तियों की सुरक्षा का कार्य राज्य पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा किया जा रहा है, जो इस कार्य के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित और कुशल नहीं हैं।
- साथ ही इसके गठन के लिये, उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी न्यायालय परिसरों में सुरक्षा की स्थिति के सम्बंध में स्वत: संज्ञान लेते हुए दिये गए एक निर्देश का भी हवाला दिया है।

सम्बंधित विवाद और आलोचना

- UPSSF अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) (बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति) के अनुसार, 'यह बल किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जो उसे प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के दौरान कर्तव्यों का पालन करने से रोकता है या वहाँ हमला करने, हमला करने की धमकी देने, आपराधिक बल का प्रयोग करने की कोशिश करता है'।
- इसके लिये बल के सदस्यों को किसी मजिस्ट्रेट के वारंट की ज़रूरत नहीं होगी। संदेह के आधार पर बिना वारंट तलाशी भी ली जा सकेगी। हालाँकि, ऐसा करने के लिये इसके जवान के पास पुख्ता सुबूत होना चाहिये।
- हालाँकि, गिरफ्तारी के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देनी होगी और गिरफ्तार व्यक्ति को थाने के हवाले करना होगा। इस बल को सुरक्षा के तहत परिसरों और अचल सम्पतियों से अतिक्रमण को हटाने का भी अधिकार होगा। पैसे देकर निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान भी इसकी सेवाएँ ले सकेंगे और उन परिस्थितियों में भी पुलिस बल को ये असीमित अधिकार बने रहेंगे।
- हालाँकि, इस धारा के तहत जिस तरह से शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा, वह 'निर्धारित नियमों द्वारा शासित' होगा। पुलिस महानिदेशक को रोडमैप तैयार करने और सम्बंधित नियमों को प्रस्तावित करने के लिये कहा गया है।

अन्य अधिनियमों से तुलना : समानता

- UPSSF अधिनियम की धारा 10 CISF अधिनियम 1968 की धारा 11 के समान है, जो 'बिना वारंट के गिरफ्तारी की शक्ति' देती है।
- महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम अधिनियम, 2010 में भी 'बिना वारंट के गिरफ्तारी की शक्ति' का प्रावधान है। हालाँकि, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और शक्ति का प्रयोग सुरक्षा बलों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत किया जाएगा। UPSSF अधिनियम और CISF अधिनियम की तरह महाराष्ट्र अधिनियम में भी आवश्यक है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को एक पुलिस अधिकारी या निकटतम पुलिस स्टेशन को सौंप दिया जाए।
- ओडिशा औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 2012 'बिना वारंट के गिरफ्तारी की शक्ति' को भी परिभाषित करता है। यह CISF और UPSSF अधिनियमों के समान है।
- इस अधिनियम में न केवल गिरफ्तारी के सम्बंध में एक समान प्रावधान हैं, बल्कि 'बिना वारंट के तलाशी' के सम्बंध में भी एक समान प्रावधान हैं।

अन्य अधिनियमों से तुलना : असमानता

- यू.पी. का अधिनियम 'बिना वारंट के गिरफ्तारी और तलाशी' के प्रावधानों में दूसरों के समान है, परंतु सुरक्षा किये जाने वाले संस्थानों और बल के सदस्यों को प्राप्त संरक्षण के सम्बंध में कई विभिन्नताएँ हैं।
- CISF और ओडिशा औद्योगिक सुरक्षा बल 'औद्योगिक उपक्रमों' की सुरक्षा करने के लिये हैं। UPSSF का क्षेत्र काफी व्यापक है। यह न केवल एक निकाय को बल्कि व्यक्ति और 'आवासीय परिसर' को भी सुरक्षा प्रदान करेगा।

- महाराष्ट्र राज्य अधिनियम के अनुसार, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में ऐसे प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया है, जिनके क्षतिग्रस्त करने या उनमें तोड़फोड़ करने से देश या राज्य की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा प्रभावित होती है।
- इसके विपरीत, UPSSF में 'स्थापना' की परिभाषा में प्रतिमा और स्मारक भी शामिल हैं। यू.पी. का अधिनियम 'प्रतिष्ठान' को सार्वजनिक और निजी दोनों भवनों के रूप में परिभाषित करता है।

UPSSF व ऐसे ही अन्य बलों के अधिकारों की तुलना

- इस बल का प्रत्येक सदस्य हमेशा ऑन ड्यूटी माना जाएगा और उसे प्रदेश में कहीं भी तैनाती दी जा सकती है। इस बल के किसी सदस्य द्वारा ड्यूटी के दौरान किये जाने वाले किसी भी कार्य को लेकर न्यायालय बिना सरकार की मंजूरी के उसके खिलाफ अपराध का संज्ञान नहीं ले पाएगा।
- CISF के मामले में, यदि कोई 'मुकदमा या कार्यवाही' बल के किसी भी सदस्य के खिलाफ लम्बित है, तो उसे यह अनुरोध करने का अवसर मिलता है कि उसकी कार्रवाई एक सक्षम अधिकारी के आदेश के तहत हुई थी। इस तरह की दलील उसे आदेश के निर्देशन के सम्बंध में साबित करनी होगी।
- ओडिशा औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 2012 UPSSF के समान ही अपने सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करता है।
- महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम अधिनियम के तहत, कोई भी सदस्य या अधिकारी कर्तव्यों के निर्वहन में अच्छी नियत से किये गए कार्यों के लिये किसी भी 'मुकदमे या कार्यवाही' में किसी भी आपराधिक या नागरिक कार्रवाई के लिये उत्तरदायी नहीं होता है।

श्रम संहिताओं का नया संस्करण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा पेश की गई तीन श्रम संहिताओं, औद्योगिक सम्बंध संहिता विधेयक, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2020 और उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, विधेयक, 2020 को लोकसभा द्वारा स्वीकृति दे दी गई है।

पृष्ठभूमि

सरकार द्वारा 44 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर चार श्रम संहिता बनाने का निर्णय लिया गया था, जिनमें से मजदूरी सम्बंधी संहिता को संसद द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है और यह लागू भी हो चुकी है।

नए प्रावधान

औद्योगिक सम्बंध संहिता विधेयक, 2020

- इस संहिता का उद्देश्य निश्चित अवधि वाले कर्मचारियों की सेवा-शर्तों, वेतन, छुट्टी और सामाजिक सुरक्षा को नियमित कर्मचारियों के समान करना है।
- इस संहिता में औद्योगिक विवाद निपटान प्रणाली को सुगम बनाया गया है।
- इस संहिता में हड़ताल पर जाने से पूर्व 14 दिन की नोटिस अवधि की सीमा सभी संस्थानों में लागू होगी।
- श्रमिकों के लिये आचार संहिता को लागू करने के लिये औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है।
- छंटनी (Retrenchment) किये गए श्रमिकों के पुनः कौशल हेतु नियोक्ता द्वारा श्रमिक के पिछले 15 दिनों के बराबर की राशि के योगदान से रि-स्किलिंग फंड स्थापित किया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2020

- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा स्वरोज़गार श्रमिकों के लिये 'सामाजिक सुरक्षा कोष' के निर्माण का प्रावधान किया गया है।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधाओं का विस्तार अब असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों, गिग श्रमिकों (ऐसे श्रमिक, जिन्हें केवल ज़रूरत के समय ही रखा जाता है) और प्रवासी श्रमिकों तक किया जाएगा।

- जोखिम से जुड़े क्षेत्रों में कार्य करने वाले सभी प्रतिष्ठान कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के दायरे में आएँगे तथा किसी संगठन में 20 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं तो वहाँ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के प्रावधान लागू होंगे।
- विभिन्न वर्गों के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और अनुबंधित श्रमिकों के लिये उपयुक्त योजना के निर्माण हेतु केंद्र सरकार को सिफारिश करने के लिये 'राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड' की स्थापना की जाएगी।
- विधेयक में करियर सेंटर, एग्रीगेटर, गिग वर्कर और वेज सीलिंग जैसे कई शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 विधेयक

- इस संहिता में कर्मचारियों के लिये नियोक्ता के कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जैसे- सुरक्षित कार्यस्थल, कर्मचारियों की मुफ्त सालाना स्वास्थ्य जाँच व्यवस्था और असुरक्षित कार्य स्थितियों के बारे में सम्बंधित श्रमिकों को सूचित करना आदि।
- अवकाश के नए नियमों के तहत अब कोई श्रमिक 240 दिन के स्थान पर 180 दिन कार्य करने के पश्चात ही छुट्टी प्राप्त करने का हकदार बन पाता है।
- कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी को चोट लगने पर उसे 50% का हर्जाना मिलेगा।
- सभी प्रतिष्ठानों में सभी प्रकार के कार्यों हेतु महिलाओं को रोज़गार प्रदान करना होगा। नए प्रावधानों के अंतर्गत वे अपनी सहमति और शर्तों के साथ रात में भी कार्य कर सकती हैं।

नए प्रावधानों से लाभ

- नए प्रावधानों से श्रमिकों, उद्योग जगत और अन्य सम्बंधित पक्षों के मध्य सामंजस्य स्थापित होगा।
- सामाजिक सुरक्षा कोष की सहायता से असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को मृत्यु बीमा, दुर्घटना बीमा, मातृत्व लाभ और पेंशन का लाभ प्राप्त होगा।
- प्रवासी श्रमिक की परिभाषा में विस्तार से उन्हें कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिये मालिक को वर्ष में एक बार यात्रा भत्ता देना होगा।
- नए परिवर्तनों से मजदूरों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ ही कारोबारी सुगमता के कारण विदेशी निवेशक भारत में निवेश के लिये आकर्षित होंगे।

चुनौतियाँ

- नए प्रावधान नियोक्ताओं के हितों के अनुकूल दिखाई पड़ते हैं। ये नियोक्ताओं को सरकार की अनुमति के बिना श्रमिकों को कार्य पर रखने और निकालने सम्बंधी प्रावधानों में अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं।
- विभिन्न सुरक्षा उपायों के बावजूद महिलाओं को रात के समय कार्य करने की अनुमति देने से उनके प्रति यौन शोषण की प्रवृत्ति में वृद्धि हो सकती है।
- संशोधित प्रावधान हड़तालों और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध से औद्योगिक कर्मियों की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं।
- नए प्रावधानों के तहत श्रमिकों को निर्माण कार्यस्थल के समीप अस्थाई आवास की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है, जिससे इन्हें आवास तथा परिवहन की समस्या उत्पन्न होगी।

निष्कर्ष

- काफी समय से लम्बित और बहुप्रतीक्षित श्रम सुधार संसद द्वारा पारित किये गए हैं। ये सुधार श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ ही आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देंगे। वास्तव में ये श्रम सुधार न्यूनतम सरकार एवं अधिकतम शासन के उम्दा उदाहरण हैं।
- कोविड-19 महामारी के बाद बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में श्रमिकों के अधिकारों और आर्थिक सुधारों में संतुलन आवश्यक है।
- किसी एक पक्ष का समर्थन करने से दीर्घकाल तक देश के समावेशी विकास के लक्ष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

करेंट अफेयर्स

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3

आर्थिक घटनाक्रम

कृषि अवसंरचना कोष : कृषि क्षेत्र के विकास का पहिया 60

जी.एस.टी. के तीन वर्ष : स्लैब, भुगतान, विवाद और विकल्प 61

MSME क्षेत्र: चुनौतियाँ और सरकारी प्रयास 65

स्वयं सहायता समूह और बढ़ता एन.पी.ए 67

व्यापार सुगमता सूचकांक और अपेक्षित सुधार तथा भारत 70

आर.बी.आई. द्वारा प्राथमिक क्षेत्रक ऋण मानदंडों में बदलाव 72

आवश्यक वस्तुओं की सूची में संशोधन : आवश्यकता और प्रभाव 74

कृषि विधेयक और किसान आंदोलन 76

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 79

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

ड्रोन तकनीक तथा आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियाँ 81

फोरेंसिक क्लोनिंग तथा सम्बंधित कानूनी पहलू 82

हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन : स्क्रैमजेट की क्षमता और महत्त्व 84

क्षुद्र ग्रहों से पृथ्वी को खतरा : चिंता और वास्तविकता 86

महासागरीय सेवाओं से जुड़ी प्रौद्योगिकी व ओ-स्मार्ट योजना 88

पर्यावरणीय घटनाक्रम

अटलांटिक महासागर में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण की गम्भीरता 90

बायोमास संयंत्र, बायो-सी.एन.जी. और बायो-एथेनॉल में पराली का अधिकतम 91

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु प्रस्ताव और भारत के लिये उसकी व्यावहारिकता 93

रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा

ऑनलाइन आंदोलन : बढ़ता प्रभाव तथा चुनौतियाँ 96

4 आर्थिक घटनाक्रम

कृषि अवसंरचना कोष : कृषि क्षेत्र के विकास का पहिया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund) के तहत वित्तपोषण की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme) की शुरुआत की गई है।

मुख्य बिंदु

- इसके तहत सरकार ने कई ऋण देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता करके एक लाख करोड़ रुपए की वित्तपोषण की योजना की शुरुआत की है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों में से 11 बैंकों द्वारा पहले ही कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिये गए हैं।
- सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 3% ब्याज सब्सिडी और 2 करोड़ रुपए तक की ऋण प्रतिभूति देने की घोषणा की गई है। योजना के अंतर्गत ऋण की गारंटी सरकार द्वारा दिये जाने से किसानों और संस्थाओं का जोखिम कम होता है।
- यह योजना किसानों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (Primary Agricultural Credit Societies), किसान उत्पादक संगठन (Farmers Producers Organisations–FPO) और कृषि उद्यमियों आदि को सामुदायिक कृषि परिसम्पत्तियों (Community Agricultural Assets) तथा फसलोपरांत कृषि अवसंरचना के निर्माण में सहायता प्रदान करेगी।
- इस योजना की सहायता से कृषि उपज का अधिक मूल्य उचित भंडारण और उसके विक्रय के साथ-साथ अपव्यय को कम करने तथा प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन (Value Addition) कर कृषि क्षेत्र से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। यह योजना कृषि क्षेत्र की मूल्य शृंखला (Value Chain) को मज़बूत और बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करेगी।

कृषि अवसंरचना कोष

- इस कोष की घोषणा इसी वर्ष मई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के अंतर्गत की गई थी। इस कोष का मुख्य उद्देश्य गाँवों में निजी निवेश और नौकरियों को बढ़ावा देना है।
- इस कोष के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, कलेक्शन सेंटर और प्रसंस्करण इकाइयाँ, गुणवत्ता केंद्र, पैकेजिंग यूनिट और ई-प्लेटफॉर्म्स की स्थापना की जाएगी, जिससे कृषि के बुनयादी ढाँचे का विकास होगा। फसल उत्पादन के बाद उसके प्रबंधन से सम्बंधित अवसंरचना के निर्माण में भी सहायता मिलेगी।
- कृषि अवसंरचना (Agriculture Infrastructure) के निर्माण से किसानों के पास फल, सब्जी और अन्य कृषि उत्पादों को रखने हेतु बेहतर भंडारण की सुविधा प्राप्त होगी। कोल्ड स्टोरेज में किसान अपनी फसल को रख पाएंगे। इससे फसलों की बर्बादी कम होगी और उचित समय पर उचित कीमत के साथ किसान अपनी फसल को बेच पाएंगे। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (Food Processing Units) के लग जाने से भी किसानों को बहुत फायदा होगा और प्रत्येक वर्ष होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी।
- किसानों के लिये खेतों के आस-पास के क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में कोल्ड-चेन और कटाई के बाद प्रबंधन के बुनयादी ढाँचे की कमी को देखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है।
- एक लाख करोड़ रुपए के कोष की इस योजना की अवधि 10 वर्ष अर्थात 2020 से 2029 तक होगी। इसके तहत पहले वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए और उसके बाद प्रत्येक 3 साल में 30-30 हज़ार करोड़ रुपए दिये जाएंगे। इस प्रकार 10 वर्ष में पूरे एक लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जाएगा।

- इस कोष की निगरानी एक ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (Management Information System–MIS) द्वारा की जाएगी, जिसमें पात्र लोग ऋण के लिये आवेदन कर सकेंगे। इस प्रणाली द्वारा राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर वास्तविक समय (रियल टाइम) में निगरानी की जाएगी।
- इस ऋण के भुगतान में 6 महीने से 2 साल तक का मोरेटोरियम (ऋण वापसी की अवधि) का लाभ मिल सकता है, साथ ही 3% वार्षिक ब्याज की छूट भी प्राप्त होगी। यह ब्याज छूट अधिकतम 7 वर्ष तक के लिये होगी। पात्र आवेदकों को उनके ऋण पर क्रेडिट गारंटी भी उपलब्ध होगी। यह सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिये बने क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (C.G.T.M.S.E.) के अंतर्गत ही प्रदान की जाएगी, जो कि 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर उपलब्ध होगी।

भारत के कृषि क्षेत्र पर एक नज़र

- कृषि क्षेत्र में देश की लगभग आधी श्रम आबादी कार्यरत है, लेकिन जी.डी.पी. में इसका योगदान केवल 17.54% है। पिछले कुछ दशकों के दौरान अर्थव्यवस्था के विकास में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का योगदान तेज़ी से बढ़ा है, जबकि कृषि क्षेत्र के योगदान में गिरावट हुई है।
- भारत का खाद्यान उत्पादन प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। भारत गेहूँ, चावल, दालें, गन्ने और कपास का प्रमुख उत्पादक है। यह दूध उत्पादन में पहले और फलों तथा सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।
- हालाँकि अनेक फसलों के मामले में चीन, ब्राज़ील और अमेरिका जैसे बड़े कृषि उत्पादक देशों की तुलना में भारत की कृषि उपज कम है (प्रति हेक्टेयर जमीन में उत्पादित होने वाली फसल की मात्रा)।
- भारत में कृषि की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जैसे खेती की जमीन का आकार घट रहा है तथा सिंचाई की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण किसान आज भी काफी हद तक मानसून पर निर्भर हैं।
- उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग के कारण मृदा की उर्वरता में निरंतर कमी आ रही है तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि के लिये आधुनिक तकनीक उपलब्ध नहीं है और न ही कृषि के लिये औपचारिक ऋण उपलब्ध हो पाता है।
- सरकारी एजेंसियों द्वारा खाद्यानों की पूरी खरीद नहीं की जाती और किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है।

आगे की राह

- इस योजना को अन्य सम्बंधित योजनाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिये, जैसे मत्स्य पालन तथा पशुपालन।
- भारत को जैविक खाद्य (ऑर्गेनिक फूड) तथा अन्य बढ़त वाले क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- सरकार को जमीन की पट्टेदारी हेतु कानून बनाने पर विचार करना चाहिये तथा किसानों को जल का कुशलतापूर्वक उपयोग करने हेतु आधुनिक तकनीकों से अवगत कराना चाहिये।
- किसान अपनी मेहनत से कृषि उत्पादन को गत वर्षों में बढ़ाकर भी दिखाया है लेकिन उन्हें अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिये व्यवसायी बनना होगा।

जी.एस.टी. के तीन वर्ष : स्लैब, भुगतान, विवाद और विकल्प

पृष्ठभूमि

भारत में वस्तु और सेवा कर (जी.एस.टी.) जुलाई 2017 से प्रभावी है। हाल ही में इसको लागू हुए तीन वर्ष पूरे हो गए हैं। जी.एस.टी. को परम्परागत 'उत्पादन-आधारित कर प्रणाली' से 'उपभोग-आधारित कर प्रणाली' की ओर एक बड़े परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। इस नई व्यवस्था में राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले कर,

जैसे- वैट, बिक्री कर, चुंगी कर (Octroi) या प्रवेश कर के साथ-साथ केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले कर, जैसे- केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर को भी समाहित किया गया है। जी.एस.टी. व्यवस्था के कारण राज्यों को सम्भावित राजस्व नुकसान की भरपाई हेतु इसके लागू होने से अगले पाँच वर्षों तक केंद्र द्वारा क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में राज्यों के लिये क्षतिपूर्ति के हिस्से को जारी करने और 'क्षतिपूर्ति उपकर शीर्ष' के तहत भुगतान को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच खींचतान चल रही है।

जी.एस.टी. में क्या शामिल है?

- जी.एस.टी. में केंद्र द्वारा राज्यों के भीतर (Intra-state– अंत:राज्यीय) वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर शामिल है, जिसको केंद्रीय जी.एस.टी. (CGST) कहते हैं। साथ ही सम्बंधित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा इन वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर भी शामिल है, जिसे राज्य जी.एस.टी. (SGSTèkUTGST) कहते हैं।
- कर से छूट प्राप्त (0% दर) वस्तुओं को छोड़कर, वस्तुओं और सेवाओं की प्रत्येक खरीद पर CGST व SGST एक साथ लगाए जाते हैं। उपभोक्ता प्रमुख टैक्स स्लैबों- 5%, 12%, 18% और 28% में से किसी के तहत एक समग्र दर का भुगतान करता है। इसमें से आधा हिस्सा केंद्र को तथा आधा सम्बंधित राज्य को प्राप्त होता है, जिससे राज्य में वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त एकीकृत जी.एस.टी. (IGST) अंतर-राज्यीय (Inter-state) लेन-देन तथा वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात व आयात पर लगाया जाता है। IGST, SGST और CGST का एक संयोजन है, जिसको केंद्र द्वारा लगाया व प्रशासित किया जाता है और बाद में उपभोग करने वाले राज्य और केंद्र के बीच वितरित कर दिया जाता है।
- इसके अलावा जी.एस.टी. परिषद् द्वारा अधिसूचित वस्तुओं पर 1% से लेकर 200% की दर के बीच 'क्षतिपूर्ति उपकर' लगाया जाता है। हालाँकि इन अधिसूचित वस्तुओं में 28% के उच्चतम स्लैब की कुछ हानिकारक और विलासिता वाली वस्तुओं, जैसे- सिगरेट, पान मसाला और ऑटोमोबाइल की कुछ श्रेणियाँ शामिल हैं।

जी.एस.टी. परिषद् (GST Council)

i. जी.एस.टी. परिषद्, केंद्र और राज्य सरकारों को जी.एस.टी. से जुड़े मुद्दों पर सिफारिश करने के लिये एक संवैधानिक निकाय है।

ii. जी.एस.टी. परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। अन्य सदस्यों के रूप में केंद्रीय वित्त या राजस्व राज्य मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त अथवा कराधान के प्रभारी मंत्री शामिल होते हैं।

iii. 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा अनुच्छेद 279A (1) को जोड़ा गया। अनुच्छेद 279A लागू होने के 60 दिनों के भीतर राष्ट्रप0ति द्वारा GST परिषद का गठन किये जाने का प्रावधान किया गया था।

जी.एस.टी. की कार्यप्रणाली

- जी.एस.टी. की कार्यप्रणाली को समझने के लिये 'चम्मच और कांटे' का एक उदाहरण लेते हैं, जिस पर जी.एस.टी. की दर 12% है। एक उपभोक्ता चम्मच और कांटे की कीमत पर 12% जी.एस.टी. का भुगतान करेगी, यदि वह इन वस्तुओं की खरीदारी इसका उत्पादन करने वाले राज्य (राज्य के भीतर लेन-देन का मामला) में करती है। फिर इसमें 6% की हिस्सेदारी CGST के रूप में केंद्र की और 6% की हिस्सेदारी SGST के रूप में राज्य की होगी।
- थोक (बी2बी- B2B) लेन-देन के लिये जी.एस.टी. व्यवस्था पहले से भुगतान किये गए कर के विरुद्ध विक्रेता को 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' (आई.टी.सी.) का दावा करने की अनुमति देता है।

- हालाँकि अगर चम्मच और कांटे किसी एक राज्य (मध्य प्रदेश) में निर्मित होते हैं और किसी अन्य राज्य (गुजरात) में बेचे जाते हैं तो अंतर-राज्यीय लेन-देन पर 12% IGST (6%CGST, 6% SGST) लगता है। IGST केंद्र द्वारा आरोपित और एकत्रित किया जाता है और बाद में वस्तुओं का उपभोग करने वाले राज्य के साथ विभाजित कर दिया जाता है।
- अब यदि कोई उपभोक्ता गुजरात में किसी दुकान से इसकी खरीदारी करता है तो वह 12% GST (6% CGST, 6% गुजरात SGST) का भुगतान करता है। दुकान-मालिक पहले ही इनपुट पर IGST का भुगतान कर चुके हैं। चूँकि जी.एस.टी. एक गंतव्य-आधारित कर है, इसलिये लेन-देन से IGST में राज्य की हिस्सेदारी उपभोग करने वाले राज्य गुजरात को प्राप्त होनी चाहिये, न कि निर्यात करने वाले राज्य मध्य प्रदेश को। इसलिये दुकान मालिक IGST का उपयोग CGST और गुजरात SGST का भुगतान करने के लिये क्रेडिट के रूप में कर सकते हैं।
- इस प्रकार निर्यात करने वाले राज्य में पहले किये गए IGST भुगतान से क्रेडिट के निर्धारण के बाद IGST का अंतिम विभाजन उपभोग करने वाले राज्य (गुजरात) और केंद्र के बीच होता है।

क्षतिपूर्ति उपकर की पृष्ठभूमि

- चूँकि जी.एस.टी. में राज्यों के लिये संरक्षित कर, जैसे- बिक्री कर आदि को समाहित कर लिया गया है, इसलिये भारत के संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता हुई। इस संशोधन के कारण सातवीं अनुसूची भी प्रभावित हुई है, अत: इसके लिये आधे राज्यों के विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता थी।
- जी.एस.टी. एक 'गंतव्य-आधारित कर' है। इसका तात्पर्य है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने वाले राज्यों को नुकसान होगा, जबकि उसका उपभोग करने वाले राज्यों को लाभ प्राप्त होगा। अत: निर्माता या उत्पादक राज्यों को जी.एस.टी. व्यवस्था से सहमत करने हेतु एक 'क्षतिपूर्ति फॉर्मूला' बनाया गया था।
- राज्य सभा की एक प्रवर समिति द्वारा सिफारिश में कहा गया कि क्षतिपूर्ति की गारंटी पाँच वर्ष की अवधि के लिये होनी चाहिये। इस प्रकार विनिर्माण करने वाले राज्यों की कर प्राप्तियों को एक गारंटी द्वारा संरक्षित किया गया।

क्षतिपूर्ति उपकर निधि

- 'क्षतिपूर्ति उपकर' के तौरतरीके जी.एस.टी. (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 द्वारा निर्दिष्ट किये गए थे।
- इस अधिनियम में माना गया कि प्रत्येक राज्य का जी.एस.टी. राजस्व आधार वर्ष 2015-16 में एकत्र की गई राशि की तुलना में प्रत्येक वर्ष 14% की दर से बढ़ेगा, इसमें जो राज्य किसी वर्ष इस राशि से कम कर एकत्रित करेगा, उस कमी की भरपाई के लिये क्षतिपूर्ति की जाएगी।
- इस राशि का भुगतान प्रत्येक दो महीने में अनंतिम लेखा-जोखा के आधार पर किया जाएगा और प्रत्येक वर्ष राज्य के खातों को नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण किये जाने के बाद समायोजित किया जाएगा।
- इसके लिये एक 'क्षतिपूर्ति उपकर निधि' बनाई गई, जिसमें से राज्यों को उनके कर संग्रह में कमी की स्थिति में भुगतान किया जाएगा। कुछ वस्तुओं पर अतिरिक्त उपकर लगाया जाएगा और इस उपकर का उपयोग क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिये किया जाएगा। ये उत्पाद पान मसाला, सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद, वातित जल (सोडा वाटर), केफीनयुक्त पेय पदार्थ, कोयला तथा कुछ यात्री मोटर वाहन हैं।
- इस योजना के अंतर्गत शुरू के दो वर्षों में एकत्र किये गए उपकर राज्यों के कर अनुमान से अधिक था। तीसरे वर्ष 2019-20 में इसमें गिरावट आई और निधि आवश्यकता से काफी कम हो गई।
- कर संग्रह में यह गिरावट अर्थव्यवस्था में मंदी के साथ-साथ उपकर निधि में योगदान देने वाले मोटर वाहन जैसे क्षेत्रों में नकारात्मक वृद्धि के कारण हुई।

राज्यों को क्षतिपूर्ति

- जी.एस.टी. (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार, राज्यों को पाँच वर्ष (2017 से 2022) की संक्रमण अवधि के लिये जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण राजस्व नुकसान हेतु क्षतिपूर्ति की गारंटी दी गई है।
- क्षतिपूर्ति की गणना राज्यों के वर्तमान जी.एस.टी. राजस्व और 2015-16 आधार वर्ष से 14% की वार्षिक राजस्व वृद्धि दर का अनुमान लगाने के बाद संरक्षित राजस्व के बीच अंतर के आधार पर की जाती है।
- ऐसा लगता है कि 14% की उच्च वृद्धि दर का निर्धारण आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में रख कर नहीं बल्कि 'मध्यम मार्ग की भावना' के रूप में स्वीकार किया गया था क्योंकि रिकॉर्ड बताते हैं कि जी.एस.टी. परिषद की शुरुआती कुछ बैठकों में 10.6% की राजस्व वृद्धि दर का प्रस्ताव किया गया था, जो वर्ष 2015-16 से पूर्व के तीन वर्षों की औसत अखिल भारतीय विकास दर के बराबर थी।

क्षतिपूर्ति और विवाद

- राज्यों के लिये क्षतिपूर्ति के भुगतान में देरी पिछले वर्ष अक्तूबर माह से जी.एस.टी. के राजस्व में गिरावट आने के बाद शुरू हुई। अप्रैल-जून तिमाही में जी.एस.टी. राजस्व में 41% की गिरावट देखी गई है।
- आधार वर्ष 2015-16 से कर राजस्व में वृद्धि की गणना 14% की चक्रवृद्धि दर से किया गया है परंतु पिछले दो वर्षों से GST संग्रह समान स्तर पर बना हुआ है, परिणामस्वरूप राज्यों का मासिक संरक्षित राजस्व, जो 2019-20 के लिये 55,882 करोड़ रुपए था, 2020-21 में बढ़कर 63,706 करोड़ रुपए हो गया है।
- चालू वित्त वर्ष में IGST के निपटारे को ध्यान में रखते हुए जुलाई माह में SGST राजस्व और मासिक संरक्षित राजस्व के बीच अंतर 23,450 करोड़ रु. का है। राज्यों के लिये मार्च की क्षतिपूर्ति को जुलाई के अंत में जारी किया गया, जबकि इस वित्त वर्ष में 4 माह (अप्रैल से जुलाई) के लिये क्षतिपूर्ति विचाराधीन है।

विवाद की वर्तमान स्थिति

- वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निकट भविष्य में राज्यों को क्षतिपूर्ति करने की केंद्र की अक्षमता की रिपोर्ट के बाद ताजा विवाद उत्पन्न हो गया है। भारत के महान्यायवादी की कानूनी राय है कि 'केंद्र राजस्व में कमी के लिये भुगतान करने हेतु बाध्य नहीं है'। इसके बाद यह विवाद और बढ़ गया।
- महान्यायवादी ने सुझाव दिया कि जी.एस.टी. परिषद केंद्र से सिफारिश कर सकती है कि वह राज्यों को 'क्षतिपूर्ति निधि से भविष्य की प्राप्तियों के सामर्थ्य के आधार पर उधार लेने की अनुमति दे' और केंद्र को इस मामले में अंतिम निर्णय लेना होगा।
- पंजाब, केरल तथा बिहार जैसे राज्य राजस्व अंतर को पाटने के लिये उधार लेने के पक्ष में नहीं हैं, जिसे क्षतिपूर्ति उपकर निधि से चुकाया जाएगा। उनका विचार है कि राजस्व की कमी को पूरा करने के लिये क्षतिपूर्ति निधि में प्राप्तियाँ बहुत कम होने की सम्भावना है।

मुद्दा

- इस वर्ष नकारात्मक जी.डी.पी. वृद्धि दर की उम्मीद की जा रही हैं और सांकेतिक जी.डी.पी. (Nominal GDP) पिछले वर्ष के स्तर के करीब है।
- चूँकि अप्रत्यक्ष करों को लेन-देन के सांकेतिक मूल्य पर लगाया जाता है, परिणामस्वरूप राज्यों के सुनिश्चित कर संग्रह में महत्त्वपूर्ण कमी होने की सम्भावना है। समस्या का एक प्रमुख स्रोत 14% की कर वृद्धि दर की गारंटी है, जो इस वर्ष लगभग असम्भव है।
- सरकार और आर.बी.आई. द्वारा मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% (± 2) निर्धारित किया गया है, जिसका निहितार्थ है कि वास्तविक जी.डी.पी. में वृद्धि होगी और अनुमानत: (9% का) कर उछाल भी होगा। हालाँकि इस वर्ष के लिये यह एक अवास्तविक लक्ष्य है।

सम्भव संकल्प व उपाय

- पहला, गारंटी की अवधि को कम करके तीन वर्ष करने के लिये संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यह अवधि जून 2020 में समाप्त हो जाएगी। हालाँकि यह एक कठिन विकल्प है।
- दूसरा, केंद्र सरकार अपने स्वयं के राजस्व से इस कमी को वित्तपोषित कर सकती है। हालाँकि इसके लिये भी यह एक कठिन समय है।
- तीसरा, केंद्र उपकर निधि के आधार पर उधार ले सकता है। उपकर की अवधि को पाँच वर्ष से आगे तब तक बढ़ाई जा सकती है, जब तक कि एकत्रित किया गया उपकर इस ऋण और उस पर ब्याज का भुगतान करने के लिये पर्याप्त न हो जाए।
- चौथा, केंद्र राज्यों को समझा सकता है कि 14% वृद्धि का लक्ष्य हमेशा से अवास्तविक रहा है। लक्ष्य को सांकेतिक जी.डी.पी. वृद्धि से जोड़ा जाना चाहिये था।

आगे की राह

संविधान केंद्र को राज्यों की कमी की भरपाई के लिये बाध्य करता है और एकत्रित किया गया उपकर इस उद्देश्य के लिये पर्याप्त नहीं होगा। राज्यों ने कर या उपकर की दरों को बढ़ाने या 28% स्लैब और क्षतिपूर्ति उपकर के तहत अधिक वस्तुओं को लाने का सुझाव दिया है। पंजाब ने सुझाव दिया है कि बाकी के राजस्व अंतर को केंद्र द्वारा बाज़ार से उधार के माध्यम से पाटा जा सकता है और फिर राज्यों को क्षतिपूर्ति दिया जा सकता है। इसके लिये जी.एस.टी. परिषद को एक व्यावहारिक समाधान खोजना चाहिये।

MSME क्षेत्र: चुनौतियाँ और सरकारी प्रयास

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) क्षेत्र पिछले पाँच दशकों के भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अत्यधिक जीवंत एवं गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। इस क्षेत्र ने भारत की अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी में फँसने से बचाया था। कुल मिलाकर यह क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था के लिये रीढ़ की हड्डी जैसा किरदार निभा रहा है। वर्तमान समय में यह क्षेत्र कुछ विशेष दिक्कतों व चुनौतियों का सामना कर रहा है।

पृष्ठभूमि

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र को विश्व भर में विकास के इंजन के रूप में जाना जाता है। दुनिया के कई देशों ने इस क्षेत्र के विकास के सम्बंध और सभी सरकारी कार्यों में समन्वय की देख-रेख के लिये एक नोडल एजेंसी के रूप में एम.एस.एम.ई. विकास एजेंसी की स्थापना की है। भारत के मामले में भी मध्यम उद्योग स्थापना को एक अलग नियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) विकास अधिनियम, 2006 (02 अक्तूबर, 2016 से लागू) है।

1. **सूक्ष्म उद्योग की परिभाषा (Definition of Micro Industries):-** जिन उद्योगों में निवेश एक करोड़ से कम एवं टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उन्हें सूक्ष्म उद्योग कहा जाएगा।
2. **लघु उद्योग की परिभाषा (Definition of Small Industries):-** जिन उद्योगों में निवेश 10 करोड़ से कम एवं टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, उन्हें सूक्ष्म उद्योग कहा जाएगा।
3. **मध्यम उद्योग की परिभाषा (Definition of Medium Industries):-** जिन उद्योगों में निवेश 20 करोड़ से कम एवं टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, उन्हें मध्यम उद्योग कहा जाएगा।

MSMEs के साथ जुड़े विषय

- एम.एस.एम.ई. द्वारा जी.डी.पी. में 20% का योगदान देने और लगभग 110 मिलियन श्रमिकों को रोज़गार देने के बावजूद इसे अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये एक दूरगामी एवं साहसिक नीति बनाने में सरकार विफल रही है।

- एक बड़ी समस्या है कि एम.एस.एम.ई.क्षेत्र का आकार बड़ा नहीं हो रहा है और उनकी गतिशीलता में भी कमी आ रही है। अनुमानित कुल 6 करोड़ उद्यमों में से 99% सीमित आकांक्षा वाले सूक्ष्म उद्यम ही हैं।
- संरचनात्मक प्रतिस्पर्धा की कमी इनसे जुड़ा मूल मुद्दा है।

संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान

आकार

- यदि हम भारत के सबसे बड़े कपड़ा समूह (क्लस्टर) तथा बांग्लादेश के सबसे बड़े समूह पर विचार करें तो तिरुपुर में 70% से अधिक इकाइयाँ, 10 से कम कर्मचारियों वाली सूक्ष्म उद्यम हैं, जबकि बांग्लादेश के नारायणगंज में केवल 20% इकाइयों में 10 से कम कर्मचारी कार्य करते हैं।
- यह कारक बांग्लादेश में क्लस्टर को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है और यहाँ के निर्यात को भारत की तुलना में तेज़ी से बढ़ने में मदद करता है। हालाँकि बांग्लादेश की परिस्थितियाँ कई अन्य मामलों में अनुकूल भी हैं, लेकिन यह संरचनात्मक अंतर महत्त्वपूर्ण है।

आकार और उत्पादकता के बीच सम्बंध

- OECD द्वारा उद्योगरत MSMEs के उत्पादकता से जुड़े आँकड़े बताते हैं कि मध्यम फर्मों (50-250 कर्मचारियों वाली फर्में) की उत्पादकता सूक्ष्म फर्मों (<9 कर्मचारियों) की तुलना में 80-100% अधिक हो सकती है।
- बड़े पैमाने पर कार्य करने से उन्हें कौशल में सुधार करने के लिये लोगों को बेहतर प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं में व नवाचार में निवेश करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
- जितनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है, कम्पनी उतनी आगे बढ़ती है और अक्सर देखा गया है कि अनेक छोटी कम्पनियाँ भी उच्च प्रतिस्पर्धा की वजह से विश्वस्तर पर बहुत आगे तक गई हैं।
- क्षमताओं और उत्पादकता में वृद्धि और सुधार, किसी भी देश की औद्योगिक संरचना की गतिशीलता के लिये अत्यंत ज़रूरी है।
- सूक्ष्म-उद्यमों की यह गतिशीलता चीन की असाधारण औद्योगिक सफलता के मुख्य कारणों में से थी, यद्यपि मीडिया में इसे रिपोर्ट नहीं किया गया।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान

- वर्तमान में MSMEs द्वारा भारत में लगभग 12 करोड़ लोगों को रोज़गार प्राप्त हुआ है।
- MSMEs, भारत के कुल निर्यात में करीब 45% योगदान देते हैं।
- MSMEs, भारत के विनिर्माण-सकल घरेलू उत्पाद में 6.11% का योगदान देते हैं, सेवा क्षेत्र से मिलने वाली GDP में 25% का योगदान देते हैं।
- इस क्षेत्र ने लगातार 10% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर को बनाए रखा है।
- देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 8% का है।
- MSMEs की बहुत-सी इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थित हैं, जिसके कारण गाँवों से शहरों की ओर पलायन रुका है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) के लिये आर्थिक पैकेज 2020 में घोषित मुख्य बातें:

- जो MSMEs, क्षम हैं, लेकिन कोरोना की वजह से दिक्कत में हैं, उन्हें कारोबार विस्तार के लिये10,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से सहयोग दिया जाएगा। यह विभिन्न MSMEs को इक्विटी फंड के तहत फंडिंग उपलब्ध कराएगा।

- तीन लाख करोड़ रुपए तक के कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन MSME को बिना गारंटी के दिये जाएंगे। इस स्कीम का लाभ 31 अक्तूबर 2020 तक लिया जा सकता है।
- इस लोन को चुकाने की समय-सीमा चार साल की होगी और मूलधन चुकाने के लिये 12 महीनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसमें पहले एक साल में मूलधन चुकाने की ज़रूरत नहीं होगी।
- जो MSME अच्छा कारोबार कर रहे हैं और विस्तार करना चाहते हैं लेकिन विस्तार करने के लिये फंड नहीं हैं, उनके लिये भी फंड ऑफ फंड्स बनाया जा रहा है। इससे पचास हज़ार करोड़ की इक्विटी आएगी।
- इस आर्थिक पैकेज से 45 लाख MSMEs को फायदा मिलेगा।

MSMEs की मुख्य चुनौतियाँ

आँकड़ों का अभाव

- भारत में MSMEs सामान्यत: अत्यंत लघु स्तर पर कार्य करते हैं व अधिकांश पंजीकृत नहीं हैं। इनमें से अधिकतर के किसी प्रकार के खाते नहीं हैं एवं वे वस्तु और सेवा कर (GST) देने या अन्य नियमों का पालन सक्रिय रूप से नहीं करते।
- इससे वे कुछ कर तो बचा लेते हैं किंतु पंजीकरण न होने के कारण आवश्यकता के समय सरकार उन तक नहीं पहुँच पाती, जिससे वे सब्सिडी आदि से वंचित रह जाते हैं। कोविड-19 के समय यह विशेष रूप से देखा गया।

- **आर्थिक चुनौतियाँ:** वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation– IFC) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, MSME क्षेत्र को उनकी कुल आवश्यकता का एक-तिहाई (लगभग 11 लाख करोड़ रुपए) से कम ऋण ही उपलब्ध हो पाता है।
  - MSMEs अपना अधिकांश ऋण अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं। इसी वजह से रिज़र्व बैंक इनमें तरलता बढ़ाने को लेकर ज़्यादा उपाय नहीं कर पाता।
- इसके अलावा भी कुछ अन्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जैसे-
  - उत्पादन का छोटा पैमाना
  - पुरानी तकनीक का इस्तेमाल
  - आपूर्ति श्रृंखला की अक्षमताएँ, बढ़ती हुई घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धा
  - कार्यरत पूंजी की कमी
  - समय पर बड़ी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से व्यापार प्राप्त नहीं होना।
  - अपर्याप्त कुशल कार्यशक्ति

आगे की राह

- इस तरह के मुद्दों के साथ बने रहने तथा बड़े और वैश्विक उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिये एम.एस.एम.ई. को अपने अभियान में नवीन दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। उन्हें एक मज़बूत तकनीकी आधार, प्रतिस्पर्धा की भावना और खुद को पुनर्गठित करने की प्रबल इच्छाशक्ति की ज़रूरत है।

स्वयं सहायता समूह और बढ़ता एन.पी.ए.

- हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने राज्यों से कहा है कि वे गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों (Non Performing Assets - एन.पी.ए.) की वर्तमान स्थिति पर ध्यान दें और स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) से अतिदेय/बकाया राशि की वसूली के लिये सुधारात्मक उपाय लागू करें।
- उल्लेखनीय है कि यह मुद्दा दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की समीक्षा बैठक में उठाया गया।

- जब ऋण लेने वाला व्यक्ति 90 दिनों तक ब्याज या मूलधन का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसको दिया गया ऋण गैर निष्पादित परिसम्पत्ति माना जाता है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय आजीविका मिशन

- दीनदयाल अंत्योदय योजना मुख्यत: राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) का एकीकरण है।
- यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डी.ए.वाई.-एन.आर.एल.एम.) तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक महत्त्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य गरीबों के विकास के लिये सतत सामुदायिक संस्थानों की स्थापना करना, इसके माध्यम से ग्रामीण गरीबी को समाप्त करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के विविध स्रोतों को प्रोत्साहन देना है।
- केंद्र द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम को राज्यों के सहयोग से लागू किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस मिशन को वर्ष 2011 में लॉन्च किया गया था।
- आँकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो NRLM का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से देश के 600 जिलों, 6000 ब्लॉकों, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6 लाख गाँवों के लगभग 7 करोड़ गरीब ग्रामीण परिवारों के लिये अगले 8-10 वर्षों की आजीविका को सुनिश्चित करना है।
- NULM योजना शहरी सड़क विक्रेताओं की आजीविका सम्बंधी समस्याओं को देखते हुए उभरते बाज़ार के अवसरों तक उनकी पहुँच को सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त जगह, संस्थागत ऋण और सामाजिक सुरक्षा व कौशल प्रदान करके आजीविका को सुविधाजनक बनाने से सम्बंधित है।
- इसके अलावा योजना का लक्ष्य शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और जोखिम को कम करने के लिये उन्हें लाभकारी स्वरोज़गार और कुशल मज़दूरी के अवसर का उपयोग करने में सक्षम बनाना है ताकि जमीनी स्तर पर उनकी आजीविका में स्थाई सुधार हो सके।

प्रमुख बिंदु

एस.एच.जी. ऋण एन.पी.ए. के रूप में

- मार्च 2020 के अंत तक देश भर में लगभग 54.57 लाख एस.एच.जी.को ऋण के रूप में 91,130 करोड़ रुपए दिये गए हैं।
  - गौरतलब है कि इस राशि का लगभग लगभग 2.37% अर्थात लगभग 2,168 करोड़ रुपए एन.पी.ए. घोषित हो चुके हैं।
- स्वयं सहायता समूहों को दिये गए बैंक ऋणों में एन.पी.ए. का अनुपात पिछले एक दशक में काफी बढ़ गया है, 2008 में यह 2.90% था, जो 2018 में बढ़कर 6.12% तक पहुँच गया है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 में एस.एच.जी. ऋण के समग्र एन.पी.ए. में 0.19% की वृद्धि हुई है।

राज्यवार वितरण

- उत्तर प्रदेश में 71,907 एस.एच.जी. समूहों द्वारा लिये गए ऋण में से 36.02% मार्च 2020 के अंत तक एन.पी.ए. घोषित हो गया था, जबकि 2018-19 में यह 22.16% था।
- अरुणाचल प्रदेश में एन.पी.ए. अनुपात में 43% की वृद्धि चौंकाने वाली थी, जबकि यहाँ स्वयं सहायता समूहों की संख्या सिर्फ 209 है।
- ध्यातव्य है कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एस.आर.एल.एम.) को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्देशित किया गया था कि एन.पी.ए. की जिलेवार निगरानी की जाए और जहाँ भी एन.पी.ए. या अतिदेय के उदाहरण दिखें, वहाँ तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

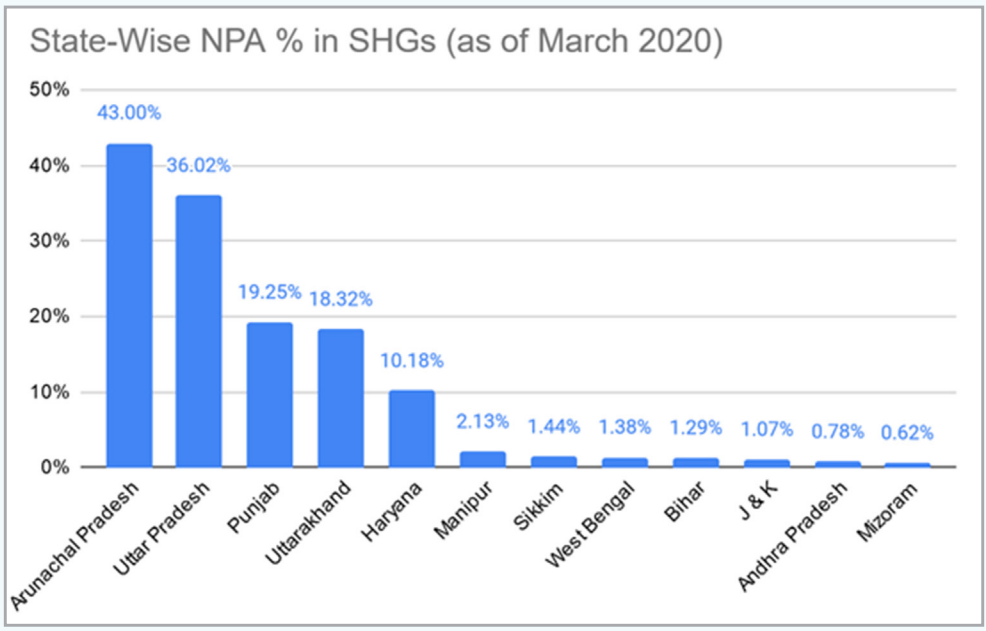

- **बढ़ते एन.पी.ए. के कारण:** वर्ष 2019 में, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज (NIRDPR) ने एस.एच.जी. द्वारा लिये गए ऋणों के एन.पी.ए. पर एक शोध साझा किया था।
  - ❖ इसमें पाया गया कि खराब आर्थिक स्थिति, सहयोग का ना होना, प्रशिक्षण की कमी, विवाह और सामाजिक समारोहों के लिये खर्च और आपात चिकित्सा स्थिति आदि एस.एच.जी. द्वारा ऋण का भुगतान न कर पाने के मुख्य कारण हैं।
  - ❖ सरकार से ऋण माफी की उम्मीदें रखना भी एस.एच.जी. के खराब वित्तीय प्रबंधन का एक प्रमुख कारण माना गया।

एस.एच.जी. को बढ़ावा देने के लिये केंद्र सरकार द्वारा पहल

- कृषि अवसंरचना निधि
- माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज
- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना
- अम्बेडकर स्वास्थ्य विकास योजना
- उत्तर-पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज (NIRD & PR)

- यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है जो कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के क्षेत्र में एक शीर्ष राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र है।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यू.एन.-एस्कैप के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- यह संस्थान प्रशिक्षण अनुसंधान और परामर्श के परस्पर क्रियाकलापों द्वारा ग्रामीण विकास के पदाधिकारियों, पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंकरों तथा गैर सरकारी संगठनों की ग्रामीण विकास की क्षमता को बढ़ाता है। यह संस्थान हैदराबाद (तेलंगाना) में स्थित है।
- एन.आई.आर.डी. एवं पी.आर. ने 2008 में अपने स्थापना वर्ष की स्वर्ण जयंती मनाई।
- हैदराबाद में मुख्य परिसर के अतिरिक्त उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये गुवाहाटी (असम) में भी इस संस्थान का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थित है।

सुझाव

- एस.एच.जी. को विधिवत प्रशिक्षित करना और उन्हें उत्पादों/सेवाओं के लिये बाज़ार लिंकेज प्रदान करना ताकि वे आय सृजन के लिये धन का सही उपयोग कर सकें एवं सरकार द्वारा दी गई ऋण राशि का भुगतान करने में कोई समस्या उत्पन्न न हो। इसके अलावा ऋण के साथ ही कम ब्याज दर या कम लागत पर स्वास्थ्य व जीवन बीमा प्रदान करने से सदस्यों को सहायता मिलेगी।
- यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि स्वयं सहायता समूह की ग्रेडिंग सही तरीके से की जाए और ऋण तभी दिये जाएँ, जब वह समूह ऋण लेने के लिये उपयुक्त हो। इसके लिये इन समूहों की निरंतर निगरानी भी ज़रूरी है।
- ऋण की मात्रा का निर्धारण सही ढंग से होना चाहिये, यथा– यह ऋण कितना बड़ा होगा या कितने भागों में दिया जाएगा या इसके लिये क्या मानक होने चाहियें, यह सब निर्धारित किया जाना बहुत ज़रूरी है।

आगे की राह

- एस.एच.जी.के मामले में एन.पी.ए. का बढ़ना चिंता का प्रमुख विषय है, लेकिन सरकार को एस.एच.जी. का समर्थन करने से पीछे नहीं हटना चाहिये। लॉकडाउन के बाद आर्थिक पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण बहुत आवश्यक है, जिसमें स्वयं सहायता समूह सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- सरकार को विभिन्न माध्यमों से सुनिश्चित करना पड़ेगा कि किस प्रकार स्वयं सहायता समूहों की ऋण के संदर्भ में प्रतिबद्धता निर्धारित की जाए, साथ ही ध्यान देना होगा कि इसकी वजह से उनके कार्यों पर कोई असर भी न पड़े।

व्यापार सुगमता सूचकांक और अपेक्षित सुधार तथा भारत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व बैंक द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित किये जाने वाले 'व्यापार सुगमता सूचकांक' के प्रकाशन को कुछ देशों के आँकड़ों में अनियमितता पाए जाने के कारण रोक दिया गया है।

पृष्ठभूमि

वर्ष 2018 और 2020 के व्यापार सुगमता सूचकांक के आँकड़ों में बदलाव के सम्बंध में कई अनियमितताएँ पाई गई हैं। ये सूचकांक क्रमशः वर्ष 2017 और 2019 में अक्तूबर माह में प्रकाशित किये गए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार चीन, अजरबैजान, यू.ए.ई. और सऊदी अरब ऐसे राष्ट्रों में हैं, जिनके पास 'अनुचित रूप से परिवर्तित' डाटा हो सकता है।

व्यापार सुगमता सूचकांक

- 'व्यापार सुगमता सूचकांक' विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक सूचकांक है। इसे विश्व बैंक समूह के दो प्रमुख अर्थशास्त्रियों शिमोन जोन्कॉव और गेरहार्ड पोहल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। सर्वप्रथम इस रिपोर्ट को वर्ष 2002 में प्रकाशित किया गया।
- विभिन्न मापदंडों पर आधारित यह एक समग्र आँकड़ा है, जो इस समूह में शामिल देशों में व्यापार सुगमता की स्थिति को परिभाषित करता है। उच्च रैंकिंग (या निम्न संख्यात्मक मान, जैसे-1 का अर्थ उच्चतम रैंकिंग) व्यवसायों के लिये बेहतर, आमतौर पर सरल विनियमन और सम्पत्ति अधिकारों के मज़बूत संरक्षण को इंगित करता है।
- यह व्यापार विनियमन का एक बेंचमार्क अध्ययन है, जिसमें प्रयोग किये जाने वाले संकेतकों में निर्माण कार्य के लिये परमिट, सम्पत्ति का पंजीकरण, सीमा पार व्यापार, कारोबार शुरू करने के लिये आवश्यकताएँ,

क्रेडिट प्राप्त करने की स्थिति, कर भुगतान तंत्र, निवेशकों की सुरक्षा, विद्युत की प्राप्ति और दिवालियेपन का समाधान आदि शामिल हैं।

- इस इंडेक्स का मतलब सीधे तौर पर व्यवसायों को प्रभावित करने वाले नियमों को मापना है। यह सामान्य परिस्थितियों, जैसे- बड़े बाज़ारों तक देश की पहुँच, बुनियादी ढाँचे की गुणवत्ता तथा मुद्रास्फीति या अपराध आदि के स्तर को नहीं मापता है।
- वर्ष 2020 के लिये भारत की रैंकिंग 63 थी, जिसमें पिछले वर्ष के मुकाबले 14 स्थानों में सुधार देखा गया था। विश्व बैंक द्वारा डाटा प्रामाणिकता के मुद्दे पर अपनी वार्षिक 'डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट के प्रकाशन को रोकने का फैसला महत्त्वपूर्ण है और इसके कई निहितार्थ हैं।

विश्व बैंक का दृष्टिकोण

- विश्व बैंक द्वारा पिछले पाँच व्यापार सुगमता रिपोर्ट के लिये संस्थागत डाटा समीक्षा प्रक्रिया के बाद हुए डाटा परिवर्तनों की एक व्यवस्थित समीक्षा और मूल्यांकन किया जाएगा।
- विश्व बैंक समूह के स्वतंत्र आंतरिक लेखा परीक्षण व्यवस्था द्वारा डाटा संग्रह की प्रक्रियाओं को ऑडिट करना, व्यापार सूचकांक की समीक्षा और डाटा की प्रामाणिकता के लिये नियंत्रण को बढ़ाना भी इन प्रयासों में शामिल हैं।

रैंकिंग और 'मेक इन इंडिया'

- भारत 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत निवेश को आकर्षित करने के लिये व्यापार सूचकांक में अपनी रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिये प्रयासरत है। इस पहल का लक्ष्य जी.डी.पी. में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 25% (16-17% से) तक बढ़ाना तथा वर्ष 2022 तक इस क्षेत्र में 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियाँ पैदा करना है।
- इस सूचकांक में भारत ने शानदार सफलता अर्जित की है। भारत वर्ष 2015 में जहाँ 142वें स्थान पर था, वहीं वर्ष 2020 में 63वें स्थान पर पहुँच गया। इस उपलब्धि को 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' के लिये भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- व्यापार सूचकांक के पिछले पाँच वर्षों की रिपोर्ट के ऑडिटिंग के फैसले से भारत की रैंकिंग में कमी आ सकती है। जनवरी 2018 में वैश्विक विकास केंद्र के अध्ययन में भी पाया गया कि भारत की रैंकिंग में सुधार कदाचित पूरी तरह से पद्धतिगत परिवर्तनों के कारण ही था।

भारत का मामला

- देशों की रैंकिंग में सुधार और ज़मीनी वास्तविकता में काफी अंतर देखा गया है। भारत की जी.डी.पी. में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 16-17% पर स्थिर है और वर्ष 2011-12 से 2017-18 के मध्य लगभग 3.5 मिलियन नौकरियों का नुकसान हुआ है।
- राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार विनिर्माण में वार्षिक जी.डी.पी. वृद्धि दर वर्ष 2015-16 में 13.1% से गिरकर वर्ष 2019-20 में शून्य हो गई।
- इस रिपोर्ट के वर्ष 2020 के लिये जारी संस्करण में भारत उन शीर्ष 10 देशों में शामिल है, जिसकी रैंकिंग में पिछले वर्ष के मुकाबले सबसे बड़ी उछाल देखी गई।
- हालाँकि इस बीच भारत की चीन पर आयात निर्भरता भी बढ़ गई है, जिसका एक परिणाम 'आत्मनिर्भर भारत' पहल की घोषणा है।

चिली और रूस का मामला

- इसी अवधि के दौरान चिली की रैंकिंग वर्ष 2014 में 34 से कम होकर वर्ष 2017 में 57 पर आ गई। चिली के तत्कालीन राष्ट्रपति ने विश्व बैंक पर व्यापार सूचकांक की कार्यप्रणाली में हेरफेर का भी आरोप लगाया था।

- वर्ष 2017 में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और नोबल पुरस्कार विजेता पॉल एम. रोमर ने विश्व बैंक की गलतियों को स्वीकार भी किया था। रूस के साथ भी यही स्थिति रही और उसकी रैंकिंग वर्ष 2012 में 120 से वर्तमान में 28 पर आ गई है। इन वर्षों के दौरान रूस किसी बड़े निवेश अंतर्वाह के बिना ही चीन, ब्राज़ील और भारत से आगे निकल गया।
- इसके विपरीत सबसे अधिक पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने के बाबजूद वर्ष 2006 और 2017 के बीच चीन की व्यापार रैंकिंग 78 से 96 के बीच ही रही। हालाँकि वर्तमान में चीन की रैंकिंग 31 है।

संकेतक में सैद्धांतिक आधार का अभाव और प्रमुख दोष

- सूचकांक के संरचना और कार्यान्वयन में कई दोष हैं। सूचकांक के लिये उपयोग किये जाने वाले संकेतक केवल कानूनी संरचना पर ही आधारित हैं, उन कानूनों के संचालन में आने वाली समस्याओं और वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित नहीं हैं। सूचकांक की गणना के लिये केवल दो शहरों, मुम्बई और दिल्ली से वकीलों, एकाउंटेंट और दलालों से आँकड़े एकत्र किये गए हैं, न कि उद्यमियों से।
- इसके अतिरिक्त विश्व बैंक द्वारा ही किये गए एक 'वैश्विक उद्यम सर्वेक्षण रिपोर्ट' और 'व्यापार सुगमता रैंकिंग' में कोई अंतर्सम्बंध नहीं दिखाई दिया है।
- साथ ही व्यापार सुगमता सूचकांक के सैद्धांतिक आधार पर भी संदेह व्यक्त किया गया है, जो कि अधिक गम्भीर मुद्दा है। बहुत कम आर्थिक विचार ऐसे हैं, जिनके अनुसार श्रम और पूंजी का न्यूनतम विनियमन बाज़ार उत्पादन और रोज़गार के मामले में बेहतर परिणाम देते हैं।
- आर्थिक विकास के इतिहास में किसी सामान्यीकृत सिद्धांत के स्थान पर देशों के आर्थिक प्रदर्शन और नीतिगत शासनों में काफी विविधता दिखाई पड़ती है। व्यापार सुगमता के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये कारखानों के सुरक्षा मानकों से भी समझौता किया जाता है।
- उदाहरणस्वरूप वर्ष 2016 में महाराष्ट्र सरकार ने बॉयलर अधिनियम, 1923 और भारतीय बॉयलर विनियमन, 1950 के तहत भाप बॉयलरों के वार्षिक अनिवार्य निरीक्षण को समाप्त कर दिया।
- साथ ही किसी भी कारखाने ने स्व-प्रमाणन का भी पालन नहीं किया है या किसी तीसरे पक्ष से बॉयलर को प्रमाणित नहीं करवाया।

निष्कर्ष

किसी व्यवसाय की व्यवहार्यता उस अर्थव्यवस्था की जीवन-शक्ति पर निर्भर करती है। चिली और भारत के विपरीत अनुभवों के कारण न केवल देश-स्तर के आँकड़ों पर संदेह व्यक्त किया गया बल्कि अंतर्निहित कार्य प्रणाली में भी बदलाव हुआ है। यह उचित समय है, जब विश्व बैंक को व्यापार सुगमता सूचकांक रिपोर्ट तैयार करने हेतु पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। भारत को भी इस पर विचार करना चाहिये कि उसके रैंकिंग में अधिक सुधार तथा जमीनी वास्तविकता में अंतर क्यों है। हालाँकि विश्व बैंक द्वारा पिछले पाँच वर्षों की रिपोर्ट की व्यवस्थित समीक्षा एक सराहनीय कदम है।

आर.बी.आई. द्वारा प्राथमिक क्षेत्रक ऋण मानदंडों में बदलाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) ने स्टार्ट-अप और कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में वित्तपोषण बढ़ाने के उद्देश्य से प्राथमिकत क्षेत्रक ऋण मानदंडों के लिये संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

प्राथमिक क्षेत्रक ऋण (Priority Sector Lending)

- पी.एस.एल. को रोज़गार सृजन करने वाले प्रमुख क्षेत्रों, जैसे- कृषि और एम.एस.एम.ई. के साथ-साथ विशेष रूप से कमज़ोर वर्गों तक ऋण की पहुँच व ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से

पेश किया गया था। वर्ष 2016 में प्राथमिक क्षेत्रक ऋण प्रमाण-पत्र (PSL-Cs) को प्रारम्भ किया गया, जिसका उद्देश्य विभिन्न बैंकों को उनकी विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में तुलनात्मक लाभ का समर्थन करना था।

- प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित श्रेणियाँ शामिल हैं-
  - कृषि- कृषि ऋण, कृषि अवसंरचना और सहायक गतिविधियाँ
  - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
  - निर्यात ऋण, शिक्षा और आवास
  - सामाजिक संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य।

संशोधन की आवश्यकता

- यह निर्णय प्राथमिक क्षेत्रक ऋण (PSL) दिशा-निर्देशों की व्यापक समीक्षा और सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद लिया गया है।
- इसका उद्देश्य उभरती हुई राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित होना और समावेशी विकास पर गहन ध्यान केंद्रित करना है।
- इससे पूर्व पी.एस.एल. दिशा-निर्देशों की समीक्षा अंतिम बार अप्रैल 2015 में वाणिज्यिक बैंकों के लिये और मई 2018 में शहरी सहकारी बैंकों (यू.सी.बी.) के लिये की गई थी।

नए बदलाव

- प्राथमिक क्षेत्रक के तहत वित्त के लिये पात्र नई श्रेणियाँ निम्नानुसार हैं:
  - स्टार्ट-अप को ₹50 करोड़ तक का बैंक वित्त
  - ग्रिड से जुड़े हुए कृषि पम्पों के सोलराइजेशन हेतु सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिये किसानों को ऋण
  - संपीड़ित बायोगैस (CBG) संयंत्र स्थापित करने के लिये किसानों को ऋण
- जहाँ प्राथमिक क्षेत्रक क्रेडिट प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है, उन 'चिन्हित ज़िलों' में वृद्धिशील प्राथमिक क्षेत्रक क्रेडिट को अधिक महत्त्व प्रदान किया गया है।
- 'छोटे और सीमांत किसानों' और 'कमज़ोर वर्गों' के लिये निर्धारित लक्ष्यों को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाना है। पूर्व-निर्धारित मूल्यों पर उपज के विपणन आश्वासन के साथ खेती करने वाले किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.)/किसान उत्पादक कम्पनियों (एफ.पी.सी.) के लिये उच्चतर ऋण सीमा निर्दिष्ट की गई है।
- इसके अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा के लिये ऋण सीमा दोगुनी कर दी गई है। वाणिज्यिक बैंकों को संशोधित दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
- साथ ही देश के स्वास्थ्य ढाँचे में सुधार के लिये स्वास्थ्य आधारभूत संरचना की क्रेडिट सीमा, जिसमें आयुष्मान भारत भी शामिल हैं, को भी दोगुना कर दिया गया है।

जिलेवार रैंकिंग

- प्राथमिक क्षेत्रक के लिये प्रति व्यक्ति क्रेडिट प्रवाह के आधार पर जिलों की रैंकिंग करने और तुलनात्मक रूप से कम क्रेडिट प्रवाह वाले जिलों के लिये एक प्रोत्साहन ढाँचा तैयार करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्राथमिक क्षेत्रक ऋण के तुलनात्मक रूप से उच्च क्रेडिट प्रवाह वाले जिलों को हतोत्साहित करने के लिये एक ढाँचा (Dis-incentive Framework) तैयार किया जाना है।
- इसके अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 से उन चिन्हित जिलों में वृद्धिशील प्राथमिक क्षेत्रक क्रेडिट को अधिक महत्त्व (125%) दिया जाएगा, जहाँ क्रेडिट प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है (प्रति व्यक्ति पी.एस.एल. ₹6,000 से कम)।

- साथ ही उन चिन्हित जिलों में वृद्धिशील प्राथमिक क्षेत्रक क्रेडिट को कम महत्त्व (90%) दिया जाएगा, जहाँ क्रेडिट प्रवाह तुलनात्मक रूप से उच्च है (प्रति व्यक्ति पी.एस.एल. ₹25,000 से अधिक)।
- दोनों श्रेणियों के जिलों की सूची भी उपलब्ध कराई गई है। यह सूची वित्त वर्ष 2023-24 तक की अवधि के लिये मान्य होगी और उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। इन दोनों सूचियों में उल्लिखित जिलों के अतिरिक्त अन्य जिलों में 100% का मौजूदा वेटेज जारी रहेगा।

महत्त्व और लाभ

- संशोधित दिशा-निर्देश क्रेडिट की कमी वाले क्षेत्रों में बेहतर क्रेडिट को सक्षम करेगा। यह छोटे और सीमांत किसानों तथा कमज़ोर वर्गों के लिये ऋण में वृद्धि के साथ नवीकरणीय ऊर्जा व स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे के लिये ऋण को बढ़ावा (Boost Credit) देगा। संशोधित दिशा-निर्देशों को प्राथमिक क्षेत्रक ऋण के प्रवाह में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये तैयार किया गया है।
- आर.बी.आई. के नए दिशा-निर्देश विशिष्ट क्षेत्रों, जैसे– स्वच्छ ऊर्जा, कमज़ोर वर्गों, स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे और ऋण प्रवाह की कमी वाले भौगोलिक क्षेत्रों के लिये ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करेगा।
- इससे ज़िला स्तर पर प्राथमिक क्षेत्रक ऋण प्रवाह में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में मदद मिलेगी।
- इस तरह के उधार वित्त क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय देश के समग्र विकास में मददगार होते हैं। साथ ही इससे वित्तीय समावेशन में सहायता मिलती है।
- आर.बी.आई. के कदम से निम्न प्रति व्यक्ति पी.एस.एल. क्रेडिट प्रवाह वाले 184 ज़िलों को लाभ होगा। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में उच्च ऋण प्रवाह से ग्रामीण खर्च में वृद्धि की उम्मीद है, जब जी.डी.पी. विकास दर में तीव्र गिरावट देखी जा रही है।
- एम.एस.एम.ई. को भारत में सबसे बड़े रोज़गार सृजनकर्त्ता के साथ-साथ मध्यम वर्ग के विकास और आय के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण माना जाता है। प्राथमिक क्षेत्रक ऋण के अंतर्गत इस क्षेत्र पर ज़ोर देने से अर्थव्यवस्था में गति आएगी।

आवश्यक वस्तुओं की सूची में संशोधन : आवश्यकता और प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया है, जिसका उद्देश्य कुछ वस्तुओं के भंडारण को नियंत्रण मुक्त करना है।

प्रमुख बिंदु

- संशोधन के बाद अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, आलू व प्याज जैसे कुछ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति व भंडारण आदि को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विनियमित या नियंत्रित किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में असाधारण मूल्य वृद्धि, युद्ध, अकाल और गम्भीर प्रकृति की कोई प्राकृतिक आपदा शामिल हैं।
- वास्तव में यह संशोधन इन वस्तुओं को उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के दायरे से बाहर कर देता है। यह धारा केंद्र सरकार को 'आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण आदि' को नियंत्रित करने की शक्तियाँ प्रदान करती है।

आवश्यक वस्तुएँ

- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आवश्यक वस्तुओं की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। धारा 2(A) में कहा गया है कि 'आवश्यक वस्तु' का तात्पर्य आवश्यक वस्तु अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट किसी वस्तु या वस्तुओं से है।

- यह अधिनियम केंद्र सरकार को इस अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़ने या हटाने की शक्तियाँ प्रदान करता है। यदि केंद्र इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है तो यह अधिनियम राज्य सरकारों के परामर्श से किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु के रूप में अधिसूचित कर सकता है।
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इस अधिनियम को कार्यान्वित करता है। मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में इस अनुसूची में शामिल वस्तुएँ हैं- औषधि, उर्वरक (अकार्बनिक, जैविक या मिश्रित), खाद्य तेलों सहित खाद्य-सामग्री, पूरी तरह से कॉटन से निर्मित सूत के लच्छे, पेट्रोलियम व पेट्रोलियम उत्पाद, अपरिष्कृत जूट व जूट से बने वस्त्रों के साथ-साथ खाद्य-फसलों, फलों, सब्जियों, पशुओं के चारे व कपास के बीज। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 के मद्देनज़र मार्च 2020 में इस सूची में फेस मास्क और सैनिटाइजर को भी शामिल किया गया है।
- किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करके सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है, साथ ही स्टॉक (भंडारण) सीमा को भी लागू कर सकती है।

सरकार द्वारा स्टॉक सीमा निर्धारण की परिस्थितियाँ

- वर्ष 1955 के अधिनियम में स्टॉक सीमा के लिये कोई स्पष्ट रूप-रेखा नहीं दी गई थी। संशोधित अधिनियम स्टॉक के लिये प्राइस ट्रिगर (मूल्य सीमा) का प्रावधान करता है। विनाशकारी (जल्दी खराब होने वाले) और गैर-विनाशकारी (जल्दी न खराब होने वाले) कृषि खाद्य पदार्थों के लिये अलग-अलग प्राइस ट्रिगर का निर्धारण किया गया है।
- कृषि खाद्य पदार्थों को केवल असाधारण परिस्थितियों, जैसे- युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा के तहत ही नियंत्रित व विनियमित किया जा सकता है।
- हालाँकि किसी भी कृषि उपज के प्रसंस्करण तथा मूल्य शृंखला प्रतिभागियों के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये स्टॉक-होल्डिंग सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
- स्टॉक सीमा को लागू करने से जुड़ी पिछली अनिश्चितताओं को भी मूल्य ट्रिगर कम करेगा। स्टॉक सीमाओं को लागू करने के मानदंड को परिभाषित करके और इसे अधिक पारदर्शी व जवाबदेह बनाने से इस अनिश्चितता को दूर किया जा सकता है।
- पिछले 10-15 वर्षों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किसी वस्तु पर स्टॉक सीमा के लागू रहने की प्रवृत्ति काफी लम्बे समय तक देखी गई है। उदाहरणस्वरूप वर्ष 2006 से 2017 तक दालों पर, वर्ष 2008 से 2014 तक चावल पर और 2008 से 2018 तक खाद्य तिलहन पर स्टॉक सीमा लागू रही थी।

आवश्यकता

- इस अधिनियम को वर्ष 1955 में ऐसे समय लाया गया था, जब देश खाद्य सामग्री की कमी का सामना कर रहा था। खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और कालाबाज़ारी को रोकने के लिये इस अधिनियम को लाया गया था।
- वर्तमान स्थिति उससे अलग है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 1955-56 से 2018-19 के दौरान गेहूँ का उत्पादन 10 गुना बढ़ा है। साथ ही इस अवधि के दौरान चावल के उत्पादन में चार गुना और दालों के उत्पादन में 2.5 गुना वृद्धि हुई है। वास्तव में भारत अब कई कृषि उत्पादों का निर्यातक बन गया है।

प्रभाव

- वर्ष 1955 में इस अधिनियम को लागू करने का मूल उद्देश्य अवैध व्यापारिक गतिविधियों, जैसे- जमाखोरी आदि से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना था, परंतु अब यह सामान्यतया कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से कटाई के बाद की गतिविधियों में निवेश के लिये एक बाधा बन गया है।

- संशोधन द्वारा आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाई गई वस्तुओं की मूल्य श्रृंखला में निजी निवेश के आकर्षित होने की उम्मीद है।
- निजी क्षेत्र अभी तक विनाशकरी वस्तुओं के लिये कोल्ड चेन और भंडारण सुविधाओं में निवेश के बारे में संकोच करता था, क्योंकि इनमें से अधिकांश वस्तुएँ इस अधिनियम के दायरे में आती थीं और इन पर अचानक से स्टॉक सीमा को आरोपित किया जा सकता था।

विरोध के कारण

- तर्क दिया जा रहा है कि दाल, प्याज और खाद्य तेल जैसी खाद्य सामग्री दैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ हैं। संशोधन से किसानों व उपभोक्ताओं को नुकसान होगा और इससे जमाखोरी बढ़ने की सम्भावना है।
- साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि प्राइस ट्रिगर अवास्तविक है और इसकी सीमा इतनी उच्च है कि शायद ही इन्हें कभी लागू किया जा सके।
- विशेषज्ञों के अनुसार, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन एक सही कदम है, क्योंकि यह किसानों की आय में वृद्धि में सहायक होगा, परंतु इससे ग्रामीण स्तर पर गरीबी में वृद्धि हो सकती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

कृषि विधेयक और किसान आंदोलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद द्वारा कृषकों और कृषि गतिविधियों से सम्बंधित तीन विधेयकों को पारित किया गया।

पृष्ठभूमि

संसद द्वारा पारित 'कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक', 'कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वावसन और कृषि सेवा पर करार विधेयक' एवं 'आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक' को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इन तीनों विधेयकों को 5 जून को अध्यादेशों के रूप में जारी किया गया था। इसके विरोध में प्रदर्शनकारियों की कोई एकीकृत मांग नहीं है, परंतु किसानों की मुख्य चिंता 'व्यापार क्षेत्र', 'व्यापारी', 'विवाद समाधान' और 'बाज़ार शुल्क' से सम्बंधित है।

विधेयक के मुख्य बिंदु

- प्रथम विधेयक के अनुसार, किसी राज्य के 'कृषि उपज मंडी समिति' (APMC) अधिनियम या राज्य के किसी अन्य कानून के तहत कोई भी बाज़ार शुल्क, उपकर या लगान किसी भी किसान पर या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और लेन-देन पर नहीं लगाया जाएगा।
- दूसरे विधेयक में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है। यह निर्णय छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसमें किसान किसी भी रोपण या फसली मौसम से पहले खरीदारों के साथ अनुबंध कर सकते हैं।
- 'आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक' के अनुसार, असाधारण परिस्थितियों, जैसे- युद्ध और गम्भीर प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर खाद्य पदार्थों के स्टॉक होल्डिंग या भंडारण की सीमा खत्म कर दी गई है। इस विधेयक के जरिये अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू और प्याज को अनिवार्य वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है, अर्थात अब इनका भंडारण किया जा सकेगा।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक, 2020

- यह विधेयक किसानों को उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए राज्यों की अधिसूचित मंडियों के अतिरिक्त राज्य के भीतर एवं बाहर देश के किसी भी स्थान पर निर्बाध रूप से बेचने के लिये

अवसर एवं व्यवस्थाएँ प्रदान करेगा। इसके तहत किसान एवं व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर भी अन्य माध्यम से उत्पादों का सरलतापूर्वक क्रय-विक्रय कर सकेंगे। किसानों को उनके उत्पाद के लिये कोई उपकर नहीं देना होगा और उन्हें माल ढुलाई का खर्च भी वहन नहीं करना होगा।

- विधेयक किसानों को ई-ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराएगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सके।
- मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फॉर्मगेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस तथा प्रसंस्करण इकाइयों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता होगी।
- किसान खरीदार से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों को मिलने वाले लाभ की बजाय किसानों को उनके उत्पाद का पूरा व उचित मूल्य मिल सके।

सम्बंधित शंकाएँ

- पहली शंका 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) पर अनाज की खरीद बंद हो जाने की है। हालाँकि MSP पर पहले की तरह ही खरीद जारी रहेगी। आगामी रबी मौसम के लिये MSP भी घोषित की जा चुकी है।
- दूसरी शंका है कि यदि कृषक उपज को पंजीकृत 'कृषि उत्पाद बाज़ार समिति' (APMC) के बाहर बेचेंगे तो मंडियाँ समाप्त हो जाएँगी। हालाँकि, वहाँ पूर्ववत् व्यापार होता रहेगा। इस व्यवस्था में किसानों को मंडी के साथ ही अन्य स्थानों पर अपनी उपज बेचने का विकल्प प्राप्त होगा।
- तीसरी शंका है कि कीमतें तय करने की कोई प्रणाली ना होने और निजी क्षेत्र की ज़्यादा हस्तक्षेप से समान कीमत तय करने में दिक्कत होगी। हालाँकि सरकार का कहना है कि किसान देश में किसी भी बाज़ार या ऑनलाइन ट्रेडिंग से फसल बेच सकता है। कई विकल्पों से बेहतर कीमत मिलेगी। मंडियों में ई-नाम (E-NAM) ट्रेडिंग व्यवस्था भी जारी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक मंचों पर कृषि उत्पादों का व्यापार बढ़ेगा। इससे पारदर्शिता आएगी और समय की बचत होगी।

कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020

- कृषकों को व्यापारियों, कम्पनियों, प्रसंस्करण इकाइयों और निर्यातकों से सीधे जोड़ना और कृषि करार के माध्यम से बुवाई से पूर्व ही किसान को उसकी उपज का मूल्य निर्धारित करना।
- बुवाई से पूर्व किसान को मूल्य का आश्वासन और मूल्य वृद्धि होने पर न्यूनतम मूल्य के साथ अतिरिक्त लाभ।
- इस विधेयक की मदद से बाज़ार की अनिश्चितता का जोखिम किसानों से हटकर प्रायोजकों पर चला जाएगा। मूल्य पूर्व में ही तय हो जाने से बाज़ार में कीमतों में आने वाले उतार-चढ़ाव का प्रतिकूल प्रभाव किसान पर नहीं पड़ेगा।
- इससे किसानों की पहुँच अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद बीज तक होगी।
- इससे विपणन की लागत कम होगी और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी।
- किसी भी विवाद की स्थिति में उसका निपटारा 30 दिन के अंदर स्थानीय स्तर पर करने की व्यवस्था की गई है। कृषि क्षेत्र में शोध एवं नई तकनीकी को बढ़ावा देना।

सम्बंधित शंकाएँ

- पहली शंका यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों का पक्ष कमज़ोर होगा और वे कीमतों का निर्धारण नहीं कर पाएँगे। हालाँकि, किसान को अनुबंध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी कि वह अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर उपज बेच सकेंगे। उन्हें अधिक-से-अधिक 3 दिन के भीतर भुगतान प्राप्त होगा।
- दूसरी शंका है कि प्रायोजक द्वारा परहेज करने के कारण छोटे किसान अनुबंध कृषि (कांट्रैक्ट फार्मिंग) कर पाने में असमर्थ हो सकते हैं। इसके लिये देश में 10 हज़ार कृषक उत्पादक समूह का गठन किया जा रहा है। यह समूह छोटे किसानों को जोड़कर उनकी फसल को बाज़ार में उचित लाभ दिलाने की दिशा में कार्य करेंगे।

आंदोलन की व्यापकता

- वर्तमान में यह आंदोलन काफी हद तक पंजाब व हरियाणा तक ही सीमित है। महाराष्ट्र में इसका स्वागत करते हुए इसको किसानों के लिये वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम बताया जा रहा है।
- पंजाब और हरियाणा में भी किसान समूहों द्वारा विरोध का कारण मुख्य रूप से पहला विधेयक है, जो राज्य सरकार द्वारा विनियमित कृषि उपज बाज़ार समिति (APMC) के बाहर भी फसलों की बिक्री और खरीद की अनुमति देता है।
- उनके पास सम्भवत: अन्य दो विधेयकों के विरोध का कोई वास्तविक मुद्दा नहीं है। सरकार का मानना है कि किसानों की अच्छी पैदावार होने के बावजूद कोल्ड स्टोरेज (शीत गृह) या निर्यात की सुविधाओं के अभाव में और आवश्यक वस्तु अधिनियम के चलते फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है।

विरोध का कारण

- इन विधेयकों के विरोध के दो मूल कारण हैं। इसमें किसानों का एक वर्ग ऐसा है, जो APMC के एकाधिकार को खत्म या कम करने को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी अनाज खरीद की मौजूदा प्रणाली को समाप्त करने के एक अग्रग्रामी कदम के रूप में देखता है।
- हालाँकि विधेयक में MSP आधारित सरकारी खरीद को समाप्त करने या चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के संकेत के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। किसान नेताओं का मानना है कि नवीनतम सुधारों का असली उद्देश्य भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन पर शांता कुमार की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को लागू करना है।
- वर्ष 2015 में प्रस्तुत इस रिपोर्ट में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम की सभी खरीद संचालन को राज्य सरकार की एजेंसियों को सौंपने को कहा गया था।
- दूसरा विरोध मंडियों में राज्य सरकारों और आढ़तियों (कमीशन एजेंट) का है। उन्हें MSP के ऊपर लगभग 2.5: कमीशन प्राप्त होता है। ये भुगतान पिछले वर्ष पंजाब और हरियाणा में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है।
- इसके अतिरिक्त, राज्य APMC में उपज के मूल्यों के लेनदेन पर विभिन्न प्रकार की लेवी से भी पर्याप्त धन अर्जित करते हैं। पंजाब को मंडी शुल्क और 'ग्रामीण विकास' उपकर से लगभग 3,500-3,600 करोड़ रु. वार्षिक राजस्व प्राप्त होता है।

सरकार का तर्क

- कृषि मंत्री के अनुसार, पहला विधेयक केवल APMC की भौतिक सीमाओं के बाहर 'व्यापार क्षेत्रों' पर लागू होता है।
- यह किसानों के लिये 'अतिरिक्त विपणन चैनल' के रूप में काम करेगा, साथ ही APMC अधिनियम भी जारी रहेगा।
- विनियमित मंडियों के बाहर उपज बेचने की स्वतंत्रता से किसानों को उचित कीमत प्राप्त होगी, साथ ही यह APMC के संचालन की दक्षता में सुधार को भी प्रेरित करेगा।
- APMC पहले की तरह मंडी शुल्क और अन्य शुल्क लगा सकती है, परंतु ये शुल्क केवल उनके प्रमुख मार्केटिंग यार्ड या सब-यार्ड की भौतिक सीमा के भीतर होने वाले लेन-देन के सम्बंध में होंगे।
- कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के सम्बंध में चिंता है कि कॉरपोरेट या व्यापारियों द्वारा अपने अनुसार उर्वरक प्रयोग करने से ज़मीन बंजर भी हो सकती है, हालाँकि, इससे किसान को तय न्यूनतम मूल्य मिलेगा।
- कॉन्ट्रैक्ट किसान की फसल और अवसंरचना तक ही सीमित रहेगा और किसान की भूमि पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। विवाद की स्थिति में एस.डी.एम. 30 दिन में फैसला देगा।

उद्देश्य व लाभ

- इन विधेयकों का मूल उद्देश्य एक देश, एक कृषि बाज़ार की अवधारणा को बढ़ावा देना और APMC बाज़ारों की सीमाओं से बाहर किसानों को कारोबार के साथ ही अवसर मुहैया कराना है, जिससे किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिल सके।
- सरकार का कहना है कि ये सुधार किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर प्रोसेसर्स, एग्रीगेटर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों और निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएँगे।
- इससे किसानों पर बाज़ार की अनिश्चितता का जोखिम नहीं रहेगा। साथ ही किसानों की आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट्स तक पहुँच भी सुनिश्चित होगी, जिससे किसानों की आय में सुधार होगा।
- सरकार के अनुसार ये विधेयक किसानों की उपज की वैश्विक बाज़ारों में आपूर्ति के लिये ज़रूरी आपूर्ति चैन तैयार करने हेतु निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित करने में एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेंगे।
- किसानों की उच्च मूल्य वाली कृषि के लिये तकनीक और परामर्श तक पहुँच सुनिश्चित होगी, साथ ही उन्हें ऐसी फसलों के लिये तैयार बाज़ार भी मिलेगा।
- बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा। हालाँकि, किसान नेताओं का कहना है कि अनुबंध में समय-सीमा तो बताई गई है, परंतु न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं किया गया है।
- इन प्रावधानों से लेन-देन की लागत कम होगी और किसानों तथा व्यापारियों दोनों को लाभ होगा।

निष्कर्ष

नए कानून से कुछ बड़े किसानों और ज़माखोरों को ज़्यादा लाभ होने की उम्मीद है, जबकि सरकार के अनुसार ये प्रावधान किसान, उपभोक्ता और व्यापारी सभी के लिये फायदेमंद होंगे। केंद्र मॉडल APMC अधिनियम, 2002-03 को लागू करने के लिये राज्यों को भी राजी कर रहा था, परंतु राज्यों ने इसे पूरी तरह से नहीं अपनाया, अत: केंद्र को यह रास्ता अपनाना पड़ा। लगभग सभी कृषि विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री कृषि क्षेत्र में इन सुधारों के पक्ष में थे।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010

भारत सरकार द्वारा इस वर्ष 13 गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लाइसेंस को विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (Foreign Contribution (Regulation) Act – FCRA), 2010 के तहत निलम्बित कर दिया गया है।

एफ.सी.आर.ए.क्या है?

- एफ.सी.आर.ए. विदेशी दान को नियंत्रित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे योगदान आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें।
- इसे पहली बार वर्ष 1976 में अधिनियमित किया गया तथा वर्ष 2010 में इसे संशोधित किया गया, जब विदेशी दान को विनियमित करने के लिये नए सुधारात्मक उपायों को अपनाया गया था।
- एफ.सी.आर.ए. उन सभी संघों, समूहों और गैर-सरकारी संगठनों पर लागू होता है, जिन्हें विदेशों से दान मिलता है। ऐसे सभी गैर-सरकारी संगठनों के लिये एफ.सी.आर.ए. के तहत खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य है।
- पंजीकरण शुरू में पाँच साल के लिये वैध है और इसे बाद में नवीनीकृत किया जा सकता है यदि वे सभी मानदंडों का पालन करते हैं।

एक बार पंजीकृत होने पर क्या होता है?

- पंजीकृत संघ/संगठन सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिये विदेशी योगदान/दान प्राप्त कर सकते हैं।

- पंजीकृत होने के बाद आयकर के तर्ज पर इन सगठनों को वार्षिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।
- वर्ष 2015 में, गृह मंत्रालय ने नए नियमों को अधिसूचित किया, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी निधियाँ प्राप्त करने के लिये एक उद्घोषणा पत्र देने की आवश्यकता की बात कही गई थी।
- इन नियमों में यह कहा गया कि इस दान का प्रयोग भारत की सम्प्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने या किसी विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बंधों को प्रभावित करने या किसी प्रकार के साम्प्रदायिक सद्भाव को बाधित करने के लिये नहीं होना चाहिये।
- नियमों में यह भी कहा गया है कि ऐसे सभी गैर-सरकारी संगठनों को उन राष्ट्रीयकृत या निजी बैंकों में खाता खोलना होगा, जिनके पास इस प्रकार की कोर बैंकिंग सुविधाएँ हों, जिनके द्वारा सुरक्षा एजेंसियाँ ज़रूरत पड़ने पर वास्तविक समय पर इन खातों तक पहुँच सकें या इनकी जाँच कर सकें।

विदेशी दान कौन नहीं प्राप्त कर सकता है?

- विधायिका और राजनीतिक दलों के सदस्य, सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश और मीडियाकर्मी आदि को किसी भी प्रकार के विदेशी योगदान/दान/निधियों को प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है।
- हालाँकि, वर्ष 2017 में गृह मंत्रालय ने वर्ष 1976 के एफ.सी.आर.ए. कानून में संशोधन किया, जिससे राजनीतिक दलों के लिये किसी विदेशी कम्पनी (जिसमें किसी भारतीय के पास 50% या अधिक शेयर हों) या किसी विदेशी कम्पनी की भारतीय सहायक कम्पनी से धन प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

विदेशी धन कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

- ध्यातव्य है कि विदेशी योगदान प्राप्त करने का दूसरा तरीका यह है कि इसकी पूर्व अनुमति के लिये आवेदन किया जाए।
- यह विशिष्ट गतिविधियों या परियोजनाओं को पूरा करने के लिये एक विशिष्ट दाता द्वारा विशिष्ट राशि के रूप में दिया जाता है।
- लेकिन ऐसे संघों/संगठनों को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 जैसे कानून के तहत पंजीकृत होना चाहिये।
- विदेशी दाता से दानराशि और राशि देने के उद्देश्य को निर्दिष्ट करने के लिये एक प्रतिबद्धता पत्र भी आवश्यक है।

पंजीकरण कब निलम्बित या रद्द किया जाता है?

- खातों के निरीक्षण के दौरान या संगठन के कामकाज के खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रतिकूल जानकारी प्राप्त होने पर गृह मंत्रालय एफ.सी.आर.ए. पंजीकरण को शुरू में 180 दिनों के लिये निलम्बित कर सकता है।
- तत्पश्चात जब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता तब तक संगठन को किसी भी प्रकार का नया दान नहीं मिल सकता है और वह गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना नामित बैंक खाते में उपलब्ध राशि के 25% से अधिक का उपयोग भी नहीं कर सकता है।

5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

ड्रोन तकनीक तथा आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

15 अगस्त, 2020 को भारत द्वारा 74वें स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के साथ ही ड्रोन नीति में एक बड़ी पहल देखने को मिली है। अब भारत के 70% से अधिक तथा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर के भू-भाग को ड्रोन द्वारा संचालित करने के लिये खोल दिया गया है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म (ड्रोन संचालकों के लिये पंजीकरण प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन पोर्टल) के तहत नो परमिशन-नो टेक ऑफ (NPNT) प्रोटोकॉल का पालन करने वाली कम्पनियों को एक खिड़की अनुमति की सुविधा प्रदान की गई है।

पृष्ठभूमि

- भारत ने पहली बार वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान ड्रोन का उपयोग किया था। स्वदेशी ड्रोन तकनीक के विकास हेतु रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) द्वारा ड्रोन विनियम 1.0 और हाल ही में ड्रोन विनियम 2.0 जारी किये गए हैं।
- वर्ष 2014 में नागरिक उपयोग के क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग पर अचानक लगे प्रतिबंधों ने भारत के उभरते हुए ड्रोन उद्योग को कई वर्ष पीछे धकेल दिया। इसके पश्चात ड्रोन उद्योग के विनियमन हेतु नियामक नीतियाँ वर्ष 2018 में (4 वर्ष बाद) लागू की गईं। इस नीति में परिभाषित डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के अंतर्गत नो परमिशन-नो टेक ऑफ (NPNT) पर विशेष ज़ोर दिया गया। इसके तहत व्यवस्थित रूप से ली गई अनुमति के बिना कोई ड्रोन नहीं उड़ा सकता है।

ड्रोन तकनीक का महत्त्व

- कोविड-19 महामारी के कारण गाँव, शहरों और यहाँ तक कि सम्पूर्ण देश में लगभग सभी प्रकार की गतिविधियों में ठहराव आ गया है, जो स्थानीय आपूर्ति शृंखलाओं में व्यापक खामियों को उजागर करता है।
- इस महामारी से संकट के दौर में प्रौद्योगिकी के लिये नए और उपयोगी अनुप्रयोगों को खोजने में हमारी सफलता को भी प्रदर्शित करता है।
- महामारी के इस दौर ने मानव रहित हवाई वाहनों (Unmanned Air Vehicle) की उपयोगिता को बढ़ा दिया है, जिन्हें आमतौर पर ड्रोन कहा जाता है। महामारी से निपटने के दौरान ड्रोन की विभिन्न प्रकार से सहायता ली जा रही है। जैसे लॉकडाउन के दौरान निगरानी, महत्त्वपूर्ण संदेशों को प्रसारित करने हेतु, लागू प्रतिबंधों के उल्लंघनकर्ताओं को पकड़ने और हॉटस्पॉट क्षेत्रों के निरीक्षण में दवाओं तथा आवश्यक वस्तुओं के वितरण में आदि।
- वर्तमान में ड्रोन तकनीक का वैश्विक बाज़ार 21.47 बिलियन डॉलर का है। उसकी तुलना में भारत का ड्रोन बाज़ार वर्ष 2021 तक 900 मिलियन डॉलर तक पहुँचने की सम्भावना है।
- ड्रोन की सहायता से आपातकाल में भी दृश्य मूल्यांकन और क्षति का आकलन करना सम्भव हुआ है। हमने पूर्व की आपात स्थितियों, जैसे– मुम्बई आतंकी हमले के दौरान, उत्तरी सियाचिन में हिमस्खलन के समय, बांदीपुर जंगल की आग के दौरान, बिहार की बाढ़ तथा पुलवामा हमले के समय भी ड्रोन का उपयोग किया है तथा इसके परिणाम भी काफी मददगार साबित हुए हैं।
- अध्ययन बताते हैं कि ड्रोन तकनीक लॉकडाउन सम्बंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की लागत को कम करने में सक्षम है तथा इससे न केवल विश्वसनीय आँकड़े मिल सकते हैं बल्कि यह परिवहन और गतिशीलता बनाए रखने हेतु बेहतर विकल्प साबित हो सकती है।

ड्रोन तकनीक की चुनौतियाँ

- ड्रोन संचालन से सम्बंधित अधिकतर एजेंसियाँ राज्य निकाय हैं तथा इनके द्वारा सुरक्षा जोखिमों का आकलन गम्भीरता से किया जाता है। हालाँकि कुछ ड्रोन संचालकों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और चिंता की बात है कि उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है।
- बिना नियमन वाले ड्रोन और सुदूर संचालित विमान प्रणाली महत्त्वपूर्ण रणनीतिक ठिकानों और संवेदनशील स्थानों तथा विशिष्ट कार्यक्रमों के लिये खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।
- ड्रोन निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं के मध्य डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को लेकर जागरूकता का अभाव है।
- भारत जैसे देश में जहाँ ड्रोन आयात किये जाते हैं, वहाँ एन.पी.एन.टी. एक बाधा है क्योंकि इन आयातित ड्रोन के उपयोग को भारतीय नियमों के अनुसार संशोधित करना होगा।

आगे की राह

- ड्रोन तकनीक को रोबोट तकनीक के साथ प्रभावी रूप से संलग्न करके आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे यह भविष्य में कई बेहतर सम्भावनाओं का रास्ता खोल सकता है। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र दुर्घटना के दौरान यह तकनीक काफी मददगार साबित हुई थी।
- आने वाले समय में ड्रोन पुलिस, सुरक्षा और आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम कार्यों के लिये आपातकालीन सेवाओं का अनिवार्य हिस्सा बन जाएंगे।
- भारत में भले ही महामारी के दौरान ड्रोन के उपयोग में वृद्धि देखी गई लेकिन आवश्यकता है कि कोविड-19 के बाद व्यापक स्तर पर इसके महत्त्व को ध्यान में रखते हुए नीतियों में फेरबदल तथा उचित सहयोग के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाए।
- हमने कोविड-19 महामारी संकट का पूर्व में आकलन नहीं किया था। हवाई उड़ान एवं ट्रेन सेवाएँ पूरी तरह से ठप्प हो गई हैं तथा विश्व के एक बड़े हिस्से में आपातकालीन सेवाएँ प्रभावित हुई हैं। इसलिये आगे आने वाली चुनौतियों के लिये हमें और अधिक तैयार रहने की आवश्यकता है। इस दिशा में ड्रोन तकनीक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

निष्कर्ष

मौजूदा समय को देखते हुए भारत सरकार को ड्रोन उद्योग से सम्बंधित नियमों और व्यापार सुगमता तथा आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी नीतियों को पुनः परिभाषित और समेकित करना चाहिये। साथ ही ड्रोन को नियंत्रित करने वाले नियामक ढाँचे को तकनीक के विकास और समय के साथ परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता है।

फोरेंसिक क्लोनिंग तथा सम्बंधित कानूनी पहलू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने फोन के 'क्लोन' से प्राप्त चैट के आधार पर नशीले पदार्थों के सम्बंध में कुछ मामले दर्ज किये हैं। इस परिप्रेक्ष्य में फोरेंसिक क्लोनिंग की तकनीक व उसके कानूनी और नैतिक पहलुओं पर चर्चा आवश्यक है।

मोबाइल फोन फोरेंसिक क्लोनिंग

- यह मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक का एक हिस्सा है और मूल रूप से पूरे मोबाइल डिवाइस को शब्दशः (Bit-for-Bit) कॉपी करता है।
- मोबाइल फोन क्लोनिंग का प्रयोग पिछले काफी समय से हो रहा है। इस तकनीक के जरिये क्लोन किये जा रहे फोन के डाटा व सेलुलर आइडेंटिटी को एक नए डिवाइस में कॉपी किया जाता है।

- हालाँकि, फोन की क्लोनिंग निजी तौर पर गैर-कानूनी है। सम्बंधित अधिकरण उपयोगकर्ता के फोन का डाटा एक्सेस करने के लिये कानूनी तौर पर फोरेंसिक का सहारा लेते हैं। इस प्रक्रिया में IMEI नम्बर की ट्रांसफरिंग भी इनेबल होती है।
- फोन क्लोनिंग के लिये महज प्रोग्रामिंग स्किल्स की ज़रूरत होती है और अब फोन को बिना छुए ही केवल ऐप के प्रयोग से उसकी क्लोनिंग की जा सकती है।
- कुछ जाँच एजेंसियाँ और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ 'मोबाइल' या किसी भी डिजिटल डिवाइस के 'इमेजिंग' या फोरेंसिक क्लोनिंग को तभी कार्यान्वित करते हैं, जब वे मानते हैं कि यह जाँच या अदालत में किसी मामले को साबित करने में मददगार होगी।

डिवाइस या लैपटॉप से पूरे डाटा को कॉपी करने और मोबाइल फोन क्लोनिंग में अंतर

- पारम्परिक रूप से डाटा की कॉपी-पेस्टिंग में केवल क्रियाशील फाइलें या वर्तमान में डिवाइस पर मौजूद फाइलें कॉपी की जाती हैं। इसमें वे फाइलें शामिल नहीं होती हैं, जिन्हें उपयोगकर्ता द्वारा डिलीट कर दिया गया है या उनमें अधिलेखित/बदलाव (Overwritten) कर दिया गया है।
- ऐसे अपराधों की जाँच में जहाँ सम्बंधित डाटा के नष्ट होने या डिलीट करने की सम्भावना होती है, वहाँ इमेजिंग तकनीक का उपयोग करना महत्त्वपूर्ण हो जाता है। इस तकनीक से डाटा को भौतिक रूप से अर्जित किया जाता है।
- मोबाइल फोन डाटा के भौतिक अर्जन का अर्थ है भौतिक भंडारण (Physical Storage) में डाटा का शब्दशः कॉपी करना। इसमें सभी डिलीट किये गए डाटा भी शामिल होते हैं, जबकि अन्य तरीकों में केवल फोल्डर कॉपी किये जाते हैं, डिलीट की गई फाइलें नहीं।

इमेजिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त डाटा/चैट आदि का अदालत में सबूत के रूप में प्रयोग

- किसी विशेष उपकरण से प्राप्त जानकारी यदि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 65(B) प्रमाण पत्र के साथ है तो वह स्वीकार्य है। यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक विशेष तरीके से संचालित करने की परिस्थिति व विधि का उल्लेख करता है और यदि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो इसका उपयोग किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालत में किया जा सकता है।
- इस प्रकार, यह तकनीक एक जाँच उपकरण के रूप में प्रयोग होने के साथ-साथ अदालत में भी स्पष्ट रूप से प्रामाणिक मूल्य रखती है। आतंकी गतिविधियों, आत्महत्या और डाटा लीक के मामलों की जाँच के साथ-साथ न्यायालय में भी साक्ष्य के तौर इस तकनीक के प्रयोग किये जाने के कई उदाहरण हैं।

डिवाइस को मरम्मत हेतु देने व बेचने पर डाटा की पुनर्प्राप्ति के सम्भावित खतरे

- आम तौर पर डिवाइस से डिलीट किये गए डाटा को सॉफ्टवेयर का उपयोग करके पुनर्प्राप्त किया जा सकता है, परंतु एक सीमा तक यह डिवाइस पर निर्भर करता है।
- हालाँकि, ऐप्पल और ब्लैकबेरी के कुछ उपकरणों में डाटा रिकवरी प्रक्रिया मुश्किल है और यहाँ तक कि फैक्टरी रीसेट भी इन फोन पर डाटा को पुनर्प्राप्त करना मुश्किल बना सकता है।
- किसी डिवाइस को बेचने और उस डिवाइस से डाटा को पुनर्प्राप्त करके उसके दुरुपयोग को रोकने के लिये कुछ अनुशंसाएँ की गई हैं। किसी डिवाइस को बेचने से पूर्व फाइलों को एन्क्रिप्ट करना चाहिये और फिर फैक्टरी रीसेट करना चाहिये।
- अधिकांश एंड्रॉयड फोन सेटिंग्स में डाटा एन्क्रिप्ट करने का विकल्प मौजूद होता है। हालाँकि एन्क्रिप्शन के बावजूद डाटा की सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि एन्क्रिप्शन कितना उन्नत और विकसित है।
- 'ब्रूट फोर्स एक्विजिशन' विधि का उपयोग करके पासवर्ड या पिन निकाला जाता है। कई कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ अपराधों की जाँच करने, विशेषकर आतंकवाद से सम्बंधित मामलों के लिये ऐसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग करती हैं।

हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन : स्क्रैमजेट की क्षमता और महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन' (DRDO) ने 'हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन' (Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle - HSTDV) का सफल परीक्षण किया।

पृष्ठभूमि

डी.आर.डी.ओ. द्वारा यह परीक्षण ओडिशा के व्हीलर द्वीप (डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप) स्थित प्रक्षेपण केंद्र से किया गया। इस वाहन में मानवरहित स्क्रैमजेट प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है, जिसकी गति ध्वनि की गति से लगभग छह गुना तेज़ है। इस वाहन के प्रदर्शन के साथ ही भारत हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पूर्व अमेरिका, रूस और चीन इस तकनीक को प्राप्त कर चुके हैं।

क्रियाविधि

- HSTDV क्रूज वाहन एक ठोस रॉकेट मोटर पर लगाया गया है, जो इसे आवश्यक ऊँचाई तक ले जाता है।
- एक बार जब यह कुछ मैक संख्या की गति प्राप्त कर लेता है, तो क्रूज वाहन को लॉन्च वाहन से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद स्क्रैमजेट इंजन स्वचालित रूप से प्रज्वलित होता है।
- वर्तमान परीक्षण में ईंधन के रूप में हाइपरसोनिक दहन की प्रक्रिया लगातार जारी रही और क्रूज वाहन अपने वांछित उड़ान पथ पर 20 सेकेंड तक मैक 6 की गति से उड़ता रहा।
- परीक्षण के मापदंडों की निगरानी कई ट्रैकिंग रडार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम और टेलीमेट्री स्टेशनों द्वारा की गईं, साथ ही हाइपरसोनिक वाहन के क्रूज चरण के दौरान प्रदर्शन की निगरानी बंगाल की खाड़ी से भी की गई।

हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन और स्क्रैमजेट इंजन

- HSTDV हाइपरसोनिक गति पर एक मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है।
- HSTDV स्वयं में एक हथियार नहीं है परंतु हाइपरसोनिक और लम्बी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिये एक वाहक वाहन के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- ध्वनि की गति से पाँच गुना या अधिक गति को हाइपरसोनिक गति कहा जाता हैं। डी.आर.डी.ओ. ने जिस इकाई का परीक्षण किया है, वह ध्वनि की गति से छः गुना या मैक 6 तक की गति प्राप्त कर सकती है, जो लगभग दो किलोमीटर प्रति सेकेंड से अधिक है।
- इस परीक्षण में स्क्रैमजेट के 'फ्यूल इंजेक्शन' और 'स्वतः दहन' जैसी महत्त्वपूर्ण घटनाओं के प्रदर्शन ने तकनीकी परिपक्वता को प्रदर्शित किया।
- स्क्रैमजेट, जेट इंजनों की श्रेणी का एक प्रकार है। इसे 'एयर ब्रीदिंग इंजन' कहा जाता है। ध्यातव्य है कि 'एयर ब्रीदिंग इंजन' द्वारा ईंधन के दहन में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। इसमें टर्बोजेट, टर्बोप्रॉप, रैमजेट और पल्स-जेट जैसे इंजन शामिल हैं। यह उपयोग में अन्य प्रणालियों की तुलना में हल्की, कुशल और लागत प्रभावी है।
- रैमजेट, 'एयर ब्रीदिंग इंजन' जेट इंजन का एक रूप है, जो बिना किसी घूर्णन कम्प्रेसर (संपीडक) के आने वाली हवा को संपीडित करने के लिये वाहन की (आगे की) फॉरवर्ड मोशन या अग्र गति का उपयोग करता है
- स्क्रैमजेट इंजन, रैमजेट इंजन का एक विकसित स्वरूप है, क्योंकि यह हाइपरसोनिक गति पर कुशलतापूर्वक संचालित होता है और सुपरसोनिक दहन की अनुमति देता है। इस प्रकार, इसे सुपरसोनिक दहन रैमजेट या स्क्रैमजेट के रूप में जाना जाता है।

- हालाँकि यह तकनीक हाइपरसोनिक गति प्राप्त करने में मदद करती है परंतु इसकी कुछ खामियाँ हैं, जिसमें इसकी बहुत उच्च लागत और 'थ्रस्ट-टू-वेट' (Thrust-to-Weight) का उच्च अनुपात हैं। कोई इंजन जितना बल पैदा करता है, उसको 'थ्रस्ट' और वाहन के वजन को 'वेट' कहते हैं।

गति सीमा	मैक संख्या
सबसोनिक या उपध्वनिक	0.8 से कम
ट्रांसोनिक	0.8 से 1.3 के मध्य
सुपरसोनिक या पराध्वनिक	1.3 से 5 के मध्य
हाइपरसोनिक या अतिध्वनिक	5 से 10 के मध्य
उच्च-हाइपरसोनिक	10 से 25 के मध्य

प्रौद्योगिकी का विकासक्रम

- डी.आर.डी.ओ. ने 2010 के दशक की शुरुआत में इंजन के विकास पर कार्य शुरू किया था। इसरो ने भी इस प्रौद्योगिकी के विकास पर कार्य किया है और वर्ष 2016 में इस प्रणाली का एक सफल परीक्षण किया। डी.आर.डी.ओ. ने भी जून 2019 में इस प्रणाली का परीक्षण किया है।
- हाइपरसोनिक गति पर किसी सिस्टम को 2500 °C की सीमा तक के तापमान के साथ-साथ हवा की गति को भी सम्भालना पड़ता है जो कि इसके विकास की मुख्य चुनौतियों में से एक है।
- स्वदेशी रूप से विकसित स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग करना अपने-आप में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

परीक्षण का महत्त्व

- इस मिशन के साथ डी.आर.डी.ओ. ने अत्यधिक जटिल प्रौद्योगिकी क्षमता का प्रदर्शन किया है, जो उद्योगों के साथ साझेदारी में अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक वाहनों के लिये बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करेगा।
- यद्यपि इस प्रणाली का परीक्षण बहुत कम अवधि के लिये किया गया परंतु इसने वैज्ञानिकों को आगे के विकास के लिये डाटा पॉइंट्स का एक महत्त्वपूर्ण सेट प्रदान किया है।

क्रूज मिसाइल

I. क्रूज मिसाइलों को सतह, समुद्र या हवा से प्रक्षेपित किया जा सकता है, जो सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक गति से दूरी तय कर सकती हैं।

II. पृथ्वी की सतह के समांतर चलने के कारण क्रूज मिसाइल को मिसाइल-रोधी प्रणाली द्वारा आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता है। इन मिसाइलों का प्रयोग भारी विस्फोटकों को लम्बी दूरी तक उच्च सटीकता से ले जाने के लिये किया जाता है।

बैलिस्टिक मिसाइल

I. सीधे हवा में प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल परवलयाकार पथ (Ballistic Trajectory) का अनुसरण करती है, जो गुरुत्वाकर्षण और सम्भवत: वायुमंडलीय घर्षण के प्रभाव में आगे बढ़ती है।

II. वायुमंडल की ऊपरी परतों में पहुँचकर इनमें लगा हुआ वारहेड मिसाइल से अलग होकर पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर गिरता है।

अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (Inter Continental Ballistic Missile - ICBM)

I. अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता न्यूनतम 5,500 किमी. तथा अधिकतम 7,000 से 16,000 किमी. तक होती है।

II. रूस, अमेरिका, चीन और फ्रांस के साथ-साथ भारत व उत्तर कोरिया के पास ICBM क्षमता है।

- इस प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास से हाइपरसोनिक वाहनों के साथ निर्मित प्रणालियों के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा, जिसमें आक्रामक और रक्षात्मक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के साथ-साथ अंतरिक्ष क्षेत्र भी शामिल हैं।

अनुप्रयोग व लाभ

- यह स्वदेशी तकनीक, ध्वनि की गति की छह गुना (Mach 6) गति से दूरी तय करने वाली मिसाइलों के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी।
- इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग आने वाले समय में लम्बी दूरी वाली क्रूज मिसाइलों में किया जा सकेगा। साथ ही यह तकनीक कम लागत पर उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी प्रयोग की जा सकती है।
- इसकी उच्च गति के कारण, अधिकांश रडार इसका पता लगाने में असमर्थ होंगे। यह अधिकांश मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भेदने में भी सक्षम होगा।
- यह तकनीक कम लागत, उच्च दक्षता वाले पुन:प्रयोज्य उपग्रहों (Reusable Satellites) के विकास में सहायक होगी।

आगे की राह

- यह परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों में एक विशाल छलांग और एक सशक्त तथा आत्मनिर्भर भारत के लिये मील का पत्थर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह परीक्षण एक बड़ा कदम है परंतु अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के प्रौद्योगिकी स्तर को प्राप्त करने के लिये कई अतिरिक्त परीक्षण की आवश्यकता होगी।
- हाइपरसोनिक मिसाइलों को 'सैन्य खतरे का एक नया वर्ग' कहा जा रहा है, क्योंकि ये चकमा देने और 5,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से उड़ने में सक्षम हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों की गतिशीलता इसे मिसाइल रक्षा प्रणाली से बचने में सक्षम बनाती है और इसके प्रति किसी भी प्रतिक्रिया के लिये समय बहुत कम होता है।
- अत: भारत द्वारा ज़िम्मेदारी से आगे बढ़ते हुए कम लागत पर छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण सहित कई नागरिक अनुप्रयोगों के लिये HSTDV का उपयोग करना चाहिये।

क्षुद्र ग्रहों से पृथ्वी को खतरा : चिंता और वास्तविकता

चर्चा में क्यों?

सितम्बर के प्रथम सप्ताह में क्षुद्रग्रह '465824 2010 FR' के पृथ्वी की कक्षा से पार होकर गुज़रने की उम्मीद के चलते क्षुद्रग्रहों से पृथ्वी को हो सकने वाले नुकसान पर चर्चा शुरू हो गई है।

पृष्ठभूमि

- इस क्षुद्रग्रह का आकार गीजा के पिरामिड का दो गुना है और सम्भावित खतरों के कारण इसको एक खतरनाक क्षुद्रग्रह के रूप में वर्णित किया जा रहा है। 2010 FR प्रत्येक 440 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। कैटालिना स्काई सर्वे द्वारा इस क्षुद्रग्रह की खोज मार्च 2010 में की गई थी। नासा के अनुसार, इस क्षुद्र ग्रह से होने वाला जोखिम काफी कम है क्योंकि यह पृथ्वी से 4.6 मिलियन मील से अधिक दूरी से गुज़र रहा है, जो कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी से 19 गुना अधिक है।

क्षुद्रग्रह

- क्षुद्रग्रह, सूर्य की परिक्रमा करने वाले चट्टानी पिंड हैं, जो ग्रहों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। इन्हें 'लघु ग्रह' भी कहा जाता है। इसका नामकरण 'अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ' (IAU) द्वारा किया जाता है।

- ग्रहों और सूर्य के निर्माण एवं इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये इनका अध्ययन किया जाता है। साथ ही इन्हें ट्रैक करने का एक अन्य कारण उन क्षुद्रग्रहों की तलाश करना है, जो सम्भावित रूप से खतरनाक हो सकते हैं।
- नासा के अनुसार ज्ञात क्षुद्र ग्रहों की संख्या 994,383 है, जो 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल के गठन से प्राप्त हुए अवशेष हैं।
- क्षुद्रग्रहों को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता हैं। पहले वर्ग में उन क्षुद्रग्रहों को रखा जाता है, जो मंगल और बृहस्पति के मध्य मुख्य क्षुद्रग्रह पेटी में पाए जाते हैं। इस पेटी में क्षुद्रग्रहों की अनुमानित संख्या 1.1 से लेकर 1.9 मिलियन के बीच हो सकती है।
- दूसरा समूह ट्रोजन का है। ये ऐसे क्षुद्रग्रह हैं, जो किसी बड़े ग्रह की कक्षा साझा करते हैं। नासा ने जूपिटर, नेपच्यून और मार्स ट्रोजन की उपस्थिति के बारे में बताया है। वर्ष 2011 में नासा ने अर्थ ट्रोजन की उपस्थिति के बारे में जानकारी दी।
- क्षुद्रग्रहों के तीसरे वर्गीकरण में पृथ्वी के निकट के क्षुद्रग्रह अर्थात नियर-अर्थएस्टेरॉइड' (NEA) आते हैं, जो परिक्रमा के दौरान पृथ्वी के करीब से गुज़रते हैं। ऐसे क्षुद्रग्रह, जो पृथ्वी की कक्षा को पार करते हैं उन्हें 'पृथ्वी-पारीय' (Earth-Crossers) कहा जाता है। ऐसे क्षुद्रग्रहों की ज्ञात संख्या 10,000 से अधिक है। इनमें से 1,400 से अधिक क्षुद्रग्रहों को 'सम्भावित खतरनाक क्षुद्रग्रहों' (PHAs) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क्षुद्रग्रहों से पृथ्वी को होने वाले खतरे का स्तर

- द प्लैनेटरी सोसाइटी के एक अनुमान के अनुसार, लगभग 1 बिलियन क्षुद्रग्रह ऐसे है, जिनका व्यास 1 मीटर से अधिक है। 30 मीटर से बड़े आकार के क्षुद्रग्रह पृथ्वी को प्रभावित करते हुए महत्त्वपूर्ण नुकसान का कारण बन सकते हैं।
- नासा के 'नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम' के अनुसार, 140 मीटर या उससे बड़े आकार के क्षुद्रग्रह (एक मध्यम आकार के फुटबॉल स्टेडियम के बराबर) सबसे बड़ी चिंता का विषय हैं क्योंकि तबाही के स्तर के कारण वे अधिक प्रभाव पैदा करने में सक्षम है।
- हालाँकि यह ध्यान देने योग्य है कि 140 मीटर से बड़े किसी भी क्षुद्रग्रह के अगले 100 वर्षों तक पृथ्वी से टकराने की कोई बड़ी सम्भावना नहीं है।
- एक किमी. या उससे अधिक व्यास के क्षुद्रग्रह विनाशकारी विश्वव्यापी प्रभाव पैदा करने में सक्षम हैं। हालाँकि, ये एक लाख वर्षों में एक बार पृथ्वी को प्रभावित करते हैं और अत्यंत दुर्लभ होते हैं।
- चिक्जुलुब (Chicxulub) की घटना ने मैक्सिको की खाड़ी को काफी प्रभावित किया था। यह पृथ्वी से 66 मिलियन वर्ष पूर्व टकराने वाला 10 किमी. व्यास का एक अंतरिक्ष पिंड था। यह अधिकतर डायनासोर प्रजातियों के अचानक विलुप्त होने का कारण बना था।

क्या सभी अंतरिक्ष पिंड खतरनाक हैं?

- सभी अंतरिक्ष पिंड पृथ्वी के लिये खतरनाक नहीं हैं क्योंकि नासा के अनुसार, पृथ्वी पर प्रत्येक दिन अंतरिक्ष से 100 टन से अधिक धूल और रेत के आकार के कण आते रहते हैं।
- प्रत्येक वर्ष एक कार के आकार का क्षुद्रग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और पृथ्वी की सतह पर पहुँचने से पहले जल कर नष्ट हो जाता है।

क्षुद्रग्रहों को विक्षेपित करने का तरीका

- वैज्ञानिकों ने क्षुद्रग्रहों से उत्पन्न होने वाले गम्भीर खतरों को दूर करने के लिये अलग-अलग तरीके सुझाए हैं। इन उपायों में पृथ्वी पर पहुँचने से पहले क्षुद्रग्रह में विस्फोट करना तथा किसी अंतरिक्ष यान से टक्कर मारकर उसके पथ में विचलन पैदा करना है।

- अब तक का सबसे महत्त्वपूर्ण उपाय 'क्षुद्रग्रह प्रभाव और विक्षेपण आकलन' (AIDA) है, जिसमें नासा का 'दोहरा क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण' (DART) मिशन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का हेरा (HERA) शामिल हैं।
- इस मिशन का लक्ष्य 'डिडिमॉस' (Didymos) नामक एक दोहरा 'नियर-अर्थएस्टेरॉइड' है। पिंडों के इस निकाय में से एक का आकार पृथ्वी के लिये महत्त्वपूर्ण खतरा पैदा कर सकता है।
- वर्ष 2018 में नासा ने DART का निर्माण प्रारम्भ होने की घोषणा की, जिसको वर्ष 2021 में लॉन्च किया जाना है। इसका लक्ष्य वर्ष 2022 में लगभग 6 किमी. प्रति सेकेंड की गति से डिडिमॉस सिस्टम के छोटे क्षुद्रग्रह में शक्तिशाली प्रहार करना है।
- 'हेरा' को वर्ष 2024 में लॉन्च किया जाना है, जो वर्ष 2027 में डिडिमॉस सिस्टम में पहुँचेगा। इसका उद्देश्य DART के टक्कर के प्रभाव से निर्मित क्रेटर को मापना और क्षुद्रग्रह के कक्षीय प्रक्षेपवक्र में परिवर्तन का अध्ययन करना है।

निष्कर्ष

नासा के अनुसार, वास्तव में किसी अंतरिक्ष पिंड से किसी सभ्यता के नष्ट होने का जोखिम अत्यंत कम है और ऐसी घटनाएँ कुछ मिलियन वर्षों में एक बार ही होती हैं। साथ ही धूमकेतुओं (Comet) से पृथ्वी को क्षति पहुँचने की सम्भावना भी काफी कम है। ऐसी सम्भावना पाँच लाख वर्षों में लगभग एक बार उत्पन्न होती है।

महासागरीय सेवाओं से जुड़ी प्रौद्योगिकी व ओ-स्मार्ट योजना

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में ओ-स्मार्ट (O-SMART) योजना की प्रगति के बारे में जानकारी दी है। ध्यातव्य है कि भारत का महत्वाकांक्षी 'डीप ओशन मिशन' ओ-स्मार्ट पहल के तहत ही एक छाता योजना (Umbrella Scheme) है।

O-स्मार्ट योजना

- O-स्मार्ट योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएँ तटीय और महासागरीय क्षेत्रों, जैसे– मत्स्य पालन, अपतटीय उद्योग, तटीय राज्यों, रक्षा, नौवहन, बंदरगाहों आदि में कई उपयोगकर्ता समुदायों को आर्थिक लाभ प्रदान करेंगी।
- यह पहल सतत विकास लक्ष्य (SDG) 14 से सम्बंधित मुद्दों के समाधान में सहायक होगी। ध्यातव्य है कि SDG 14 का उद्देश्य सतत विकास के लिये महासागरों एवं समुद्री संसाधनों के उपयोग का संरक्षण करना है। यह ब्लू इकोनॉमी के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी पृष्ठभूमि भी प्रदान करती है।
- अत्याधुनिक पूर्व चेतावनी प्रणाली या स्टेट ऑफ आर्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम योजना सुनामी और तूफान की घटनाओं जैसी समुद्री आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने में सहायक होगी।
- विकसित की जा रही तकनीकों से भारत के चारों ओर के समुद्रों में उपस्थित जीवित और निर्जीव दोनों प्रकार के संसाधनों के दोहन में मदद मिलेगी।
- अनुसंधानिक जहाजों का एक बेड़ा, जैसे– प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पोत सागरनिधि, समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत सागरकन्या,मत्स्य और समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत सागरसम्पदा और तटीय अनुसंधान पोत सागरपुरी आदि को भी आवश्यक अनुसंधान सहायता प्रदान करने के लिये अधिगृहीत किया गया है।

O-स्मार्ट योजना के उद्देश्य

- भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (ई.ई.जेड.) में मरीन लिविंग रिसोर्सेज और भौतिक पर्यावरण के साथ उनके सम्बंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और नियमित रूप से अपडेट करना।

- समय-समय पर भारत के तटीय जल सम्पदा की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिये समुद्री जल प्रदूषकों के स्तर की निगरानी करना एवं प्राकृतिक और मानवजनित गतिविधियों के कारण तटीय क्षरण के आकलन के लिये तटरेखा परिवर्तन मानचित्र विकसित करना।
- भारत में समुद्रों से वास्तविक समय के आँकड़ों के अधिग्रहण के लिये अत्याधुनिक महासागरीय अवलोकन प्रणालियों की एक विस्तृत शृंखला विकसित करना। सामयिक लाभों के लिये महासागर की उपयोगकर्ता-उन्मुख जानकारी, सलाह, चेतावनी, आँकड़े और आँकड़ों से जुड़े उत्पादों का एक निकाय बनाना और प्रसारित करना।
- समुद्र के पूर्वानुमान और पुनर्विश्लेषण प्रणाली के लिये उच्च रिजॉल्यूशन मॉडल विकसित करना।
- तटीय अनुसंधान के लिये उपग्रहों से प्राप्त आँकड़ों के सत्यापन के लिये एल्गोरिदम विकसित करना और तटीय अनुसंधान में परिवर्तन की निगरानी करना।
- तटीय प्रदूषण की निगरानी, पानी के नीचे के विभिन्न घटकों के परीक्षण और उनसे जुड़ी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के लिये दो नए तटीय अनुसंधान पोतों (Coastal Research Vessels - CRV) का अधिग्रहण करना।
- मध्य हिंद महासागर बेसिन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत को आवंटित किये गए 75000 वर्ग किमी. के क्षेत्र में 5500 मीटर की पानी की गहराई से पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स (एम.पी.एन.) की खोज की दिशा में प्रयास करना। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जल प्राधिकरण (International Seabed Authority) एवं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जलीय क्षेत्र में भारत को आवंटित किये गए 10000 वर्ग किमी. के क्षेत्र में रोड्रिग्स ट्रिपल जंक्शन के पास बहुरूपदर्शक सल्फाइड की खोज की दिशा में प्रयास करना।
- वैज्ञानिक आँकड़ों द्वारा समर्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) के स्थलाकृतिक सर्वेक्षण द्वारा महाद्वीपीय शेल्फ पर भारत के दावे का प्रस्तुतीकरण करना।

नीली अर्थव्यवस्था

- नीली अर्थव्यवस्था में वह आर्थिक गतिविधियाँ शामिल हैं, जिनमें समुद्र के संसाधनों का उपयोग इस तरह किया जाता है कि उससे समुद्री पर्यावरण व्यवस्था को कोई नुकसान ना हो।
- इसमें मत्स्य कृषि, जलीय कृषि, मरीन जैव-प्रौद्योगिकी एवं जैव सम्भावना, अलवणीकरण के माध्यम से ताज़े पानी की प्राप्ति, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, मेरीटाइम परिवहन, बंदरगाह सेवाएँ व पर्यटन आदि शामिल हैं। इसके अलावा, जैव विविधता की रक्षा और तटीय क्षेत्रों का विकास व रक्षा भी इसमें शामिल हैं।
- नीली अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि व रोज़गार के अवसर में तेज़ी लाने की क्षमता है। यह नई औषधियों, कीमती रसायनों और प्रोटीनयुक्त खाद्य-पदार्थों का पता लगाने में सहायक हो सकती है, साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की जानकारी भी इसके द्वारा प्राप्त होती है।

आगे की राह

- महासागर मानव के लिये अनन्य सम्पदा के भंडार हैं, जिनका उपयोग मानव प्राचीन समय से ही करता आया है। वर्तमान में भी वैश्विक स्तर पर विभिन्न देश महासागरीय संसाधनों का उपयोग अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिये कर रहे हैं।
- भारत ने भी विगत कुछ समय से नीली अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर विशेष बल दिया है, जिससे महासागरीय संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भारत की भौगोलिक अवस्थिति इस अर्थव्यवस्था के विचार में सहायक की भूमिका निभाती है, किंतु इस क्षेत्र की चुनौतियों की वजह से बहुत समस्याएँ भी सामने आती रहती हैं।
- जलवायु परिवर्तन, महासागरीय संसाधनों का अनुचित दोहन तथा इस क्षेत्र में किसी प्रमुख विनियामक ढाँचे की कमी अभी भी प्रमुख चुनौती बने हुए हैं।
- भारत यदि अपनी कुशल अवसंरचना के विकास द्वारा महासागरीय संसाधनों के धारणीय उपयोग में सक्षम हो पाता है तो यह क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में प्रमुख भागीदार हो सकता है।

6 पर्यावरणीय घटनाक्रम

अटलांटिक महासागर में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण की गम्भीरता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'नेचर कम्युनिकेशन' में प्रकाशित एक अध्ययन में अटलांटिक महासागर में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की मात्रा का अनुमान लगाया गया है।

पृष्ठभूमि

इस अध्ययन के अनुसार समुद्र में प्लास्टिक के आगत और स्टॉक का स्तर पहले की तुलना में बहुत अधिक हैं। सर्वविदित है कि प्लास्टिक विशेष रूप से माइक्रोप्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण महासागरों और यहाँ तक कि आर्कटिक के कुछ सबसे दूरस्थ क्षेत्रों तक भी पहुँच गया है। अभी भी समुद्रों में विशेष रूप से माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की मात्रा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

माइक्रोप्लास्टिक

- माइक्रोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक मलबे होते हैं, जिनका आकार 5 मिमी. से कम या लगभग तिल के बराबर होता है। ये विभिन्न प्रकार के स्रोतों से उत्पन्न होते हैं।
- जब प्लास्टिक के बड़े टुकड़े छोटे-छोटे टुकड़ों में अपघटित होते हैं, तब भी माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, जिनका पता लगाना कठिन होता है।

महासागरों तक प्लास्टिक के पहुँचने का प्रमुख कारण

- वैज्ञानिकों के अनुसार, महासागरों तक माइक्रोप्लास्टिक पहुँचने के कई कारण हैं, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित हैं-
  - तटीय और आंतरिक क्षेत्रों से नदी और वायुमंडलीय परिवहन द्वारा
  - अवैध डम्पिंग गतिविधियों द्वारा
  - नौ-परिवहन जहाजों से सीधे समुद्र में कूड़े-कचरों द्वारा
  - मछली पकड़ने और जलीय कृषि गतिविधियों द्वारा
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के अनुसार, प्रत्येक वर्ष समुद्रों में कम से कम 8 मिलियन टन प्लास्टिक पहुँचता है, जो समुद्र की सतह से लेकर समुद्र की तली तक सभी समुद्री मलबे का लगभग 80% हिस्सा होता है।

प्लास्टिक प्रदूषण से क्षति

- प्लास्टिक की स्थाई प्रकृति के कारण इसका विघटन काफी कठिन होता है। विघटन की प्रक्रिया प्लास्टिक के प्रकार और उसके डम्पिंग के स्थान पर निर्भर करती है।
- महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ने से समुद्री जीवन, महासागरीय स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी के साथ-साथ तटीय पर्यटन और अंततः मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है।
- प्लास्टिक प्रदूषण से सभी प्रकार की समुद्री प्रजातियों के प्रभावित होने का खतरा रहता है परंतु आमतौर पर बड़ी समुद्री प्रजातियाँ इससे अधिक प्रभावित होती हैं।
- समुद्री जानवर, जैसे– व्हेल, समुद्री पक्षी और कछुए आदि अनजाने में प्लास्टिक को निगल लेते हैं और अक्सर उनका दम घुटने से मौत हो जाता है। पिछले वर्ष स्कॉटिश पर मृत मिली स्पर्म व्हेल के अंदर अनुमानतः 100 किलो (220 पाउंड) मलबा मिला था, जिसमें जाल, रस्सी और प्लास्टिक आदि थे।

- खाद्य शृंखला में पहुँचने की स्थिति में समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण मनुष्यों के लिये भी हानिकारक है। उदाहरण के लिये माइक्रोप्लास्टिक नल के पानी, बीयर और यहाँ तक कि नमक में भी पाए गए हैं।
- पिछले वर्ष प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार एक औसत व्यक्ति प्रति वर्ष कम से कम 50,000 माइक्रोप्लास्टिक के कणों का अंतर्ग्रहण करता है। प्लास्टिक का उत्पादन करने के लिये उपयोग किये जाने वाले कई रसायन कैंसरजनक होते हैं।

अध्ययन के निहितार्थ

- वैज्ञानिकों के अनुसार, अटलांटिक महासागर में मुख्यत: तीन प्रकार के प्लास्टिकों के कारण प्रदूषण हुआ। ये हैं– पॉलीइथाइलीन (Polyethylene), पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीस्टाइनिन, जो समुद्र की सतह से 200 मीटर की गहराई तक निलम्बित पाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इन तीन प्रकार की प्लास्टिक का उपयोग पैकेजिंग के लिये सबसे अधिक किया जाता है।
- प्लास्टिक के सूक्ष्म कण आसानी से समुद्र की अधिक गहराई तक डूब सकने के कारण भी अधिक खतरनाक होते हैं। कुछ समुद्री प्रजातियाँ, जैसे कि जूप्लैंकटन छोटे कणों का भक्षण प्राथमिक रूप से करती हैं, जिससे उनका खाद्य शृंखला में प्रवेश करना आसान हो जाता है।
- पिछले आकलनों में माइक्रोप्लास्टिक के कारण होने वाले प्रदूषण को गम्भीर रूप से कम आंका गया है क्योंकि छोटे माइक्रोप्लास्टिक की काफी मात्रा समुद्र की सतह से उसके आंतरिक हिस्सों में संग्रहीत हो जाती है।
- अटलांटिक महासागर के जल में कुल 17 से 47 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा होने की सम्भावना है। यह निष्कर्ष वर्ष 1950 से 2015 तक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन की प्रवृत्तियों तथा इन 65 वर्षों में वैश्विक प्लास्टिक कचरे के 0.3 से 0.8% भाग का अटलांटिक महासागर में पहुँचने के आकलन पर आधारित है।

निष्कर्ष

महासागरों में सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषण को कम करके आंका जाना और प्रदूषण के परिमाण की अनिश्चितता एक समस्या है। माइक्रोप्लास्टिक अध्ययन का एक उभरता हुआ क्षेत्र है, अत: पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके सटीक जोखिम स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हैं। निष्कर्षों से पता चलता है कि पूर्व में आकलित किये गए मात्रा की तुलना में समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण बहुत अधिक है।

बायोमास संयंत्र, बायो-सी.एन.जी. और बायो-एथेनॉल में पराली का अधिकतम

पृष्ठभूमि

पराली दहन पंजाब सरकार के लिये एक बड़ी समस्या है। प्राथमिकताओं को पुन: तय करने के साथ-साथ एक अलग सोच इस समस्या का एक प्रभावी समाधान हो सकता है। पंजाब में 'पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी' (PEDA) पराली उपयोग के विभिन्न विकल्पों को अपनाकर इस समस्या को हल करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

पेडा और वर्तमान परिदृश्य

- पेडा (PEDA) पिछले तीन दशकों से नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और संवर्धन की दिशा में कार्यरत है। इसने 11 बायोमास बिजली संयंत्र स्थापित किये हैं, जहाँ 97.50 मेगा वाट (MW) बिजली उत्पन्न होती है।
- इन संयंत्रों में प्रतिवर्ष 8.80 लाख मीट्रिक टन धान की पराली का उपयोग बिजली पैदा करने के लिये किया जाता है, जो कि पंजाब में उत्पन्न होने वाली कुल 20 मिलियन टन धान की पराली के 5% से भी कम है।
- कार्बन-डाईऑक्साइड और कणिका तत्वों (Particulate Matter) के अपेक्षाकृत कम उत्सर्जन और कोयले जैसे अन्य जीवाश्म ईंधन को विस्थापित करने के कारण ये परियोजनाएँ पर्यावरण के अनुकूल हैं।

जैवभार (Biomass)

- जैव ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य का प्रकाश है। कुल सौर ऊर्जा का कुछ हिस्सा प्रकाश संश्लेषित पौधों द्वारा जैवभार में संचित हो जाता है। अत: वे सभी पदार्थ जिनकी उत्पत्ति प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है, जैव-भार कहलाते हैं।
- यह नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। इसके अंतर्गत लिग्नोसेल्युलोज युक्त पादप (जैसे-यूकेलिप्टस, चीड़ आदि) के साथ-साथ जलीय पादप (जलकुम्भी) तथा अपशिष्ट पदार्थों के रूप में खाद, कूड़ा-करकट आदि को ऊर्जा स्रोत के रूप में रखा गया है।

जैव-सी.एन.जी. (Bio-CNG)

- जैव-गैस का शुद्ध रूप, जिसकी संरचना और ऊर्जा क्षमता जीवाश्म आधारित प्राकृतिक गैस के समान होती है। इसे कृषि अवशेषों, पशुओं के गोबर, खाद्य अपशिष्ट, शहरी ठोस अपशिष्ट (MSW) और सीवेज जल से उत्पन्न किया जाता है।

पराली उपयोग के अन्य क्षेत्र

- बायोमास परियोजनाओं के अलावा बायो-सी.एन.जी. की आठ परियोजनाएँ राज्य में क्रियान्वित हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर इनको सालाना लगभग 3 लाख मीट्रिक टन धान की पराली की आवश्यकता होगी।
- 'स्टार्ट-अप' अवधारणा के तहत पंजाब में धान के पराली के उपयोग की बहुत सम्भावनाएं है। यहाँ संगरूर जिले में भारत की सबसे बड़ी सी.एन.जी. परियोजना स्थापित करने पर कार्य चल रहा है। इस एकल परियोजना के लिये प्रति वर्ष 1.10 लाख मीट्रिक टन धान के पुआल की आवश्यकता होगी।
- वर्तमान में ठप पड़ी भटिंडा में स्थित 100 किलो लीटर की एक बायो-एथेनॉल परियोजना को भी सालाना 2 लाख मीट्रिक टन धान के पराली की आवश्यकता होगी।
- इन सभी परियोजनाओं के प्रारम्भ होने के बाद पंजाब 1.5 मिलियन टन धान की पराली (कुल का 7%) का उपयोग करने में सक्षम होगा। इससे उत्पन्न एथेनॉल का उपयोग डीजल और पेट्रोल के सम्मिश्रण के बाद वाहनों को चलाने के लिये किया जा सकता है।
- यदि पंजाब में आधे वाहन भी एथेनॉल-आधारित ईंधन पर चलने लगते हैं, तो धान की पराली, जिसे अभी अभिशाप माना जाता है, आने वाले दिनों में एक वरदान साबित हो सकती है।

एथेनॉल (Ethanol)

- एथेनॉल को 'एथिल एल्कोहल' भी कहते हैं। यह एक प्रकार का तरल है। 95% शुद्धता की स्थिति में इसे 'रेक्टिफाइड स्पिरिट' या 'शोधित स्पिरिट' कहते हैं। इसका प्रयोग मादक पेय (Alcoholic beverages) में नशीले घटकों (Intoxicating Ingredient) के रूप में होता है।
- लगभग 99% शुद्धता की स्थिति में एथेनॉल का प्रयोग पेट्रोल के साथ मिलाने के लिये भी होता है।

बायो-एथेनॉल (Bio-Ethanol)

- जैवभार से उत्पन्न एथेनॉल को बायो-एथेनॉल कहा जाता है। बायो-एथेनॉल के लिये जैवभार के रूप में शर्करा युक्त सामग्री, जैसे- गन्ना, चुकंदर और मीठे चारे आदि के साथ-साथ स्टार्च युक्त मक्का, कसावा, पके आलू, शैवाल, लकड़ी के कचरे, कृषि और वन अवशेषों आदि को शामिल किया जाता है।

धान के पुआल पर आधारित उद्योग के लाभ

- यदि किसान धान की पराली को जलाने के बजाय उद्योगों में प्रयोग होने के लिये बेच सकें, तो उन्हें बहुत लाभ हो सकता है।

- इससे पर्यावरण के साथ-साथ मृदा को भी लाभ होगा, क्योंकि पराली को जलाए जाने से प्रतिवर्ष उपजाऊ मिट्टी को भी क्षति पहुँचती है, क्योंकि इससे भारी मात्रा में मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ भी नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी परियोजनाएँ स्थापित होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के बड़े अवसर भी उपलब्ध हो सकते हैं।

आगे की राह

- वर्तमान में पराली के उत्पादन की तुलना में उसका प्रयोग काफी कम स्तर पर होता है। इसके लिये अधिक से अधिक पराली के उपयोग वाले उद्योगों को स्थापित करने की आवश्यकता है।
- पंजाब में बड़े व्यावसायियों और एन.आर.आई. के साथ-साथ विशेष रूप से इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्नातक युवाओं को भी 'स्टार्ट-अप' अवधारणा के तहत ऐसी परियोजनाओं को स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- यह उनके बीच उद्यमशीलता की भावना पैदा करेगा। साथ ही सरकार को पहले से ही स्वीकृत ऋण को प्राप्त करने और बाज़ार तक पहुँच प्रदान करने में इन उद्यमशील युवाओं की मदद करनी चाहिये।
- किसानों की पराली को आय में परिवर्तित करने के लिये सार्वजनिक और निजी भागीदारी सहित राज्य, केंद्र और उद्योगों की ओर से संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है।
- इसके अतिरिक्त प्लाई और पेंट उद्योगों में भी पराली के उपयोग की व्यापक सम्भावनाएं है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु प्रस्ताव और भारत के लिये उसकी व्यावहारिकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भारत से कोयले के प्रयोग को तत्काल बंद करने और वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में 45% की कमी लाने का आह्वान किया है।

नैतिक दबाव में वृद्धि का प्रयास

- टेरी (TERI) में व्याख्यान के दौरान जलवायु कूटनीति कदम के रूप में गुटरेस ने भारत से वर्ष 2020 के बाद कोयले में कोई नया निवेश न करने का आह्वान किया।
- यह अपील वास्तव में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC) के स्थापना सिद्धांतों के विपरीत विमर्श तैयार करने की दिशा में एक कदम है। UNFCCC विकासशील देशों के प्रति विकसित देशों की जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं के बीच अंतर को स्पष्ट करता है।
- नवीनतम जलवायु रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने विकसित देशों की भाँति चीन और भारत से भी वर्ष 2030 तक अपने उत्सर्जन में 45% कमी करने को कहा है, जो एक विशेष रणनीति को जाहिर करता है।
- यह सलाह उस समय दी गई है, जब यह स्पष्ट है कि G-20 देशों में भारत की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और वर्तमान में इस समूह के सदस्यों में भारत के आर्थिक संकुचन की दर सर्वाधिक है, जिसका दीर्घकालिक प्रभाव अभी भी बहुत स्पष्ट नहीं है।
- भारतीय विदेश मंत्री की उपस्थिति में देश के एक प्रमुख जलवायु संस्थान में दिया गया यह भाषण जलवायु क्षेत्र में भारत पर दबाव बनाने वाला एक प्रयास है। सभी G-20 राष्ट्रों से जलवायु के सम्बंध में एक जैसी अपील करना और इन देशों द्वारा समान रूप से इसके पालन की उम्मीद करना अव्यवहारिक है।

जलवायु के सम्बंध में भारत का कार्य निष्पादन रिकॉर्ड

- भारत का नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम अत्यंत महत्त्वाकांक्षी है। साथ ही भारत का ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम भी विशेष रूप से घरेलू खपत क्षेत्र में प्रभाव दिखा रहा है।

- भारत कम से कम 2°C जलवायु ऊष्मन कार्रवाई लक्ष्य का अनुपालन करने वाले कुछ चुनिंदा देशों में से एक है। वर्तमान में ऐसे देशों की सूची बहुत छोटी है, जो पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु सही दिशा में कार्यरत हैं।
- हाल के दशकों में त्वरित आर्थिक विकास के बावजूद भारत का वार्षिक उत्सर्जन 0.5 टन प्रति व्यक्ति है, जो वैश्विक औसत 1.3 टन से कम है। निरपेक्ष रूप से तीन प्रमुख उत्सर्जक- चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ है, जिनका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत से अधिक है।
- संचयी उत्सर्जन के संदर्भ में (यह तापमान वृद्धि की सीमा का निर्धारण करने में वास्तव में महत्त्वपूर्ण है) वर्ष 2017 तक भारत की हिस्सेदारी 1.3 अरब जनसंख्या के लिये केवल 4% था, जबकि केवल 448 मिलियन जनसंख्या वाला यूरोपीय संघ 20% उत्सर्जन के लिये ज़िम्मेदार था।
- यू.एन.एफ.सी.सी.सी. के ही अनुसार वर्ष 1990 और 2017 के बीच विकसित देशों (रूस और पूर्वी यूरोप को छोड़कर) ने अपने वार्षिक उत्सर्जन में केवल 1.3% की कमी की है। साथ ही उत्सर्जन में कमी के अनुमान व लेखांकन में अपरिहार्य त्रुटियों को देखते हुए यह कमी व्यावहारिक रूप से शून्य हो जाती है।
- कोयले को चरणबद्ध रूप से प्रयोग से बाहर करने की बात करते हुए ग्लोबल नॉर्थ (Global North) ने तेल और प्राकृतिक गैस पर निरंतर निर्भरता की वास्तविकता को अस्पष्ट कर दिया है, जबकि दोनों समान रूप से जीवाश्म ईंधन हैं और उनके प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की कोई समयसीमा नहीं है।
- इन देशों ने वर्ष 2050 तक 'कार्बन तटस्थता' (Carbon Neutrality) की बात करके वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटका दिया है और इनमें से कुछ देशों द्वारा जलवायु आपातकाल की घोषणा का प्रस्ताव वास्तविकता की अपेक्षा नैतिक दिखावा अधिक प्रतीत होता है।
- कार्बन तटस्थता का अर्थ वायुमंडल में कार्बन के उत्सर्जन और कार्बन सिंक द्वारा उसके अवशोषण के बीच संतुलन या साम्यता का होना है।

प्रथम विश्व/विकसित देशों की रणनीति

- प्रथम विश्व के पर्यावरणविद् जलवायु कार्रवाई के लिये आवश्यक घरेलू राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने में असमर्थ रहें हैं, अत: वे जलवायु शमन का दबाव विकासशील देशों पर डाल रहें हैं।
- उनकी रणनीतियों में कोयला उत्पादन प्रमुखता से शामिल है। साथ ही साथ इन दावों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है कि त्वरित जलवायु शमन चमत्कारिक रूप से घरेलू असमानताओं को कम करेगा और जलवायु अनुकूलन को सुनिश्चित करेगा।
- इसके अतिरिक्त विनाश के सिद्धांत या औद्योगिक उत्पादकता की उपेक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही इन एजेंडों को विकासशील देशों पर लागू करने हेतु प्रथम विश्व के वित्तीय व विकास संस्थानों और बहुपक्षीय अपीलों में भी वृद्धि देखी जा रही है।
- इन सब कारणों से विकासशील देशों के युवाओं का एक वर्ग भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय असमानताओं के प्रति वह असंवेदनशील है। इससे जलवायु आपातकाल के सम्बंध में अलंकारिक बयानबाजी को भी बढ़ावा मिलता है।
- संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस समझौते से हटने के लिये अमेरिका या कोयले की आड़ में गैस और तेल पर दीर्घकालिक निर्भरता के लिये यूरोपीय संघ के देशों की शायद ही कभी आलोचना की हो।
- ये देश वैश्विक जलवायु कार्रवाई में 'विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत' के बिना वर्ष 2050 तक सभी के लिये लागू होने वाले कार्बन तटस्थता के एजेंडे को बढ़ावा दे रहें हैं।

कोयले में निवेश को समाप्त करना

- यदि भारत वास्तव में इस वर्ष से कोयले में सभी प्रकार के निवेश को बंद कर देता है तो इसके वास्तविक परिणाम के बारे में भी सोचना होगा। वर्तमान में कोयला आधारित उत्पादन का लगभग 2 गीगावॉट प्रति

वर्ष की दर से डीकमीशन किया जा रहा है, जिसका तात्पर्य है कि वर्ष 2030 तक भारत में कोयला आधारित उत्पादन मात्र 184 गीगावॉट तक रह जाएगा।

- हालाँकि, वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 1,580 से 1,660 यूनिट बिजली की खपत के लक्ष्य को पूरा करने हेतु 650 गीगावॉट से 750 गीगावॉट के बीच अक्षय ऊर्जा की आवश्यकता होगी। विकसित राष्ट्रों के विपरीत भारत तेल और गैस द्वारा कोयले को विस्थापित नहीं कर सकता है। पवन ऊर्जा की क्षमता के बावजूद इसका एक बड़ा हिस्सा सौर ऊर्जा से ही प्राप्त होने की उम्मीद है।
- नवीकरणीय, विशेषकर सौर ऊर्जा से वास्तव में कोई भी उद्योग, विशेष रूप से विनिर्माण उद्योगों का संचालन नहीं हो पाएगा, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा आवासीय उपभोग और सेवा क्षेत्र के कुछ हिस्से की माँग को ही भली भाँति पूरा कर सकती हैं।
- जब से कोपेनहेगन समझौते ने विकसित देशों द्वारा उत्सर्जन में कमी लाने हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं को खत्म करने का संकेत दिया है, जलवायु परिवर्तन शमन प्रौद्योगिकी के विकास और पेटेंट में महत्त्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। इसका अपवाद केवल चीन रहा है।

आगे की राह

- नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की उत्पादन क्षमता में कमी और उनका बड़े पैमाने पर संचालन व स्थापना भारत की बाहरी स्रोतों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर बढ़ती गम्भीर निर्भरता को उजागर करता हैं। इस समस्या को हल करने की आवश्यकता है।
- चिंता की बात यह है कि जलवायु परिवर्तन शमन प्रौद्योगिकी के पेटेंट में भारत की उपस्थिति न्यूनतम से लेकर शून्य रही है। दशकों की इस निरंतर प्रवृत्ति को बहुत जल्द पलटना मुश्किल है, परंतु इस तरफ तेज़ी से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
- यह भी एक स्वयंसिद्ध सत्य है कि कोयले के साथ-साथ नवीकरणीय स्रोत, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, अकेले नवीकरण स्रोत से कहीं अधिक रोज़गार पैदा करेगा, अतः दोनों में सामंजस्य की आवश्यकता है।
- बिजली संयंत्रों द्वारा वर्ष 2022 की समय सीमा तक उत्सर्जन मानकों को पूरा करने पर भी जोर दिया जाना चाहिये।
- भारत को वैश्विक तापन की चुनौती हेतु एक न्यायसंगत प्रतिक्रिया के लिये अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दोहराना चाहिये।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र महासचिव इस बात से अवगत हैं कि किसी भी गणना और अनुमान के अनुसार जलवायु कार्रवाई में भारत अपनी ज़िम्मेदारी और आर्थिक क्षमता के अनुसार कम से कम बराबर की भूमिका तो अवश्य ही निभा रहा है। यह आह्वान एक प्रकार से देश को अनौद्योगीकृत करने और जनसंख्या को विकास के निम्न जाल में ले जाने का है।

7 रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा

ऑनलाइन आंदोलन : बढ़ता प्रभाव तथा चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

कोविड-19 महामारी के दौर ने ऑनलाइन आंदोलनों के महत्त्व को अत्यधिक बढ़ा दिया है। इस महामारी के दौरान भारत में विरोध प्रदर्शन लगभग पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है।

भूमिका

- सोशल मीडिया तथा ई-मेल जैसी इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों के माध्यम से नागरिक आंदोलनों को तीव्रता प्रदान करने तथा इसे अतिरिक्त रूप से प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाता है। यह एक संगठित सार्वजनिक प्रयास है, जिसमें किसी विशिष्ट मुद्दे पर डिजिटल मीडिया की सहायता से नागरिकों का समर्थन प्राप्त किया जाता है।
- सोशल मीडिया तीन प्रमुख तरीकों से ऑनलाइन सक्रियता (Online Activism) में वृद्धि करता है।
- पहला, यह लोगों की सामाजिक समस्याओं से सम्बंधित अनुभव और राय व्यक्त करने का मंच प्रदान करता है।
- दूसरा, ऑनलाइन असामाजिक तत्त्वों द्वारा प्रसारित नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को चुनौती देने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- तीसरा, यह अपनी विचारधाराओं से अलग लोगों के साथ भी सम्बंधित मुद्दों की वास्तविकताओं को साझा करने का अवसर देता है।

ऑनलाइन आंदोलनों के लाभ

- जो लोग प्रदर्शनों में शामिल नहीं हो सकते हैं, ये उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये अपनी आवाज को बुलंद करने और समर्थन प्राप्त करने में सहायता करते हैं।
- ये लोकतंत्र और कल्याणकारी शासन चाहने वाले समुदाय या देश के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं।
- ये राजनीति के विकेंद्रीकरण में अत्यंत सहायक हैं। इनमें एक व्यापक जनसमूह की सहभागिता सुनिश्चित हो पाती है।
- ये सरकार नियंत्रित पारम्परिक मीडिया द्वारा अपने पक्ष में प्रसारित सूचनाओं को प्रमाणिकता प्रदान करने तथा विभिन्न वर्गों की आवाज को बुलंद करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- ऑनलाइन आंदोलन युवा पीढ़ी को सामाजिक मुद्दों के सम्बंध में अधिक सहभागिता प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें शिक्षित करने तथा उनमें संचार और तकनीकी कौशल का विकास करने में भी सहायता करते हैं।

ऑनलाइन आंदोलनों की चुनौतियाँ

- ऑनलाइन आंदोलनों की अवधि बहुत छोटी होती है। इस प्रकार के आंदोलनों की शुरुआत जिस तीव्रता के साथ होती है, उसी तीव्रता के साथ ये समाप्त भी हो जाते हैं, जिससे लोगों पर इन आंदोलनों का प्रभाव सीमित समय के लिये ही हो पाता है।
- इन आंदोलनों में भाग लेने वाले लोग कभी-कभी गैर-ज़िम्मेदाराना रूप से अपना मत प्रकट करते हैं, जिससे किसी मुद्दे या आँकड़े की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा आंदोलन अपने मूल उद्देश्य से ही भटक जाते हैं।

- ऑनलाइन माध्यमों में अफवाहों तथा अविश्वसनीय जानकारी का प्रसार तीव्रता से होता है, जिससे लोगों में भ्रम तथा असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है तथा गलत जानकारी के प्रसार से हिंसक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है।
- ऑनलाइन माध्यमों के गलत हाथों में पड़ने से इनका दुरुपयोग भी व्यापक स्तर पर किया जा सकता है, जिससे किसी भी राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
- ऑनलाइन आंदोलन लोगों को तीव्रता से तथा व्यापक स्तर पर जोड़ते हैं लेकिन सीमित भौतिक प्रयास के चलते लोगों का केवल प्रतीकात्मक समर्थन मिल पाता है। अल्पकालिक ध्यानाकर्षण के अलावा इन आंदोलनों का प्रभाव लोगों पर गहराई से नहीं पड़ता है।
- ऑनलाइन माध्यम उस क्षेत्र, समुदाय या देश के लिये उपयोगी नहीं हैं, जहाँ इंटरनेट की पहुँच तथा डिजिटल साक्षरता का अभाव है।
- इंटरनेट के अस्थिर स्वभाव तथा सोशल मीडिया पर प्रामाणिक स्रोतों के अभाव के चलते इन आंदोलनों की विश्वसनीयता तथा इनके अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह है।
- इन आंदोलनों के कुछ मुद्दे या विषय सम्बंधित क्षेत्र या देश की सरकार की आलोचना के रूप में हो सकते हैं, जिसकी प्रतिक्रिया में सम्बंधित सरकार इंटरनेट सेंसरशिप जैसे कदम उठा सकती है।

सुधार हेतु सुझाव

- वर्तमान समय में अधिकांश युवा आबादी इंटरनेट से जुड़ी हुई है तथा टेक्नो फ्रेंडली है, जिसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से व्यापक स्तर पर जोड़कर व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है।
- अफवाहों पर प्रभावी नियंत्रण रखते हुए ऑनलाइन आंदोलनों को सही दिशा की ओर उन्मुख किया जाना चाहिये।
- ऑनलाइन आंदोलनों के लिये सोशल मीडिया का प्रयोग महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इतने विस्तृत मंच पर लोगों को लामबंद करने का मानवीय प्रयास तथा इन लोगों को अपने लाभ के लिये उपयोग करने की सोच से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- ऑनलाइन आंदोलन और सोशल मीडिया की ताकत एवं प्रभाव भारत के संदर्भ में विशेष रूप से दिखाई पड़ता है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह तर्क भी विचारणीय है कि ऑनलाइन सहमति और असहमति वास्तव में धरातल पर उपयोगी है या नहीं।
- सुविधापूर्ण एवं आलस्यपूर्ण प्रतिक्रिया जैसी कुछ आलोचनाओं के बावजूद ऑनलाइन आंदोलनों का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इक्कीसवीं सदी में ये आंदोलन स्वयंसिद्ध रूप से स्थापित हो चुके हैं।

संस्कृति IAS

The Complete Administrative Culture

टीम वही, कोचिंग नई

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स

वैकल्पिक विषय

इतिहास

द्वारा - अखिल मूर्ति

ऑनलाइन वीडियो कोर्स में शामिल हैं

1. इतिहास विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. इतिहास विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री–
   (i) पेपर 1: प्राचीन भारत का इतिहास तथा मध्यकालीन भारत का इतिहास
   (ii) पेपर 2: आधुनिक भारत का इतिहास तथा विश्व इतिहास
5. इतिहास विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. प्रथम प्रश्नपत्र से सम्बंधित मानचित्र अध्ययन सामग्री

नोट : उपर्युक्त सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री कोरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

सम्पर्क करें: 7428085757/58
या
मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124

पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: YouTube

करेंट अफेयर्स

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 4

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि

डी.एन.ए. प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक और इससे सम्बंधित आशंकाएँ 100

मिशन कर्मयोगी और सिविल सेवकों की कार्यप्रणाली में सुधार का प्रयास 102

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

टीम वही, कोचिंग नई

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स

ऑनलाइन वीडियो कोर्स में शामिल हैं

1. भूगोल विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति पै के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. भूगोल विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री–
   (i) पेपर 1 (भूगोल के सिद्धांत): भौतिक भूगोल– भूआकृतिक विज्ञान; जलवायु विज्ञान; समुद्र विज्ञान; जैव भूगोल; पर्यावरण भूगोल। मानव भूगोल– मानव भूगोल का स्वरूप/परिप्रेक्ष्य; आर्थिक भूगोल; जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल; प्रादेशिक नियोजन; मानव भूगोल से सम्बंधित मॉडल एवं सिद्धांत।
   (ii) पेपर 2 (भारत का भूगोल): भारत का भौतिक भूगोल; संसाधन भूगोल; कृषि; उद्योग; परिवहन, संचार एवं व्यापार; सांस्कृतिक भूगोल; प्रादेशिक नियोजन और विकास; राजनीतिक भूगोल; समसामयिक मुद्दे– पारिस्थितिकी, बाढ़, सूखा, महामारी, वनोन्मूलन, आपदाएँ, सतत् विकास आदि।
5. भूगोल विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. द्वितीय प्रश्नपत्र से सम्बंधित मानचित्र अध्ययन सामग्री

नोट : उपर्युक्त सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री कोरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

सम्पर्क करें: 7428085757/58
या
मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124

पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: YouTube

8 नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि

डी.एन.ए. प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक और इससे सम्बंधित आशंकाएँ

चर्चा में क्यों?

जयराम रमेश की अध्यक्षता वाली विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन पर बनी संसद की स्थाई समिति ने डी.एन.ए. विधेयक के सम्बंध में कुछ चिंताएँ व्यक्त की हैं।

डी.एन.ए. प्रौद्योगिकी कानून : संक्षिप्त इतिहास

- वर्ष 1994 में अमेरिका द्वारा डी.एन.ए. प्रौद्योगिकी कानून लाया गया। इसके बाद लगभग 60 देशों ने इससे सम्बंधित कानून बनाए।
- हालाँकि, वर्ष 1985 में भारतीय अदालतों द्वारा डी.एन.ए. साक्ष्य को पहली बार स्वीकार किया गया, परंतु जनवरी 2019 में इस विधेयक को पहली बार लोकसभा द्वारा पारित किया गया। इसके बाद इस विधेयक को जाँच के लिये संसद की एक स्थाई समिति को भेज दिया गया।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 2016 में अपराधों को रोकने के लिये डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना।

पृष्ठभूमि

- इस विधेयक का पूरा नाम 'डी.एन.ए. प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019' है।
- इस विधेयक के माध्यम से डी.एन.ए. नियामक बोर्ड के गठन का प्रस्ताव किया गया है, जिससे प्राप्त उपयुक्त जानकारी का उपयोग करके देश में डी.एन.ए. परीक्षण गतिविधियों के वैज्ञानिक उन्नयन और उन्हें सुव्यवस्थित करने में सहायता प्राप्त होगी।
- इसके अतिरिक्त, विधेयक में राष्ट्रीय डी.एन.ए. डाटा बैंक और क्षेत्रीय डी.एन.ए. डाटा बैंकों की स्थापना का प्रावधान है।
- साथ ही यह भी परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक डाटा बैंक अपराध, अपराधियों और संदिग्धों के सूचकांक के साथ-साथ लापता व्यक्तियों तथा अज्ञात मृतक व्यक्तियों से सम्बंधित सूचकांक को भी बनाए रखेगा।
- ध्यातव्य है कि अपराध सम्बंधी मुद्दों को हल करने और लापता व्यक्तियों की पहचान के लिये डी.एन.ए. आधारित फोरेंसिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग विश्व भर में हो रहा है।

उद्देश्य

- इस विधेयक का उद्देश्य गुमशुदा व्यक्तियों, पीड़ितों, अपराधियों के साथ-साथ अज्ञात मृत व्यक्तियों की पहचान और नियमन करना है।
- इसका प्राथमिक अपेक्षित उद्देश्य देश की न्याय वितरण प्रणाली को समर्थ और मज़बूत बनाने के लिये डी.एन.ए. आधारित फोरेंसिक प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग का विस्तार करना है। इसके लिये डी.एन.ए. प्रयोगशालाओं को अनिवार्य रूप से मान्यता प्रदान करने के अतिरिक्त इनका विनियमन भी किया जाएगा।
- इससे देश में डी.एन.ए. परीक्षण के परिणामों की विश्वसनीयता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही इस विधेयक द्वारा नागरिकों के निजता के अधिकार के अनुरूप डी.एन.ए. डाटा को संरक्षित और सुरक्षित रखने तथा इसका इसका दुरुपयोग न होने का भी आश्वासन दिया गया है।
- प्रस्तावित विधेयक पूरे देश में डी.एन.ए. प्रयोगशालाओं में 'समान कोड ऑफ प्रैक्टिस' के विकास को गति प्रदान करेगा।

लाभ

- समिति द्वारा उठाई गई चिंताओं के अतिरिक्त लापता बच्चों और महिलाओं की पहचान तथा संरक्षण के लिये ऐसे विधेयक की तत्काल आवश्यकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष लगभग एक लाख बच्चे लापता हो जाते हैं।
- साथ ही यह विधेयक आपदा पीड़ितों और बार-बार बलात्कार व हत्या जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों और अज्ञात बीमारियों की पहचान करने में सहायक होगा।
- डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग के उपयोग से माता-पिता की पहचान भी सम्भव है।
- प्रस्तावित कानून डी.एन.ए. साक्ष्य के अनुप्रयोग को और सक्षम करके आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली को सशक्त करेगा।

स्थाई समिति की रिपोर्ट

- स्थाई समिति के अनुसार, विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जिनका जाति या समुदाय आधारित सैम्पलिंग और प्रोफाइलिंग के लिये दुरुपयोग किया जा सकता है।
- डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग किसी व्यक्ति की अत्यंत संवेदनशील जानकारी, जैसे– वंशावली और व्युत्पत्ति, त्वचा का रंग, व्यवहार, बीमारी, स्वास्थ्य की स्थिति तथा रोगों के प्रति संवेदनशीलता को भी प्रकट कर सकती है।
- रिपोर्ट के अनुसार, विधेयक के प्रावधानों के तहत, आनुवंशिक डाटा द्वारा कुछ ऐसी जानकारियों तक पहुँच का दुरुपयोग विशेष रूप से लक्षित व्यक्तियों और उनके परिवारों के विरुद्ध किया जा सकता है।
- विशेष रूप से यह इसलिये भी चिंताजनक है, क्योंकि इसका उपयोग किसी विशेष जाति या समुदाय को आपराधिक गतिविधियों से गलत तरीके से जोड़ने के लिये भी किया जा सकता है।

डाटाबेस में क्या शामिल है?

- समिति के अनुसार, अधिनियम व्यक्तिगत गोपनीयता और अन्य सुरक्षा उपायों की अवहेलना करता है, क्योंकि इसमें भविष्य की जाँच के लिये संदिग्धों, विचाराधीन कैदियों, पीड़ितों और उनके रिश्तेदारों की डी.एन.ए. प्रोफाइल को संग्रहीत करने का प्रावधान है।
- हालाँकि, डी.एन.ए. डाटाबेस की मदद से बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों को आसानी से पहचाना जा सकता है, परंतु ऊपर बताए गए अन्य श्रेणियों के डी.एन.ए. डाटाबेस हेतु कोई कानूनी या नैतिक औचित्य नहीं है, अत: इसके दुरुपयोग की अत्यधिक सम्भावना है।
- अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध में गिरफ्तार हुआ है, जिसकी सज़ा सात वर्ष तक की है तो अधिकारियों को उसका डी.एन.ए. नमूना लेने से पूर्व उस व्यक्ति की लिखित अनुमति हासिल करनी होगी। अगर वह व्यक्ति अपनी सहमति नहीं देता है, तो अधिकारी मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। मजिस्ट्रेट अपने विवेकानुसार उस व्यक्ति का डी.एन.ए. नमूना लेने का आदेश दे सकता है।
- इस प्रकार, इस विधेयक में सहमति का समर्थन करने वाले कई प्रावधान हैं, परंतु मजिस्ट्रेट द्वारा स्वविवेक का प्रयोग करने के आधार और कारणों के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में सहमति के ऐसे प्रावधानों का किसी मजिस्ट्रेट द्वारा आसानी से उल्लंघन (Override) किया जा सकता है, अत: प्रभावी रूप में सहमति एक दिखावा मात्र है।
- किसी अपराध के सम्बंध में अपराध स्थल पर मिले डी.एन.ए. को भी सदा के लिये संग्रहीत करने की अनुमति विधेयक में प्रदान की गई है, भले ही अपराधी की सज़ा पलट दी गई हो। इस प्रकार, किसी व्यक्ति के निर्दोष पाए जाने की स्थिति में भी यह विधेयक उसकी डी.एन.ए. प्रोफाइल से सम्बंधित डाटा को रखने की अनुमति देता है।
- इन कारणों के फलस्वरूप समिति ने सरकार से निर्दोष व्यक्ति के डाटा को हटाने के प्रावधानों में संशोधन करने का आग्रह किया है।

समिति के सुझाव

- समिति ने सिफारिश की है कि जैविक नमूनों को नष्ट करने और डाटाबेस से डी.एन.ए. प्रोफाइल को हटाने के प्रस्तावों की स्वतंत्र जाँच होनी चाहिये।
- विधेयक में नागरिक मामलों के लिये भी डी.एन.ए. प्रोफाइल को एक स्पष्ट और पृथक सूचकांक के बिना ही डाटा बैंकों में संग्रहीत किये जाने का प्रावधान है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिये।
- समिति ने डी.एन.ए. प्रोफाइल के भंडारण की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है और यह सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है।

आगे की राह

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत में डी.एन.ए. परीक्षण बेहद सीमित पैमाने पर किया जा रहा है। लगभग 30-40 डी.एन.ए. विशेषज्ञों द्वारा 15-18 प्रयोगशालाओं में प्रति वर्ष 3,000 से भी कम मामलों का परीक्षण किया जाता है, जो की कुल आवश्यकता का केवल 2 से 3% ही है। हालाँकि, इन प्रयोगशालाओं के मानकों की निगरानी या विनियमन नहीं किया जाता है। भारत में गोपनीयता और मज़बूत डाटा संरक्षण कानूनों के अभाव में बड़ी संख्या में डी.एन.ए. प्रोफाइल की सुरक्षा भी संदिग्ध है। हालाँकि, समिति की चिंताओं पर विचार करते हुए एक सशक्त और प्रभावी कानून की आवश्यकता है, जो प्रशासन में विभिन्न प्रकार से सहयोगी साबित होगा।

मिशन कर्मयोगी और सिविल सेवकों की कार्यप्रणाली में सुधार का प्रयास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नौकरशाही में एक सुधार के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा अधिकारियों के कौशल और प्रशिक्षण के तरीकों में बड़े बदलावों के लिये 'मिशन कर्मयोगी' अभियान को शुरू करने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु

- 'सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम' (NPCSCB) को मिशन कर्मयोगी के रूप में जाना जाएगा। यह सिविल सेवा क्षमता विकास के लिये एक नई राष्ट्रीय अवसंरचना है।
- इस कार्यक्रम को 'एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (iGOT) - Karmyogi' आईगॉट-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
- इसके अंतर्गत संस्थागत ढाँचे के रूप में चार नए निकायों का गठन किया जाएगा। ये नई संस्थाएँ/निकाय इस प्रकार हैं–
  - **सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद :** प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चुने हुए केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रख्यात मानव संसाधन पेशेवर, विचारक, वैश्विक विचारक और लोक सेवा प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। यह परिषद एक शीर्ष निकाय के तौर पर कार्य करेगी जो सिविल सेवा-सुधार कार्य और क्षमता विकास को कार्यनीतिक दिशा प्रदान करेगी।
  - **क्षमता विकास आयोग :** प्रशिक्षण मानकों में सामंजस्य बनाना, साझा संकाय और संसाधन बनाना तथा सभी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लिये पर्यवेक्षी की भूमिका निभाना।

क्षमता विकास आयोग के उद्देश्य

- इस मिशन के तहत एक क्षमता विकास आयोग स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, ताकि सहयोगात्मक और सह-साझाकरण के आधार पर क्षमता विकास परिवेश या व्यवस्था के प्रबंधन और नियमन में एकसमान दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।

- आयोग की भूमिका निम्नानुसार होगी:
  1. वार्षिक क्षमता विकास योजनाओं का अनुमोदन करने में मानव संसाधन परिषद की सहायता करना।
  2. सिविल सेवा क्षमता विकास से जुड़े सभी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों का कार्यात्मक पर्यवेक्षण करना।
  3. आंतरिक एवं बाह्य संकाय और संसाधन केंद्रों सहित साझा शिक्षण संसाधनों को सृजित करना।
  4. हितधारक विभागों के साथ क्षमता विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये समन्वय और पर्यवेक्षण करना।
  5. प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, शिक्षण शास्त्र और पद्धति के मानकीकरण पर सिफारिशें पेश करना।
  6. सभी सिविल सेवाओं में करियर के मध्यम में सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये मानदंड निर्धारित करना।
  7. सरकार को मानव संसाधन के प्रबंधन और क्षमता विकास के क्षेत्रों में आवश्यक नीतिगत उपाय सुझाना।

  ❖ **विशेष प्रयोजन कम्पनी (SPV) :** डिजिटल परिसम्पत्तियों के स्वामित्व तथा प्रचालन और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिये एक प्रौद्योगिकीय प्लेटफॉर्म हेतु विशेष प्रयोजन कम्पनी (एस.पी.वी.) की स्थापना की जाएगी। इसके उद्देश्य निम्न हैं:

  a. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन एस.पी.वी. एक 'गैर-लाभ अर्जक' कम्पनी होगी, जिसके पास आईगॉट-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के स्वामित्व व प्रबंधन का ज़िम्मा होगा।
  b. एस.पी.वी. विषय-वस्तु का निर्माण और संचालन करेगी और यह विषय-वस्तु वैधीकरण, स्वतंत्र निरीक्षण आकलन एवं टेलीमिट्री डेटा उपलब्धता से सम्बंधित आईगॉट-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की प्रमुख व्यावसायिक सेवाओं का प्रबंधन करेगी।
  c. एस.पी.वी. ही भारत सरकार की ओर से सभी बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का स्वामित्व रखेगी।

  ❖ मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में एक 'समन्वय इकाई'
- इस मिशन के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी प्रकार की सेवाओं में सहायक अनुभाग अधिकारी से लेकर सचिव स्तर तक के सिविल सेवकों के लिये उपलब्ध होगा।
- सरकार और प्रशासन में मानव संसाधन प्रबंधन प्रथाओं में मौलिक सुधार और सिविल सेवकों की क्षमता संवर्धन के लिये स्टेट ऑफ आर्ट (अत्याधुनिक) अवसंरचना का उपयोग किया जाएगा। यह समग्र योजना व्यक्तिगत और संस्थागत क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी।

मुख्य विशेषताएँ

- एन.पी.सी.एस.सी.बी. को सिविल सेवकों के लिये क्षमता विकास की आधारशिला रखने हेतु बनाया गया है, ताकि वे विश्व की श्रेष्ठ पद्धतियों से सीखते हुए भारतीय संस्कृति व संवेदनाओं से जुड़े रहें।
- इस कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नानुसार होंगे–
  1. 'नियम आधारित' (Rule-Based) मानव संसाधन प्रबंधन से 'भूमिका आधारित' (Role-Based) प्रबंधन के परिवर्तन हेतु सहयोग प्रदान करना। सिविल सेवकों को उनके पद की आवश्यकताओं के अनुसार आवंटित कार्य को उनकी क्षमताओं के साथ जोड़ना।
  2. 'ऑफ-साइट सीखने की पद्धति' को बेहतर बनाते हुए 'ऑन-साइट सीखने की पद्धति' पर ज़ोर देना।
  3. शिक्षण सामग्री, संस्थानों तथा कार्मिकों सहित साझा प्रशिक्षण अवसंरचना परितंत्र का निर्माण करना।
  4. सिविल सेवा से सम्बंधित सभी पदों को भूमिकाओं, गतिविधियों तथा दक्षता के ढाँचे सम्बंधी दृष्टिकोण (FRACs) के साथ अद्यतन करना।
  5. सभी सिविल सेवकों को अपनी व्यवहारात्मक, कार्यात्मक और कार्यक्षेत्र से सम्बंधित दक्षताओं को निरंतर विकसित एवं सुदृढ़ करने का अवसर उपलब्ध कराना।

6. सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्टार्ट-अप और एकल विशेषज्ञों सहित सीखने की प्रक्रिया सम्बंधी सर्वोत्तम विषय-वस्तु के निर्माताओं को प्रोत्साहित करना और उनके साथ साझेदारी करना।
7. क्षमता विकास, विषय-वस्तु निर्माण, उपयोगकर्ता फीडबैक और दक्षताओं की मैपिंग एवं नीतिगत सुधारों के लिये क्षेत्रों की पहचान के सम्बंध में आईगॉट-कर्मयोगी द्वारा प्रदान किये गए आँकड़ों का विश्लेषण करना।

मिशन कर्मयोगी के उद्देश्य व महत्त्व

- मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सिविल सेवकों को एक आदर्श कर्मयोगी के रूप में राष्ट्र की सेवा करने के लिये भविष्य में उन्हें रचनात्मक, सर्जनात्मक, नवीन, सक्रिय और तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है।
- **उन्नयन और सुधार :** मिशन कर्मयोगी का घोषित उद्देश्य लगातार क्षमता निर्माण, टैलेंट पूल को अद्यतन करने और सभी स्तरों पर सरकारी अधिकारियों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास और सम्मान के लिये समान अवसर प्रदान करने हेतु एक तंत्र प्रदान करना है।
- दक्षतापूर्ण सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिये व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रिया के स्तरों पर क्षमता विकास व्यवस्था में व्यापक सुधार करना।
- यह अधिकारियों द्वारा बंद कमरों में कार्य निष्पादन की संस्कृति को समाप्त करेगा और नई-कार्य संस्कृति को जन्म देगा। साथ ही यह देश भर में फैले संस्थानों के कारण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की बहुलता और अंतर को दूर करने का भी प्रयास करेगा।

वित्तीय व्यय

- लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को कवर करने के लिये वर्ष 2020-2021 से लेकर 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान 510.86 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी।
- विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक सहित बहुपक्षीय एजेंसियों से $50 मिलियन की प्रारंभिक निधि प्राप्त होगी।
- सभी सरकारी विभाग अपने लिये काम करने वाले सिविल सेवकों हेतु एस.पी.वी. की सदस्यता शुल्क के रूप में 431 रुपए वार्षिक का योगदान करेंगे।

निष्कर्ष

सिविल सेवाओं की क्षमता दरअसल सेवाओं की एक विस्तृतशृंखला प्रदान करने, कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने और गवर्नेंस से जुड़े मुख्य कार्यों को पूरा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्य-संस्कृति में व्यवस्थित रूप से रूपांतरण कर, सार्वजनिक संस्थानों का सुदृढ़ीकरण कर और आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाकर सिविल सेवा क्षमता में महत्त्वपूर्ण बदलाव किये जाने का प्रस्ताव है, ताकि नागरिकों को प्रभावकारी रूप से सेवाएँ मुहैया कराई जा सके।

जिस्ट

इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली

1. सम्पत्ति के स्वामित्व के लिये महिलाओं का अधिकार

संदर्भ

- उच्चतम न्यायालय ने **विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020)** मामले में हिंदू बेटियों के अपने पिता की सम्पत्ति पर अधिकार को स्वीकृति देते हुए हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की मूल भावना को पुनः स्थापित किया।
- 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संशोधन किया गया था और इसके तहत पैतृक सम्पत्ति में बेटियों को बराबरी का हिस्सा देने का प्रावधान किया था। इस संशोधन की मूल भावना सम्पत्ति के मामले में हिंदू संयुक्त परिवार की बेटियों के प्रति भेदभाव की प्रकृति को समाप्त करना था।

विभिन्न राज्यों में स्थिति

- 1956 में पारित अधिनियम में केरल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में राज्य सरकारों ने संशोधन करके लैंगिक समानता लाने की पहल की।
- भारत के दक्षिण और उत्तर-पूर्वी राज्यों में (मेघालय में सबसे अधिक 26%), उत्तर तथा पश्चिमी राज्यों (पंजाब में सबसे कम 0.8%) की अपेक्षा महिलाओं द्वारा भूमि-धारण बेहतर हैं।
- जिन राज्यों ने बेटियों को पिता की सम्पत्ति में सहभागी (Coparcenary) समुत्तराधिकारिक अधिकार दिये हैं, उन राज्यों (सभी दक्षिणी राज्यों सहित) में महिलाओं के बीच सम्पत्ति की स्वामित्व दरें सबसे अच्छी हैं।

अधिकार का महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव

- सम्पत्ति में स्वामित्व महिलाओं को न केवल आर्थिक स्वतंत्रता तथा सुरक्षा प्रदान करता है, अपितु वैवाहिक हिंसा से सुरक्षा प्रदान करते हुए उनका समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ाता है।
- यह महिलाओं की शिक्षा एवं रोज़गार से भी ज़्यादा प्रभावशाली है क्योंकि यह घरेलू हिंसा को कम करता है। उदाहरण- केरल में आई वैवाहिक हिंसा में गिरावट।
- 2005 के संशोधन के पश्चात बालिकाओं की शिक्षा प्राप्त करने में तथा महिलाओं के लिये रोज़गार के अवसर में काफी सुधार आया है।

चुनौतियाँ अभी और भी है

हालाँकि 2005 के संशोधन ने कागज पर महिलाओं को अधिकार की गारंटी दी है किंतु बुनियादी स्तर पर इसका कार्यान्वयन अप्रभावी रहता है। इसके प्रमुख कारण हैं -

- अस्त-व्यस्त और असंगत तरीकों द्वारा भूमि-धारण को अभिलिखित किया जाना।
- कुछ राज्यों ने ग्रामीण भूमि-धारण को डिजिटल तरीके से अभिलिखित किया है, कुछ अब भी कागजी दस्तावेज़ों का प्रयोग करते हैं, जिनका स्थायी रूप से ना तो संधारण और ना ही समय पर नवीनीकरण किया जाता है।
- महिला किसान खुद की जमीन पर काम करने के बावजूद भी आवश्यकता पड़ने पर दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहतीं हैं, जिस कारण रिश्तेदार तथा अन्य लोग इनकी भूमि आसानी से हड़प लेते हैं।
- इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में सम्पत्ति पर स्पष्ट नाम के अभाव में महिलाओं को अपने अधिकारों को लेकर लम्बे तथा महँगे मुकदमे लड़ने पड़ते हैं।

निष्कर्ष

- यह निर्णय सैद्धांतिक रूप से प्रत्येक हिंदू महिला को लाभान्वित करता है किंतु यह उनकी स्थिति में एक आमूल परिवर्तन लाने में असमर्थ है। महिलाओं के सम्पत्ति के अधिकार को अर्थपूर्ण रूप से सुरक्षित एवं संरक्षित करने हेतु सरकार तथा न्यायपालिका द्वारा अथक प्रयास करने की आवश्यकता है।

2. अधिकार एवं नैतिकता

संदर्भ

- हिंदू बेटियों के सम्पत्ति के स्वामित्व सम्बंधी अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अधिकारों के महत्त्व को रेखांकित करता है।
- इन अधिकारों द्वारा किये गए वादों में और इनकी सफलता में काफी अंतर्विरोध दिखता है।
- सम्पत्ति सम्बंधित अधिकारों को एक सकारात्मक हस्तक्षेप माना जाता है, जो सामाजिक प्राधिकार को निरस्त कर देते हैं फिर चाहे वह प्राधिकरण कितना ही सौम्य प्रतीत होता हो। वर्तमान में महिलाएँ, पितृसत्ता के ऐसे "सौम्य" प्राधिकार को निरस्त करने हेतु प्रोत्साहन महसूस करती हैं।

अधिकारों के उद्देश्य एवं मुख्य अवयव

- इसमें वंचित व्यक्तियों को मुख्य रूप से संरक्षण की राजनीति से मुक्ति देना है; जिससे इन व्यक्तियों के आत्म-सम्मान की सुरक्षा हो।
- सामान्यत: अधिकार दो अवयवों के तहत बनते हैं, जिनमें वे ना केवल प्रयोग करने योग्य बनते हैं अपितु वास्तव में प्रयोग भी किये जाते हैं।
- अधिकार का प्रयोग अनुकूल एवं उचित सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। नैतिक स्थिति में जो अधिकारों के प्रयोग में बाधा है, इनका प्रयोग करना कठिन होता है।

नैतिक स्थिति कैसे इसके प्रयोग को बाधित करती है?

- नैतिक स्थिति अधिकार-धारक को अपने अधिकारों के प्रयोग करने से रोकती है। वे अपने व्यक्तिगत अधिकारों को लागू ना करने के लिये स्वयं को नैतिक रूप से बाध्य महसूस करते हैं।
- नैतिक अर्थव्यवस्था तथा परिवार की भलाई के प्रति नैतिक ज़िम्मेदारी, अधिकारों के प्रयोग पर बंधन लगाती हैं।
- नैतिकता, समाज के पुरुष सदस्यों का पक्ष लेती है तथा व्यक्तिगत स्वायत्तता के अधिकार का प्रयोग करने में बाधा बनती है। सम्पत्ति में स्वामित्व के बावजूद भी महिलाएँ स्वयं को नैतिकता एवं अधिकारों के बीच फँसा हुआ पाती हैं।
- इसी प्रकार कारखाना श्रमिक भी कारखाने के अस्तित्व के लिये अपने विभिन्न अधिकारों के प्रयोग करने से बचते हैं। महाराष्ट्र में चीनी श्रमिकों ने अपने लाभों में कटौती को स्वीकार किया और कारखाने के अस्तित्व के लिये अपने अधिकारों को पीछे रखा।
- कारखाने के नियोक्ता या पितृसत्ता उदार हो सकते हैं लेकिन यह सम्भावना कम है कि दोनों क्रमश: श्रमिकों या महिलाओं के अधिकारों के लिये कभी संघर्ष करेंगे।

निष्कर्ष

- वास्तविक रूप से विभिन्न प्रकार के अधिकारहीन व्यक्तियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अधिकार अप्रभावी लगते हैं। अधिकारों का प्रयोग उन स्थितियों में किया जा सकता है, जहाँ एक अधिकार-धारक स्वतंत्र निर्णय लेकर उसे ठोस अभिव्यक्ति देने में सक्षम होता है। यदि अधिकारों को वास्तविक रूप देना है तो इन्हें सामाजिक सम्बंधों के बंधनों से मुक्त करना आवश्यक है।

साइंस रिपोर्टर

3. एक्वा-फाई-अंतर्जलीय वाई-फाई

- सऊदी अरब में किंग अब्दुल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक ऑप्टिकल वायरलेस प्रणाली, एक्वा-फाई को विकसित किया है, जिसने इंटरनेट को अंतर्जलीय बना दिया है।
- एक्वा-फाई एक जलीय इंटरनेट है जो डाटा को रेडियो, ध्वनिक (Acoustic) एवं दृश्यमान प्रकाश किरणों की सहायता से संचारित करता है।
- यह गोताखोरों को समुद्र के नीचे की फुटेज को सतह पर तुरंत भेजने में सहायता करते हैं।
- समुद्र के नीचे यह वायरलेस प्रणाली गोताखोरों को बिना हाथ के संकेतों के बात करने और जानकारी को सीधा सतह पर प्रसारित करने में भी सहायता करती है।
- रेडियो, ध्वनिक तथा दृश्यमान प्रकाश संकेत अंतर्जलीय संचार में सहायता करते हैं, किंतु इनकी भी कुछ कमियाँ होतीं हैं, जैसे– रेडियो केवल कम दूरी तक सीमित डाटा दर के साथ जानकारी स्थानांतरित कर सकता है, जबकि ध्वनिक संकेत लम्बी दूरी के संचार में सहायक हैं।
- हालाँकि दृश्यमान प्रकाश बड़ी मात्रा में डाटा के साथ लम्बी दूरी तक यात्रा करने में सक्षम है, लेकिन संकीर्ण प्रकाश किरणों को ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच दृष्टि की स्पष्ट रेखा की आवश्यकता होती है।
- **नई विकसित प्रणाली:** एक्वा-फाई विभिन्न इंटरनेट सेवाओं का समर्थन करती है, जैसे– एल.ई.डी. या लेजर का उपयोग करके मल्टीमीडिया संदेश भेजना। एल.ई.डी. कम दूरी के संचार हेतु अल्प ऊर्जा का विकल्प प्रदान करती है, जबकि लेजर की मदद से डाटा को आगे भी बड़ी दूरी तक संचारित किया जा सकता है।
- एक्वा-फाई, रेडियो तरंगों का उपयोग गोताखोर के स्मार्टफोन से उनके गियर से जुड़े "गेटवे" उपकरण पर डाटा भेजने के लिये करेगा। उपकरण आगे सतह पर एक कम्प्यूटर में एक प्रकाश किरण के माध्यम से डेटा भेजेगा जो उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ा होगा।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, यह पहली बार है जब किसी ने इंटरनेट को पानी के नीचे पूरी तरह से वायरलेस तरीके से उपयोग किया है। उन्होंने अपेक्षाकृत एक सस्ता और लचीला तरीका खोजा है, जिसके द्वारा अंतर्जलीय वातावरण को वैश्विक इंटरनेट स्तर पर जोड़ा जा सकता है।

योजना

4. भारतीय शास्त्रीय संगीत

- भारतीय शास्त्रीय संगीत चाहे हिंदुस्तानी हो या कर्नाटक, उनमें अनिवार्य रूप से एक आध्यात्मिक अंश अंतर्निहित होता है। इस संगीत का उद्देश्य असाधारण अनुभव प्रदान करना है जो श्रोताओं को एक निराकार और अवर्णीय लोक में ले जाता है।
- शास्त्रीय संगीत में 'शास्त्रीय' शब्द इंगित करता है कि शास्त्र की मौलिक परम्परा के अनुसार नियत परिपाटी का अनुसरण करना है। इस संगीत का भारतीय नाम शास्त्रीय संगीत है। इसे कभी-कभी राग संगीत के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये राग ही हैं जो इस कला विधा की रचना के केंद्र में है।
- 'शास्त्रीय' शब्द किसी पुरानी शैली या समय-अवधि को नहीं दर्शाता है, जैसा कि पश्चिमी संगीत परम्परा में मौजूद है। भारतीय संगीत के इतिहास पर नज़र डालें तो ज्ञात होता है कि प्राचीन काल से ही मंदिर शास्त्रीय संगीत की कलात्मक अभिव्यक्तियों के कई विविध रूपों के लिये एक मंच प्रदान करते रहे हैं। यह भक्ति या निःस्वार्थ श्रद्धा थी जो भारत में विकसित विभिन्न कला रूपों का अंतर्निहित सार बनी।

- गुरु-शिष्य तथा घराना परम्परा के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय संगीत का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाता है।

भारतीय संगीत की विभिन्न शैलियों की उत्पत्ति और ऐतिहासिक विकास:

- भारतीय संगीत की उत्पत्ति **वैदिक स्तोत्रों और मंत्रों के उच्चारण** में देखी जा सकती है। **छांदोग्य उपनिषद** में गान (संगीत विधाएँ) की सात शैलियों का उल्लेख है, जिसमें वैदिक मंत्रों के स्वर के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। इस उपनिषद् में आगे कहा गया है कि सभी स्वरों की आत्मा मुख्य वैदिक देव इंद्र हैं।
- वैदिक युग के बाद भारतीय कला विधाओं का सबसे प्राचीन संकलन, **नाट्यशास्त्र** है। इसे 200 ई. पू. से 200 ई. के बीच संकलित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि ऋषि भरत मुनि ने **ऋग से वाणी, साम से संगीत, यजुर से अभिनय और अथर्ववेद से भाव** को एकीकृत करके नाट्य की सृजन की। यह संगीत के वैदिक विज्ञान गंधर्व वेद की उत्पत्ति थी।
- 10 वीं शताब्दी के आस-पास मौजूद वेदों के अनुष्ठानिक जाप और प्रदर्शन कलाओं की गायन शैली से जुड़ी एक अन्य विशेषता पर कश्मीर के आचार्य अभिनव गुप्त ने गौर किया। उन्होंने कर्मकांडी गंधर्व और कलुषित ध्रुव-गण के अंतर का उल्लेख किया है।
- भारतीय शास्त्रीय संगीत के रागों के आरंभिक संदर्भों में से एक **बौद्ध ग्रंथ सूत्रों** में पाया जा सकता है। तिब्बत से प्राप्त 10 वीं शताब्दी की **चार्यगीति (प्रदर्शन गीत)** की पांडुलिपि में जो 8 वीं शताब्दी के महासिद्ध सरहपा से सम्बद्ध है, शास्त्रीय संगीत रागों जैसे– **भैरवी और गुर्जरी का उल्लेख** मिलता है। भारत और नेपाल के हिमालय क्षेत्र के विभिन्न भागों में जहाँ महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म प्रचलित है, वहीं चार्यगीति और नृत्य के सूत्रों का पाठ और प्रदर्शन आज भी चलन में है।
- भारत के दक्षिणी भाग में एक लोकप्रिय प्रदर्शन शैली **प्रबंध गान** 11वीं से 16वीं शताब्दी के बीच विद्यमान थी। प्रबंध शब्द एक भली-भाँति परिभाषित रचना को दर्शाता है। यह प्रबंध परम्परा थी, जिसने धीरे-धीरे दो सम्बद्ध विशिष्ट शास्त्रीय संगीत की शैलियों के आविर्भाव को प्रभावित किया, जिसे अब हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के रूप में जाना जाता है।
- भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में 15वीं-16वीं शताब्दी में वैष्णव परम्परा के **संत शंकरदेव** के प्रयासों से सांस्कृतिक सुधार हुआ और अतीत की परम्पराओं को पुनर्जीवित किया गया। उन्होंने **संगीत (बार गीत)** और **नृत्य (सत्रिया)** के नए रूपों की खोज की।
- इन शास्त्रीय संगीत और नृत्य परम्पराओं ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क को और भी मज़बूत करने में मदद की। इसके अलावा, पूर्वोत्तर की वैष्णव परम्परा ने बंगाली भक्ति संगीत के प्रदर्शन को और अधिक परिष्कृत किया।
- **सिख धर्म** एकमात्र ऐसा धर्म है जो संगीत को अपनी मुख्य पूजा पद्धति के रूप में उपयोग करता है, जहाँ संगीत प्रार्थना और भेंट है। विभिन्न शैलियों का उपयोग करते हुए सिख कीर्तन भारतीय शास्त्रीय संगीत रागों में रचे गए हैं। इसमें विधिवत उपासना के प्रत्यक्ष साधन के रूप में संगीत का उपयोग होता है। गुरुग्रंथ साहिब में शास्त्रीय संगीत के इकतीस (31) रागों की स्वरलिपि को अपेक्षित विवरणों के साथ दिया गया है।
- **इस्लामी संदर्भ** में एक लोकप्रिय धारणा है कि इस्लाम में आमतौर पर संगीत की मनाही है। इस्लाम में संगीत का निषेध तब लागू होता है, जब यह अल्लाह की पारलौकिक यथार्थता का चिंतन करने में एक बाधा के रूप में सांसारिक प्रलोभन से जुड़ा होता है। हालाँकि संगीत को भारत के सूफी संतों द्वारा हमेशा अलौकिक परम शक्ति के साथ जुड़ने के प्रयास में अपनी चेतना को तन्मयावस्था में ले जाने के लिये दरवेश नृत्यों और कव्वाली गायन में शामिल किया जाता है और सम्मानित किया जाता है।
- प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र में शास्त्रीय संगीत की विशिष्टता को अभिलेखित किया गया है तथा उनका भौगोलिक या जातीय नामकरण करते हुए उन्हें वर्गीकृत किया गया। नाट्यशास्त्र में **उत्तर भारत** की संगीत शैली को **'उदिच्य'** के रूप में उल्लिखित किया गया है, जबकि **दक्कन क्षेत्र** में प्रचलित शैलियों को **'आंध्रिय'** कहा गया है।

ख्याल संगीत का उद्भव

- हिंदुस्तानी संगीत की ख्याल शैली का विकास 17 वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से इसकी लोकप्रियता मुगल साम्राज्य के पतन और हिंदी साहित्य में **रीति (रूमानी)** कविता के उदय के साथ बढ़ी।
- **ख्याल शैली** जो कि इसके **पूर्ववर्ती ध्रुपद नामक शास्त्रीय संगीत की शाखा** थी, यह उन गणिकाओं के लिये विशेष रूप से उपयुक्त थी, जो अपने मेहमानों के मनोरंजन के लिये शास्त्रीय संगीत और नृत्य को प्रदर्शित करती थीं। इस प्रकार वे इसे संरक्षण प्रदान करती थीं। यह वो समय था, जब ध्रुपद संगीत प्रतिरूप, जिनकी उत्पत्ति अधिकांशत: पवित्र मूल से हुई थी, अपनी शैली, ताल, क्रिया रूप और विचारधारा में आमूल-चूल परिवर्तनों के कारण रूपांतरित हो गए होंगे।
- ख्याल कलाकारों में से अधिकांश मुस्लिम थे और इसकी तकनीकी शब्दावली का अधिकांश हिस्सा उर्दू से लिया गया है। यद्यपि इसे शास्त्रीय संगीत परम्परा का एक विकसित और व्यवस्थित रूप माना जाता है, फिर भी ख्याल की अधिकांश शब्दावली जन भाषा से उत्पन्न है।

रागमाला: दृश्य कला और शास्त्रीय संगीत

- दृश्य कला और कविता के साथ शास्त्रीय संगीत के समामेलन का एक उत्कृष्ट उदाहरण मध्यकालीन भारत की चित्रकला शृंखला रागमाला (संगीत विधाओं की माला) की उत्पत्ति थी। यह भारतीय संगीत लघु चित्रकला की एक शैली थी, जिसमें विभिन्न भारतीय संगीत की विधाओं या रागों का चित्रण किया गया था। इन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत की आसक्तिपूर्ण कल्पना तथा रचना का साक्ष्य माना जाता है।

निष्कर्ष

- इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि विशिष्ट सांस्कृतिक सरोकारों और ऐतिहासिक परम्पराओं ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की ज्ञानवादी विविधता के उद्भव में योगदान दिया है। इसके परिणामस्वरूप विशिष्ट विश्व-दर्शनों का विकास हुआ है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रस्तुतीकरण के पीछे सांस्कृतिक रूपरेखा और मान्यताओं को रेखांकित करते हैं, हालाँकि इससे यह भी प्रकट होता है कि आध्यात्मिकता इस संगीत का मूल सिद्धांत बना हुआ है।

5. नृत्य से सामंजस्य

- नृत्य प्राचीन काल से आम लोगों तक पहुँचने, संवाद और विचार व्यक्त करने का एक बेहतर माध्यम रहा है। यह वेदों और पुराणों की कहानियों को उन लोगों तक पहुँचाने में महती भूमिका निभाया, जो इसे पढ़ने में सक्षम नहीं थे।
- नृत्य को राजाओं का संरक्षण भी हासिल था। चाहे लोकनृत्य हो या शास्त्रीय नृत्य, दोनों विधाओं के जरिये आध्यात्मिक और नैतिक कहानियाँ सुनाने की परम्परा रही है।
- बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुँचने के लिये नृत्य में सामाजिक मुद्दों को शामिल करने का भी प्रयास किया जाता रहा है।
- संस्कृति मंत्रालय की स्वायत्तशासी संस्था **सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (सी.सी.आर.टी.)** अपने एक्सटेंशन कार्यक्रम द्वारा विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में व्याख्यानों का आयोजन करती है, ताकि वंचितों और गरीबों को भी भारत की सांस्कृतिक विविधता का ज्ञान मिल सके।
- भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद (आई.सी.सी.आर.) भी दूसरे देशों के लोगों को नृत्य सीखने के लिये छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इस प्रकार इन नृत्यों के ज्ञान को विदेशों में पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। इस तरह की पहल से रूस और बाली जैसे देशों में नृत्य से जुड़ी प्रतिभाओं को उभारने में मदद मिली है।
- **गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)** भी इनको विस्तार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- **भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण सांस्कृतिक केंद्र (आई.आर.सी.ई.एन.)** देश भर के स्कूलों में व्याख्यान और कार्यशालाओं का आयोजन करती है।
- **सांस्कृतिक अध्ययन और विकास केंद्र (सी.सी.एस.डी.)** भी प्रशिक्षु शिक्षकों के लिये कार्यशालाओं का आयोजन करता रहा है।
- इन संस्थानों के अलावा, भारत के पर्व एवं त्योहार तथा विभिन्न राज्य सरकारों की तरफ से आयोजित किये जाने वाले उत्सव-महोत्सव आदि (जैसे कि **खजुराहो नृत्य महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव, महाबलीपुरम नृत्य महोत्सव**) विभिन्न कला शैलियों को एक मंच पर दिखाने के लिये अवसर प्रदान करते हैं।
- नृत्य अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने में सहायक है। इसके लिये वेशभूषा पारम्परिक कपड़ों से तैयार किये जाते हैं, जिससे बुनकरों को रोज़गार मिलता है।
- आभूषण भी नृत्य से जुड़े कलाकारों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं, जिनसे आभूषण निर्माताओं को रोज़गार प्राप्त होता है।

निष्कर्ष

- नृत्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों तथा संस्कृतियों के लोगों को एकजुट करता है। नृत्य सामाजिक हैसियत, धर्म, भाषा और संस्कृति के आधार पर बंटी इस दुनिया को एकजुट करता रहा है।

संगीत नाटक अकादमी द्वारा निम्नलिखित 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी गई है-

1. आंध्र प्रदेश का **कुचिपुड़ी नृत्य** अपने बेहतरीन और स्वाभाविक लय के लिये जाना जाता है;
2. **भरतनाट्यम,** तमिलनाडु की 2,000 साल से भी पुरानी नाट्य परम्परा;
3. **कथकली**, केरल की इस नृत्यशैली में नृत्य, संगीत और अभिनय का मिश्रण होता है। साथ ही, इसमें पौराणिक कहानियों को नाटकीय तरीके से पेश किया जाता है;
4. **सत्रिया**, असम, इस नृत्य में पौराणिक शिक्षाओं को दिलचस्प तरीके से पेश किया जाता है;
5. **मोहिनीअट्टम**, केरल, इसे महिलाएँ पेश करती हैं, यह नृत्य अपनी मुद्राओं और भंगिमाओं के लिये मशहूर है;
6. मणिपुर का **मणिपुरी नृत्य**, यह भक्ति नृत्य है, जिसमें सृष्टि के सृजनकर्ताओं के बारे में भी बताया जाता है;
7. ओडिशा का **ओडिसी नृत्य**, इसमें प्रेम, ईश्वर और अध्यात्म की झलक देखने को मिलती है;
8. **कथक**, उत्तर भारत में लोकप्रिय इस नृत्यशैली में कृष्ण की रासलीला एक अहम विषय होता है।

6. पारम्परिक नाट्य मंच

- भारतीय समाज में पारम्परिकता का विशेष स्थान है। पारम्परिक कलाएँ समाज की जिजीविषा, संकल्पना, भावना, संवेदना तथा ऐतिहासिकता को अभिव्यक्त करती हैं।
- नाट्य अपने आप में एक सम्पूर्ण विधा है, जिसमें अभिनय, संवाद, कविता तथा संगीत इत्यादि एकसाथ उपस्थित रहते हैं।
- पारम्परिक नाट्य-शैलियों का विकास स्थानीय या क्षेत्रीय विशिष्टता के आधार पर हुआ। पारम्परिक लोकनाट्यों के स्थितियों में प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करने के लिये पात्र मंच पर अपनी जगह बदलते रहते हैं। इससे एकरसता दूर होती है।
- अभिनय के दौरान अभिनेता व अभिनेत्री प्राय: उच्च स्वर में संवाद करते हैं, ताकि दर्शकों तक अपनी आवाज सुविधाजनक तरीके से पहुँचाई जा सके।

विविध पारम्परिक नाट्य शैलियाँ

- **भांड-पाथर:** यह कश्मीर का पारम्परिक नाट्य है। यह नृत्य, संगीत और नाट्य कला का अनूठा संगम है। इसमें हँसने और हँसाने को प्राथमिकता दी गई है। संगीत के लिये सवर्नई नगाड़ा और ढोल का प्रयोग होता है।

- **स्वांग:** मूलत: स्वांग में पहले संगीत का विधान था, परंतु बाद में गद्य का भी समावेश हुआ। इसमें भावों की कोमलता, रस सिद्धि के साथ-साथ चरित्र का विकास भी होता है। इसकी दो शैलियाँ (रोहतक तथा हाथरस) उल्लेखनीय हैं । रोहतक शैली में हरियाणवी (बांगरू) भाषा तथा हाथरसी शैली में ब्रज भाषा की प्रधानता है।
- **नौटंकी:** नौटंकी उत्तर प्रदेश से सम्बंधित है। इसकी कानपुर, लखनऊ तथा हाथरस शैलियाँ प्रसिद्ध है। इसमें प्राय: **दोहा, चौबोला, छप्पाय तथा बहर-ए-तबील छंदों** का प्रयोग किया जाता है। पहले नौटंकी में पुरुष ही स्त्री के पात्रों का अभिनय करते थे, अब स्त्रियाँ भी इसमें भाग लेने लगी हैं।
- **रासलीला:** रासलीला में **कृष्ण की लीलाओं का अभिनय** होता है। मान्यता है कि रासलीला सम्बंधी नाटकों की **सर्वप्रथम रचना नंददास** द्वारा की गई। इसमें गद्य-संवाद, गेय पद और लीला दृश्य का उचित योग है। इसमें तत्सम के बदले तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग होता है।
- **भवाई:** यह **गुजरात और राजस्थान** की पारम्परिक नाट्यशैली है। इसका **विशेष स्थान कच्छ-काठियावाड़** माना जाता है। इसमें भुंगर, तबला, ढोलक, बाँसुरी, पखावज, रयाय सारंगी तथा मंजीरा इत्यादि वाद्ययंत्रों का प्रयोग होता है। भवाई में भक्ति और रमजान का अद्भुत मेल देखने को मिलता है।
- **जात्रा:** देवपूजा के निमित्त आयोजित मेलों तथा अनुष्ठानों आदि से जुड़े नाट्यगीतों को 'जात्रा' कहा जाता है। यह मूल रूप से बंगाल में विकसित हुआ है। वस्तुत: श्री चैतन्य के प्रभाव से **कृष्णा-जात्रा** बहुत लोकप्रिय हो गई। बाद में इसमें लौकिक प्रेम-प्रसंग भी जोड़े गए। इसका प्रारंभिक रूप संगीतपरक रहा है।
- **माच:** यह मध्य प्रदेश का पारम्परिक नाट्य है। 'माच' शब्द मंच और खेल दोनों अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है। माच में **पद्य की अधिकता** होती है, इसके संवादों को बोल तथा छंद योजना को वणग कहते हैं। इसकी धुनों को रंगत के नाम से जाना जाता है।
- **भाओना:** यह **असम** के अंकिया नाट्य की प्रस्तुति है। इस शैली में असम, बंगाल, ओडिशा तथा वृंदावन-मथुरा आदि की सांस्कृतिक झलक मिलती है। इसके प्रस्तुतकर्ता दो भाषाओं में स्वयं को प्रकट करता है- पहले संस्कृत, बाद में ब्रज बोली अथवा असमिया में।
- **तमाशा:** तमाशा **महाराष्ट्र** की पारम्परिक नाट्यशैली है। इसके पूर्ववर्ती रूप गोंधल, जागरण व कीर्तन रहे हैं। तमाशा लोकनाट्य में नृत्य क्रिया की प्रमुख प्रतिपादिका स्त्री कलाकार होती है। यह 'मुरकी' के नाम से जानी जाती है। नृत्य के माध्यम से शास्त्रीय संगीत, वैद्युतिक गति के पदचाप तथा विविध मुद्राओं द्वारा सभी भावनाएँ दर्शाई जा सकती हैं।
- **दशावतार:** यह कोंकण व गोवा क्षेत्र का अत्यन्त विकसित नाट्य रूप है। प्रस्तोता पालन व सृजन के देवता-भगवान विष्णु के दस अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। इसमें शैलीगत साज-सिंगार से परे कलाकार लकड़ी व पेपरमेशे का मुखौटा पहनते हैं।
- **कृष्णाट्टम:** केरल का यह लोकनाट्य कृष्णाट्टम 17वीं शताब्दी के मध्य कालीकट के महाराज मनवेदा के शासनकाल में अस्तित्व में आया। यह आठ नाटकों का वृत्त है, जो क्रमागत रूप में आठ दिनों तक प्रस्तुत किया जाता है।
- मुख्य नाटक हैं- अवतारम, कालियामर्दन, रासक्रीड़ा, कंसवधाम् स्वायंवरम, वाणयुद्धम्, विविधविधम् तथा स्वर्गारोहण। इसके सभी वृत्तांत भगवान कृष्ण पर आधारित है, यथा– श्रीकृष्ण जन्म, बाल्यकाल तथा बुराई पर अच्छाई के विजय को चित्रित करते विविध कार्य आदि।
- **मुडियेट्टू:** केरल के पारम्परिक लोकनाट्य मुडियेट्टू का उत्सव **वृश्चिक (नवम्बर-दिसम्बर)** मास में मनाया जाता है। इसे प्राय: केरल के काली मंदिर में, जहाँ असुर दारिका पर देवी भद्रकाली की विजय को चित्रित किया जाता है। इसमें गहरे साज-सिंगार के आधार पर सात चरित्रों का निरूपण होता है, यथा शिव, नारद, दारिका, दानवेन्द्र, भद्रकाली, कूलि तथा कोइम्बिदार (नंदिकेश्वर)।

- **कुटियाट्टम:** यह केरल का सर्वाधिक प्राचीन पारम्परिक लोकनृत्य रूप है जो संस्कृत नाटकों की परम्परा पर आधारित है। इसमें चरित्र महत्त्वपूर्ण होते हैं, जैसे- चाक्यार या अभिनेता, नांब्यावर या वादक तथा नांग्यार या स्त्री पात्र। सूत्रधार और विदूषक भम्कुटियाट्टम् के विशेष पात्र हैं। हस्तमुद्रा तथा आँखों के संचलन पर बल देने के कारण यह नृत्य एवं नाट्य रूप विशिष्ट बन जाता है।
- **यक्षगान:** कर्नाटक का पारम्परिक नाट्य रूप यक्षगान मिथकीय कथाओं तथा पुराणों पर आधारित है। इसके मुख्य लोकप्रिय कथानक, जो महाभारत से लिये गए हैं, इस प्रकार हैं : द्रौपदी स्वयंवर, सुभद्रा विवाह, अभिमन्यु वध, कर्ण-अर्जुन संग्राम तथा रामायण के कथानक – लवकुश युद्ध, बालि-सुग्रीव युद्ध और पंचवटी आदि हैं।
- **तेरुक्कुत्तु:** तमिलनाडु की पारम्परिक लोकनाट्य कलाओं में यह अत्यंत जनप्रिय माना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है- सड़क पर किया जाने वाला नाट्य। यह मुख्यत: मारियम्मदन और द्रौपदी अम्मा के वार्षिक मंदिर उत्सव के समय प्रस्तुत किया जाता है। इसके माध्यम से संतान प्राप्ति और अच्छी फसल के लिये दोनों देवियों की आराधना की जाती है। इसके विस्तृत विषय–वस्तु के रूप में मूलत: द्रौपदी के जीवन-चरित्र से सम्बंधित आठ नाटकों का चक्र होता है।

7. भारत की लोक व जनजातीय कला

- भारत की कलाएँ और हस्तशिल्प इसकी सांस्कृतिक व परम्परागत प्रभावशीलता को अभिव्यक्त करने का माध्यम रहे हैं।
- इसके राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की अपनी विशेष सांस्कृतिक और पारम्परिक पहचान है, जो वहाँ प्रचलित कला के विभिन्न रूपों में दिखाई देती है।
- परम्परागत कला का एक अन्य रूप है जो विभिन्न जनजातियों और देहाती लोगों में प्रचलित है। इसे जनजातीय कला के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- भारत की लोक और जनजातीय कलाएँ बहुत ही पारम्परिक और साधारण होने पर भी इतनी सजीव और प्रभावशाली हैं कि उनसे देश की समृद्ध विरासत का अनुमान स्वत: होता है।

प्रमुख जनजातीय कलाएँ

- **तंजौर कला:**
  - विश्व प्रसिद्ध यह लोककला कहानी- किस्से सुनाने की स्मृति से जुड़ी है।
  - राजस्थान, गुजरात और बंगाल की ये कलाएँ रूप तथा स्थान विशेष के वीरों और देवताओं की पौराणिक कथाएँ सुनाती हैं तथा प्राचीन वैभव एवं भव्य सांस्कृतिक विरासत का चित्रण करती हैं।
  - यह कला चोल साम्राज्य के राज्यकाल में सांस्कृतिक विकास की बुलंदियों पर थी।
  - **मुख्य विशेषता-** बेहतरीन रंग सज्जा, रत्नों और काँच से गढ़े गए सुंदर आभूषणों की सजावट और उल्लेखनीय स्वर्णपत्र का काम। आजकल असली रत्न मणियों की जगह अर्ध-मूल्यवान रत्नों का प्रयोग किया जाता है।
- **मधुबनी चित्रकारी:**
  - इसे मिथिला की कला भी कहा जाता है।
  - **मुख्य विशेषता-** ये चटकीले और विषम रंगों से भरे गए रेखाचित्र अथवा आकृतियाँ हैं। ये चित्र अपने आदिवासी रूप और चटकीले तथा मटियाले रंगों के प्रयोग के कारण लोकप्रिय हैं। इस चित्रकारी में शिल्पकारों द्वारा तैयार किये गए खनिज रंजकों का प्रयोग किया जाता है।
  - इन चित्रों में हिंदू देवी-देवताओं से सम्बंधित प्रसंगों और डिजाइनों का चित्रण किया गया है।
  - इसमें खाली स्थानों को भरने के लिये फूल-पत्तियों, पशु-पक्षियों के चित्र तथा ज्यामितीय डिजाइनों का प्रयोग किया जाता है।

■ **वार्ली लोक चित्रकला:**

- ❖ महाराष्ट्र इस चित्रकला के लिये बहुत प्रसिद्ध है। वार्ली एक बड़ी जनजाति है जो मुम्बई शहर के उत्तरी ब्रह्मांचल में बसी है। यह कला पहली बार 1970 में सामने आई।
- ❖ इनकी पहचान है कि ये साधारण-सी मिट्टी के बेस पर मात्र सफेद रंग से की गई चित्रकारी है, जिसमें यदा-कदा लाल और पीले बिंदु बना दिये जाते हैं। यह सफेद चावल को बारीक पीस कर बनाया गया सफेद चूर्ण होता है।

■ **पत्ताचित्र शैली:**

- ❖ यह ओडिशा की सबसे प्राचीन और सर्वाधिक लोकप्रिय कला का एक रूप है।
- ❖ पत्ताचित्र का नाम संस्कृत के पत्ता जिसका अर्थ कैनवास और चित्र का अर्थ तस्वीर से बना है।
- ❖ इसमें चटकीले प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हुए सुंदर तस्वीरों और डिजाइनों में तथा साधारण विषयों को व्यक्त करते हुए प्रदर्शित किया जाता है, जिनमें अधिकांशत: पौराणिक चित्रण होता है।
- ❖ चित्रों में उभारी गई आकृतियों की इसके भावों का प्रदर्शन ही इस कला का सुंदरतम रूप है, जिसे चित्रकार पूरे यत्न से सुंदर रंगों से सजाकर श्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करते हैं।

■ **राजस्थानी लघु चित्रकारी:**

- ❖ भारत में लघु चित्रकारी का प्रारम्भ मुगलों द्वारा किया गया, जो इस कला को फराज (पर्शिया) से लेकर आए थे। मुगल शासक हुमायूँ ने फराज से कलाकारों को बुलवाया तथा अकबर ने इस भव्य कला के विकास हेतु एक शिल्पशाला बनवाई।
- ❖ इन कलाकारों ने अपनी ओर से भारतीय कलाकारों को इस कला का प्रशिक्षण दिया, जिन्होंने मुगल राजसी और रोमांचक जीवन-शैली से प्रभावित होकर एक नई विशेष शैली में चित्र तैयार किये। इसे राजपूत अथवा राजस्थानी चित्र कहा जाता है।
- ❖ इसमें चित्रकारी बहुत बारीकी से की जाती है। मोटी रेखाओं से बनाए गए चित्रों को अति सुनियोजित तरीकों से गहरे रंगों द्वारा सजाया जाता है।
- ❖ इन चित्रकलाओं में पहले प्राकृतिक तथा अब पोस्टर रंगों का प्रयोग किया जाता है।

■ **कालमेजुथु:**

- ❖ कालम (कालमेजुथु) कला का एक विचित्र रूप है जो **केरल** से सम्बंधित है।
- ❖ यह एक आनुष्ठानिक कला है, जिसका प्रयोग केरल के मंदिरों और पावन उपवनों में काली देवी और भगवान के चित्रण हेतु किया जाता है।
- ❖ चित्रों में प्राकृतिक रंग, द्रव्यों और चूर्णों का प्रयोग किया जाता है जो सामान्यत: पाँच रंगों में होते हैं।
- ❖ चित्र केवल हाथों से बनाए जाते हैं। इसमें चित्रण मध्य से शुरू किया जाता है और फिर एक-एक खंड तैयार करते हुए इसे बाहर की ओर ले जाया जाता है।
- ❖ 'कॉलम' पूरा होने पर देवता की उपासना की जाती है।

8. क्षेत्रीय सुरक्षा : भारत-चीन सम्बंध

■ क्षेत्रीय सुरक्षा भारत तथा चीन के बीच निरंतर विवादास्पद मुद्दा रहा है।

■ 1940 के दशक में उभरे ब्रिटिश भारत तथा किंग राजवंश के उत्तराधिकारी देशों के रूप में भारत और चीन की सीमाएँ अनिर्धारित रही हैं।

■ ब्रिटिश काल से अब तक दोनों देशों के नेताओं के बीच वार्ताओं के अनेक दौरों के बावजूद दोनों देशों की सीमाएँ कभी परिभाषित, निरूपित तथा सीमांकित नहीं हो पाई, फलस्वरूप दोनों देशों के बीच परस्पर विवाद चलता रहता है।

भारत-चीन सीमा: तनाव का इतिहास

- 1914 में शिमला कॉन्फ्रेंस के आधार पर मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई। इस पर नेशनलिस्ट चीन के प्रतिनिधि चेन यीफान ने हस्ताक्षर किये।
- चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन. लाई ने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखे अपने 7 नवम्बर 1959 के पत्र में पूर्वी सेक्टर में मैकमोहन रेखा और पश्चिमी सेक्टर में दोनों देशों के नियंत्रण रेखा का वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल.ओ.सी.) के रूप में उल्लेख किया।
- 1960 में दोनों प्रधानमंत्रियों ने नई दिल्ली में बैठक की, जिसमें चीनी पक्ष ने अपनी स्थिति की पुन: पुष्टि की। उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में 1954 से 1957 के बीच बनाए गए जिनजियांग से तिब्बत के बीच के राजमार्ग की सुरक्षा पर भी ज़ोर दिया।
- चीन का इलाकों की अदला-बदली का प्रस्ताव यह कि भारत मैकमोहन रेखा के दक्षिणी भाग पर कब्जा बनाए रखे तथा चीन को अक्साई चीन दे दिया जाए– भारत को स्वीकार नहीं था।
- इसके बाद 1962 में भारत-चीन सीमा पर संघर्ष हुआ।
- 1976 में दोनों देशों के बीच राजनयिक सम्बंध फिर से बहाल हुए।
- 1978 में पश्चिमी सेक्टर के चुशूल में फ्लैग मीटिंग हुई।
- 1993 में हुए आपसी विश्वास बनाने के प्रयासों (सी.बी.आई.) के समझौते में संयुक्त बयान जारी कर पहली बार एल.ए.सी. का उल्लेख किया गया।

वार्ताओं का दूसरा दौर

- 1980 के दशक से ही क्षेत्रीय विवाद के समाधान हेतु वार्ताओं का दूसरा दौर चला।
- 1981 से 1987 के बीच आठ बार बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने विवाद सुलझाने का प्रयास किया और पहली वार्ता में क्षेत्रीय विवाद का 'तुरंत' हल निकालने का फैसला लिया गया।
- 1982 में दूसरी सीमा-वार्ता में चीनी पक्ष विवाद के 'पूर्ण समाधान' की बात करने लगा। यह इस बात का संकेत था कि अब फोकस सीमा-समस्या के समाधान की बजाय सीमाओं के प्रबंधन पर रहेगा।
- 1988 से 2005 तक 15 संयुक्त समूह वार्ताओं का यही विषय (थीम) रहा।
- 2005 में क्षेत्रीय सुरक्षा सम्बंधी वार्ताएँ 'विशेष प्रतिनिधि' प्रणाली के अंतर्गत होने लगीं।
- दिसम्बर 2019 तक ऐसी 22 वार्ताएँ हो चुकी हैं।
- ये तीन चरणों में होने वाली वार्ताएँ हैं जो 10 मानदंडों पर आधारित दिशा-निर्देशों के दायरे में सम्पन्न होती हैं।

गत वर्षों की घटनाएँ

- 2013 में देप्सांग के मैदानों में,
- 2014 और 2015 में चुमार में,
- 2017 में डोकलाम में और पिछले दिनों गलवान-पांगोंग झील इलाके में हुई घटनाएँ शामिल हैं।

भारत और चीन के बीच के अब तक हुए शांति समझौते

1. 1993 का 'शांति और स्थिरता' (पीस एंड ट्रेंकुलिटी) समझौता,
2. 1996 का सैन्य क्षेत्र में आपसी विश्वास बढ़ाने वाले उपायों (सी.बी.आई.) पर सहमति,
3. 2005 का सैनिकों द्वारा हथियार साथ नहीं रखने का प्रोटोकॉल और
4. 2013 का सीमा पर गश्त कर रहे सैनिकों पर खुफिया निगरानी (टेलिंग) न करने का सीमा रक्षा सहयोग समझौता (बॉर्डर डिफेंस को-ऑपरेशन एग्रीमेंट)।
5. इनके अलावा, सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिये आपसी परामर्श तथा समन्वय की भी व्यवस्था थी। 2012 में इस व्यवस्था की शुरुआत के बाद इसकी 15 बैठकें हो चुकी थीं।

- इन सारे उपायों का उद्देश्य संघर्ष रोकना और सीमा पर यथास्थिति बनाए रखना था।

6. हाल ही में दोनों देशों के सैन्य कमांडरों की 6 जून, 22 जून और फिर 5 जुलाई 2020 को विशेष प्रतिनिधि (स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स) स्तर की बातचीत हो चुकी है। इन बैठकों में दोनों देशों की सेनाओं के एक-दूसरे के बहुत करीब न आने और तनाव को कम करने के तरीकों पर चर्चा हुई। साथ ही महसूस किया गया कि सेनाओं को नियंत्रित करने के लिये राजनीतिक नेतृत्व का हस्तक्षेप ज़रूरी है।

निष्कर्ष

- सीमा विवाद पर अनेक दशकों से चल रही वार्ताओं और सीमावर्ती इलाकों में परस्पर विश्वास बढ़ाने वाले प्रयासों के बावजूद सैन्य जमाव और हिंसा की ताजा घटनाओं के आपसी सम्बंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अत: ज़रूरी है कि इस महाद्वीप में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये ये दोनों एशियाई महाशक्ति अपने क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझा लें।

9. विविधता से परिपूर्ण महाराष्ट्र

- महाराष्ट्र नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी भूमि जहाँ कला, संस्कृति, परम्परा, वास्तुकला और साहित्य की अनूठी विरासत है। सुरम्य समुद्री तट, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, नदियाँ तथा समृद्ध संस्कृति आदि राज्य की विविधता में योगदान करती हैं।

महाराष्ट्र की पारम्परिक दृश्य कलाएँ और लोककला शैलियाँ

1. **दृश्य कला :** महाराष्ट्र की समृद्ध दृश्य कला में गुफाओं और ग्रांटों में चट्टानों पर बनी प्रस्तर प्रतिमाएँ, भित्तिचित्र, विशिष्ट मंदिर वास्तुकला, चित्रकथी और गंजीफा चित्र, वार्ली चित्र, आकर्षक रंगोली तथा हाल ही में खोजी गई पेट्रोग्लिफ्स (चट्टान पर नक्काशी) आदि शामिल हैं।
2. **गुफा कला :** महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है, जहाँ सर्वाधिक गुफाएँ हैं। इनमें भिन्न-भिन्न प्रकार, विविध बनावट और रंगों वाली तथा प्राचीन चट्टानों को काटकर गूढ़ मूर्तिकला के साथ बनाई गई गुफाएँ शामिल हैं, जो आकर्षक पुरातत्विक विरासत हैं।
   - एलिफेंटा, अजंता और एलोरा की गुफाएँ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल हैं।
   - औरंगाबाद के नजदीक अजंता और एलोरा की गुफाएँ दर्शाती हैं कि उस समय बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। आज भी वहाँ लगभग 800 गुफाएँ विभिन्न जिलों में फैली हुई हैं, लेकिन इनमें से अजंता स्थित 32 गुफाएँ अपनी वास्तुकला सम्बंधी सभ्यता, विरासत और कलात्मक कृतियों के कारण विशिष्ट रूप से अलग हैं।
   - अजंता की गुफा 1, 2, 16, और 17 बचे हुए प्राचीन भारतीय भित्तिचित्रों का सबसे बड़ा संग्रह है।
   - एलोरा जिसे वेरूल भी कहा जाता है, लगभग 1500 वर्ष पहले राष्ट्रकूट वंश काल की हैं। यहाँ 100 से अधिक गुफाएँ हैं, जो चरणंद्री पहाड़ियों में बेसाल्ट की चट्टानों से खुदाई करके निकाली गई हैं, जिनमें से 34 जनता के लिये खुले हैं। इनमें बौद्ध, हिंदू और जैन के 'विहारों' और 'मठ' के प्रमाण मिलते हैं।
   - दुनिया की सबसे बड़ी एक चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा संख्या 16 भगवान शिव को समर्पित कैलाश मंदिर है, जो रथ के आकार का एक स्मारक है।
   - सतमाला पहाड़ी श्रृंखला में स्थित पीतलखोरा गुफाओं में 14 चट्टानों को काटकर गुफा स्मारक बनाए गए हैं, जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की हैं।
   - एलीफेंटा गुफाएँ मुम्बई के नजदीक समुद्र में एक छोटे-से द्वीप पर स्थित हैं। गुफाएँ ठोस बेसाल्ट चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। इनकी नक्काशी हिंदू पौराणिक कथाओं का वर्णन करती है, जिसमें एक बड़ी चट्टान को काटकर बनाई गई 20 फुट ऊँचे प्रतिष्ठित त्रिमूर्ति सदाशिव (तीन मुँह वाले शिव), नटराज (नृत्य की मुद्रा में भगवान) और योगीश्वर (योग मुद्रा में भगवान) का वर्णन है।

- पश्चिमी भारत में बौद्ध धर्म के विकास को समझने के लिये कन्हेरी गुफाएँ बहुत ही महत्त्वपूर्ण मानी जाती हैं। इनमें बौद्ध मूर्तियाँ और उभरी हुई नक्काशी, पेंटिंग तथा शिलालेख शामिल हैं, जो पहली से 10वीं शताब्दी तक के हैं।
- भजा, करला, बेदसे, पांडवलेनी, लेन्याद्री, मनमोदी व शिवनेरी गुफाएँ अपनी वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रों के लिये प्रसिद्ध हैं।

3. पेट्रोग्लिफ्स (चट्टान पर नक्काशी)

- रत्नागिरि जिले में हाल ही में खोजी गई नक्काशीदार 1000 चट्टानों का अत्यधिक पुरातात्विक महत्त्व है। ये चट्टानें लगभग 1200 साल पुरानी हैं।
- नक्काशी कला 52 से अधिक स्थानों पर दिखाई देती है, जिसमें मनुष्यों और जानवरों की आकृतियाँ, काल्पनिक नमूने और प्रजनन चिह्नों की एक विशाल शृंखला है। उन्हें अंदर की तरफ गहरा काटकर लैटेराइट पत्थर की सपाट खुली सतह पर उकेरा गया है, जो आकृतियों को एक पैमाना और अद्वितीय रूप देता है।

4. वार्ली चित्रकला:

- यह उन आदिवासियों की चित्रकला शैली है, जो मुख्य रूप से ठाणे जिले के दहानु, तालसेरी, जौहर, पालघर, मोखदा और विक्रमगढ़ में निवास करते हैं।
- इसमें प्रकृति और आदिवासियों की रोज़मर्रा की गतिविधियों का वर्णन करने के लिये गोलाकार, त्रिकोण और वर्गाकार जैसी मूल मृत आकृतियों का उपयोग किया जाता है।
- इस चित्रकला में केवल सफेद रंग का उपयोग किया जाता है जो सफेद रंग के चावल के पेस्ट और पानी के मिश्रण से तैयार किया जाता है, जिसे बांधने के लिये गोंद डाली जाती है।
- एक छोर पर कुचली हुई बाँस की डंडी का पेंट ब्रश के रूप में उपयोग किया जाता है।

5. पिंगुली चित्रकथी:

- सिंधुदुर्ग में कुडाल के नजदीक पिंगुली गाँव की ठक्कर जनजाति 17वीं शताब्दी से इसका अभ्यास कर रही है।
- कागज, ब्रश और हस्तनिर्मित रंगों का उपयोग करके पेंटिंग की अनोखी शैली तैयार की जाती है।
- इसमें एक ग्रंथमाला का अनुसरण होता है और यह महाभारत और रामायण की कहानियों पर आधारित है। कहानी का वर्णन करने के लिये एक संग्रह का उपयोग किया जाता है, जो परम्परागत वाद्ययंत्रों जैसे– वीणा, ताल और हुदुक के संगीत से तैयार गीतों के रूप में सामने आता है।

6. गंजीफा:

- गंजीफा **हाथ से बने ताश के पत्ते** हैं जो सामंतवादी शाही परिवार द्वारा उपयोग व संरक्षित किये गए हैं। यह अब दुनिया भर के कई संग्रहालयों में पहुँच चुके हैं।
- ये पत्ते कागज के गोलाकार टुकड़ों से बनाए गए हैं, जिन पर दशावतार की गूढ़ रूपरेखा हाथ से पेंट किये जाते हैं।
- इसके एक सेट में 120 जो दस रंगों के होते हैं व प्रत्येक में 12 पत्ते होते हैं।
- पत्ते कागज से बने होते हैं जो इमली के बीज के पाउडर और तेल के मिश्रण से चित्रित होते हैं। इनकी लाख से पुताई व कोटिंग होती है। शाही पत्तों में सजावटी बॉर्डर होते थे।
- कार्ड के सेट को रखने के लिये बनाए गए बॉक्स को चारों तरफ से विशेष चित्रों और सजावटी नमूनों द्वारा तैयार किया जाता है।

7. भित्तिचित्र:

- यह कला की एक शैली है जो घरों या मंदिरों की दीवारों पर धार्मिक विषयों को दर्शाती है। माथेरान या महात्मा समुदाय, जो अपने प्राकृतिक रंग-चित्रण के लिये प्रसिद्ध हैं, परम्परागत भित्तिचित्र के कलाकार हैं। चित्र सोने और चांदी से अलंकृत हैं ताकि चित्रण को उभारा जा सके।

8. रंगोली:

- यह फर्श पर बनाई जाने वाली परम्परागत कला है जो लगभग हर घर में प्रचलित है।
- रंगीन चावल, सूखा आटा, रंगीन रेत या फूलों की पंखुड़ियों जैसी सामग्री का उपयोग करके फर्श या जमीन पर मंत्रमुग्ध कर देने वाले डिजाइन बनाए जाते हैं।
- वसई जिले के एक छोटे गाँव, जुचंद्र के रंगोली कलाकारों ने नए रंगोली के विभिन्न रूपों, यथा– खाद्य चित्र, प्रकृति और प्राकृतिक दृश्य, पानी के भीतर और पानी के ऊपर, ज्यामितीय, तीन आयामी चित्र और संस्कार भारती को लोकप्रिय बनाया है।
- रंगोली के विषय हैं: धार्मिक त्योहार मनाना, ऐतिहासिक या सामयिक व्यक्तित्व और घटनाएँ, कन्या भ्रूण हत्या तथा राष्ट्रीय अखंडता जैसे वर्तमान सामाजिक मुद्दों को उजागर करना।

कला प्रदर्शन- महाराष्ट्र में गायन, नृत्य, कठपुतली तथा रंगमंच जैसे कला प्रदर्शनों की समृद्ध विरासत है, जो आश्चर्यजनक और जीवंत हैं।

(i) जनजातीय संगीत:

- भील, महादेव कोली, गोंड, वार्ली, कोकना, कटकरी, ठाकुर, गावित, कोलम, कोरकू, अंध, मल्हार व पारधी जनजाति ज्यादातर खण्डेश, कोलाबा, नासिक, पुणे तथा अहमदनगर के कुछ हिस्सों में मुख्य रूप से बसी हुई हैं।
- उनके संगीत की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता उनकी चाल और संगीत का करीबी मिश्रण है। वाद्ययंत्र आसानी से उपलब्ध सामग्रियों जैसे कि बाँस, जानवर की खाल, लौकी, मिट्टी और पत्तियों से बनाए जाते हैं।
- सभी महत्त्वपूर्ण घटनाएँ, जैसे– बच्चे का जन्म, दीक्षा संस्कार, विवाह या मृत्यु, साथ ही मौसम में बदलाव और कटाई के समय विशिष्ट संगीत आदि भी जुड़े हुए हैं।

(ii) रणमाले-गोवा

- भारत के लोकप्रिय महाकाव्य रामायण और महाभारत की पौराणिक कहानियों पर आधारित विधि विधान को मानने वाला लोक रंगमंच है। इसे होली के दौरान प्रस्तुत किया जाता है, जिसे गोवा और कोंकण क्षेत्रों में शिगमो (वसंत ऋतु के त्योहार) के रूप में मनाया जाता है।
- 'रणमाले' शब्द दो शब्दों से बना है, 'रण' का अर्थ है लड़ाई और 'माले' का मतलब कला-प्रदर्शन के दौरान प्रकाश-स्वरूप इस्तेमाल की जाने वाली पारम्परिक मशाल है।
- रणमाले कला का प्रदर्शन पश्चिमी भारत में उत्तरी गोवा जिले के सतारी तालुक और दक्षिण गोवा जिले के सनग्वेम में किया जाता है।
- यह महाराष्ट्र के सीमावत गाँवों, जैसे– मांगेली और पाट्ये तथा कर्नाटक के चिखाले, कणकुंबी, परवाड़, गवली एवं डींगाओ में भी प्रचलित है।
- इस शैली में नृत्य, नाटक और जाट नामक लोकगीत शामिल हैं।
- नाटक का प्रत्येक प्रतिभागी लोकगीतों की धुन पर प्रवेश करता है। इसमें परम्परागत वाद्ययंत्र तथा घूमत एक मिट्टी के बर्तन का ढोल है, जिसका एक छोर मॉनिटर छिपकली की त्वचा से ढँका होता है और दूसरा मुँह खुला रहता है।
- शुरुआती ताल के लिये कंसले तथा पीतल के झांझ के साथ वाद्ययंत्रों का उपयोग किया जाता है।

- लोक नाटक के सर्जक जिसे सूत्रधार भी कहा जाता है, जाट नामक गीत गाते हैं, जबकि लोक कलाकार पृष्ठभूमि में मंच पर पंक्तिबद्ध खड़े होते हैं।
- जरमे के गाँव में रणमाले की प्रस्तुति चोरोत्सव के वार्षिक उत्सव के बाद होती है, जबकि केरनजोले में यह त्योहारों के पहले मनाया जाता है।
- इसमें लोकप्रिय धारणा है कि मूलतत्त्व का प्रदर्शन नहीं होने से ग्राम देवता क्रोधित हो सकते हैं।

(iii) जड़ीपट्टी और दशावतार- महाराष्ट्र

- जड़ीपट्टी का अभ्यास महाराष्ट्र के चावल की कृषि की जाने वाली पूर्वी क्षेत्रों में की जाती है, जिसमें चंद्रपुर भंडार और विदर्भ के गढ़चिरौली जिला शामिल हैं। फसलीय मौसम चावल के स्थानीय नाम जड़ी के कारण इसका नाम जड़ीपट्टी पड़ा है। इस क्षेत्र की रंगमंच कला को जड़ोपट्टी रंगभूमि के नाम से जाना जाता है।
- यह व्यावसायिक और लोक रंगमंच के रूप का मिश्रण है।
- यह जीवंत संगीत शैली का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें अभिनेता गायक भी होते हैं।
- इन दिनों विभिन्न थियेटर समूहों द्वारा इस शैली का अभ्यास किया जाता है। इस क्षेत्र में गोंड, कोरफू और पारधी जैसी जनजातियाँ रहती हैं। उल्लेखनीय है कि जड़ीपट्टी का जन्म डांडर नामक जनजातीय कला से हुआ, जिसमें संगीत और नृत्य के संयोजन से थियेटर जैसा अभिनय देखने को मिलता है।

(iv) दशावतार

- परम्परागत लोक रंगमंच शैली दशावतार महाराष्ट्र के दक्षिण कोंकण क्षेत्र और गोवा के उत्तरी गोवा जिले के सिंधुदुर्ग जिले में किसानों के बीच प्रचलित एक लोक रंगमंच है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में नाटक का लोकप्रिय रूप है।
- शुरू में यह कोंकण क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ था, आज इसे उत्कृष्ट कला के रूप में देखा जाता है।
- इसमें अभिनेता, मेकअप और वेशभूषा का उपयोग करता है। इस संगीत के तीन वाद्ययंत्र होते हैं- पैडल हारमोनियम, तबला और झांज (झांझ)।

लोक संगीत

1. नंदी वाला

- इसमें विशेषज्ञ कलाकार होते हैं जो पशु-प्रदर्शनी प्रस्तुत करते हैं।
- करतब के साथ कुछ भविष्यवाणियों को मिलाकर वह गुबगुबी (दो तरफा ढोलक), गड्याल-टिपरू (धातु के चक्र पर चोट करने वाला लकड़ी का हथौड़ा) और छोटी घंटियों को वाद्ययंत्रों के रूप में इस्तेमाल करता है।
- इसमें लयबद्ध वादन, नियंत्रित शाब्दिक अभिव्यक्ति तथा धूम-धड़ाका संगीत होता है। प्रदर्शन के बाद कलाकार भिक्षा माँगता है।

2. बहुरूपी

- शाब्दिक अर्थ- भेष बदलने वाले, जो गर्भवती महिलाओं तथा युवा माताओं आदि का रूप धारण करके स्वांग करते हैं।
- ये बहिरोबा, खंडोबा, जाखई और जनाई जैसे पंथ देवताओं के भक्त हैं। उनके गीत, कविताओं और तुकबंदी से भरे होते हैं, शादी के लिये वे एक विनोदी मनोरंजक हैं। इसमें वाद्ययंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है।

3. धनगरी ओवया

- यह गति-उन्मुख गीत चरवाहों (धनगड़) से जुड़ा हुआ है और भगवान शिव के अवतार बिरुबा पर केंद्रित है।

- इसमें धनगड़ रंग-बिरंगे पहनावे में एक विशाल ढोल बजाने वालों के चारों ओर ज़ोरदार नृत्य करते हैं। पूर्णत: प्रभावशाली लय तथा शानदार छंद के साथ समाप्ति और तेज़ आवाज की परिकल्पना इस प्रदर्शन का एक हिस्सा है, जो आमतौर पर घर के बाहर किया जाता है।

4. वासुदेव गीत:

- इसमें अभिनेता वासुदेव, भगवान कृष्ण का एक अवतार के रूप में होता है, इसमें मोर-पंख, शिरो वस्त्र और बाँसुरी स्पष्ट रूप से दिखती है। घुंघरू (टखने की घटिया) और हाथ में पकड़ी हुई मंजिरी (झांझ) बाँसुरी या गायन के साथ सुर मिलाती है। वासुदेव स्वयं गाते हैं और कुशल, रुचिकर नृत्य पद तथा शरीर के चक्राकार थिरकन को अंजाम देते हैं।

5. वाद्य-मुरली गीत:

- गीत गोंधल अनुष्ठान सम्बंधी थियेटर की एक उप विविधता वाली शैली है।
- वाद्य और मुरली ये क्रमश: खंडोबा के पुरुष और महिला भक्त शामिल होते हैं। इसमें मुरली मुख्य नर्तक और वाद्य संगीत देने वाला है। मुरली की आकर्षक वेशभूषा और उनकी हरकत में भावमय लावण्य से इस प्रदर्शन में फर्क महसूस किया जा सकता है।
- इसमें केवल टुनट्यून (एक स्ट्रिंग वाला ताल और ड्रोन कॉर्डोफोन), घुँघरू और घोल (एक छोटी घंटी) के प्रयोग किये जाते हैं।

6. भक्ति संगीत:

- इसने अपनी गुणवत्ता और पहुँच के माध्यम से संगीत में सर्वाधिक योगदान दिया है। सबसे पहले, यह गाने के रागों, जैसे– भजन, प्रवचन और गायन के साथ-साथ एकल और गायन मंडली सम्बंधी रूप में विभिन्न मोड़ की खोज करता है और दूसरा इसमें वाद्ययंत्रों को विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। एकतारी (एक तार वाला ड्रोन), मृदंग (दो तरफा क्षैतिज ड्रम), ताल (झांझ) तथा चिपलिया (घंटे का लटकन) का अद्‌भुत संगम देखते ही बनता है।
- इसके अलावा इसमें धवले, अभंग, गोलन, भरूड़, स्तोत्र, आरती, श्लोक, अवी, करुणाष्टक, फटका, कतव और विरानी सहित रूपों की एक पूरी श्रृंखला विकसित की गई है।
- विभिन्न धार्मिक गतिविधियाँ (सम्प्रदाय), जैसे कि समर्थ, दत्ता, वरकरी और अन्य को इस श्रेणी में आगे जोड़ा गया है। अकेले महाराष्ट्र में कीर्तन की लगभग आठ किस्में हैं।

लोकनृत्य: नृत्य किसी भी अनुष्ठान का महत्त्वपूर्ण हिस्सा होता है, केवल विविध पद्धतियाँ शायद ही कभी निर्धारित या परिभाषित होती है क्योंकि यह विशेष रूप से एक अस्थिर व्यवस्था है।

(i) आनुष्ठानिक नृत्यशैली

- इस शैली को वाद्य-मुरली के खंडोबा जागरण में गोंडलियों के अम्बा, भवानी, रेणुका तथा गोंधल के साथ देखा जा सकता है।
- वाद्य-मुरली जागरण के साथ कर्मकांडों का लोक मंचन भी करते हैं। नृत्य के माध्यम से प्रतिभागी भगवान खंडोबा और देवी रेणुका देवी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं।
- इसमें शरीर को हिलाने-डुलाने के साथ कुछ विशिष्ट पदचाप होते हैं। चूँकि वे एक हाथ में घाती (वाद्य जैसा एक झांझ) रखते हैं, इसलिये उनके हाथ का हिलना प्रतिबंधित होता है।

(ii) भक्ति नृत्य रूप

- भरुद और कीर्तन सहज होने वाले भक्ति नृत्य की शैलियाँ हैं।
- भरुद में भरुड़कार (कलाकार) पहले आरंभिक पंक्ति गाता है, फिर एक आध्यात्मिक संदेश देता है और बीच-बीच में नृत्य करने लगता है। नृत्य के हाव-भाव में हाथों की हरकतों को शामिल किया जाता है। इसमें पखावज (एक तरह का ढोल) और झांझ की ताल पर सभी थिरकते हैं।

- पंढरपुर तीर्थयात्रा के दौरान वरकारी कीर्तन या डिंडी नृत्य किया जाता है।
- प्रतिभागी एक-दूसरे के सामने दो पंक्तियों में आते हैं तथा मृदंग और वीणावादक के बीच नृत्य करते हैं।
- अन्य भक्ति लोकनृत्य के रूप हैं-फुगड़ी, जिम्मा, पिंगा, अत्यतपत्य, न लगोरी और चेंदुफली।
- बोहाड़ा जिसे पंचमी, अखाड़ी तथा चौती के नाम से भी जाना जाता है, पौराणिक कहानियों से जुड़ा एक नृत्य नाटक है। यह ठाणे, पालघर, नासिक और नगर जिलों के आदिवासी क्षेत्र में लोकप्रिय है।
- रामायण, महाभारत, ललित और दशावतार की कथाएँ सभी रंगपटल का हिस्सा बनती हैं। इन्हें गाँवों के वार्षिक उत्सव के दौरान ग्रामोत्सव के रूप में जाना जाता है।
- गणपति, रिद्धि-सिद्धि तथा सरस्वती जैसे दिव्य पात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले नर्तक पहले बोहदा के पुत्र स्थान पर प्रवेश करते हैं, इसके बाद राम, लक्ष्मण, रावण, हनुमान, त्रतिका, भस्मासुर, भैरवनाथ और खंडोबा जैसे पात्र आते हैं।
- इसके पात्र सम्भ्रांत योद्धा नृत्य करते हैं, अभिनेता एकसाथ बजाए जा रहे वाद्ययंत्रों, जैसे– ढोल, सनाई, मंझिरी तथा संबल के साथ चरम सीमा तक पहुँचते हैं।

(iii) सामाजिक जागरूकता नृत्यशैलियाँ

- इसमें विभिन्न नृत्यशैलियाँ हैं जो सामाजिक संदेश देने का महान कार्य करती हैं। इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से ही किया जाने वाला लोकप्रिय पोवाड़ा (गाथा गीत) भी शामिल है। इसमें वीर रस की साहसी भावना अंतर्निहित है, साथ ही अन्य बहादुर योद्धाओं की गाथाएँ सुनाई जाती है।
- यह सामाजिक सिद्धांतों के प्रचार और विभिन्न स्तरों पर सामाजिक संदेशों को सुनाने के लिये प्रसिद्ध है।
- एक पावड़े में अनिवार्य रूप से शाहिर (भाट) होते हैं जो नृत्यशैलियों के साथ बनी कहानियों पर अभिनय करते हैं।
- गाथा गीत के गायक अक्सर डाफ (डफली) का उपयोग करते हैं और नाटक के विजयी क्षणों का सजीव वर्णन करते हैं ।

(iv) मनोरंजन नृत्यशैली

- लावणी गायन, अभिनय और नृत्य का सौंदर्यबोध विषयक मिश्रण है, जो महाराष्ट्र की सबसे लोकप्रिय लोकनृत्य-शैलियों में से एक है।
- नौ गज की साड़ियाँ पहने मुख्य नर्तकी अपनी मंडली के साथ, भावमय चाल चलती है।
- तमाशा श्रृंगार रस (रोमांचकता) से परिपूर्ण है।
- तमाशा दो प्रकार के होते हैं– ढोलकी फड़छा तमाशा और संगीत बारिचा तमाशा, इनमें लावणी का प्रदर्शन किया जाता है।
- लावणी की अन्य शैलियों में भक्तिपूर्ण और गीत गाथा हैं। इनमें सामाजिक परम्पराओं और मान्यताओं के साथ-साथ यौन-शिक्षा एवं विवाह-सम्बंधी रीति-रिवाज़ों का वर्णन किया जाता है।

(v) मिश्रित लोकनृत्य-शैलियाँ

- महाराष्ट्र के रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में नमन, खेले और बाल्या नृत्य (जाखड़ी) प्रमुख लोकनृत्य-शैलियाँ हैं। इनमें नमन और खेले विशुद्ध रूप से नाटकीय शैलियाँ हैं, जिसे होली के समय तथा जाखड़ी (जिसे बल्या नृत्य भी कहा जाता है) गणेश उत्सव में किया जाता है।
- कलाकार अपने बाएँ पैर में घुँघरू बांधते हैं।
- ढोलकी, ताल और घुंघरू जो एक छड़ी से बंधे होते हैं, जाखड़ी में इस्तेमाल किये जाने वाले वाद्य हैं।
- नृत्य गोलाकार रूप में किया जाता है।

- वाद्य बजाने वाले घेरे के बीचोंबीच रहते हैं और अन्य प्रतिभागी घेरे के बाहर नृत्य करते हैं।
- कुछ पौराणिक कथाओं-गीतों को नृत्य के दौरान उसी स्वरूप में जाखड़ी के साथ प्रस्तुत किया जाता है।
- नमन-खेले में भी दिव्य व्यक्तियों और अन्य पौराणिक पात्रों को पेश किया जाता है।
- अन्य नृत्य रूप जो ठाणे और पालघर जिलों में लोकप्रिय हैं, उनमें कलयाची फुगड़ी, तिक्की, चपई, राधा और गौरी आदि शामिल हैं।
- सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी तहसील में चरवाहा समुदाय का चपई नृत्य काफी लोकप्रिय है। यह पश्चिमी महाराष्ट्र के गज नृत्य से मिलता-जुलता है। ढोल, कैथल और सनाई जैसे संगीत वाद्ययंत्र क्रमशः चपई और गजनृत्यों में प्रयोग किये जाते हैं।
- ये नृत्य चरवाहों, बिरोबा और जोतिबा के कुल-देवताओं की प्रतिष्ठा में किये जाते हैं।
- प्रतिभागी अलग-अलग नृत्य रूप तैयार करते हैं, जिसमें एक हाथ में एक रूमाल लिये हुए गोलाकार रूप में घूमते हैं।
- इसके अलावा लेझिम और गोफ लोकप्रिय हैं। गोफ पुणे में जुन्नार तहसील के ठक्कर आदिवासियों का पसंदीदा नृत्य है।
- कोली नृत्य मछली पकड़ने के समुदाय (कोलिस) का नृत्य है। यह उत्सव के दिनों और विवाह के अवसरों पर किया जाता है। पुरुष और महिलाएँ मिलकर देवताओं को आमंत्रित करती हैं। वे ढोल, पीपनी, सनाई और घूमत के संगीत पर नृत्य करते हैं।
- विदर्भ में खादी-गम्मट लोकनृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है।
- आदिवासी समुदायों में लोकप्रिय घुसाड़ी, टिपरी, घोरपड़, होली और बंजारा नृत्य हैं। महिलाएँ नागपंचमी के दौरान अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मंगलगौर और लोक नाटकों का प्रदर्शन करती हैं।

निष्कर्ष

- महाराष्ट्र की कला और संस्कृति में विविधता तथा समानता है। यह लोगों को एक-दूसरे के करीब रख सामुदायिक बंधन को मज़बूत करता है। प्रत्येक युग में इसने दुनिया भर के कलाकारों को हमेशा प्रेरित किया है और भविष्य की पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता रहेगा।

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture
टीम वही, कोचिंग नई
अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स

ऑनलाइन वीडियो कोर्स में शामिल हैं

1. इतिहास विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति पै के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. इतिहास विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री-
   (i) पेपर 1: प्राचीन भारत का इतिहास तथा मध्यकालीन भारत का इतिहास
   (ii) पेपर 2: आधुनिक भारत का इतिहास तथा विश्व इतिहास
5. इतिहास विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह

सम्पर्क करें: 7428085757/58
या
मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124
पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on:

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

ऑनलाइन वीडियो कोर्स

सामान्य अध्ययन
प्रिलिम्स कोर्स

GS (PT & Mains)
Ques-Ans. Discussion Course

वैकल्पिक विषय
भूगोल
द्वारा - कुमार गौरव

वैकल्पिक विषय
इतिहास
द्वारा - अखिल मूर्ति

ऑनलाइन वीडियो कोर्स की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ

- 500 से अधिक घंटों की कक्षाएँ
- 24×7 क्लास एक्सेस, कभी भी कहीं से भी
- विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर परिचर्चा
- शंका-निवारण (Doubt Clearing) कक्षाएँ
- अद्यतन एवं विस्तृत पाठ्य-सामग्री कोरियर द्वारा आपके पास भेजी जाएगी।
- प्रत्येक महीने करेंट अफेयर्स मैगज़ीन पी.डी.एफ. फॉरमेट में
- प्रत्येक वीडियो को 4 बार देखने की सुविधा
- नियमित क्लास टेस्ट
- वीडियो कोर्स में वही अध्यापक पढ़ाएंगे जो दिल्ली केंद्र पर ऑफलाइन कक्षा कार्यक्रम में पढ़ाते हैं

श्री अखिल मूर्ति
इतिहास
कला एवं संस्कृति

श्री अमित कुमार सिंह
(IGNITED MINDS)
एथिक्स

श्री ए.के. अरुण
भारतीय
अर्थव्यवस्था

श्री सीबीपी श्रीवास्तव
(DISCOVERY IAS)
भारतीय राजव्यवस्था

श्री कुमार गौरव
भूगोल, पर्यावरण
आपदा प्रबंधन

श्री रीतेश आर जायसवाल
सामान्य विज्ञान
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

श्री विकास रंजन
(TRIUMPH IAS)
सामाजिक मुद्दे

एवं टीम

नोट

नोट्स की गुणवत्ता एवं डेमो क्लास देखने के लिये गूगल प्ले स्टोर से
SANSKRITI IAS
का एप डाउनलोड करें

पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 | सम्पर्क करें: 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124
Website: www.sanskritiIAS.com | Follows us on: YouTube